पंचम माला, खंड 41, अंक 3 | बुधवार, 24 जुलाई, 1974/2 श्रावण, 1896 (शक)
Fifth Series, Vol. XLI, No. 3 | Wednesday, July 24, 1974/Sravana 2, 1896 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
5th
LOK SABHA DEBATES

[ग्यारहवां सत्र / Eleventh Session]

[खंड 41 में अंक 1 से 10 तक हैं / Vol. XLI contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये ·

Price : Two Rupee

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षित अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेंजी/
हिन्दी में दिए गए भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।]

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

विषय सूची/CONTENTS

अंक 3, बुधवार, 24 जुलाई, 1974/2 श्रावण, 1896 (शक)

No. 3 Wednesday, July 24, 1974/Sravana 2, 1896 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
निधन-संबंधी उल्लेख	Obituary Reference	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	*ORAL ANSWERS TO QUESTIONS*	
ता० प्र० संख्या S.Q. No.		
43. राजस्थान में आदिवासी क्षेत्रों का विकास	Development of Adivasi Areas in Rajasthan	1–3
44. 'रिबैल मिजो लीडर इन चाइना' शीर्षक के अंतर्गत समाचार	News Item Captioned 'Rebel Mizo Leader in China, ...	3–5
45. विदेशों को चलचित्रों की तस्करी	Smuggling of Films to Foreign countries	5–7
46. सहकारी समितियों द्वारा अनुसूचित जनजातियों को अग्रिम ऋण देने की प्रक्रिया को सुगम बनाना	Simplification of procedure to Advance Loans to Scheduled Tribes by Cooperatives	7–10
48. जादुगुड्डा (बिहार) से यूरेनियम की तस्करी	Smuggling of Uranium from Jaduguda (Bihar)	10–13
अल्प सूचना प्रश्न	*SHORT-NOTICE QUESTION*	
अ०सू०प्र० संख्या		
कलकत्ता टेलीफोन विभाग का कार्यकरण	Functioning of Calcutta Telephones	13–20
प्रश्नों के लिखित उत्तर	*WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS*	
ता०प्र० संख्या S.Q. No.		
41. राज्यों को सीमेंट का आवंटन	Allotment of Cement to States ..	20–21
42. विद्युत बोर्डों के चयरमैनों की बैठक	Meeting of Chairmen of Power Boards	21–22
47. नर्मदा विवाद पर प्रधान मंत्री का पंच निर्णय	Prime Minister's Award on Narmada Dispute	22–23
49. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद	Maharashtra Karnataka Boundary Dispute	23

किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।
The Sign + marked above the name of a Member indicated that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

5/Lok Sabha/74—1

ता० प्र० संख्या S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
50.	ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के लिये स्वीकृत धनराशि	Amount sanctioned for various projects by Rural Electrification Corporation	23
51.	सी०आई०ए० की गतिविधियों पर प्रतिबंध	Ban on Activities of CIA	23–24
52.	सेवा निवृत्त सरकारी अधिकारियों द्वारा किसी न्यायालय अथवा जांच आयोग के समक्ष साक्ष्य दिया जाना	Tendering Evidence before a court or an Enquiry Commission by Retired Government Officials ..	24
53.	बिहार में विधान सभा सदस्यों से जबरदस्ती दिलाये गये त्यागपत्रों के पीछे अमरीकी गुप्तचर विभाग (सी०आई०ए०) का हाथ	Role of CIA in Forced Resignations of Bihar MLAs	24
54.	अत्यावश्यक वस्तुओं तथा आम खपत वाली वस्तुओं संबंधी समिति का प्रतिवेदन	Report of Committee on Essential Commodities and Articles of Mass Consumption	24
55.	रेलवे कर्मचारियों और उनके नेताओं की गिरफ्तारियां	Arrests of Railwaymen and their Leaders	25
56.	क्विलोन में टेलीफोन एक्सचेंज में सुविधायें	Facilities at Telephone Exchange in Quilon	25–27
57.	ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा पंजाब में लघु उद्योगों को बिजली की सप्लाई और ग्रामों का विद्युतीकरण	Electrification of Villages and Supply of Power to Small Industries in Punjab by Rural Electrification Corporation ..	27
58.	दंगों के नियंत्रण के लिये गैर-घातक हथियारों का विकास	Developing Non-Lethal Weapons for Riot Control	27
59.	पांचवीं योजना का पुनरीक्षण	Revision of Fifth Plan ..	28
60.	रेलवे की विगत आम हड़ताल के बारे में समाचार पत्रों को दिये गये विज्ञापनों का मूल्य	Value of Advertisements given to Newspapers on Last Railway General Strike	28
अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.			
334.	केरल के विकास खंडों में विशेष क्षेत्री-परियोजनायें	Special Area Projects in Development Blocks of Kerala ..	28
335.	केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा केन्द्र तथा राज्यों में की गई जांच	Inquiries conducted by CBI at the Centre and in States . ..	28–29
336.	दक्षिण भारत में वृद्ध और रुग्ण स्वतंत्रता सेनानियों के लिये 'गृह'	Home for Old and Ailing Freedom Fighters in South India ..	29
337.	दिल्ली में वृद्ध, अशक्त तथा बीमार स्वतंत्रता सेनानियों के लिये 'गृह'	Home for Aged, Infirm and Ailing Freedom Fighters in Delhi ..	29–30
338.	सदर बाजार, दिल्ली में साम्प्रदायिक दंगों के बारे में प्रतिवेदन	Report on Communal Riots in Sadar Bazar, Delhi	30
339.	दिल्ली प्रशासन में अधिकारियों द्वारा कथित घोटाला	Alleged Bungling by Officers in Delhi Administration	30

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
340.	हरियाणा के कारखानों को विद्युत की सप्लाई	Supply of Power to Factories in Haryana	31
341.	बीमार कपड़ा मिलों का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Sick Textile Mills	31
342.	निर्मित वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि	Increase in Price of Manufactured Goods	31–32
343.	कोका कोला निर्यात निगम द्वारा उत्पादन का विस्तार	Expansion of Production by Coca Cola Export Corporation ..	32
344.	विदेशी कम्पनियों के आयात लायसेंसों के लिये आवेदन-पत्र	Applications from Foreign Companies for Import Licences ..	32–33
345.	तस्करों द्वारा महाराष्ट्र तथा गुजरात के पश्चिमी तट से हथियारों और गोला-बारूद की तस्करी के लिये गुप्त हवाई पट्टियों का निर्माण	Secret Airstrips built by Smugglers for Smuggling of Arms and Ammunition from Western Coast of Maharashtra and Gujarat ..	33
346.	भारतीय मानक संस्था में तालाबंदी	Lock out in Indian Standards Institution	33
347.	सदर बाजार के साम्प्रदायिक दंगों में गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की संख्या	Number of Persons Arrested in Sadar Bazar Communal Riots ..	34
348.	तमिल सेना की गतिविधियां	Activities of Tamil Sena ..	34
349.	अखबारी कागज के बारे में "युनेस्को" से बातचीत	Taking upto Newsprint Issue with UNESCO	34–35
350.	क्रासबार उपकरणों का क्रय	Purchase of Cross Bar Equipment	35
351.	एक केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की स्थापना	Setting up of a Central Electricity Authority	35–36
352.	केरल में अखबारी कागज का कारखाना	Kerala Newsprint Factory	36–37
353.	लद्दाख का दर्जा	Status of Ladakh	37
354.	पश्चिम बंगाल में नये औद्योगिक कारखानों के लिये केन्द्रीय सहायता	Central Subsidy for New Industrial Units in West Bengal	37
355.	पश्चिम बंगाल में फरक्का तापीय बिजली-घर परियोजना	Farakka Thermal Power Project in West Bengal	37
356.	फरक्का बांध परियोजना की पोषक नहर का खुदाई कार्य	Excavation Work of Feeder Canal of Farakka Barrage Project .	37–38
357.	पहाड़ गंज थाना के बाहर दिल्ली युवक संघ द्वारा प्रदर्शन	Demonstration by Delhi Youth Federation outside Pahar Ganj Police Station	38
358.	मद्रास में मलयालम भाषी विरोधी आन्दोलन	Anti-Malayalee Agitation in Madras	38–39
359.	तमिल के दैनिक पत्रों में मलयालम भाषी लोगों के विरुद्ध लेख	Articles in Tamil Dailies against Malayalees	39
360.	केरल में तमिल विरोधी आन्दोलन	Anti-Tamilian Agitation in Kerala	39

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
361.	सरकार के स्वामित्व वाले राष्ट्रीय वस्त्र निगम का पुनगठन	Restructure of State owned National Textile Corporation ..	39–40
362.	विभिन्न पार्टियों को आई०बी०एम० द्वारा किराये पर सप्लाई किए गए कम्प्यूटर	Computers supplied on hire by IBM to various parties	40
363.	कम्प्यूटरों के रख-रखाव के लिये निगम	Corporation for Maintenance of Computers	40
364.	केरल को सीमेंट का नियतन	Allocation of Cement to Kerala ..	41
365.	केरल में औद्योगिक एककों की क्षमता	Capacity of Industrial Units in Kerala	41
366.	केरल के नगरों और ग्रामों में टेलीफोन सुविधायें	Telephone facilities in towns and villages of Kerala	41–42
367.	निर्यात प्रधान उद्योगों के लिये 'कैपटिव' बिजली संयंत्रों की स्थापना करना	Setting up of Captive Power Plants for Export Oriented Industries	42
368.	गंगा को कावेरी के साथ जोड़ना	Linking of Ganga with Cauvery ..	42–43
	विदेशों में काम कर रहे भारतीय वैज्ञानिकों, टेक्नोलोजिस्टों और इन्जीनियरों को आकर्षित करने की पैकेज योजना	Package Scheme to attract Indian Scientists, Technologists and Engineers Working Abroad ..	43
370.	सीमेंट उत्पादन की अतिरिक्त क्षमताओं में गैर-सरकारी एवं सरकारी कम्पनियों का भाग	Share of Private and Public Companies in additional Capacities of Cement Production	43
371.	विभिन्न राज्यों के लिये सिंचाई प्राथमिकता योजनायें	Irrigation priority Scheme for Different States	43–44
372.	पांचवीं योजना का पुनरीक्षित प्रारूप	Revised Draft of Fifth Plan	44
373.	लघु अखबारी कागज संयंत्र की स्थापना	Setting up of Mini Newsprint Plants	44
374.	राज्यों की योजनाओं के लिए केन्द्र द्वारा वित्तीय सहायता	Financial Help by the Centre for State Plans	44–45
375.	जिला फैजाबाद (उत्तर प्रदेश) के मुक्तापुर गांव के स्वर्ण हिन्दुओं द्वारा हरिजनों की पिटाई	Beating of Harijans by Upper Caste Hindus in Village Muktapur District Faizabad (U.P.) ..	45
376.	गांव महुवा थाना खंडासा (उत्तर प्रदेश) के हरिजनों को पीटा जाना ।	Beating of Harijans of Village Mahuwa, P. S. Khandasa (U.P.)	45
377.	दिल्ली को बिजली की सप्लाई	Supply of Electricity to Delhi ..	45
378.	मोहन मीकेन्स ब्रुअरीज के कार्यों की जांच	Enquiry into the Affairs of Mohan Meakin Breweries	46
379.	ट्रकों एवं बसों के टायरों तथा ट्यूबों का उत्पादन तथा मांग	Production and Requirements of Truck and Bus Tyres and Tubes	46–47
380.	मैसर्स शा वैलेस एंड कम्पनी लि० द्वारा शेयर की बिक्री के बारे में की गई जांच	Investigation made into Sale of Share by M/s. Shaw Wallace and Co. Ltd.	47

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
381.	नीमच के टेलीफोन एक्सचेंज के बारे में शिकायतें	Complaints about Telephone Exchange at Neemuch	47–48
382.	कृषि तथा संबद्ध कार्यक्रमों के लिये वार्षिक योजना परिव्यय में कटौती	Cut in Annual Plan Outlay for Agriculture and Allied Programmes	48
383.	अंतर्राज्यीय विवादों के कारण ठप्प पड़ी बड़ी सिंचाई परियोजनायें	Major Irrigation projects held up due to Inter State Disputes ..	48
384.	'डेसू' के सन्मुख वित्तीय कठिनाइयां	Financial Difficulties Faced by DESU	
385.	हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण इंजीनियरिंग सर्वेक्षण	Rural Engineering Survey in Himachal Pradesh	49
386.	हिमाचल प्रदेश में पी०सी०ओ० और सी० ओ० स्थापित करना	Opening of P. C.Os. and C.Os in H. P. ..	49–50
387.	हिमाचल प्रदेश में इन्डोरा में टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना करना	Setting up of Telephone Exchange at Indora in H.P.	50
388.	हिमाचल प्रदेश में चौंतरा में टेलीफोन एक्सचेंज	Telephone Exchange at Chauntra in H. P.	50
389.	गुजरात में बिजली का उत्पादन	Power Generation in Gujarat ..	50–51
390.	पिछड़े क्षेत्रों में नये डाक-घर खोलना	Opening of New Post Offices in Backward Areas	51
391.	संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के माध्यम से भर्ती संबंधी व्यवस्था का मूल्यांकन करने के के लिये गठित समिति का प्रतिवेदन	Report of the Committee set up to Evaluate System of Recruitment by UPSC	51–52
392.	कनाडा द्वारा भारतीय वैज्ञानिकों को दी जा रही प्रशिक्षण सुविधायें वापस लेना	Withdrawal of Training Facilities to Indian Scientists by Canada..	52
393.	फिल्म निगम की स्थापना	Setting up of a Film Corporation	52
394.	औद्योगिक प्रगति दर	Industrial GrowthRate ..	52–53
395.	पांचवीं योजना को अंतिम रूप दिया जाना	Finalisation of Fifth Plan ..	53–54
396.	गुजरात में सीमेंट की कमी	Shortage of Cement in Gujarat ..	54
397.	समाचार-पत्र वित्त निगम	Newspaper Finance Corporation ..	54
398.	पांचवीं योजना के पहले वर्ष के दौरान विद्युत उपकरणों का आयात	Import of Power Equipments during First Year of Fifth Plan ..	54–55
399.	साझी विद्युत ग्रिड का अध्ययन करने हेतु भारत-श्रीलंका विशेषज्ञ समिति	Indo-Sri Lanka Experts Committee to Study Common Power Grid	55
400.	जून 1974 में नदी जल के संबंध में भारत बंगला देश वार्ता	Indo Bangladesh Talks on River Waters in June, 1974	55
401.	बस तथा ट्रक के टायरों का वितरण	Distribution of Bus and Truck Tyres	56
402.	चंडीगढ़ संबंधी निर्णय को क्रियान्वित करना	Implementation of Award on Chandigarh	56

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
403.	औद्योगिक उत्पादन में गिरावट	Decline in Industrial Production	56–57
404.	हरियाणा, पंजाब और दिल्ली की औद्योगिक समस्याओं की जांच के लिये समिति	Committee to Examine Industrial Problems of Haryana, Punjab and Delhi	57–58
405.	बान्दा जिले (उत्तर प्रदेश) में एक हरिजन नेता की हत्या	Murder of a Harijan Leader in Banda District (U. P.) ..	58
406.	काश्मीर घाटी में दूर-संचार व्यवस्था	Tele-Communication Net work in Kashmir Valley	58–59
407.	दिल्ली में नये टेलीफोन लगाया जाना	New Telephone Connection in Delhi	59
408.	दिल्ली में बिना छत वाला (ओपनएयर) चलचित्र गृह	Open Air Movie Theatre in Delhi	59
409.	सीमेंट का उत्पादन	Production of Cement	59–60
410.	दूर संचार और डाक सेवाओं का पुनर्गठन	Reorganisation of Telecommunication and Postal Services ..	60
411.	केन्द्रीय सेवाओं में साम्प्रदायिक आधार पर नौकरियों का आरक्षण	Reservation of Jobs on Communal Basis in Central Services ..	60–61
412.	मई और जून, 1974 में गुजरात में बिजली में कटौती	Power Cut in Gujarat in May and June, 1974 ..	61
413.	गुजरात में परमाणु विद्युत संयंत्र की स्थापना	Setting up of an Atomic Power Plant in Gujarat	61
414	नर्मदा नदी जल विवाद के मामले को न्यायाधिकरण के पास भेजना	Reference of Narmada Water Dispute Issue to Tribunal	62
415.	गुजरात में टेलीफोन उपकरण बनाने का कारखाना लगाना	Setting up of a Telephone Manufacturing Plant in Gujarat ..	62
416.	विमानन नीति में परिवर्तन	Changes in Aviation Policy	62
417.	बड़े औद्योगिक गृहों द्वारा कागज के कारखानों की स्थापना	Setting up of Paper Units by Large Industrial Houses	62–63
418.	विद्युत प्रजनन क्षमता में कमी होना	Shortfall in Power Generating Capacity	63
419.	भीमकुंड बांध परियोजना स्थल	Site of Bhimkund Dam Project	63–64
420.	खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के विरुद्ध उड़ीसा की शिकायत	Complaint against KVIC from Orissa	64
421.	उड़ीसा में अखबारी कागज बनाने का कारखाना	Newsprint Factory in Orissa ..	64
422.	बालासौर जिले में नये शाखा डाकघर खोलने पर लगा प्रतिबंध	Ban on Opening of New Branch Post Offices in Balasore District	64–65
423.	दक्षिण भारत में वृद्ध, बीमार तथा विकलांग स्वतंत्रता सेनानियों के लिये 'गृह'	Home in South India for Aged, Ailing and Physically Handicapped Freedom Fighters ..	65

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
424.	रायलसीमा के सूखाग्रस्त क्षेत्रों को कृष्णा नदी से जल की सप्लाई	Supply of Krishna Waters to Drought affected areas of Rayalaseema	65
425.	कर्नाटक महाराष्ट्र और आन्ध्र प्रदेश के बीच कृष्णा नदी के जल के बंटवारे के बारे में न्यायाधिकरण का निर्णय	Tribunal's Award on Allocation of Krishna Waters among Karnataka, Maharashtra and Andhra Pradesh	66
426.	छः सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत आन्ध्र प्रदेश को सहायता	Assistance to Andhra Pradesh in pursuance of Six Point Formula	66
427.	आगे ले जायी गयी अपूर्ण नदी घाटी सिंचाई तथा विद्युत परियोजनाओं को पूरा करने के लिये सहायता	Assistance for completion of Spil-over River Valley Irrigation and Power Projects	66
428.	पांचवीं योजना में लघु उद्योगों के लिये सहायता	Assistance to Small Scale Industries in Fifth Plan ..	67
429.	कलकत्ता में टी०वी० फीचर फिल्में बनाने का प्रस्ताव	Proposal to produce T. V. Features Films from Calcutta ..	67
430.	विदेशों में कार्य कर रहे भारतीय वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकीविज्ञ और इंजीनियर	Indian Scientists, Technologists and Engineers working Abroad..	67
431.	टेलीविजन सेटों के निर्माण हेतु लाइसेंस जारी करने का आधार	Criteria for issuing Licences for Production of T. V. Sets ..	68
432.	दिल्ली टेलीफोन्स विभाग को निगम में बदलना	Conversion of Delhi Telephones into a Corporation	68
433.	ट्राम्बे (महाराष्ट्र) में एक जनरेटर की स्थापना	Setting up of a Generator at Trombay (Maharashtra)	68–69
434.	पिछड़े क्षेत्र विकास निगम	Backward Areas Development Corporations	69
435.	हड़ताली रेलवे कर्मचारियों के विरुद्ध प्रचार करने के लिये आकाशवाणी, टेलीविजन और दृश्य-श्रव्य प्रचार निदेशालय का प्रयोग	Use of Radio T. V. and D.A. V.P. to campaign against striking Railwaymen	69
436.	तमिलनाडु में मलयालम भाषी विरोधी अभियान	Anti Malayalee campaign in Tamil Nadu	69–70
437.	मूल्य वृद्धि का पांचवीं योजना पर प्रतिकूल प्रभाव	Adverse effect of price rise on Fifth Plan	70
438.	अंडमान और निकोबार प्रशासन द्वारा अधिकारियों को यात्रा के लिये केबिन में स्थान का आरक्षण	Reservation of Cabin Passengers to Officers by Andaman and Nicobar Administration	70–71
439.	टेलीफोन उपकरण के निर्णाण हेतु पांचवीं योजना के दौरान कारखानों की स्थापना	Setting up of factories during Fifth Plan for manufacture of Telephone Equipment ..	71
440.	स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन देना	Grant of pension to Freedom Fighters	71
441.	पंजाब में भाखड़ा बांध का बंद होना	Closure of Bhakra Dam in Punjab	71
442.	हरियाणा में सीमेंट का उत्पादन	Cement production in Haryana..	72

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
443	रेल हड़ताल का उद्योगों पर प्रभाव	Effect of Railway Strike on Industries	72
444.	कोट्टाई (केरल) में सिंचाई परियोजना का निर्माण	Construction of irrigation project in Kottayi (Kerala) ..	72–73
445.	केरल में समुद्र-कटाव विरोधी काम स्थगित करना	Suspension of Anti Sea Erosion Works in Kerala	73
446.	उत्तर प्रदेश में हरिजनों पर अत्याचार	Atrocities on Harijans in U. P. ..	73
447.	टैनरी एंड फुटवीयर कारपोरेशन, कानपुर का आधुनिकीकरण	Modernization of TAFCO Kanpur	73
448.	लाइसेंसों का जारी किया जाना	Issue of Licences ..	74
450.	भारत में राष्ट्रमंडल के देशों का सम्मेलन	Conference of Commonwealth Nations in India ..	74
451.	फिल्म फैडरशन आफ इंडिया द्वारा ज्ञापन	Memorandum from Film Federation of India	74–75
452.	पांचवीं योजना में बेरोजगार ग्रामीण युवकों के लिये रोजगार	Employment for Unemployed Rural Youth in Fifth Plan ..	75
453.	पांचवीं योजना में प्राथमकिताओं का फिर से नियतन	Reallocation of priorities in Fifth Plan	75
454.	लघु विद्युत संयंत्रों की स्थापना	Setting up of Mini Power Plants	75–76
455.	जून, 1974 में दिल्ली में बिजली फेल हो जाने के बार में जांच	Probe into Power Breakdown in Delhi in June, 1974 ..	76
456.	दिल्ली टेलीविजन केन्द्र की ओर से कथा चित्र प्रदर्शन के लिये वितरकों को दी जानवाली दरों में वृद्धि करने का सुझाव	Suggestion from Delhi T.V. Centre to increase the rates offered to Distributors for showing Feature Films	76
457.	प्रदर्शन के लिये अपनी फीचर फिल्मों का निर्माण करने के लिये टेलीविजन केन्द्रों का सरकार को सुझाव	Suggestion from T. V. Centres to Govt. to make their own Feature Films for Exhibition ..	76
458.	पांचवीं योजना में लद्दाख में संचार सुविधाओं का विस्तार	Extension of Communication Facilities in Ladakh during Fifth Plan	76–77
459.	पटना के एक मुखबिर को स्वतंत्रता सेनानी पैंशन का दिया जाना	Grant of Freedom Fighter's Pension to an Informer of Patna ..	77
460.	विचाराधीन (अंडर ट्रायल) बन्दी रह चुके स्वतंत्रता सेनानियों को पशन देना	Grant of Pension to Freedom Fighters who were under Trial Prisoners	77–78
461.	स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन देना	Grant of pension to Freedom Fighters	78–79
462.	स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन संबंधी योजना का विस्तार	Extension of scheme for pension to Freedom Fighters ..	79
463.	सिलिकोन के स्थान पर अन्य वस्तु का प्रयोग करने के बारे में पता लगाने संबंधी अनुसंधान	Research to find out substitute of Silicon	79

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
464.	नयी भर्ती पर प्रतिबंध में ढील	Relaxation of ban on Fresh Recruitment	80–81
465.	दिल्ली में टेलीफोन केन्द्रों का कार्यकरण	Working of Telephone Exchanges in Delhi	81–82
466.	शहरघाट मधुबनी ट्रंक लाइन	Shaharghat Mandhubani · Trunk Line	82
467.	अखिल भारतीय खादी आयोग पर व्यय	Expenditure of All India Khadi Commission ..	82
468.	मिथिला (दरभंगा) प्रसारण केन्द्र के स्टूडियो तथा ट्रांसमीटर भवन के संबंध में निर्माण कार्य का पूरा होना	Completion of the Construction Work on the Studio and Transmitter Building of Mithila (Darbhanga) Broadcasting Station	83
469.	केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जादूगुडा से यूरेनियम की तस्करी किये जाने की जांच	Inquiry by CBI into Smuggling of Uranium from Jaduguda ..	83
470.	मध्य प्रदेश सरकार का नर्मदा जल विवाद को न्यायाधिकरण का सौंपने का प्रस्ताव	Madhya Pradesh Proposal to refer Narmada Water Dispute to a Tribunal	83–84
471.	संयुक्त क्षेत्र में कागज तथा अखबारी कागज बनाने के कारखानों की स्थापना	Setting up of paper and Newsprint Units in Joint Sector ..	84
472.	तापीय बिजली घरों में कोयले का प्रयोग	Use of Coal in Thermal Power Stations	84
473.	शेखअब्दुल्ला के साथ बातचीत	Talks with Sheikh Abdullah ..	85
474.	पांचवीं योजना के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों का विकास	Development of rural areas during Fifth Plan	85
475.	चौथी योजना में बिजली उत्पादन लक्ष्य में कमी	Shortfall in Power generation target during Fourth Plan ..	85
476.	समाचार पत्रों को दिये जाने वाले अखबारी कागज में और कटौती	Further cut in supply of newsprint to newspapers	86
477.	लाइसेंसों के लिये केरल से प्रार्थना पत्र	Applications from Kerala for Licences	86
478.	जनगणना कर्मचारियों की छंटनी	Retrenchment of Census Employees	86
479.	महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद	Maharashtra Karnataka Boundary Dispute	87
480.	केरल जनगणना कर्मचारी संघ द्वारा ज्ञापन	Memorandum from Kerala Census Employees Association ..	87
481.	आणविक जानकारी बांटने के लिये भारत और अन्य विकासशील देशों के बीच सहयोग	Cooperation between India and other developing countries for sharing Atomic know-how ..	87
482.	'फ्यूजन टैक्नालोजी' का विकास	Development of fusion technology	88
483.	एस०एल०वी०–3 और एस०एल०वी० सिन्क्रोनस कार्यक्रम में हुई प्रगति	Progress made in SLV-3 and SLV Synchronous programme ..	88

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
484.	आदित्यपुर औद्योगिक विकास क्षेत्र, जमशेदपुर	Adityapur Industrial Development area Jamshedpur	88
485.	बिहार के विकास के लिये धन का नियतन	Allocation of Funds for Development of Bihar	89
486.	गुरु नानक देव जी और गुरु गोबिन्द सिंह जी तथा 1971 के युद्ध के शहीदों की स्मृति में डाक टिकट	Commemoration postal stamps on Guru Nanak Devji and Guru Gobind Singhji and heroes of 1971 war	89
487.	जादूगुडा (बिहार) से यूरेनियम की तस्करी	Smuggling of Uranium from Jaduguda (Bihar) ..	89–90
488.	बिहार के नारायणपुर क्षेत्र में टेलीफान लाइनों का कार्यकरण	Functioning of telephones in Narayanpur in Bihar	90
489.	बिहार के पूर्णिया डिवीजन में गांवों का विद्युतीकरण	Electrification of Villages in Purnea Division in Bihar	90
490.	आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना अधिनियम के अंतर्गत बिहार में छात्र नेताओं की गिरफ्तारी	Arrest of student leaders in Bihar under MISA	90–91
491.	बिहार में खगड़िया सब-डिवीजन क्षेत्र को गंगा नदी के कटाव से बचाना	Protection of areas of Khagaria Sub-division in Bihar from erosion of Ganga	91
492.	केरल में सेन्ट्रल ग्लास एंड सेरामिक इंस्टीट्यूट का विस्तार केन्द्र	Location of extension centre of Central Glass and Ceramic Research Institute in Kerala ..	91
493.	अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों क लिये विदेशों में अध्ययन हेतु छात्रवृत्तियां	Overseas Scholarships to Sheduled Caste and Scheduled Tribe Students	91–92
494.	टेलीविजन व्यवस्था का विस्तार	Expansion of T. V. net work ..	92
495.	टेलीविजन को आल इंडिया रेडियो से अलग करना	Separation of T. V. from A.I.R. ..	92–93
496.	केरल इलैक्ट्रोनिक्स निगम द्वारा प्रस्तुत की गई योजनाओं पर निर्णय	Decision on schemes submitted by Kerala Electronics Corporation	93
497.	उपग्रह छोड़ने के लिये तैयारी कार्य में प्रगति	Progress in preparation for launching a Satellite ..	93
498.	टेलीविजन के (चित्रहार) कार्यक्रम में सहगल का गाना शामिल करना	Inclusion of Saigal's songs in Chitrahaar programme of T.V.	93–94
499.	अखबारी कागज तथा सरकारी विज्ञापनों के आवंटन के बारे में छोटे समाचार पत्रों के एसोसिएशन से ज्ञापन	Representation from Association of Small Newspapers for allotment of newsprint and Government advertisements	94
500.	'इनफ्लेशन हिट्स स्पेस प्रोग्राम' शीर्षक से प्रकाशित समाचार	News item captioned 'Inflation Hits Space Progamme	94
501.	समाचारपत्रों के स्वामित्व का विकेन्द्रीकरण करने के बारे में हुई प्रगति	Progress regarding diffusion of ownership of Newspapers	95

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
502.	शांतिपूर्ण कार्यों के लिये परमाणु शक्ति का उपयोग	Use of atomic energy for peaceful purposes	95
503.	विभिन्न नगरों के बीच डायल घुमाकर सीधे टेलीफोन करने की सुविधा	STD facility between various cities	95
504.	अकोला जिले के स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन देना	Grant of pension to freedom fighters from Akola District ..	96
505.	टेलीविजन औद्योगिक यूनिटों को पिक्चर ट्यूबों की कमी का सामना	T. V. Units facing shortage of picture tubes ..	96
506.	पांचवीं योजना में महानगरों और अन्य नगरों के विकास के लिये आवंटन	Allocation for development of Metropolitan and other cities in Fifth Plan	96
507.	दिल्ली टेलीफोन डिस्ट्रिक्ट में तकनीशियनों को क्वार्टर	Residential accommodation to Technicians in Delhi Telephone District	96–97
508.	दिल्ली टेलीफोन डिस्ट्रिक्ट के कर्मचारियों के लिये क्वार्टर	Residential Accommodation for employees of Delhi Telephone District	97
509.	वर्षा के कारण बम्बई में जान-माल की हानि	Loss of life and property due to rains in Bombay	97–98
510.	वर्ष 1972–73 और 1973–74 के दौरान दामोदर घाटी निगम द्वारा बिजली की सप्लाई	Supply of power by DVC during 1972-73 and 1973-74	98
511.	बिजली उत्पादन के लिये कोयले की लागत कम करने के लिए बिजलीघरों को दी गई राज-सहायता	Subsidy given to power stations for reducing the cost of coal for Power Generation ...	98
512.	पोर्ट ब्लेयर में अधिकारियों को रिहायशी आवास का आवंटन	Allotment of residential accommodation to officers at Port Blair ..	98–99
	8 मई, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9520 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण	Correcting statement to USQ No. 9520 dated 8-5-1974 ..	99–100
	कतिपय अध्यादेश जारी किये जाने के बारे में	Re. Issuing of certain ordinances	100
	सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table ..	100–104
	गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति	Committee on Private Members Bills and Resolutions ..	103
	42 वां प्रतिवेदन	Forty second Report ..	103
	रेल अभिसमय समिति	Railway Convention Committee ..	104
	पहला प्रतिवेदन	First Report	104
	कार्य मंत्रणा समिति	Business Advisory Committee ..	104
	44वां प्रतिवेदन	Forty-Fourth Report	104

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
	मंत्री-परिषद् में अविश्वास का प्रस्ताव	Motion of No-confidence in the Council of Ministers ..	104
	श्री सी०एम० स्टीफन	Shri C. M. Stephen	104
	श्री जगन्नाथराव जोशी	Shri Jagannathrao Joshi	107
	श्री चन्द्रजीत यादव	Shri Chandrajit Yadav	108
	श्री एल०एन० मिश्र	Shri L. N. Mishra	109
	श्री जी० विश्वनाथन	Shri G. Viswanathan	112
	श्री एच०के०एल० भगत	Shri H. K. L. Bhagat	113
	श्री पीलू मोदी	Shri Piloo Mody	113
	श्री यशवन्तराव चव्हाण	Shri Yeshwantrao Chavan ..	114
	श्री जनेश्वर मिश्र	Shri Janeshwar Mishra ..	116

सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची

पंचम लोक सभा

अ

अकिनीडू, श्री मगन्ती (गुडिवाडा)
अग्रवाल, श्री वीरेन्द्र (मुरादाबाद)
अग्रवाल, श्री कृष्ण (महासमुन्द)
अचल सिंह, श्री (आगरा)
अजीज इमाम, श्री (मिर्जापुर)
अंसारी, श्री जियाउर्रहमान (उन्नाव)
अप्पालानायडु, श्री (अनकपल्ली)
अम्बेश, श्री (फिरोजाबाद)
अरविन्द नेताम, श्री (कांकेर)
अलगेशन, श्री ओ० वी० (तिरुत्तनी)
अवधेश चन्द्र सिंह, श्री (फर्रुखाबाद)
अहमद, श्री फखरुद्दीन अली (बारपेटा)
अहिरवार, श्री नाथूराम (टीकमगढ़)

आ

आगा, श्री सैयद अहमद (बारामूला)
आजाद, श्री भागवत झा (भागलपुर)
आनन्द सिंह, श्री (गोंडा)
आस्टिन, डा० हेनरी (एरणाकुलम)

इ

इसहाक, श्री ए० के० एम० (बसिरहाट)

उ

उइके, श्री मंगरू (मंडाला)
उन्नीकृष्णन, श्री के० पी० (बडागरा)
उरांव, श्री कार्तिक (लोहाड़गा)
उरांव, श्री टुना (जलपाईगुड़ी)
उलगनम्बी, श्री आर० पी० (वैल्लौर)

ए

एन्थनी, श्री फ्रैंक (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)
एंगती, श्री बीरेन् (दीफू)

क

ककोटी, श्री रोबिन (डिब्रुगढ़)
कछवाय, श्री हुकम चन्द (मुरैना)
कटकी, श्री लीलाधर (नवगांव)
कडनापल्ली, श्री रामचन्द्रन (कासरगोड)
कतामुतु, श्री एम० (नागापट्टिनम)
कदम, श्री जे० जी० (वर्धा)
कदम, श्री दत्ताजीराव (हतकंगले)
कपूर, श्री सतपाल (पटियाला)
कमला कुमारी, कुमारी (पालामऊ)
कमला प्रसाद, श्री (तेजपुर)
कर्णीसिंह, डॉ० (ऊधमपुर)
कर्णी सिंह, डा० (बीकानेर)
कल्याणसुन्दरम, श्री एम० (तिरूचिरापल्ली)
कलिंगारायर, श्री मोहनराज (पोलाची)
कस्तूरे, श्री ए० एम० (खामगांव)
कादर, श्री एस० ए० (बम्बई मध्य दक्षिण)
कांबले, श्री एन० एस० (पंढरपुर)
कांबले, श्री टी० डी० (लातूर)
काकोडकर, श्री पुरुषोत्तम (पंजिम)
कामराज, श्री के० (नागरकोइल)
कामाक्षैया, श्री डी० (नेल्लोर)
काले, श्री (जालना)
कावड़े, श्री वी० आर० (नाशिक)
काहनडोल, श्री जैड० एम० (मालेगांव)
किन्दर लाल, श्री (हरदोई)
किरुतिनन, श्री था (शिवगंज)
किस्कु, श्री ए० के० (झाड़ग्राम)
कुरील, श्री बैजनाथ (रामसनहीघाट)
कुरेशी, श्री मुहम्मद शफी (अनन्तनाग)
कुलकर्णी, श्री राजा (बम्बई उत्तर पूर्व)
कुशोक बाकुला, श्री (लद्दाख)
केदार नाथ सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
कैलास, डा० (बम्बई दक्षिण)

केवीचुसा, श्री ए० (नागालैण्ड)
कोल्लाशट्टी, श्री ए० के० (बेलगांव)
कोपा, श्री सी० एच० मोहम्मद (मंजेरी)
कौल, श्रीमती शीला (लखनऊ)
कृष्णन्, श्री ई० आर० (सलेम)
कृष्णन्, श्री एम० के० (पोन्नाणि)
कृष्णन्, श्री जी० वाई० (कोलार)
कृष्णान्, श्रीमती पार्वती (कोयम्बटूर)
कृष्णप्पा, श्री एम० वी० (हस्कोटे)
कृष्णा कुमारी, श्रीमती (जोधपुर)

ख

खाडिलकर, श्री आर० के० (बारामती)

ग

गंगादेव, श्री पी० (अंगुल)
गंगादेवी, श्रीमती (मोहनलालगंज)
गणेश, श्री के० आर० (अन्दमान तथा निकोबार) द्वीप समूह)
गरचा, श्री देवेन्द्र सिंह (लुधियाना)
गावीत, श्री टी० एच० (नन्दुरबार)
गांधी, श्रीमती इंदिरा (रायबरेली)
गायकवाड़, श्री फतहसिंह राव (बड़ौदा)
गायत्री देवी, श्रीमती (जयपुर)
गिरि, श्री एस० बी० (वारंगल)
गिरि, श्री बी० शंकर (दमोह)
गिल, श्री महेन्द्र सिंह (फिरोजपुर)
गुप्त, श्री इन्द्रजीत (अलीपुर)
गुह, श्री समर (कन्टाई)
गेंदा सिंह, श्री (पदरौना)
गोखले, श्री एच० आर० (बम्बई उत्तर पश्चिम)
गोटखिन्डे, श्री अण्णासाहिब (सांगली)
गोगोई, श्री तरूण (जोरहाट)
गोदरा, श्री मनीराम (हिसार)
गोपाल, श्री के० (करूर)
गोपालन, श्री ए० के० (पालकाट)
गोमांगो, श्री गिरीधर (कोरापुट)
गोयेन्का, श्री आर० एन० (विदिशा)
गोस्वामी, श्री दिनेश चन्द्र (गौहाटी)
गोस्वामी, श्रीमती विभा घोष (नवद्वीप)
गोहेन, श्री सी० सी० (नाम निर्देशित आसाम का उत्तर पूर्व सीमांत क्षेत्र)
गोडफ्रे, श्रीमती एम० (नामनिर्देशित आंग्ल भारतीय)
गौडर, श्री जे० माता (नीलगिरी)
गौडा, श्री पम्पन (रायचूर)
गौतम, श्री सी० डी० (बालाघाट)

घ

घोष, श्री पी० के० (रांची)

च

चकलेश्वर सिंह, श्री (मथुरा)
चटर्जी, श्री सोमनाथ (बर्दवान)
चतुर्वेदी, श्री रोहन लाल (एटा)
चन्द्र गौडा, श्री डी० बी० (चिकमगलूर)
चन्द्रप्पन, श्री सी० के० (तेल्लीचेरी)
चन्द्र शेखर सिंह, श्री (जहानाबाद)
चन्द्र शेखरप्पा बीरबासप्पा, श्री टी० वी० (शिमोगा)
चन्द्राकर, श्री चन्दूलाल (दुर्ग)
चन्द्रिका प्रसाद, श्री (बलिया)
चव्हाण, श्रीमती प्रेमलाबाई (कराड़)
चव्हाण, श्री यशवन्तराव (सतारा)
चावड़ा, श्री के० एस० (पाटन)
चावला, श्री अमरनाथ (दिल्ली सदर)
चिक्कलिंगय्या, श्री के० (मांडया)
चित्तिबाबू, श्री सी० (चिंगलपट)
चिन्नाराजी, श्री सी० के० (तिरुपत्तूर)
चेलाचामी, श्री ए० एम० (टेंकासी)
चौधरी, श्री अमरनाथ सिंह (मांडली)
चौधरी, श्री ईश्वर (गया)
चौधरी, श्री त्रिदिव (बराहमपुर)
चौधरी, श्री नीतिराज सिंह (होशंगाबाद)
चौधरी, श्री बी० ई० (बीजापुर)
चौधरी, श्री मोइनुल हक (धुबरी)
चौहान, श्री भरत सिंह (धार)

छ

छुट्टन लाल, श्री (सवाई माधोपुर)
छोटे लाल, श्री (चैल)

ज

जगजीवन राम, श्री (सासाराम)
जदेजा, श्री डी० पी० (जामनगर)
जनार्दनन, श्री सी० (त्रिचूर)
जमीलूर्रमान, श्री मुहम्मद (किशनगंज)
जयलक्ष्मी, श्रीमती वी० (शिवकाशी)
जाफर शरीफ, श्री सी० के० (कनकपुरा)
जार्ज, श्री ए० सी० (मुकुन्दपुरम)
जार्ज, श्री बरके (कोट्टायम)
जितेन्द्र प्रसाद, श्री (शाहजहानपुर)
जूल्फिकार अली खां, श्री (रामपुर)
जोजफ, श्री एम० एम० (पीरमाडे)
जोग्रारदार, श्री दिनेश (माल्दा)
जोशी, श्री जगन्नाथ राव (शाजापुर)
जोशी, श्री पोपटलाल एम० (बनसकंठा)
जोशी, श्रीमती सुभद्रा (चांदनी चोक)

झ

झा, श्री चिरंजीव (सहरसा)
झा, श्री भोगेन्द्र (जायनगर)
झारखण्डे राय, श्री (घोसी)
झुंझुनवाला, श्री विश्वनाथ (चित्तौड़गढ़)

ट

टोम्बी सिंह, श्री एन० (अन्तिरिक मनीपुर)

ठ

ठाकुर, श्री कृष्णराव (चिमूर)
ठाकरे, श्री एस० बी० (यवतमाल)

ड

डागा, श्री मूल चन्द (पाली)
डोडा, श्री हीरा लाल (बासबाड़ा)

ढ

ढिल्लो, डा० जी० एस० (तरनतारन)

त

तरोडकर श्री वी० बी० (नान्देड़)
तुलसीराम, श्री बी० (पेद्दापल्लि)
तुलाराम, श्री (घाटमपुर)
तिवारी, श्री दी० एन० (गोपालगंज)
तिवारी, श्री रामगोपाल (बिलासपुर)
तिवारी, श्री शंकर (इटावा)
तिवारी, श्री चन्द्रभाल मनी (बलरामपुर)
तेवर, श्री पी० के० एम० (रामनाथपुरम्)
तैयब हुसैन, श्री (गुड़गांव)

द

दंडपाणी, श्री सी० डी० (धारापुरम)
दत्त, श्री बीरेन (त्रिपुरा पश्चिम)
दंडवते प्रो० मधु (राजापुर)
दरबारा सिंह, श्री (होशियारपुर)
दलबीर सिंह, श्री (सरसा)
दलीप सिंह (बाह्य दिल्ली)
दामाणी, श्री एस० आर० (शोलापुर)
दास, श्री अनादि चरण (जाजपुर)
दास, श्री रेणुपद (कृषनगर)
दासचौधरी, श्री बी० के० (कूच बिहार)
दासप्पा, श्री तुलसीदास (मैसूर)
दिनेश सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
दीक्षित, श्री गंगाचरण (खंडवा)
दीक्षित, श्री जगदीश चन्द्र (सीतापुर)
दीवीकन, श्री (कल्लाकुरीची)
दुमादा, श्री एल० के० (डहानू)
दुबे, श्री ज्वाला प्रसाद (भंडारा)
दुराईरासु, श्री ए० (पैराम्बूलूर)
देव, श्री शंकर नारायण सिंह (बांकुरा)
देव, श्री दशरथ (त्रिपुरा पूर्व)
देव, श्री पी० के० (कालाहांडी)
देव, श्री राज सिंह (बोलनगीर)
देशमुख, श्री के० जी० (अमरावती)
देशमुख, श्री शिवाजी राव एस० (परभणि)
देशपांडे, श्रीमति रोजा (बम्बई मध्य)

देसाई, श्री डी० डी० (कैरा)
देसाई, श्री मोरारजी (सूरत)
द्विवेदी, श्री नगेश्वर (मछलीशहर)

ध

धर्मराज सिंह, श्री (शाहबाद)
धामनकर, श्री (भिवंडी)
धारिया, श्री मोहन (पूना)
धूसिया, श्री अनंत प्रसाद (बस्ती)
धाटे, श्री जाम्बूमूबंत (नागपुर)

न

नन्दा, श्री गुलजारीलाल (कैथल)
नरेन्द्र सिंह, श्री (सतना)
नायक, श्री बख्शी (फूलबनी)
नायक, श्री बी० वी० (कनारा)
नायर, श्री एन० श्रीकान्तन (क्विलोन)
नायर, श्रीमती शकुन्तला (केसरगंज)
नाहाटा, श्री अमृत (बाड़मेर)
निबालकर, श्री (कोल्हापुर)
नेगी, श्री प्रताप सिंह, (गढ़वाल)

प

पंडा, श्री डी० के० (भंजनगर)
पंडित, श्री एस० टी० (भीर)
पजनौर, श्री अरबिन्द बाल (पांडीचेरी)
पटनायक, श्री जे० बी० (कटक)
पटनायक, श्री बनमाली, (पुरी)
पटेल, श्री अरविन्द एम० (राजकोट)
पटेल, श्री एच० एम (ढंढका)
पटेल, श्री नटवर लाल (मेहसाना)
पटेल, कुमारी मणिबेन (साबरकंठा)
पटेल, श्री नानूभाई एन० (बलसार)
पटेल, श्री प्रभूदास (डाभोई)
पटेल, श्री रामूभाई (दादर तथा नगर हवेली)
पन्त, श्री कृष्ण चन्द्र (नैनीताल)
परमार, श्री भालजीभाई (दोहद)
पलोडकर, श्री मानिकराव (औरंगाबाद)
पास्वान, श्री राम भगत (रोसेरा)
पहांडिया, श्री जगन्नाथ (हिंडौन)
पांडे, श्री कृष्ण चन्द्र (खलीलाबाद)
पांडे, श्री तारकेश्वर (सलेमपुर)
पांडे, श्री दामोदर (हजारीबाग)
पांडे, श्री नरसिंह नारायण (गोरखपुर)
पांडे, श्री राम सहाय, (राजनन्द गांव)
पांडे, डा० लक्ष्मीनारायण (मन्दसौर)
पांडे, श्री सरजू (गाजीपुर)
पांडे, श्री सुधाकर (चन्दौली)
पाओकाई होओकिप, श्री (बाह्य मनीपुर)
पाटिल, श्री अनन्तराव (खेड़)
पाटिल, श्री ई० बी० विख (कोपरगांव)
पाटिल, श्री एम० वी० (बागलकोट)
पाटिल, श्री कृष्णराव (जलगांव)
पाटिल, श्री टी० ए० (उस्मानाबाद)
पाटिल, श्री सी० ए० (धुलिया)
पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि (भुवनेश्वर)
पाराशर, प्रो० नारायण (चन्द हमीरपुर)
पारिख, श्री रसिकलाल, (सुरेन्द्र नगर)
पार्थसारथी, श्री पी० (राजमपेट)
पिल्ले, श्री आर० बालकृष्णन् (मावलिकारा)
पुरती, श्री एम० एम० (सिंहभूम)
पेजे, श्री एस० एल० (रत्नागिरी)
पैन्यूली, श्री परिपूर्णानन्द (टिहरी गढ़वाल)
प्रताप सिंह, श्री (शिमला)
प्रधान, श्री धनशाह (शहडोल)
प्रधान, श्री के० (नौसरंग पुर)
प्रबोध चन्द, श्री (गुरदासपुर)

ब

बनमाली बाबू, श्री (सम्बलपुर)
बनर्जी, श्री एस० एम० (कानपुर)
बनर्जी, श्रीमती मुकुल (नई दिल्ली)
बनेरा, श्री हमेन्द्र सिंह, (भीलवाड़ा)
बड़े, श्री आर० पी० (खारगोर)
बरूआ, श्री वेदब्रद (कालियाबोर)
बर्मन, श्री आर० एन० (बालूरघाट)
बसु, श्री ज्योतिर्मय (डायमंड हार्बर)
बसुमातारी, श्री डी० (कोकराझार)
वाजपेयी, श्री विद्याधर (अमेठी)
बादल, श्री गुरदास सिंह (फाजिल्का)
बाबूनाथ सिंह, श्री (सरगुजा)

बारूपाल, श्री पन्नालाल (गंगानगर)
बालकृष्णन श्री के० (अम्बलपूजा)
बालकृष्णैया, श्री टी० (तिरूपति)
बासप्पा, श्री के० (चित्रदुर्ग)
बिष्ट, श्री नरेन्द्र सिंह (अलमोड़ा)
वीरेन्द्र सिंह राव, श्री (महेन्द्रगढ़)
बूटा सिंह, श्री (रोपड़)
बेरवा, श्री ओंकारलाल (कोटा)
बेसरा, श्री सत्य चरण (दुमका)
ब्रजराज सिंह कोटा, श्री (झालावाड़)
ब्रह्मानन्द, जी, श्री स्वामी (हमीरपुर)
ब्राह्मण, श्री रतन लाल (दार्जिलिंग)

भ

भगत, श्री एच० के० एल० (पूर्व दिल्ली)
भगत, श्री बी० आर० (शाहबद)
भट्टाचर्य, श्री एस० पी० (उलुबेरिया)
भाट्टाचार्य, श्री जगदीश (घाटल)
भट्टाचार्य, श्री दीनेन (सीरमपुर)
भट्टाचार्य, श्री चपलेन्दु (गिरिडीह)
भागीरथ, भंवर श्री (झाबुआ)
भार्गव, श्री वशेश्वर नाथ (अजमेर)
भार्गवी, तनकप्पन श्रीमती (अडूर)
भाटिया, श्री रघुनन्दन लाल (अमृतसर)
भीनराव, श्री एम० (नगरकुरनूल)
भुवाराहन, श्री जी० (मैटूर)
भौरा, श्री मानसिंह (भटिंडा)

म

मलिक, श्री मुख्तियार सिंह (रोहतक)
मंडल, श्री जगदीश नारायण (गोंडा)
मंडल, श्री यमुना प्रसाद (समस्तीपुर)
मल्लिकार्जुन, श्री (मेडक)
मधुकर, श्री कमल मिश्र (केसरिया)
मनोहर, श्री भगतराम (जंजगीर)
मनोहरन श्री के० (मद्रास उत्तर)
मल्होत्रा, श्री इन्द्रजीत (जम्मू)
महन्ती, श्री सुरेन्द्र (केन्द्रपाडा)
महाजन, श्री वाई० एस० (बुलडाना)
महाजन, श्री विक्रम (कांगडा)
महाता, श्री देवेन्द्र नाथ (पुरूलिया)
महापात्र, श्री श्याम सुन्दर (बालासोर)
महाराज सिंह, श्री (मैनपुरी)
महिषी डा० सरोजिनी (धारवाड़ उत्तर)
मांझी, श्री भोला (जमुई)
मांझी, श्री कुमार (क्योंझर)
मांझी. श्री गजाधर (सुन्दरगढ़)
मारक, श्री के० (तुर)
मारन, श्री मुरासोली (मद्रास दक्षिण)
मार्तण्ड, सिंह श्री (रीवा)
मालन्ना, श्री के० (मधुगिरि)
मालवीय, श्री के० डी० (डुमरियागंज)
मायावन, श्री वी० (चिदाम्बरन)
मायातेवर, श्री के० (डिंडिगुल)
मावलंकर, श्री पी० जी० (अहमदाबाद)
मिर्धा, श्री नाथूराम (नागौर)
मिश्र, श्री जनेश्वर (इलाहाबाद)
मिश्र, श्री एल० एन० (दरभंगा)
मिश्र, श्री जी० एस० (छिंदवाडा)
मिश्र, श्री जगन्नाथ (मधुबनी)
मिश्र, श्री विभूति (मोतीहारी)
मिश्र, श्री श्यामनन्दन (बेगूसराय)
मिश्र, श्री एस० एन० (कन्नौज)
मुकर्जी, श्री एच० एन० (कलकत्ता उत्तर पूर्व)
मुखर्जी श्री सरोज (कटवा)
मुखर्जी, श्री समर (हावड़ा)
मूर्ति, श्री बी० एस० (अमालापुरम)
मुत्तुस्वामी, श्री एम० (तिरुचेंगोड़)
मुन्शी, श्री प्रिय रंजन दास (कलकत्ता दक्षिण)
मरुगनतम, श्री एस० ए० (तिरुनेलवेली)
मुर्मु, श्री योगेशचन्द्र (राजमहल)
मेनन, श्री वी० के० कृष्ण (त्रिवेन्द्रम)
मेलकोटे, डा० जी० एस० (हैदराबाद)
मेहता, डा० जीवराज (अमरेली)
मेहता, श्री पी० एम० (भावनगर)
मेहता, डा० महिपतराय (कच्छ)
मोदक, श्री विजय (हुगली)
मोदी, श्री पीलू (गोधरा)
मोदी, श्री श्री किशन (सीकर).
मोहन स्वरूप श्री (पीलीभीत)

मोहम्मद इस्माइल, श्री एम० (बेरकपुर)
मोहम्मद खुदाबक्श श्री (मुर्शिदाबाद)
मोहम्मद ताहिर, श्री (पूर्णिया)
मोहम्मद यूसूफ, श्री (सिवान्)
मोहम्मद शरीफ, श्री (पेरियाकुलम)
मोहसिन, श्री एफ० एच० (धारवाड़ दक्षिण)
मौर्य, श्री बी० पी० (हापुड़)

य

यादव, श्री करन सिंह (बदांयू)
यादव, श्री चन्द्रजीत (आजमगढ़)
यादव, श्री डी० पी० (मुंगेर)
यादव, श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद (कटिहार)
यादव, श्री नागेन्द्र प्रसाद (सीतामढ़ी)
यादव, श्री राजेन्द्र प्रसाद (मधेपुरा)
यादव, श्री शिवशंकर प्रसाद (खगरिया)

र

रघुरामैया, श्री के० (गुन्टूर)
रणबहादुर, सिंह श्री (सिंधी)
रवि, श्री, बायलार (चिरयिकील)
राउत श्री, भोला (बगहा)
राज बहादुर, श्री (भरतपुर)
राजदेवसिह, श्री (जौनपुर)
राजू श्री एम० टी० (नरसापुर)
राजू, श्री पी० बी० जी० (विशाखापत्तनम)
राठिया, श्री उमद सिंह (रायगढ़)
राणा, श्री एम० बी० (भड़ौच)
राधाकृष्णन्, श्री एस० (कुडलूर)
रामकंवर, श्री (टोंक)
रामजी राम, श्री (अकबरपुर)
राम दयाल, श्री (बिजनौर)
रामदेव सिंह, श्री (महाराजगंज)
राम धन, श्री (लालगंज)
राम प्रकाश, श्री (अम्बाला)
राम सिंह भाई, श्री (इन्दौर)
राम हेडाऊ, श्री (राम टेक)
रामेशेखर प्रसाद सिंह, श्री (छप्परा)
राम सूरत प्रसाद, श्री (बांसगांव)
रामसेवक, चौधरी (जालौन)
राम स्वरूप, श्री (रार्बटसगंज)
राम, श्री तुलमोहन (अरारिया)
राम, श्री विश्वनाथ (देवरिया)
राय, डा० सरदीश (बोलपुर)
राय, श्रीमती माया (रायगंज)
राय, श्रीमती सहोदराबाई (सागर)
राव, श्रीमती बी० राधाबाई, ए० (भद्राचलम)
राव, श्री नागेश्वर (मचिलीपट्टनम)
राव, श्री एम० सत्यनारायण (करीमनगर)
राव, डा० के० एल० (विजयवाडा)
राव, श्री के० नारायण (बोबिली)
राव, श्री जगन्नाथ (छत्रपुर)
राव, श्री पट्टाभिराम (राजामुन्द्री)
राव, श्री पी० अंकिनीडु प्रसाद (ओंगोल)
राव, श्री जे० रामेश्वर (महबूबनगर)
राव, श्री राजगोपाल (श्रीकाकुलम)
राव, डा० वी० के० आर० वर्दराज (बेल्लारी)
राव, श्री एम० एस० संजीवी (काकानाडा)
रिछारिया, डा० गोविंददास (झांसी)
रुद्र प्रतापसिंह, श्री (बाराबंकी)
रेड्डी, श्री वाई, ईश्वर० (कड़प्पा)
रेड्डी, श्री एम० रामगोपाल (निजामाबाद)
रेड्डी, श्री के० रामकृष्ण (नलगोंडा)
रेड्डी, श्री के० कोडा रानी (कुरनूल)
रेड्डी, श्री पी० गंगा (आदिलाबाद)
रेड्डी, श्री पी० एंथनी (अनन्तपुर)
रेड्डी श्री पी० नरसिंन्हा (चित्तूर)
रेड्डी, श्री पी० बायपा (हिन्दपुर)
रेड्डी, श्री पी० बी० (कावली)
रेड्डी, श्री बी० एन० (निरायलगूड़ा)
रेड्डी, श्री सिदराम (गुलबर्गा)
रोहतगी, श्रीमती सुशीला (बिल्लोर)

ल

लकप्पा, श्री के० (तुमकुर)
लक्ष्मीकांतम्मा, श्रीमती टी० (खम्मम)

लक्ष्मीनारायणन् श्री एम० आर० (तिंडिवनम)
लक्ष्मणन्, श्री टी० एस० (श्रीपरेम्बदूर)
लम्बोदर, बलियार, श्री (बस्तर)
लालजी भाई, श्री (उदयपुर)
लास्कर, श्री निहार (करीमगंज)
लिमये, श्री मधु (बांका)
लुतफल हक श्री (जंगीपुर)

व

वर्मा, श्री सुखदेव प्रसाद (नबादा)
वर्मा श्री फूलचन्द (उज्जैन)
वर्मा श्री बाल गोविन्द (खेरी)
वाजपेयी, श्री अटलबिहारी (ग्वालियर)
विकल, श्री रामचन्द (बागपत)
विजयपाल सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
विद्यालंकर श्री अमरनाथ (चण्डीगढ़)
विश्वनाथन, श्री जी० (वान्डीवाश)
वीरभद्र सिंह, श्री (मंडी)
वीरय्या, श्री के० (पुदुकोर्ट)
वैंकटस्वामी, श्री जी० (सिद्दिपेट)
वैंकटासुबय्या, श्री पी० (नन्दयाल)
वैकारिया, श्री (जूनागढ़)

श

शंकर देव, श्री (बीदर)
शंकरानन्द, श्री बी० (चिकोड़ी)
शंकर दयाल सिंह (चतरा)
शफरत जग श्री (कराना)
शफी, श्री ए० (चांदा)
शम्भूनाथ, श्री (सदपुर)
शमीम, श्री एस० ए० (श्रीनगर)
शर्मा, श्री ए० पी० (बक्सर)
शर्मा, श्री नवलकिशोर (दौसा)
शर्मा, श्री माधोराम (करनाल)
शर्मा, श्री राम नारायण (धनबाद)
शर्मा, श्री राम रत्न (बांदा)
शर्मा, डा० शंकर दयाल (भोपाल)
शर्मा, डा० हरि प्रसाद (अलवर)
शशि भूषण, श्री (दक्षिण दिल्ली)
शाक्य, श्री महादीपक सिंह (कासगंज)
शास्त्री, श्री राजाराम (बाराणसी)
शास्त्री, श्री रामावतार (पटना)
शास्त्री, श्री विश्वनारायण (लखीमपुर)
शास्त्री, श्री शिवकुमार (अलीगढ़)
शास्त्री, श्री शिवपूजन (विक्रमगंज)
शाहनवाज खां, श्री (मेरठ)
शिन्दे, श्री अण्णासाहिब पी० (अहमदनगर)
शिनाय, श्री पी० आर० (उदीपी)
शिवनाथ सिंह, श्री (झुंझनू)
शिवप्पा, श्री एन० (हसन)
शुक्ल, श्री बी० आर (बहराइच)
शुक्ल श्री विद्याचरण (रायपुर)
शेट्टी, श्री के० के० (मंगलोर)
शेर सिंह प्रो० (झज्जर)
शैलानी, श्री चन्द (हाथरस)
शिवस्वामी, श्री एम० एम० (तिरुचेंडर)

स

संकटा प्रसाद, डा० (मिसरिख)
संतबख्श सिंह, श्री (फतेहपुर)
सईद, श्री पी० एम० (लक्कादीव मिनिकाय तथा अमीनदीवी द्वीपसमूह)
सेक्सैना, प्रो० एस० एल० (महाराजगंज)
सतीश चन्द्र, श्री (बरेली)
सत्पथी, श्री देवेन्द (ढेकानाल)
सत्यानारायण, श्री बी० (पार्वतीपुरम्)
सम्भली, श्री इसहाक (अमरोहा)
सरकार, श्री शक्ति कुमार (जयनगर)
सांगलिभाना श्री (मिजोरम)
सांघी, श्री नरेन्द्र कुमार (जालसौर)
साठे, श्री बसन्त (अकोला)
साधूराम, श्री (फिलौर)
सामन्त, श्री एस० सी० (तामलुक)
सामिनाथन श्री पी० ए० (गोबीच टिट्पलयम)
साल्व, श्री नरेन्द्र कुमार (बेतल)
सावन्त, श्री शंकरराव (कोलाबा)
सावित्रि श्याम, श्रीमति (आवला)
साहा, श्री अजीत कुमार (विष्णूपूर)
साहा, श्री गदाधर (वीरभूम)
सिन्हा, श्री सज० एम० (मयूरभंज)

सिन्हा, श्री धर्मवीर, (बाढ़)
सिन्हा, श्री नवल किशोर (मुज्फ्फरपुर)
सिन्हा, श्री आर० के० (फैजाबाद)
सिन्हा, श्री सत्यन्द नारायण (औरगांबाद)
सिंह, श्री डी० एन० (हाजीपुर)
सिंह, श्री शिवनाथ प्रताप (फूलपूर)
सिद्धय्या श्री एस० एम० (चामराजनगर)
सिद्धेश्वर प्रसाद, श्री (नलान्दा)
सिंधिया, श्री माधवराव (गुना)
सिंधिया, श्रीमति बी० आर० (मिंड)
सुदर्शनम्, श्री एम० (नरसारावपेट)
सुन्दर लाल, श्री (सहारनपुर)
सुब्रह्मण्यम्, श्री सी० (कृष्णगिरि)
सुब्रावेल, श्री (मयूरम)
सुरेन्द्रपाल, सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
सूर्यनारायण, श्री के० (एलूरू)
सेकारा, श्री इराज्मूद (मारमागोआ)
सेझियान, श्री (कुम्बकोणम)
सेठ, श्री इब्राहीम, सुलेमान (ककौजीकांड)
सेठी, श्री अर्जुन (भद्रक)
सेन, श्री ए० के० (कलकत्ता उत्तर पश्चिम)
सेन, डा० रानेन (बारसाट)
सैन, श्री रोबिन (आसरसोल)
सैनी, श्री मुल्कीराज (देहरादून)
सोखी, श्री स्वर्ण सिंह (जमशेदपुर)
सोमसुन्दर, श्री एस० डी० (थंजाबूर)
सोलंकी, श्री सोम चंद (गांधीनगर)
सोलंकी, श्री प्रवीण सिंह (आनन्द)
सोहनलाल, श्री टी० (क़रोलबाग)
स्टीफन, श्री सी० एस० (मुक्तुपुजा)
स्वर्ण सिंह, श्री (जालंदर)
स्वामीनाथ, श्री आर० बी० (मदुरै)
स्वामी, श्री सिद्धरामेश्वर (कोप्पाल)
स्वैल, श्री जी० के० (स्वायत्तशासी जिला)

ह

हसदा, श्री सुबोध (मिदानापुर)
हनुमन्तया, श्री के० (बंगलौर)
हरिकिशोर सिंह, श्री (पुपरी)
हरि सिंह, श्री (खुर्जा)
हाजरा, श्री मनोरजन (आरामबाग)
हालदार, श्री माधुमर्य (मथुरापुर)
हाल्दर, श्री कृष्णचन्द, (औसग्राम)
हाशिम श्री एम० एम० (सिकन्दराबाद)
हूडा, श्री नरूल (कछार)
होरो, श्री एन० ई० (खुन्टी)

लोक सभा

अध्यक्ष

डा० जी० एस० ढिल्लों

उपाध्यक्ष

श्री जी० सी० स्वैल

सभापति तालिका

श्री वसंत साठे

डा० हेनरी आस्टिन

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी

श्री नवल किशोर सिंह

मौलाना इसहाक सम्भली

श्री जगन्नाथ राव जोशी

महासचिव

श्री श्याम लाल शकधर

भारत सरकार

मंत्री मण्डल के सदस्य

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, तथा अन्तरिक्ष मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी

वित्त मंत्री	श्री यशवन्तराव चव्हाण
रक्षा मंत्री	श्री जगजीवन राम
विदेश मंत्री	श्री स्वर्ण सिंह
पैट्रोलियम और रसायन मंत्री	श्री देवकान्त बरुआ
योजना मंत्री	श्री डी० पी० धर
गृह मंत्री	श्री उमाशंकर दीक्षित
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री	श्री एच० आर० गोखले
इस्पात और खान मंत्री	श्री के० डी० मालवीय
रेल मंत्री	श्री ललित नारायण मिश्र
भारी उद्योग मंत्री	श्री टी० ए० पाई
संसदीय कार्य मंत्री	श्री के० रघुरामया
पर्यटन और नागर विमानन मंत्री	श्री राज बहादुर
संचार मंत्री	श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी
निर्माण और आवास मंत्री	श्री भोला पासवान शास्त्री
स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री	डा० कर्ण सिंह
औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा कृषि मंत्री	श्री सी० सुब्रह्मण्यम
नौवहन और परिवहन मंत्री	श्री कमलापति त्रिपाठी

राज्य मंत्री

वाणिज्य मंत्री	प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री नीतिराज सिंह चौधरी
योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री मोहन धारिया
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री के० आर० गणेश
सूचना और प्रसारण मंत्री	श्री आई० के० गुजराल
पूर्ति और पुनर्वास मंत्री	श्री आर० के० खाडिलकर
पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री शाहनवाज खां
पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री	डा० श्रीमती सरोजनी महिषी
कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री वी० पी० मोर्य
संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री ओम मेहता
गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री	श्री राम निवास मिर्धा
शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री	प्रो० एस० नुरुल हसन

सिंचाई और विद्युत मंत्री	श्री कृष्ण चन्द्र पंत
औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री एम० बी० राना
श्रम मंत्री	श्री रघुनाथ रेड्डी
कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे
रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री	श्री विद्याचरण शुक्ल
संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री	प्रो० शेर सिंह
विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री सुरेन्द्र पाल सिंह

उप-मंत्री

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री जियाउर्रहमान अंसारी
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री वेदब्रत बरुआ
स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री कोंडाजी बासप्पा
वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री ए० सी० जार्ज
इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री सुबोध हंसदा
स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री ए० के० किस्कु
गृह मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री एफ० एच० मोहसिन
नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री प्रणब कुमार मुखर्जी
शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री	श्री अरविंद नेताम
संचार मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री जगन्नाथ पहाड़िया
रक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री जे० बी० पटनायक
इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री सुखदेव प्रसाद
सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री सिद्धेश्वर प्रसाद
रेल मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री मुहम्मद शफी कुरेशी
वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री	श्रीमती सुशीला रोहतगी
संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री	श्री बी० शंकरानन्द
भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री दलबीर सिंह
सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री धर्मवीर सिंह
संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री	श्री केदार नाथ सिंह
पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री जी० वैंकटस्वामी
श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री बालगोविन्द वर्मा
शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री	श्री डी० पी० यादव

लोक-सभा
LOK SABHA

बुधवार, 24 जुलाई, 1974/2 श्रावण 1896 (शक)
Wednesday, July 24, 1974/Sravana 2, 1896 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बज कर 1 मिनट पर समवेत हुई
The Lok Sabha met at one minute past Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker *in the Chair*]

निधन-सम्बन्धी उल्लेख
Obituary Reference

अध्यक्ष महोदय : मुझे श्री हरे कृष्ण कोनार के दुखद निधन की सूचना सभा को देनी है जिनका देहान्त 59 वर्ष की आयु में 23 जुलाई, 1974 को कलकत्ता में हुआ।

श्री कोनार अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव और भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) की केन्द्रीय समिति के सदस्य थे। वह सदैव ही किसान आन्दोलन के एक अग्रणी कार्यकर्त्ता रहे। वह 1969 में पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री भी रहे। उनके निधन से देश ने एक ऐसा नेता खो दिया है जो कठिन परिश्रम करने वाले लोगों के हितों के लिये अथक काम करता रहता है।

हम अपने इस मित्र के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं और मुझे विश्वास है कि सभा शोक-संतप्त परिवार को अपनी संवेदनाओं को भेजने में मेरा साथ देगी।

मृतक के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिये सदस्य थोड़ी देर के लिय मौन खड़े रहें।

(तत्पश्चात सदस्यगण थोड़ी देरी के लिए मौन खड़े रहे।)
(The members then stood in silence for a short while.)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Development of Adivasi Areas in Rajasthan

***43. Shri M. C. Daga:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the scheme drawn up for the development of Adivasi areas in Rajasthan and the steps proposed to be taken to ameliorate the lot of Adivasis during the current Five Year Plan; and

(b) whether it is proposed to take certain steps to improve the conditions of Adivasis in the areas under Kotra, Jhadol and Gogunda Development Blocks of Udaipur District and Bali Development Bolck of Pali District ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Department of Personnel (**Shri Ram Niwas Mirdha**): (a) The Government of Rajasthan have prepared a sub-Plan for the Development of areas with more than 50% tribal population. Integrated Tribal Development Projects will be prepared for implementation in different regions of the sub-Plan area. General Programmes of economic and educational development will also be taken up for tribals living outside the sub-Plan area.

(b) The Adivasis living in the Areas under Kotra, Jhadol and Gogunda Development Blocks of Udaipur District will be covered under Integrated Tribal Development Projects to be taken up under the draft sub-Plan submitted by the State Government Adivasis in Pali Development Block of Pali District will be covered under the normal programmes of backward classes sector which include various educational and economic development schemes.

Shri M. C. Daga : I had asked about the scheme which has been drawn up for the development of Adivasi areas in Rajasthan and also about the steps taken to ameliorate their lot.

Shri Ram Niwas Mirdha : In the Fifth Five Year Plan a new policy has been formulated for the development of Adivasi areas. According to the old policy Tribal Development Blocks were used to be established in these areas having 60 per cent Adivasis population. But now Integrated Tribal Development Projects would be established in areas with only 50 per cent Adivasi population and keeping in view the region and the population, these areas would have more development than it was being done previously.

It has been decided that in the General Fifth Five Year Plan, amount earmarked for Adivasi areas would be indicated and how it would be spent in the Adivasi areas would also be spelt out. One way is to formulate special schemes for Adivasi areas. But in this way the Adivasi areas get very little. Now it is the main feature of the new policy that in the general plan a big portion of resources should be earmarked on the development of Adivasi areas.

Then, we have issued guidelines to all State Governments and asked them to prepare sub-Plans for their development. The Rajasthan Government have formulated a sub-Plan and submitted it to us. It is being considered by the Planning Commission and no decision has yet been taken in this regard. The Government of Rajasthan have prepared a sub-Plan of Rupees 155.66 crores. We have received sub-Plans from other states also which are being considered by the Planning Commission. We will take action when it has been decided by the Planning Commission whether the sub-Plan is accorded sanction in the original shape or in amended shape.

Shri M. C. Daga : The Hon'ble Minister has stated that Integrated Tribal Development Project is being prepared for Adivasis of Kotra, Jhadol and Gojunda. I want to know the amount that would be given by the Central Government for this project in the Fifth Five Year Plan and how much money would be spent by the State Government for this in the Plan.

Shri Ram Niwas Mirdha : I have tried to explain to the Hon'ble Member that we have told the State Government that it would be decided later on as to the amount that would be given by us, first they should let us know the amount they are ready to spend for their plans for the development of these areas and these castes. These Adivasi areas do not get the share of the State Governments in their general plans. The State Governments think that the Central Government are preparing special schemes for these areas and they themselves do nothing for them. We have earmarked Rs. 200 crores in the Central Plan for the development of these areas. How would it be distributed, is a separate issue. The State Governments should first decide about the amount to be spent by them for the development of these areas under their own heads for development and by formulating their own sub-Plans. Only then the question of the amount to be given by the Central Government would arise.

Shri M. C. Daga : It means that the Plan would not be launched. May I know the percentage of amount which the Central Government have decided to advance ? Suppose the Rajasthan Government have formulated the scheme for 500 crore Rupees. What would be the share of the Central Government in it ?

Shri Ram Niwas Mirdha : The question of percentage would arise afterwards and perhaps it would not even arise. Till now the State Governments have been ignoring these areas by saying that the Central Government would advance the amount. Now we are asking the State Governments to prepare their sub-Plans first and also to inform us about the amount they are prepared to allocate for their schemes regarding Education, Power, Irrigation and roads.

Shri Madhu Limaye : May I know whether the Hon'ble Minister is aware that there are some villages in backward adivasi areas in Rajasthan where drinking water has not been provided till now ? Would the Hon'ble Minister tell us whether drinking water would be made available in all the adivasi villages in Rajasthan during the Fifth Five Year Plan period by digging the wells or by other methods ?

Shri Ram Niwas Mirdha : Some amount would be given to the State Governments for providing drinking water. We have asked them that in this sub-Plan out of the amount to be spent for providing drinking water, how much amount would be given by them as their share ? This aspect has been included in this sub-Plan, which is being considered.

Shri Nawal Kishore Sharma : From the reply given by the Hon'ble Minister it appears that all the amount which is to be spent in Rajasthan whether it is under the Integrated Tribal Development Programme or sub-Plan, would be spent in Udaipur division. In these circumstances, I want to know whether any scheme for raising the standard of living and for the development of their agriculture in out areas of Rajasthan like Swai-Madhopur, Jaipur and Kota where there is a large number of Tribal population is under consideration of the Government ? If not, whether out of this some amount would be provided for them according to their population ?

Shri Ram Niwas Mirdha : The areas, which I have mentioned in my reply, are those areas which are inhabited mostly by the Adivasis and the Integrated Development Project, which has been prepared, would be implemented in these areas on priority basis. But as I have said about those Adivasis, who live outside these areas that these Adivasis in Pali Development Block in Pali district would be covered under General schemes for backward areas, in which the schemes for the educational and economic development would be implemented.

Shri Nawal Kishore Sharma : May I know whether there is any scheme therefore ?

Shri Ram Niwas Mirdha : Even today under this scheme we award scholarships.

Shri Nawal Kishore Sharma: Please don't mention the scholarships. Let me know, whether there is any scheme for the area development ?

Shri Ram Niwas Mirdha : There is no scheme for the area development. We want to concentrate on the area development there where Adivasi people live in large numbers.... (*Interruptions*)................

'रिबैल मिजो लीडर इन चाइना' शीर्षक के अन्तर्गत समाचार

***44. श्री निहार लास्कर :**

श्री तरुण गोगोई :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 21 मई, 1974 के समाचारपत्रों में "रिबैल मिजो लीडर इन चाइना" (विद्रोही मिजो नेता चीन में है) शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या उसमें उल्लिखित मिजो नेता ने मिजोरम के मुख्य मंत्री के साथ इस वर्ष के आरम्भ में दो और बातचीत की थी; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) और (ग) सरकार को मिजोरम के राजनैतिक नेताओं तथा भूमिगत मिजो कार्मिकों के बीच भूमिगत मिजो लोगों को हिंसा के निरर्थक पथ को छोड़ने के लिये आग्रह करने की दृष्टि से हुई अनौपचारिक-बातचीत की जानकारी है। किन्तु सरकार के पास ऐसी कोई निश्चित सूचना नहीं है कि मिजो विद्रोही नेता चीन गये थे अथवा चीन में पाकिस्तानी प्रतिनिधियों से मिले थे ।

श्री निहार लास्कर : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि इस संबंध में समाचार पत्रों में यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि मिजो नेता, श्री लाल डेंगा इस समय भारत-बर्मा के सीमावर्ती क्षेत्र अराकान में हैं और वर्षा ऋतु में मिजोरम क्षेत्र में बड़े पैमाने पर आक्रमण करने का प्रयास कर रहे हैं और यदि हां, तो सरकार किस प्रकार इस आक्रमण का मुकाबला करेगी ?

गृह मंत्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) : वहां तैनात सेनाएं पूरी तरह सतर्क हैं और इस प्रकार की किसी भी स्थिति का सामना पूरी तरह और पर्याप्त रूप से किया जायेगा।

श्री निहार लास्कर : क्या श्री डेंगा इस समय भारत-बर्मा के सीमावर्ती क्षेत्र अराकान में हैं ?

श्री उमाशंकर दीक्षित : हमें उस संबंध में कोई निश्चित सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

श्री तरुण गोगोई : क्या भूमिगत गतिविधियों पर नियंत्रण नहीं पाया जा सका है और क्या ये गतिविधियां बढ़ गयी हैं और भूमिगत लोग अपने आप को इसलिये संगठित कर रहे हैं कि स्थापित सरकार के विरुद्ध आक्रमण किया जा सके ?

श्री उमाशंकर दीक्षित : 1972 के अन्त तक बहुत से विद्रोहियों द्वारा हथियार डाले जाने के पश्चात राज्य सरकार को ऐसी नीति अपनाने का प्रोत्साहन मिला ताकि उन्हें चर्चा अथवा बातचीत करने का बेहतर अवसर दिया जा सके या अधिक लोगों को, विशेषकर नरम प्रवृत्तियों वाले, भूमिगत लोगों को हथियार डालने के लिये अवसर दिया जा सके। इसके अतिरिक्त फरवरी 1973 में राज्य सरकार के अधिकारियों की भूमिगत मिजो नेताओं के साथ अनौपचारिक बातचीत हुई थी, किन्तु स्पष्ट रूप से यह पता नहीं लगाया जा सका कि वे क्या चाहते हैं। बाद में स्थिति अधिकांशतः वही रही और यथापूर्व स्थिति को कायम रखा गया। फरवरी 1974 में पुनः कुछ अधिक गम्भीर अनौपचारिक चर्चा हुई। फिर भी भूमिगत नेताओं ने यह आभास नहीं दिया कि वे क्या चाहते हैं और वे इस बात पर अड़े रहे कि अपने मन की बात केवल केन्द्रीय सरकार को ही बतायेंगे। वे क्या चाहते हैं, इस बात का सही सही पता लगाने के लिये चर्चा अथवा बातचीत करने के अनेक प्रयासों के बाद भी स्थिति में सुधार नहीं हुआ। हाल ही में स्थिति में सुधार होने के स्थान पर यह और भी बिगड़ी है और इन परिस्थितियों में मेरे विचार में हम इस मामले में अपनी नीति पर पुनर्विचार करने के लिए विवश हो जायंगे ।

श्री एस० एम० बनर्जी : क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या माननीय मंत्री का ध्यान समाचार पत्रों में प्रकाशित इस समाचार की ओर गया है कि कुछ विद्रोहियों के साथ विद्रोही मिजो नेता के मिजोरम में दाखिल होने की संभावना है और यदि हां, तो इस में वास्तविकता क्या है और यदि इसमें कुछ तथ्य है, तो मिजोरम में उनके दाखिले को रोकने के लिये क्या क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री उमाशंकर दीक्षित : यह बात नहीं है कि क्या हमें किसी विशेष स्थान पर कोई विशेष प्रबन्ध करना है। समूचे सीमा क्षेत्र की रक्षा सीमा सुरक्षा सेनाओं, राज्य सरकार के अन्य बलों तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाती है।

श्री एस० एम० बनर्जी : मैं यह जानना चाहता था कि क्या लाल डेंगा ने वास्तव में ही गैर-कानूनी रूप से इस क्षेत्र में प्रवेश करने का प्रयास किया है। वह सत्तारूढ़ सरकार से सहमत नहीं है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह समाचार सही है अथवा नहीं ।

श्री उमाशंकर दीक्षित : हमें इस बारे में कोई सूचना नहीं मिली है।

श्री एस० एम० बनर्जी : ऐसा लगता है कि मंत्री महोदय समाचार पत्र नहीं पढ़ते।

श्री मोहनुल हक चौधरी : क्या मिजोरम के मुख्यमंत्री का पुत्र विद्रोहियों के साथ मिल गया है ?

अध्यक्ष महोदय : इसका मुख्य प्रश्न से कोई संबंध नहीं है।

श्री उमा शंकर दीक्षित : जी हां, श्रीमान जी, यह बात ठीक है।

श्री डी० बसुमतारी : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या कारण है कि पूर्ण राज्य का दर्जा तथा क्षेत्रीय परिषद दे देने के पश्चात् भी नागर तथा मिजो लोग प्रसन्न नहीं हैं ? क्या सरकार को यह आशंका है कि इसमें किसी बाहरी शक्ति का हाथ है अथवा इन भूमिगत विद्रोहियों को बाहर से सहायता प्राप्त होती है और यदि हां, तो क्या इसका पता लगाया गया है ?

श्री उमाशंकर दीक्षित : माननीय सदस्य ने नागालैण्ड का उल्लेख किया है, जबकि प्रश्न मिजोरम के बारे में पूछा गया है।

श्री डी० बसुमतारी : मैंने नागा तथा मिजो दोनों भूमिगत विद्रोहियों के बारे में मिला-जुला प्रश्न पूछा है।

श्री उमाशंकर दीक्षित : इन भूमिगत विद्रोहियों में कठोर हृदय वाले लोग हैं जो बहुत ही अनुचित रुख अपनाते रहे हैं और यद्यपि उनकी बात को मानने वाले कम होते जा रहे हैं और कठोर हृदय वाले लोग अपनी इस पुरानी मूल बात पर यह कह कर अड़े हुए हैं कि एक पूर्ण स्वतंत्र राज्य बनाया जाये।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्य यह सच नहीं है कि सेना, सीमा सुरक्षा बल और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस सहित विभिन्न बलों ने गत कई वर्षों से मिजोरम में तबाही मचा रखी है और इसके परिणामस्वरूप इस संदर्भ में लोगों के मन में केन्द्रीय कार्यवाही के प्रति रोष व्याप्त है। क्या माननीय मंत्री एक संसदीय समिति द्वारा इस बात की जांच करायेंगे कि केन्द्रीय रिजर्व पुलिस तथा सीमा सुरक्षा बल मिजोरम के लोगों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करते हैं ?

श्री उमाशंकर दीक्षित : हमारे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है यदि हाल ही में इन सभी बलों द्वारा कोई कार्यवाही की भी गयी है, तो यह शायद अत्यधिक नरम कार्यवाही थी। चाहे कुछ भी हो, वह सूचना जिस के बारे में माननीय सदस्य ने आरोप लगाया है, निराधार है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : माननीय मंत्री लोगों को गुमराह करने में बहुत ही प्रवीण है, वह इसके आदी हैं। गत सत्र के दौरान उन्होंने सभा से शायद तीन बार क्षमा मांगी थी। उन्हें सही तथ्य बताने चाहियें। मैं उन्हें सावधान कर रहा हूं। नागालैण्ड तथा मिजोरम में आतंक का राज्य छाया हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न। श्री हाजरा।

विदेशों को चलचित्रों की तस्करी

*45. **श्री मनोरंजन हाजरा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि बहुत बड़ी संख्या में चल चित्र विदेशों को चोरी छिपे भेजे जा रहे हैं और भारत में उनके रिलीज होने से पहले ही वे वहां पर गैर-कानूनी रूप से दिखाए जाते हैं; और

(ख) यदि हां, तो चल चित्रों के इस प्रकार के गैर-कानूनी व्यापार को रोकने के लिये सरकार ने क्या उपाय किए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) तथा (ख) प्रवर्तन प्राधिकारी फिल्मों की तस्करी के विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं। जहां संभव होता है विदेशी सरकारों तथा उनकी एजेन्सियों की सहायता मांगी जाती है।

5/Lok Sabha/74—2

श्री मनोरंजन हाजरा : क्या इस संबंध में अफगानिस्तान, नेपाल तथा ईरान सरकार का सहयोग भी मांगा गया है क्योंकि तस्करों द्वारा अवैध ढंग से भारतीय चलचित्रों के प्रिन्ट तैयार करने में अपेक्षित प्रयोगशाला संबंधी सुविधायें तो उन्हीं सरकारों द्वारा दी जाती हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : माननीय सदस्य द्वारा नेपाल अफगानिस्तान तथा ईरान का उल्लेख किया गया है। इनमें से कुछ के पास प्रयोगशाला सुविधायें हैं और कुछ के पास नहीं हैं। नेपाल तथा अफगानिस्तान दोनों के पास यह सुविधा नहीं है। ईरान के पास प्रयोगशाला संबंधी काफी विकसित सुविधायें हैं। परन्तु इस संदर्भ में इन सभी देशों का नाम लेना उचित नहीं है। हम इन सभी देशों का सहयोग मांगते रहे हैं और उन्होंने हमें काफी सहयोग दिया भी है। उदाहरणार्थ जब हमें पता चला कि एक चलचित्र की तस्करी अफगानिस्तान को की गई है तो हमने अफगानिस्तान सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया तो उन्होंने न केवल उस चलचित्र का प्रदर्शन ही रोक दिया अपितु उन्होंने चलचित्र ही अपने कब्जे में ले लिया और अब संभावित तस्करों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा रही है। जब कभी भी हमें तस्करी का संशय होता है हम उस पर तुरन्त कार्यवाही करते हैं। इस कार्य के लिए सीमाशुल्क आसूचना विभाग की सहायता भी ली जाती है। मेरे पास सीमाशुल्क आसूचना विभाग द्वारा विभिन्न अवसरों पर पकड़ी गई फिल्मों संबंधी ब्यौरे का एक विवरण है। इसके अनुसार केवल अक्तूबर, 1972 तक ही 9 चलचित्र, जिसका तात्पर्य है 110 रीलें, पकड़ी गई जिनका मूल्य लगभग 86,000 रुपए था। नवम्बर 1972 में एक चलचित्र 10 डिब्बों में बंद पकड़ा गया और उसकी कीमत लगभग 3.48 लाख रुपए है। इस मामले में हमारा सीमाशुल्क आसूचना विभाग बहुत सतर्कता पूर्वक कार्य कर रहा है।

श्री मनोरंजन हाजरा : क्या मंत्री महोदय सदन को यह बतायेंगे कि क्या 'बाबी' नामक चलचित्र की तस्करी दक्षिण अफ्रीका को की गई ? इस तस्करी के साथ मंत्री महोदय का नाम भी सुनने में आया था अतः क्या वह बतायेंगे कि क्या यह सच है या नहीं ?

श्री आई० के० गुजराल : हमने भी समाचार पत्रों में पढ़ा था कि 'बाबी' नामक चलचित्र की दक्षिण अफ्रीका को तस्करी की गई थी। हमने यह मामला सीमाशुल्क आसूचना विभाग को सौंप दिया है तथा उन्हें तथ्यों की जांच करने को कहा गया है। जहां तक इस मामले के साथ मेरा नाम जोड़ने का संबंध है, मैं इसे बहुत ही घृणित बात समझता हूं।

श्री रामसहाय पाण्डे : श्री तारिक 'इम्पेक' के चेयरमैन थे। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह भी सच है कि श्री तारिक कुछ समय के लिय फिल्म प्रोमोशन कारपोरेशन के चेयरमैन भी रहे और उन्होंने तस्करों द्वारा विदेशों को भेजी जाने वाली फिल्मों संबंधी कदाचारों के बारे में एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। यहां निर्मित कुल फिल्मों को प्रिन्ट करने के बाद, उनक कुछ प्रिंट वहीं छोड़ दिये जाते थे ताकि विभिन्न देशों को उनकी तस्करी की जा सके। इस प्रकार वह कुछ विदेशी मुद्रा अर्जित करते थे परन्तु वह हमारे देश को नहीं भेजी गई थी।

श्री आई के० गुजराल : यह ठीक है कि श्री तारिक इन्डियन मोशन पिक्चर्ज एक्सपोर्ट कारपोरेशन के चेयरमैन रहे। यह भी ठीक है कि जब श्री तारिक ने पांच वर्ष तक 'इम्पेक' का चेयरमैन रहने के बाद अपना पद छोड़ा तो उस समय उन्होंने इसके कार्यकरण के बारे में जांच करवाने की मांग की थी। सरकार द्वारा इस संबंध में कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है और अब आरम्भिक जांच की जा रही है।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Who is conducting this enquiry and what are its terms of reference ?

Shri I. K. Gujral : The enquiry consists of two parts. Because it was initiated on the recommendation of the Chairman of the Corporation, so, firstly, we asked an officer to have a *prima facie* enquiry of its working. On receipt of this report we will decide whether an enquiry is required or not regarding the working of IMPEC or any of its personnels ?

Shri Hukam Chand Kachwai : Is it a fact that Indian Films are becoming popular in many foreign countries but they are not being exported on a large scale to meet their demand and that is why these films are being smuggled. May I know if Government is going to take any steps to meet their demand ? Is it also a fact that the films which are against the Government are not exported ?

Shri I. K. Gujral : The basic question is that the film demand of the foreign countries should be met and we do export films accordingly. But it is also true that there is scope to increase our present export that is why we propose to have a National Films Corporation to meet the export demand of Films.

I am not aware of any films produced against Government of India and if the hon. Member is aware of the same, he may let me know.

Shri Atal Bihari Vajpayee : Nobody can dare to produce a film against the Government and if it is produced, it will not be passed by the Censor Board.

सहकारी समितियों द्वारा अनुसूचित जनजातियों को अग्रिम ऋण देने की प्रक्रिया को सुगम बनाना

***46. श्री नवल किशोर सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के आयुक्त ने सूचना दी है कि अनुसूचित जनजातीय व्यक्ति ऋण देने के मामले में सहकारी समितियों के स्थान पर साहूकारों को अधिक पसन्द करते हैं क्योंकि सहकारी समितियों की अग्रिम ऋण देने की प्रक्रिया बहुत जटिल और अधिक समय लेने वाली है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है और इन शिकायतों की जांच करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) अनुसूचित जातियों और अनसूचित जन जातियों के आयुक्त के कार्यालय के एक अध्ययन दल को जिला कोरापुट, उड़ीसा के गुनुपुर सब-डिवीजन के 'सौरास' और पंच महल जिला, गुजरात को जनजातियों द्वारा साहूकारों को अधिक पसंद करने की अपनी प्राथमिकता के ये कारण दिये गये थे।

(ख) कृषि मंत्रालय के अध्ययन दल द्वारा जनजाति क्षेत्रों में ऋण के सारे प्रश्न की जांच की गई है और उसने जनजाति क्षेत्रों के लिये सरल ऋण और विपणन संरचना की सिफारिश को है, जिससे उत्पादन उपभोक्ता आवश्यकताओं और सामाजिक प्रयोजनों की ऋण समत जनजातियों की आवश्यकता पूरी होंगी। राज्य सरकारों से एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं के लिये योजनायें तैयार करने के लिये इस आदर्श को अपनाने का अनुरोध किया गया है, जिसमें 50 प्रतिशत से अधिक जनजाति जन संख्या वाले सभी क्षेत्र आ जायेंगे।

श्री नवल किशोर सिंह : आयुक्त ने इन दो राज्यों के बारे में जो कुछ कहा है, मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर वही बात अन्य राज्यों के बारे में भी कह सकता हूं और सरकार स पूछना चाहता हूं कि क्या वह उन कारणों पर विचार करेगी जिनके आधार पर आदिवासियों द्वारा सहकारी समितियों की अपेक्षा साहूकारों को प्राथमिकता दी जाती है ? आयुक्त द्वारा जो कारण बताए गये हैं, वह इस प्रकार है। उसने कहा है कि यह बहुत आश्चर्य की बात है कि वह लोग साहूकारों से ऋण लेना परन्द करते हैं जोकि 150 प्रतिशत से लेकर 600 प्रतिशत की वार्षिक दर से ब्याज लेते है जबकि इसकी तुलना में सहकारी समितियों से केवल 9 1/2 प्रतिशत की दर से ब्याज मिलता है। इसका कारण यही है कि समितियों का प्रशासन दोषपूर्ण है और किसान भूमिहीन लोगों को उसमें शामिल करने के इच्छुक नहीं है और ऐसे लोगों तथा आदिवासियों की गरीबी के कारण उन्हें अपनी ऋण देने की क्षमता के समाप्त होने का भय बना रहता है। अतः क्या आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासी लोगों क लिये सरकार अलग सहकारी कृषि सेवा समितियां बनाने के प्रश्न पर विचार करेगी ताकि यह समस्यायें तथा जटिलतायें पैदा ही न हों।

श्री राम निवास मिर्धा : आदिवासियों तथा अन्य लोगों द्वारा साहूकारों को पसंद करने का मुख्य कारण यही बताया गया है कि सहकारी समितियों से ऋण लेने के लिये उन्हें अपनी भूमि गिरवी रखनी पड़ती है तथा कुछ ऐसी पेचीदा कार्यवाहियां करनी पड़ती है जिनसे वह बचना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि सहकारी समितियों से ऋण प्राप्त करने में समय लगता है और उन्हें आवश्यकता के समय ऋण मिल नहीं पाता। उन्होंने यही कारण बताये हैं। सहकारी समितियों

का प्रभारी कृषि मंत्रालय इस समस्या से भलीभांति अवगत है। समस्या का गहराई से अध्ययन करने के लिये एक अध्ययन दल की नियुक्ति की गई है आदिवासी क्षेत्रों की सहकारी समितियों का ढांचा किस प्रकार का हो तथा आदिवासी सहकारी समितियों का संगठन किस प्रकार किया जाये। उन्होंने इस बात का उल्लेख भी किया है कि साधारण तथा सहकारी समितियों द्वारा उत्पादक कार्यों के लिये ही ऋण दिया जाता है परन्तु आदिवासियों के लिये उन्होंने नियमों को और अधिक उदार बनाने का सुझाव दिया है तथा कहा है कि उनकी खपत तथा सामाजिक आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए उनकी ऋण आवश्यकताओं को पूरा किया जाना चाहिए तथा उन्हें केवल साहूकारों की दया पर ही नहीं छोड़ दिया जाना चाहिए। अध्ययन दल की यह सिफारिशें राज्य सरकारों के पास हैं और हमें आशा है कि आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिये योजनायें तैयार करते समय इन्हें भी ध्यान में रखा जायगा।

श्री नवल किशोर सिंह : जिस योजना का उल्लेख मंत्री महोदय द्वारा किया गया है क्या वह उन सभी राज्यों में लागू होगी जहां आदिवासी रहते हैं ?

श्री राम निवास मिर्धा : जी हां !

श्री भोगेन्द्र झा : मंत्री महोदय द्वारा कहा गया है कि साहूकारों द्वारा 150 से 600 प्रतिशत तक ब्याज लिया जाता है। देश के विभिन्न भागों में आदिवासियों की भूमि को पूरी फसल या धान या उनकी भूमि आदि को गिरवी रख लिया जाता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या ऐसा करना गैरकानूनी नहीं है और यदि हां, तो क्या ऐसे दोषियों जो कि इन क्षेत्रों में आदरपूर्वक साहूकार कहे जाते हैं के विरुद्ध कोई दण्डात्मक कार्यवाही सरकार द्वारा की गई है या करने का विचार है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री राम निवास मिर्धा : ऋण लेने पर आदिवासियों की जो स्थिति होती है, उसके बारे में माननीय सदस्य महोदय ने जो कुछ भी कहा है वह काफी हद तक सच है। वह इन साहूकारों के यहां लगभग गिरवी ही रहते हैं। उन्हें साहूकारों के हाथों में जाने से बचाने के लिये उन्हें कष्टकारी औपचारिकताओं से बचा कर आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध करवाया जाना चाहिये। और इसके लिये सरकार द्वारा बनाई गई योजना की रूपरेखा मैंने प्रस्तुत कर दी है।

माननीय सदस्य का यह प्रश्न कि उन साहूकारों को साधारण दोषी ठहराया जाये या उन्हें दण्डात्मक कानूनों के अन्तर्गत दोषी करार किया जाये, निश्चय ही व्यापक प्रश्न है। धन ब्याज पर देने के बारे में कुछ राज्यों द्वारा काफी सख्त कानून बनाये गये हैं। लाइसेंस के बिना कोई भी व्यक्ति साहूकारी नहीं कर सकता। कितना ब्याज लिया जाना चाहिये और किन स्थितियों में कोई व्यक्ति न्यायालय तक जा सकता है, इन सब बातों के बारे में राज्य सरकारों ने कुछ कानून बनाये हैं। जहां तक उन्हें दोषी करार देने तथा उनके विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करने का प्रश्न है, उसके बारे में सदस्य महोदय यदि कोई ठोस सुझाव दे सकते हों तो हम उनकी जांच करने को तैयार हैं ?

श्री कार्तिक उरांव : भारत सरकार तथा राज्य सरकारों को यह भलीभांति मालूम है कि आदिवासियों को भूमि संक्रमण से बचाने के लिये संपूर्ण देश में काश्तकार अधिनियम है। बिना उप आयुक्त की मंजूरी के बिना किसी भी भूमि हस्तांतरण को किसी भी दीवानी, फौजदारी या न्यायिक न्यायालय द्वारा मान्यता नहीं दी जाती। इसके बावजूद भी इन कानूनों का उल्लंघन होता रहता है और देश में भूमि संक्रमण के बहुत से चौंका देने वाले मामले देखने को मिलते हैं। उन्हें साहुकारों से बचाने के लिये अधिनियम है। आदिवासियों को उनकी भूमि वापिस करवाने के नियम भी हैं। यह कानून कई राज्यों उदाहरणार्थ बिहार उड़ीसा तथा आन्ध्र-प्रदेश में पास किये जा चुके हैं। परन्तु यह दुख की बात है कि यह राज्य सरकारें इनके लिये कुछ भी करने में सफल नहीं हुई हैं। ऐसी स्थिति में हो केन्द्रीय सरकार को इसमें हस्ताक्षेप करना पड़ा तथा इस समस्या पर गम्भीरता पूर्वक विचार करना पड़ा। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार आदिवासियों को दुष्ट साहूकारों के हाथों से बचाने तथा उन्हें आदिवासी भूमि लौटाने के लिये पांचवीं योजना के दौरान किसी आवर्ती फंड की व्यवस्था करने पर गम्भीरतापूर्वक विचार करेगी ताकि संपूर्ण देश में आदिवासियों का समान रूप से विकास हो सके ?

श्री राम निवास मिर्धा : माननीय सदस्य महोदय यह जानना चाहते हैं कि क्या आदिवासियों को उनकी संक्रमण भूमि लौटवाने की व्यवस्था करने के लिये सरकार का कोई आवर्ती फन्ड बनाने का विचार है या नहीं। जिन भूमि संक्रमणों का माननीय सदस्य द्वारा उल्लेख किया गया है, उनमें से अधिकांश गैर-कानूनी भी हैं। पहली बात तो यह है कि

इस प्रकार भूमिसंक्रमण होना ही नहीं चाहिये था और अगर वह हो गया है तो उसके लिये उन्हें मुआवजा देने की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल काश्तकार अधिनियमों का कड़ाई से पालन करने पर ही इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। परन्तु फिर भी यदि माननीय सदस्य यह मानते हैं कि कुछ क्षेत्रों में आदिवासी अपनी भूमि बिना कानूनी मुआवजा दिये नहीं ले सकते, तो मुझे उसकी कोई जानकारी नहीं है। यदि वह किसी विशिष्ट मामले का उल्लेख करते हैं, तो हम निश्चय ही उस पर विचार करेंगे।

श्री बूटा सिंह : आदिवासी तथा आदिवासी क्षेत्र के लोग प्राइवेट साहूकारों से धन के व्याज पर लेना क्यों पसंद करते हैं, इसके लिये मंत्री महोदय द्वारा जो कारण बताये गये हैं, उनके अतिरिक्त इसका एक अन्य कारण सहकारी समितियों का असहयोग भी है। वास्तव में यह सहकारी समितियां भी प्राइवेट साहूकारों के निहित स्वार्थों पर ही आधारित होती हैं। आदिवासी क्षेत्र में वह सभी एक ही थाली के चट्टे-बट्टे होते हैं।

इसके अतिरिक्त श्री कार्तिक उरांव द्वारा उठाया गया प्रश्न भी सैद्धांतिक ही है। आदिवासियों की भूमि का संक्रमण इस का मूल कारण है। वास्तव में प्राइवेट साहूकारों के चुंगल में फंसे होते हैं। अतः क्या सरकार का विचार कुछ ऐसी चुनी हुई मार्गदर्शी योजनायें आरम्भ करने का है जो सहकारी समितियों का मार्गदर्शन कर सकें तथा उनके लिये आवर्ती फंड की भी व्यवस्था हो ताकि उप-आयुक्तों तथा कलक्टरों आदि को यह पता चल सके कि भूमि संक्रमण अधिनियमों तथा सहकारी समितियों संबंधी कानूनों को क्रियान्वित कैसे की जा सकती है?

श्री राम निवास मिर्धा : हमें यह आश्वासन दिया गया है कि जहां तक आदिवासी क्षेत्रों में सहकारी समितियां स्थापित करने का संबंध है, चाहे वन उत्पाद के लिये हों अथवा अन्य वस्तुओं के लिये धनराशि की कोई समस्या नहीं होगी। बात केवल यह है कि राज्य सरकारें अध्ययन दल की सिफारिशों को किस सीमा तक तथा किस प्रकार क्रियान्वित करती हैं। हम इस मामले पर निरन्तर उनसे संपर्क बनाये हुए हैं। यदि यह समझा जाता है कि वित्तीय अभाव के कारण इन योजनाओं में प्रगति नहीं हो रही है तो हम इस कठिनाई को दूर करने का प्रयास करेंगे।

Shri Ram Kumar : Sir, the Co-operative Societies made adequate land allotments to tribals and after that tribals made repeated request for loans from the State Governments but the loans could not be made available to them. Cooperatives had to provide *adhoc* funds only to those, who had deposited money with the Cooperatives. Scheduled tribes people were having high hopes when this scheme of cooperative societies was introduced. But, now they are disappointed. Housing Societies have advanced loans to officers on priority basis the Government should evolve an easy procedure so that the distribution of loans through Panchayat Samities is made possible and their is no difficulty to the people.

Shri Ram Niwas Mirdha : Sir, the question relates, particularly to the Cooperative Societies in tribal areas. The Hon. Member has widened the scope and he has tried to bring in all sorts of cooperatives into this question. But the difficulties expressed by the hon. Member are Common even to the Cooperatives of tribal Sectors and we have given certain suggestions to the State Governments to remove these difficulties and we hope that these difficulties will be removed to a considerable extent if our suggestions are implemented.

Shri Bhagirath Bhanwar : Cooperative societies and the money lenders are lives of the same feather. Certain State Government made laws in order to enable tribals to be relieved of their indebtedness, but the laws complicated and the poor tribals could not be relieved of their indebtedness. Certain Courts were established and there the cases are pending for 5 to 7 years. The poor farmers have to go to the money lenders because they do not get justice from Government and cooperative societies are suffering from corruption and that is the trouble for the tribals. . .

Mr. Speaker : Kindly ask your question, don't make a speech.

Shri Bhagirath Bhanwar : Is it a fact that as money lenders grapped the lands, the cooperative societies also are auctioning the lands of tribals by manipulating indebtedness against them. May I know whether an enquiry will be conducted into this ?

Shri Ram Niwas Mirdha : If the hon. Member refers to specific region or to specific, laws we may instruct the State Government to remove those difficulties. As he has said that the people do not go to cooperative societies since their laws are complicated, it is also a point.

Shri Sarjoo Pandey : Sir, You have called two members from Jan Sangh Party. I have not been given a chance.

Mr. Speaker : It is not necessary for me to accommodate all of you. One member from your party has availed of this chance.

Shri Sarjoo Pandey : We will not allow this procedure to go on. I want your ruling in this regard or you decide as to which party will not be given a chance. You have called two members from Jansangh Party.

Shri Atal Bihari Vajpayee : Sir, we do not odject even when you call ten members from the ruling party .... (*interruptions*)

Shri Sarjoo Pandey : Why rules and regulations are enforced on us only.

Mr. Speaker : I will not allow you if you behave in this way. I have also decided not to be coerced by you like this.

Smuggling of Uranium from Jaduguda (Bihar)

***48. Shri Shanakar Dayal Singh:**
Shri Dinen Bhattacharya :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the facts regarding smuggling of Uranium from Jaduguda Uranium factory ;

(b) whether any legal action has been taken against the persons involved ; and

(c) if so, the nature of action taken against them ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) to (c) The Government of Bihar have reported that 11 persons have been arrested by the police regarding the suspected pilferring of Uranium ore from Uranium Corporation of India Ltd. Jaduguda. Appropriate legal action is being taken against them by the State Police.

The Calcutta Police have also arrested 8 persons on a similar charge. The enquiries are in progress.

Shri Shankar Dyal Singh : I may recall that the news regarding smuggling of uranium was, for the first time, published on 23rd April and I raised the matter in the House on 24th April under rule 377. Since then, almost all the newspapers of India are reporting about the large scale smuggling and theft of uranium and officers, businessmen and other elements involved in this racket and the uranium being smuggled to China and Pakistan.

May I know the number of the employees of Jaduguda uranium complex out of the total arrests made in this regard and the number of businessmen from Bihar and from other states, the quantity of uranium seized so far and its sale price ?

The Home Minister (Shri Uma Shankar Dixit) : As regards five persons arrested earlier, names have already been mentioned, they are, police constable Shri S. K. Abbas, Shri Mohamad Farukh Sakchi (Jamshedpur town), Shri Mahboob Khan, an employee of Telco Auto Division, Shri Kanu Ram Sardar and Shri Jai Ram, both are the employees of Uranium complex, Jaduguda. After that, two persons have been arrested in Jamshedpur. Four persons have been arrested by Bihar Police. The information regarding their names have not so far been received. Thus, total number of the persons arrested is 11. Two cases have been registered against them, one is Golmuri

Police Station Case No. 41. In this case prosecution have been launched against 9 persons. The second is Golmuri Police Station case No. 65 dated 29.6.74. This case has been registered under Atomic Energy Act. In this case prosecution has been launched against two persons.

Shri Shankar Dyal Singh : I wanted to know the quantity of uranium seized and its value.

Shri Uma Shankar Dixit : 5.50 kg was seized in Bihar and later on 525 grams in Calcutta. As regards material seized in Bihar existence of uranium contents there in was doubtful. Later on, according to the report received from the Corporation, the report of Atomic Energy Commission has not so far been received, they have found a feeble concentration of uranium therein. As regards 525 grams seized in Calcutta, a significant quantity is reported to be found in that. As regards smuggling to other countries we have got no information in this regard but it is presumed that some people had been to Nepal to get it sold or probably they wanted to smuggle it to China *via* Nepal.

Shri Shankar Dyal Singh: In this connection, sufficient material has been published in 'Blitz' Bombay edition; and in Janswar published from Uttar Pradesh. According to the information available with me first time 5 kg., second time 1 kg. and the third time about 5 kg. of uranium has been seized so far. It has been mentioned in the papers available with me that Atomic Energy Commission is of the view that the uranium seized in Calcutta is of good quality. Its estimated value is about Rs. 15 lakh. The Government have not said anything about the businessmen involved either they belong to Calcutta or to Nepal or dealing on Indian border. According to my information, in a joint raid conducted by CBI and customs department officials at the house of a capitalist in Belia of Champaran district besides 90 kg. gold. Certains papers have also been seized which speak of this capitalist involvement in uranium smuggling case. Certain top leaders want to hush up the case. May I know the number of the arrests made out of the businessmen involved in this case and the action taken against them ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ०एच० मोहसिन) : मामले की जांच हो रही है । और जांच करने के लिये बिहार सरकार ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो की सहायता मांगी थी । मामला केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपने का निर्णय कर लिया गया है । औपचारिक अधिसूचना जारी करनी है और वह शीघ्र ही कर दी जाएगी ।

एक माननीय सदस्य : बेलिया की घटना का क्या हुआ ?

श्री एफ०एच० मोहसिन : मुझे इसकी जानकारी नहीं है ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : क्या यह सच है कि बिहार से अब तक जो 11 व्यक्ति पकड़े गए, जैसा कि मंत्री महोदय के उत्तर से स्पष्ट है, तथा कलकत्ता में जो 8 व्यक्ति पकड़े गये उनमें जो जमशेदपुर में गिरफ्तार किये गये थे वे टाटा की फर्म से संबंधित हैं तथा कलकत्ते के आठ व्यक्ति बिड़ला की फर्म से संबंधित हैं और एक बिहार के कांग्रेस मंत्री भी यूरेनियम की चोरी से संबद्ध हैं । यदि ऐसा है तो क्या प्रथम दृष्टया शिकायत प्राप्त होने पर सरकार ने उन्हें जेल भेजा और क्या वे अभी भी जेल में हैं अथवा जमानत पर छोड़ दिये गये हैं ?

श्री एफ०एच० मोहसिन : जैसा कि गृह मंत्री महोदय बता चुके हैं एक व्यक्ति महबूब खां, टेल्को का कर्मचारी है । शेष व्यक्तियों में एक पुलिस कांस्टबिल और दूसरा जमशेदपुर का निवासी है । हमारे पास और अधिक ब्यौरा नहीं है । माननीय सदस्य को अधिक जानकारी मालूम पड़ती है । मैं तो केवल इतना ही कहूंगा कि मामलों की जांच चल रही है । जांच कार्य केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपा जा रहा है । हमें केन्द्रीय जांच ब्यूरो के निष्कर्षों की प्रतीक्षा करनी चाहिए । जब जांच कार्य पूरा हो जाएगा तब जानकारी सदन के समक्ष प्रस्तुत कर दी जाएगी ।

श्री भोगेन्द्र झा : क्या बिहार का कोई मंत्री मामले से संबद्ध है ?

श्री उमाशंकर दीक्षित : हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं है ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : जैसा कि मंत्री महोदय ने अभी अभी बताया है, एक व्यक्ति टाटा की फर्म से संबद्ध है । इसी प्रकार कलकत्ता से गिरफ्तार किए गए आठ व्यक्ति बिड़ला की फर्म से संबद्ध दीखते हैं । क्या यह सच है और क्या बिहार का कोई मंत्री भी इस मामले से संबद्ध है ?

श्री उमाशंकर दीक्षित : मेरे साथी ने बताया है कि मामला केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपा जा रहा है । केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच पूरी होने दीजिये । इन बातों का तभी उत्तर दिया जा सकता है । परन्तु अभी तक हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी : हमें इस मामले में बहुमूल्य खनिज बरामद करने को अधिक महत्व देना चाहिये और इस संदर्भ में मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार इस बात के लिये क्या कदम उठा रही है कि भविष्य में ऐसी घटना न हो ।

श्री उमाशंकर दीक्षित : यह कार्य सुरक्षा कर्मचारियों को सौंप दिया गया है । सुरक्षा प्रबन्ध मजबूत कर दिये गये हैं । निदेश जारी कर दिये गय हैं और मामले की सावधानी पूर्वक जांच की जा रही है ।

श्री समर गुह : यह अच्छी बात है कि जो यूरेनियम चोरी गया वह शुद्ध किया हुआ यूरेनियम नहीं है । खतरनाक बात यह है कि कारखाने क कुछ कर्मचारी और पुलिस कर्मचारी मामले से संबद्ध है । अतः शुद्ध किये हुए यूरेनियम के चोरी जाने की भी बहुत कुछ संभावना है । यह एक बात है । मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है, कुछ बड़े व्यापारी और बिहार से एक अपमाननीय मंत्री भी इस मामले से संबद्ध बताये जाते हैं और यूरेनियम की तस्करी करने के लिए नेपाल सीमा पर सांठगांठ कर रहे हैं । यूरेनियम का महत्व आपको ज्ञात है । क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो के निर्देश पदों में मंत्री का भी मामला शामिल है, क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो इस मंत्री के मामले में भी जांच करेगा जिसकी तस्करों में सांठगांठ बताई जाती है तथा तत्संबंधी तथ्य प्रतिवेदन में लिखेगी ?

श्री उमाशंकर दीक्षित : निर्देश मदों का प्रश्न ही नहीं उठता । जब कोई मामला केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दिया गया तब वे मामले की विषदरूप से जांच करेगा चाहे उस मामले में कोई व्यापारी हो अथवा अन्य कोई व्यवसायिक अथवा अन्य कोई भी, सभी जांच क्षेत्र के अन्तर्गत आ जाएंगे । इस बात का हमें पता नहीं है कि कोई मंत्री अथवा अन्य कोई इस मामले से संबद्ध है । अभी तक हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं है । यदि आप किसी घटना की कल्पना करके हमसे उत्तर जानना चाहें तब यह कठिन है । जांच कार्य पूरा होने दीजिये और यदि कोई अन्तर्ग्रस्त पाया जायेगा, वह चाहे जो कुछ भी हो, उसके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

Shri Ramavatar Shastri : Sir, ...

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नकाल समाप्त हुआ ।

Shri Ramavatar Shastri : Is it a fact that a Communist Party Lagislater, Shri Bhola Singh named some businessman as involved in this case on 5th in Bihar Legislative Council ? He also named the minister involved ? Is he aware of this fact ?

अध्यक्ष महोदय : मैं घोषणा कर चुका हूं कि प्रश्न-काल समाप्त हुआ और आप मेरी बात सुनते ही नहीं हैं ।

Shri Ramavatar Shastri : Sita Ram Rajgarhia also signed in Bihar Legislative Assembly. Sir, this is very important Question :

Mr. Speakar : I have already declared that the question hour is over.

Shri Ramavatar Shastri : Efforts are being made to protect him. The Minister belonging to the same district is trying to protect him.

Shri Uma Shankar Dixit : We have no information but if no such effort will be allowed to be successful.

अध्यक्ष महोदय : मैं घोषणा कर चुका हूं कि प्रश्न-काल समाप्त हुआ। फिर भी वह बोल जा रहे हैं।

अल्प-सूचना प्रश्न
SHORT-NOTICE QUESTION

कलकत्ता टेलीफोन विभाग का कार्यकरण

1. **श्री समर गुह :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने सभा में यह आश्वासन दिया था कि कलकत्ता टेलीफोन विभाग के कार्यकरण की स्थिति में मई, 1974 के पश्चात् सुधार हो जाएगा; और

(ख) यदि हां, तो कलकत्ता टेलीफोन विभाग के कार्यकरण में जो सुधार हुआ है उसका मोटा ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्री (श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी) : (क) और (ख) माननीय सदस्य के अल्प सूचना प्रश्न का उत्तर देते समय 9 अप्रैल, 1974 को मैंने कलकत्ता टेलीफोन्स की समस्याओं को सुलझाने के लिए सरकार ने जो विभिन्न कदम उठाये हैं और जिन विभिन्न कदमों को उठाने का प्रस्ताव है, उनकी रूप रेखा बताई थी। मई 1974 तक कई कार्रवाईयां पूरी की जा चुकी हैं। कलकत्ता टेलीफोन प्रणाली के कार्यकरण में सुधार हुआ है। जो कदम उठाय जा रहे हैं उनकी प्रगति और उनके परिणामस्वरूप जो सुधार हुआ है उसकी रूप रेखा का एक विवरण-पत्र लोक सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

मार्च 1974 से कलकत्ता टेलीफोन के कार्यकरण के सुधार में जो प्रगति हुई है और सरकार ने जो कदम उठाये हैं उनका ब्यौरा इस प्रकार है :

(*i*) कलकत्ता टेलीफोन में एक्सचेंज उपस्कर और टेलीफोन यंत्रों के रख-रखाव और मरम्मत के लिये जिन फालतू पुर्जों को आवश्यकता पड़ती है, वे पर्याप्त संख्या में प्राथमिकता के आधार पर भारतीय टेलीफोन उद्योग द्वारा सप्लाई कर दिये गये हैं।

(*ii*) आवश्यक फालतू पुर्जे आगे भी लगातार सप्लाई किये जा रहे हैं।

(*iii*) कलकत्ता टेलीफोन प्रणाली के विभिन्न एक्सचेंजों में जो 3000 से अधिक स्विच खराब हो गये थे अब उनकी मरम्मत कर दी गई है और उन्हें काम में लिया जा रहा है।

(*iv*) सारे आन्तरिक उपस्कर की भलीभांति जांच करके उसका ओवरहाल कर दिया गया है और कार्यक्रम के अनुसार नियमित रूप से उसकी जांच की जाती है।

(*v*) एक्सचेंजों के सभी ज्वाइंटों को उचित तौर पर सोल्डर करने के लिये उनकी जांच की गई।

(*vi*) बहुत अधिक मात्रा में ट्रैफिक पर कार्रवाई करने के लिय अतिरिक्त ट्रैफिक राहत उपस्कर स्थापित करने के बारे में शीघ्रता की जा रही है। यह उपस्कर पांच एक्सचजों में अर्थात् 24, 44, 46, 55 और 66 में इस महीने के अंत तक और बाकी मुख्य टेलीफोन एक्सचेंजों में अगले 9 से 12 महीनों के दौरान चालू कर दिया जाएगा।

(*vii*) मार्च 1974 में विभिन्न एक्सचेंजों में दोषपूर्ण जंक्शनों की संख्या कुल जंक्शनों की संख्या का लगभग 8 से 10 प्रतिशत थी। यह अब 4 से 5 प्रतिशत तक रह गई है और केबुल मरम्मत का विशेष कार्य हाथ में लेने से यह संख्या धीरे-धीरे और कम होती जा रही है।

(*viii*) भूमिगत केबुल की खराबियों को विशेष प्रयत्नों के जरिये शीघ्रता से दूर किया जा रहा है और केबुल की खराबियों की मरम्मत की गति में उल्लखनीय सुधार हुआ है।

(*ix*) कलकत्ता में लगाया जा रहा ट्रंक आटोमैटिक एक्सचेंज आंशिक रूप से चालू कर दिया गया है। आसनसोल से कलकत्ता के लिये उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग सेवा 26 जून, 1974 को चालू की गई थी। कलकत्ता के विभिन्न एक्सचेंजों से आसनसोल के लिये उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग सेवा इस वर्ष अक्तूबर-नवम्बर क दौरान उत्तरोत्तर चालू की जायेगी। खड़गपुर से कलकत्ता के लिये उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग सेवा सितम्बर 1974 के दौरान चालू को जायेगी और कलकत्ता के विभिन्न एक्सचेंजों से खड़गपुर के लिये यह सेवा इस वर्ष नवम्बर से दिसम्बर तक उत्तरोत्तर चालू की जायेंगी। कलकत्ता से भुवनेश्वर के साथ उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग सेवा मार्च 1975 तक और जमशेदपुर के साथ वर्ष 1976 के अंत तक चालू को जाएगी। आशा है कि पांचवीं योजना के दौरान दिल्ली के साथ उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग सेवा चालू की जा सकेगी।

(*x*) कलकत्ता से कटक और भुवनेश्वर के लिये डिमांड ट्रंक सेवा 5–6–1974 को चालू की गई थी।

(*xi*) अदायगी करने और औपचारिकताएं पूरी करने के बाद नये कनेक्शन देने की कार्यविधि को सुगम बना दिया गया है और लम्बे समय से अनिर्णीत पड़े अनेक कनेक्शनों को लगा दिया गया है। ऐसे थोड़े से कनेक्शन अभी लगाये जाने हैं। प्रयत्न किये जा रहे हैं कि इन कनक्शनों को भी शीघ्रता से लगा दिया जाये।

(*xii*) ट्रंक रेकार्ड 180 और ट्रंक इन्क्वायरी 181 स्विचबोर्ड पोजीशनों पर विशेष तौर पर कर्मचारी लगा कर इन सेवाओं से उत्तर देने म लगने वाले समय को कम कर दिया गया है तथा तत्काल सेवा दी जा रही है।

(*xiii*) खराबियों और शिकायतों को दूर करने स संबंधित विभिन्न प्रक्रियाओं को आसान बना दिया गया है। इस प्रक्रिया को अपनाने के बाद शिकायतें और खराबियां अधिक शीघ्रता से दूर की जा रही हैं। खराबियों की अवधि कम हो गई है और आगे जारी रहने वाली खराबियों की संख्या घट गई है।

(*xiv*) कलकता के टलीफोन जाल से हो कर गुजरने वाली कालों का केन्द्रीय सेवा प्रेक्षण करने से मार्च महीने में वर्तमान स्थिति में 10 प्रतिशत का सुधार हो गया है।

(*xv*) उपभोक्ताओं के अहातों में लगे हुए टेलीफोन यंत्रों और प्राइवेट ब्रांच एक्सचेंजों का निरीक्षण एक विशेष कार्यक्रम के आधार पर किया जा रहा है।

(*xvi*) कलकत्ता के विभिन्न इलाकों में बिजली की कटौती जारी है। इस स्थिति पर काबू पाने के लिय '47' एक्सचेंज के लिये डाइरेक्ट पावर फीडर केबुल बिछाया गया है। '24' और '35' एक्सचेंजों के लिये डाइरेक्ट पावर फीडर केबुल बिछान का काम चल रहा है। '22' '23' '33' और '34' एक्सचजों में डाइरेक्ट पावर फीडर केबुल पहले से हो मौजूद हैं। इन एक्सचेंजों पर बिजली की कटौती की समस्या का प्रभाव नहीं पड़ेगा। जांच से यह पता चला है कि बाकी एक्सचजों म डाइरेक्ट फीडर लगाना व्यवहार्य नहीं है। '58' और '66' एक्सचेंजों के अलावा शेष एक्सचेंजों में इंजन आल्टर्नेटर लगाये गये हैं ताकि वे एक्सचेंज का लोड उठा सकें। इन दोनों एक्सचेंजों में भी इंजन आल्टर्नेटर लगाने के लिये कार्रवाई की जा रही है। दो दूसरे एक्सचेंजों—'44' और '41/46' म भारी क्षमता वाल इंजन आल्टर्नेटर लगाये जा रहे हैं।

(*xvii*) भूमिगत केबुलों की चोरी की वारदातों को कम करने के लिये पश्चिम बंगाल राज्य के प्राधिकारियों के साथ विचार विनिमय करने के पश्चात कानून और शांति स्थापित करने वाले स्थानीय प्राधिकारियों के साथ विशेष संपर्क कायम कर दिया गया है। आशा है कि केबुलों की चोरी के कारण टेलीफोन सेवा में जो गड़बड़ियां हो जाती थीं वे अब कम हो जायेंगी।

(*xviii*) सड़क खोदने का काम करने वाली विभिन्न एजेंसियों के साथ निकट संपर्क स्थापित किया गया है। सड़क खोदने के काम के कारण भूमिगत केबुलों में जो खराबी आ जाती है, वह भी धीर धीरे कम हो रही है।

(*xix*) कलकत्ता टेलीफोन के प्रबंध के सेट-अप को सशक्त बना दिया गया है और रख-रखाव के काम को इलाके के आधार पर गठित किया जा रहा है।

श्री समर गुह : मैं माननीय मंत्री की इस असुविधाजनक प्रश्न प्रतिक्रिया की प्रशंसा करता हूं और मैं इस बात के लिये उनका धन्यवाद करता हूं कि माननीय मंत्री न कलकत्ता टेलीफोन की कठिनाइयों को दूर करने के लिये ईमानदारी

दिखाई है। लेकिन मुझे इस बात की शंका है कि राष्ट्रपति के चुनाव के बाद मंत्रालयों में कुछ फेर-बदल हो जायेगा। अतः मंत्रालयों में फेर-बदल होने से पूर्व मैं यह चाहूंगा कि माननीय मंत्री कलकत्ता में टेलीफोन व्यवस्था बनाये रखने के लिये भरसक प्रयास करें।

माननीय मंत्री ने उत्तर में बहुत उज्जवल चित्र खींचा है। आपने अपने वक्तव्य में आन्तरिक उपकरणों के नवीकरण, अतिरिक्त संचार राहत उपकरण की स्थापना, खराब जोड़ों को ठीक करने, स्वचलित ट्रंक एक्सचेंज की स्थापना आदि का उल्लेख किया है। मैं टेलीफोन उपभोक्ता हूं और मैं टेलीफोन सलाहकार समिति का सदस्य भी हूं और मैं आपका ध्यान......................

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना प्रश्न पूछें।

श्री समर गुह: मेरा 189, 199, 185, 180, 173 लाइनों की असंतोषजनक सेवा और रिसिवरों के बारे में शिकायतें, गलत बिल बनाना, गलत कनेक्शन जोड़ना और मरम्मत के समय लापरवाही बरतना—इन सब बातों का अनुभव रहा है। इसके परिणामस्वरूप विलम्ब होता है तथा रिश्वतखोरी चलती है। मैंने सुझाव दिया था कि शिकायत प्राप्त होने पर शिकायत सैल की स्थापना को जानी चाहिये। साहस हीन मैनेजर—जिनमें से तीन वहां थे इस मामले में कुछ नहीं कर सके। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्र से एक विशेष अधिकारी को वहां भेजा जा सकता है जो वहां कम से कम एक शिकायत और परिवीक्षण सैल की स्थापना करे जिससे सब शिकायतों पर शीघ्र और पर्याप्त कार्यवाही की जा सके।

अध्यक्ष महोदय: वह चिन्तित हैं। मंत्रिमंडल में हेर-फेर करने से पूर्व मैं आपके लिये समय सीमा निर्धारित करूंगा।

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी: कलकत्ता टेलीफोन व्यवस्था में सुधार कार्य की प्रशंसा करने के लिये मैं माननीय सदस्य का आभारी हूं। इसका चुनावों अथवा परिवर्तन अथवा संबद्ध मंत्रालयों से कोई संबन्ध नहीं हैं। विभिन्न दिशाओं में विभिन्न कार्यवाही की गई है। कुछ कमियों का पता लगा है। आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि एक विशेष अधिकारी वहां गया है। वह एक बहुत वरिष्ठ अधिकारी है। मैं भी वहां गया था। समय समय पर जानकारी एकत्र की जाती है और इस बारे में यथासंभव उचित कार्यवाही की जा रही है। एक अतिरिक्त जनरल मैनेजर को भजा गया है और चार उप-जनरल मैनेजरों को वहां जाने के आदेश दिये गये हैं। उनमें से केवल एक गया है और बाकी सब शीघ्र ही वहां पहुंच जायेंगे। इस प्रकार की शिकायत न केवल यहां प्राप्त हुई है बल्कि अन्य स्थानों पर भी प्राप्त हुई है। लेकिन मैं आपको जानकारी के लिये इतना कहता हूं कि अधिक राशि के टेलीफोन बिल बनाने के बारे में शिकायतें कलकत्ता में बम्बई और दिल्ली की तुलना में कम है।

श्री समर गुह: वर्ष 1961 में कलकत्ता में 73,600 टेलीफोन थे, बम्बई में 47,795 और दिल्ली में 33,400 टेलीफोन थे लेकिन इस समय बम्बई में 1,68,000 कलकत्ते में 1,32,000 और दिल्ली में 99,135 टेलीफोन हैं। इस संबंध में पांचवीं योजना में उपबन्ध हैं लेकिन हमें यह पता लगा है कि उक्त उपबन्ध में बम्बई और दिल्ली की तुलना में कलकत्ता के मामले में अधिक कमियां हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार ने कलकत्ता को, जो उद्योग कारोबार और व्यापार का बड़ा केन्द्र है, बम्बई जैसे नगरों के समान लाने के लिये क्या कार्यवाही की है? यह मेरा पहला प्रश्न है। मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि देश के समस्त भागों में 66 एस०टी०डी० प्रणाली लागू कर दी गई है और भुवनेश्वर और कटक को छोड़कर भारत के पूर्वी क्षेत्र में एक भी एस०टी०डी० लाइन चालू नहीं की गई है। इसके क्या कारण हैं? 15 मई से पूर्व दिल्ली और बम्बई के बीच ट्रंक काल व्यय 12 रुपये था और दिल्ली और कलकत्ता के बीच 16 रुपये था लेकिन अब उक्त व्यय समान कर दिया गया है लेकिन इसके बावजूद एस०टी०डी० सुविधाओं के कारण बम्बई को शीघ्र और अविलम्ब काल मिल जाती है और उसका व्यय भी आधा रह गया है। क्या पूर्वी क्षेत्र को एस० टी०डी० प्रणाली के अन्तर्गत लाने के लिए वह कोई कार्यवाही करगे और एस० टी० डी० प्रणाली लागू होने तक अधिक दूरी तक की कालों के व्यय में कमी की जायेगी जिससे कलकत्ता को बम्बई जैसे नगरों तथा अन्य उपनगरों के समान लाया जा सके।

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी: कलकत्ता, जैसा कि हम सब जानते हैं अनेक दृष्टिकोणों से भारत का एक महत्वपूर्ण नगर है। इस बात से हम इंकार नहीं करते। टेलीफोन के मामले में ऐसी कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। यह सच है कि अनेक

कारणों से कुछ राजनीतिक और कुछ अन्य हालतों में कलकत्ते की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा सका। उन कारणों का मुझे उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है।

टेलीफोन प्रणाली में विस्तार करने के मामले में कलकत्ते की ओर ध्यान दिया गया है। पांचवीं योजना में कलकत्ते में अतिरिक्त 32,000 लाइनें और बम्बई में लगभग 1 लाख लाइनें चालू करने का प्रस्ताव है। जहां तक एस०टी०डी० का संबंध है, दिये गये वक्तव्य में यह उल्लेख किया गया है कि आसनसोल और कलकत्ता के बीच पहले ही एस०टी०डी० प्रणाली है और भुवनेश्वर और कटक में उक्त प्रणाली शीघ्र लागू की जायेगी। पांचवीं योजना में उक्त प्रणाली दिल्ली और कलकत्ता के बीच शीघ्र लागू करने का प्रस्ताव है।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि चूंकि मैं कलकत्ते के उस भाग से आया हूं और चूंकि मुझे कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, क्या उन्हें कलकत्ता टेलीफोन, विशेषकर हाल ही में स्थापित क्रास-बार प्रणाली के कार्यकरण के बारे में कोई नई शिकायत प्राप्त हुई है? वहां अधिकांश लोगों—कम से कम आधे से अधिक उपभोक्ताओं—को टेलीफोन लाइन नहीं मिलती हैं। उदाहरण के तौर पर जब में दिल्ली से उक्त एक्सचेंज को टेलीफोन करता हूं तो मुझे अपना नम्बर नहीं मिलता। मेरा मंत्री महोदय को यह सुझाव है कि क्या वह इस मामले की जांच करेंगे कि क्या क्रास-बार एक्सचेंज को बदला जा सकता है अथवा नहीं? मेरा दूसरा सुझाव है कि इस मामले की जांच की जाये।

मैं किसी राजनीतिक दल पर आरोप नहीं लगा रहा हूं—क्योंकि कलकत्ता एक्सचेंज में दिल्ली और कलकत्ता के बीच एक अन्तर्राष्ट्रीय लाइन है लेकिन कुछ कांग्रेसियों को जानबूझ कर कनेक्शन नहीं दिया गये हैं। गत पांच वर्षों से मेरे निरन्तर शिकायत करने के बावजूद इसे नहीं बदला गया है। यदि कोई कांग्रेसी टेलीफोन काल बुक कराता है तो उसे जानबूझ कर इसकी अनुमति नहीं दी जाती। उन्हें सीधे मना कर दिया जाता है। मैंने इस बारे में जांच की है। लोग बैठ रहते हैं और उन्हें लाइनें नहीं मिलती हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि उक्त स्थिति में सुधार किया जायेगा अथवा नहीं। जनरल मैनेजर मेरी बात तक नहीं सुनता। वे ऐसा जानबूझ कर कर रहे हैं। गत पांच वर्षों में यदि किसी कांग्रेसी सदस्य द्वारा किसी मंत्री को टेलीफोन किया जाता है, तो वे उसे लाइन नहीं देते। अतः इस समस्त मामले में जांच की जानी चाहिये।

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : जहां तक माननीय सदस्य की शिकायत का प्रश्न है, मैं इस बारे में निश्चित रूप से जांच करूंगा कि वहां क्या हो रहा है। जहां तक क्रास-बार का संबंध है कलकत्ता में 1.33 लाख लाइनों में से केवल 4,000 लाइनें क्रास-बार एक्सचेंज में है और अन्य लाइनों पर 'स्ट्रोगर प्रणाली' के अनुसार कार्य होता है। मेरी जानकारी यह है कि कलकत्ता स्थित क्रास-बार बम्बई स्थित क्रास-बार की तुलना में अधिक अच्छी स्थिति में है। जैसा कि आप सबको विदित है कि इस प्रणाली के कार्य के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इस प्रणाली की त्रुटियों को दूर किया जा रहा है। इस संबंध में अनेक प्रयास किये जा रहे हैं और हमें आशा है कि आगामी चार महीनों में उनके काम में सुधार हो जायेगा।

श्री एच० एन० मुकर्जी : कलकत्ते को देश में अपनी श्रेष्ठता से वंचित रखा गया है लेकिन यह अपनी त्रुटिपूर्ण टेलीफोन प्रणाली में भी 'श्रेष्ठ' है। जहां तक त्रुटिपूर्ण टेलीफोन प्रणाली का संबंध है बम्बई इसका मुकाबला नहीं कर सकता। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि कलकत्ता में वर्ष 1960 तक बम्बई की तुलना में अधिक टेलीफोन थे और सरकार को कलकत्ता से ट्रंक और स्थानीय कालों से गत पन्द्रह वर्षों अथवा इससे अधिक समय में लगभग 40 करोड़ रुपये की आय हुई है, जो अतिरिक्त रूप से कलकत्ता की जनता से प्राप्त की गई है, और जो कलकत्ता से बाहर अन्यत्र टेलीफोन व्यवस्था बनाये रखने तथा यंत्रों में सुधार करने और उन्हें आधुनिक बनाने के लिये खर्च की गई है, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार कलकत्ता में सामान्य टेलीफोन प्रणाली पुनः स्थापित करने को प्राथमिकता देगी और एस०टी०डी० प्रणाली, जिसे काफी समय पहले लागू किया जाना चाहिये था और जो पांचवीं योजना तक प्रतीक्षा नहीं कर सकती आरम्भ की जानी चाहिये और कलकत्ता डाक तथा तार वर्कशाप, जो 1947 तक भारत की सबसे बड़ी वर्कशाप थी, की ओर ध्यान दिया जाना चाहिये, जिसमें यंत्रों की भारी कमी है और जिसे जानबूझकर समाप्त किया जा रहा है और जो देश में प्रयोग किये जाने वाले उपकरणों की मरम्मत करने के लिये आवश्यक मशीनों का निर्माण करने

में असफल है ? सरकार शायद इस संबंध में कुछ कर सकती है और वह यह कि वह कलकत्ता में टलीफोन व्यवस्था को सर्वप्राथमिकता दें और कलकत्ता डाक-तार वर्कशाप की ओर ध्यान दिया जाये। जिससे इस संबंध में काफी कुछ किया जा सके और एस०टी०डी० प्रणाली को शीघ्रता से लागू किया जा सके।

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : इस बात से कोई इंकार नहीं करता कि कलकत्ते का श्रष्टतम स्थान है और वह अपना स्थान बनाये रखने का प्रयास कर रहा है और जहां तक टेलीफोन व्यवस्था के प्रसार का सम्बन्ध है कलकत्ते को कोई कठिनाई नहीं होगी।

गत चार-पांच वर्षों के दौरान दरों में समानता लाई जा चुकी है। पहले, जैसा कि आपको अवश्य विदित होगा वर्ष 1950 में कलकत्ता में स्ट्रोगर प्रणाली, जो इस समय आधुनिक थी, लागू की गई थी और शायद इसी कारण वहां व्यय कुछ अधिक था। अब कलकत्ता, बम्बई और दिल्ली में कोई अन्तर नहीं है। वे समान हैं। जहां तक एस०टी०डी० प्रणाली का सम्बन्ध है इसमें विस्तार करने के लिए प्रति वर्ष प्राथमिकता देने हेतु हमने कोई जांच नहीं की है। ऐसा पांचवीं योजना में करने का प्रस्ताव है। यदि इस मामले में शीघ्रता से काम करने की सम्भावना होगी तो हम निश्चित रूप से ऐसा करेंगे। लेकिन इस सम्बन्ध में कोई वचन नहीं दिया जा सकता क्योंकि इस सम्बन्ध में अनेक पहलुओं पर विचार किया जाना है।

जहां तक वर्कशाप का सम्बन्ध है, माननीय सदस्य द्वारा ध्यान में लाई गई बातों की भी मैं जांच करूंगा।

श्री बी० के० दास चौधरी : माननीय मंत्री ने यह स्वीकार किया है कि गत चार-पांच वर्षों में कलकत्ता में टेलीफोन दरें अन्य स्थानों के समान रही हैं। इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि विभाजन के बाद कुछ वर्षों तक दरों में वृद्धि रही थी अथवा उनमें असमानता थी। श्री एच० एन० मुकर्जी ने कहा था कि कलकत्ता टलीफोन उपभोक्ताओं से 40 करोड़ रुपए लिए गए थे और पिछली बार मैंने बताया था कि उक्त धनराशि बहुत अधिक थी और यह राशि लगभग 100 करोड़ रुपए थी। उक्त धनराशि कितनी भी क्यों न हो, तथ्य यह है कि कलकत्ता टेलीफोन उपभोक्ताओं से कुछ धनराशि वसूल की गई है और इसके साथ साथ उनसे भेदभाव किया गया है। उन्हें सुविधाएं दिए बिना उनसे अधिक दर पर धनराशि वसूल की गई है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वे एस०टी०डी० के लिए प्राथमिकता सूची की जांच कर रहे हैं और उनका कार्यक्रम पांचवीं योजना के अन्त तक कलकत्ता और दिल्ली के बीच एस०टी०डी० में परिवर्तित करने का है मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह इस बारे में विचार करेंगे कि जब तक एस०टी०डी० सुविधाएं और अन्य सुविधाएं जो भारत के अन्य महत्वपूर्ण नगरों को दिल्ली से जोड़कर वास्तव में उपलब्ध होती हैं कलकत्ता टलीफोन प्रणाली में उपलब्ध नहीं होती कलकत्ता, दिल्ली तथा अन्य स्थानों के बीच ट्रंक टेलीफोन प्रणाली की एस०टी०डी० दरें समान होंगी और वर्तमान दरों जितनी नहीं होंगी ?

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि गत अवधि में करोड़ों रुपया एकत्र किया गया है, क्या कलकत्ता को इसके बदले में मुआवजा दिया जाएगा।

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : यह सच है कि काफी अरसे से दरें कुछ अधिक थी, परन्तु अब ऐसा नहीं है। अधिक दरों का कारण अत्याधुनिक प्रणाली-डायरेक्टर स्ट्रोजर प्रणाली शुरू करना है जो समूचे भारत में केवल कलकत्ता में है।

श्री बी० के० दास चौधरी : क्या कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं था ?

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : इसमें कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। एकत्र की गई राशि, जो पहले 14 करोड़ बाद में 40 करोड़ और अब 100 करोड़ बताई गई है और अगली बार न जाने कितनी हो जाए, के बदले में मुआवजा देने या राशि लौटाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री बी० के० दास चौधरी : सही आंकड़ों का पता लगाने के लिए समिति गठित की जाए।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : श्री समर गुह ने पूछा था कि जब तक डायल घुमाकर सीधे टेलीफोन करने की प्रणाली शुरू नहीं की जाती, तब तक क्या कलकत्ता से किए जाने वाले ट्रंक कालों की दरें बम्बई की दरों के बराबर की जाएंगी। यदि इस समय मंत्री महोदय कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं हैं, तो क्या वे इस सम्बन्ध में जांच करेंगे ? यदि दिल्ली से बम्बई टेलीफोन किया जाए तो बारह अथवा दस रुपए लगते हैं परन्तु कलकत्ता ट्रंक काल करने पर तीन मिन्ट के लिए 16 रुपए लगते हैं ? क्या मंत्री महोदय दोनों दरों को बराबर बनाएंगे ताकि कलकत्ता वासियों को अधिक पैसा न देना पड़े ?

दूसरे, ग्रेटर बम्बई और ग्रेटर मद्रास क्षेत्रों में 'टॉल' प्रणाली नहीं है और सभी कालों को स्थानीय कालें समझा जाता है लेकिन ग्रेटर कलकत्ता के अन्तर्गत आने वाले मेरे जिले में लोगों को 'टॉल' शुल्क देना पड़ता है जो स्थानीय शुल्कों के दुगने से भी अधिक है। क्या मंत्री महोदय ग्रेटर कलकत्ता की कालों के दर को स्थानीय कालों की दरों के बराबर लाने का प्रयास करेंगे ?

श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी : कलकत्ता को छोड़कर अन्य ऐसे कई महानगरीय क्षेत्र हैं जहां डायल घुमाकर सीधे टेलीफोन करने की सुविधा नहीं है। यह प्रणाली 1960 में शुरू की गई थी और दिल्ली तथा अन्य कुछ नगरों से अब केवल 63 लाइनें चालू की गई हैं। यह प्रणाली पूरे भारतवर्ष में शुरू करनी होगी और शुरू की जाएगी। मैं नहीं चाहता कि कलकत्ता के माननीय सदस्य यह अनुभव करें कि उनसे भेदभाव किया जा रहा है। बम्बई कई कारणों से कलकत्ता से आगे बढ़ रहा है। ट्रंक काल की दरें एक समान हैं और यह दूरी पर निर्भर करती हैं।

श्री मुहम्मद खुदाबख्श : कहा गया है कि कलकत्ता के विभिन्न टेलीफोन केन्द्रों में लाईनों की संख्या बढ़ाई जाएगी। 43 तथा 44 टेलीफोन केन्द्र की लाइनें बढ़ाने में लगभग कितना समय लगेगा ?

श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी : मैं विवरण में जानकारी दे चुका हूं।

श्री ज्योतिर्मयबसु : मंत्री महोदय गलत जानकारी दे रहे हैं। ट्रंक काल की दरें दूरी पर निर्भर नहीं होती। दिल्ली से 7000 मील दूर लंदन ट्रंक काल करने के लिए दर 54 रुपये है जबकि कलकत्ता की ट्रंक काल की दर 16 रुपए है।

श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी: देश के अन्दर ट्रंक कालों की दर दूरी पर आधारित है।

Shri Sarjoo Pandey : Sir, you did not allow me to ask a question on the plea that other members of my party have already asked questions. But now you are calling 4 members from other parties. Why did you debar me from asking questions ?

अध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष स्वविवेक से किसी को भी प्रश्न पूछने की अनुमति दे सकता है।

Shri Sarjoo Pandey : I won't let any member to ask any question. Why you have debarred me and gave a chance to others ? I would not allow this.

अध्यक्ष महोदय : यदि ऐसा ही होना है, तो मैं दलों के नेताओं से अनुरोध करूंगा कि वे अपने सदस्यों को सलाह दें।

Shri Sarjoo Pandey : Why should they advise. You are not acting upon leaders' advice. We will not care for your advice. You allowed four members from one party. Am I not a member of this House ? Why was I debarred ? Why you did not allow me ?

अध्यक्ष महोदय : मैं उत्तर अथवा स्पष्टीकरण देने के लिए बाध्य नहीं हूं।

श्री सरजू पांड : आप नियमों से ऊपर नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप अपनी सीट पर बैठें। मैं यह स्पष्टीकरण देने के लिए बाध्य नहीं हूं कि मैंने अमुक सदस्य को अनुमति क्यों दी और अमुक सदस्य को अनुमति क्यों नहीं दी।

Shri Sarjoo Pandey : I raised a definite point of order. You may please give your rulling. You have allowed four members from one party. Why did you not allow me ?

Mr. Speaker : How can I do that ?

Shri Sarjoo Pandey : How do you want the House to function ?

अध्यक्ष महोदय : मैं यह बताने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं यह बताने के लिए बाध्य नहीं हूं कि मैंने किसी सदस्य को बोलने अथवा न बोलने के लिए क्यों कहा। यदि सदन निर्णय दे तो मैं बता सकता हूं।

Shri Sarjoo Pandey : You are not daroga of Police that you will open fire. Even if you do so we shall allow you to act in this manner.

अध्यक्ष महोदय : आप अध्यक्ष को विशिष्ट ढंग से काम करने के लिए विवश नहीं कर सकते। उसे अपने स्वविवेक से काम करना चाहिए। मैंने सतारूढ़ कांग्रस की अपेक्षा प्रतिपक्ष को अधिक अवसर दिया है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : सत्तारूढ़ कांग्रेस के सदस्यों की तो मंत्रियों तक पहुंच है परन्तु हमारा तो संसद ही एकमात्र माध्यम है।

अध्यक्ष महोदय : मैं पक्ष और प्रतिपक्ष द्वारा पूछे गए पूरक प्रश्नों की संख्या पेश करूंगा और निर्णय प्रतिपक्ष के नेताओं पर छोड़ दूंगा। मैं उनके निर्णय को मानूंगा।

श्री एस० एम० बनर्जी : श्री सरजू पांडे हमारे दल के उपनेता हैं। पांडे जी मास में दो या तीन बार प्रश्न पूछते हैं क्योंकि वह राज्य में अपने कार्य में व्यस्त रहते हैं। यह आपके स्वविवेक पर निर्भर है कि आप इन सदस्यों को अवसर दें जो आपकी आज्ञा से प्रश्न पूछना चाहते हैं। यदि प्रश्नकाल के दौरान आप यह कहते हैं कि चूंकि दल के नेता ने प्रश्न पूछ लिया है और उसी दल का सदस्य प्रश्न नहीं पूछ सकता तो यह कहना संगत नहीं होगा। श्री सरजू पांडे को आपत्ति यह नहीं है कि उन्हें क्यों नहीं बुलाया गया परन्तु उनको इस तर्क पर आपत्ति है कि उनका नाम इस लिए नहीं पुकारा गया क्योंकि श्री भोगेन्द्र झा को पहले पुकारा जा चुका था। आपसे असहयोग करने का कोई प्रश्न नहीं उठता। यदि आप श्री सरजू पांडे के मामले में यह प्रक्रिया अपनाना चाहते हैं तो मैं अनुरोध करूंगा कि अन्य दलों के सम्बन्ध में भी यही प्रक्रिया अपनाई जाए।

अध्यक्ष महोदय : कांग्रेस सदस्य 4 सेक्टरों में बटे हुए हैं। कभी पहले सेक्टर का सदस्य प्रश्न पूछता है तो कभी दूसरे सेक्टर का। मैं निर्णय आप पर छोड़ता हूं। मैं सभा की कार्यवाही आपके समक्ष रखता हूं। आप ही निर्णय करें। किसी बार एक सदस्य की बारी आती है, किसी बार नहीं। यदि एक सदस्य को एक बार अवसर नहीं मिलता तो दूसरी बार मिल जाता है। इसमें गलत क्या है ?

Shri Ramavtar Shastri : Please do not say that since members of a certain party have spoken other members will not be given a chance.

अध्यक्ष महोदय : दोनों एक साथ खड़े थे। मेरे कहने पर श्री सरजू पांडे बैठ गए और श्री भोगेन्द्र झा ने अपना प्रश्न पूछना शुरू किया। उनको कहना चाहिए था कि उनकी बारी है। पांडे जी दल के नेता हैं और श्री भोगेन्द्र झा को चाहिए था कि उन्हें प्रश्न पूछने का अवसर देते। इसमें अध्यक्ष का क्या दोष है ? नेता बैठ जाते हैं और अन्य सदस्य उठ कर प्रश्न पूछने लगते हैं।

श्री एस० एम० बनर्जी: यदि सतारूढ़ कांग्रेस दल के सम्बन्ध में भी यही प्रक्रिया अपनाई जाए तो केवल श्रीमती इन्दिरा गांधी ही प्रश्न पूछ सकती हैं और कोई नहीं। वह नेता हैं (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : इस प्रकार तो पीठासीन अधिकारी काम नहीं कर सकता।

Parliament cannot function in this manner, that if a member sometimes does not get a chance, he may continue to disturb the Speaker in the functioning of the House.

Shri S. M Banerjee : Whom else can we approach ? Shri Samar Guha and Shri Vajpayee often create noisey scenes in the House. But have you ever seen Shri Sarjoo Pandey making noise ?

Mr. Speaker : You all are thorough gentlemen.

Shri Atal Bihari Vajpayee : Sh. Pandey never gets excited. Today when he is excited, there must be some reason for that. It is not necessary that it relates to the House. There might be other reasons.

Shri Sarjoo Pandey : As other Members have also stated. I ask questions rarely. But you said that since Shri Bhogendra Jha has expressed his views, I cannot be given a chance (*Interruptions*)

Mr. Speaker : I often see you standing during Question Hour.

Shri S. M. Banerjee : You should not object to it.

(Interruptions)

Mr. Speaker : Half-an hour has been spent on it.

Shri Atal Bihari Vajpayee : You have been called 'Daroga'. This should be expunged.

Mr. Speaker : I will have to consider the matter seriously whether to continue as speaker or not. I can certainly say that it is very difficult for the chair to function if things continue like this.

Shri Ramavtar Shastri : This was not our intention.

Shri Sarjoo Pandey : You should have stated that you will not allow me. But to say that since Shri Bhogendra Jha has spoken, I will not be given chance, is not proper.

If you do not like, I will not come to the House. But if I come, I have a right to ask questions. No Speaker for the last 15 years has treated me in this manner.

Mr. Speaker : I am sorry for your observation. I simply want to say that it is not binding upon me as to whom I should call and whom to deny. Whosoever catches my eyes gets a chance.

श्री एस० एम० बनर्जी : हालांकि दिल्ली से कलकत्ता सीधे डायल घुमाकर टेलीफोन करने की व्यवस्था नहीं है फिर भी 'मांगने पर' काल शीघ्र उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। परन्तु इसके लिए हमें 'अर्जेन्ट काल' जितने पैसे देने पड़ते हैं। मेरा निवेदन है कि जब तक दिल्ली कलकत्ता के बीच डायल घुमाकर सीधे टलीफोन करने की व्यवस्था नहीं हो जाती, तब तक मांगने पर की गई काल पर उतने ही पैसे लिए जाने चाहिएं, जितने कि डायल घुमाकर की गई सीधी टेलीफोन काल पर दिये जाते हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

राज्यों को सीमेंट का आवंटन

***41. श्री शक्ति कुमार सरकार :** क्या औद्योगिक विकास मंत्री सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में सीमेंट के उत्पादन के बारे में 8 मई, 1974 के तारांकित प्रश्न संख्या 989 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1974 में विभिन्न राज्यों को अब तक कितना सीमेंट आवंटित किया गया है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा कृषि मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : जनवरी से सितम्बर 1974 की अवधि के लिये विभिन्न राज्यों को किये गये सीमेंट के आवंटन को दिखाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(केवल राज्य कोटे में)

(जनवरी 1974 से सितम्बर 1974 तक)

क्र०सं०	राज्य का नाम	सीमेंट का आवंटन (मी० टनों में)
1.	उत्तर प्रदेश	17,97,000
2.	पंजाब	3,33,500
3.	राजस्थान	2,98,500

क्र० सं०	राज्य का नाम	सीमेंट का आवंटन (मी० टनों में)
4.	हरियाणा	2,57,000
5.	देहली	4,36.500
6.	हिमाचल प्रदेश	53,000
7.	चंडीगढ़	40,000
8.	पश्चिमी बंगाल	6,20,000
9.	बिहार	5,15,500
10.	उड़ीसा	1,92.000
11.	आसाम	1,21,000
12.	मणिपुर	15,000
13.	त्रिपुरा	16,625
14.	अरुणाचल प्रदेश	700
15.	मेघालय	24,000
16.	मिज़ोरम	4,300
17.	नागालैण्ड	13,300
18.	महाराष्ट्र	11,25,000
19.	गुजरात	8,38,000
20	मध्य प्रदेश	3,25,500
21.	गोआ, दमन और दीव	43,250
22.	दादरा नागर हवेली	700
23.	तमिलनाडु	8,42,000
24.	कर्नाटक	5,02,750
25.	केरल	3,72,500
26.	आन्ध्र प्रदेश	6,14,500
27.	पांडिचेरी	18,250
28.	अंडमान और निकोबार द्वीप	8,050
29.	जम्मु और काश्मीर	44 000

विद्युत बोर्डों के चेयरमैनों की बैठक

***42. श्री अनादि चरण दास :**
श्री डी० डी० देसाई :

क्या **सिचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 14 जून, 1974 को नयी दिल्ली में हुई विभिन्न राज्यों क विद्युत वोर्डों के चेयरमैनों की बैठक में उन्होंने भाग लिया था;

(ख) क्या उसमें देश में विद्युत-उत्पादन क्षमता के बारे में विचार-विमर्श किया गया था; और

(ग) यदि हां, तो उससे क्या मुख्य निर्णय लिये गये ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त): (क) उत्तर क्षेत्रीय बिजली बोर्ड की 14 जून, 1974 को नई दिल्ली में बैठक हुई थी। केन्द्रीय सिंचाई और विद्युत मंत्री ने इस बैठक में अभिभाषण दिया और वे कुछ समय के लिये इसमें उपस्थित रहे।

(ख) इस बैठक में जिन विषयों पर विचार-विमर्श किया गया उनमें से एक उत्तरी क्षेत्र के विभिन्न राज्यों में विद्युत प्रदाय की स्थिति और विद्युत उत्पादन क्षमता के बारे में था ।

(ग) इस बैठक में उत्तर क्षेत्रीय बिजली बोर्ड द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिये गये :—

(1) उत्तरी क्षेत्र में विभिन्न विद्युत प्रणालियों के संतोषजनक समानान्तर प्रचालन के लिये कम से कम 49.7 हर्ज के आवृत्ति स्तर को बनाये रखा जाना चाहिये ।

(2) उत्तर क्षेत्रीय बिजली बोर्ड को प्रणाली की स्थिरता का अध्ययन करना चाहिये, जिससे कि राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना यूनिट के बार-बार ट्रिपिंग को रोका जा सके ।

(3) सिंचाई और विद्युत मंत्री द्वारा अपने अभिभाषण में दिये गये निम्नलिखित सुझावों को कार्यान्वित करने के लिये सभी राज्य बिजली बोर्डों के अध्यक्ष सब सम्भव प्रयत्न करेंगे ।

(क) पांचवीं योजनान्तर्गत परियोजनाओं के कार्यान्वियन में कोई कमी रहने नहीं दी जायेगी ।

(ख) वर्तमान तापीय केन्द्रों से अधिकतम उत्पादन किया जाना चाहिये ।

(ग) उत्तरी क्षेत्र में सभी विद्युत प्रणालियों को एक समन्वित ढंग से कार्य करना चाहिये ।

(घ) बिजली के अपव्यय पर रोक लगायी जानी चाहिये ।

(ङ) बिजली उद्योग का उपयुक्त ढंग से पुनर्निर्माण किया जाना चाहिये और राज्य बिजली बोर्डों की कार्य प्रणाली को व्यावसायिक रूप दिया जाना चाहिये ।

नर्मदा विवाद पर प्रधान मंत्री का पंच निर्णय

***47. श्री ओंकार लाल बेरवा :**

श्री अमर सिंह चौधरी :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र को राज्य सरकारों ने प्रधान मंत्री से अनुरोध किया है कि वह नर्मदा विवाद पर अपना पंच निर्णय दें ; और

(ख) प्रधान मंत्री द्वारा इस प्रश्न पर अपना पंच निर्णय कब तक घोषित किया जायेगा ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त): (क) और (ख) गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान के मुख्य मंत्री जुलाई, 1972 में मिले थे तथा वे इस बात पर सहमत हुए कि नर्मदा के जल को 28 मिलियन एकड़ फुट माना जाये और राजस्थान एवं महाराष्ट्र क्रमशः 0.5 तथा 0.25 मिलियन एकड़ फुट नर्मदा का जल अपने-अपने क्षेत्र में समुपयोजन के लिये लेंगे तथा शेष जल को मध्य प्रदेश तथा गुजरात के बीच बांटने तथा गुजरात में नवगांव की ऊंचाई के संबंध में अपना निर्णय देने के लिये उन्होंने प्रधान मंत्री से अनुरोध किया । इस पर भी सहमति हुई कि मुख्य मंत्री विद्युत उत्पादन तथा वितरण की व्यवस्था को अंतिम रूप देंगे ।

प्रधान मंत्री ने इस समस्या का विस्तृत अध्ययन किया तथा अनेक विचार-विमर्श किए ताकि कोई सर्वमान्य हल निकाला जा सके । यह मामला जटिल था । बहरहाल, वार्तालाप द्वारा जनवरी, 1974 तक विचार-विमर्शों के परिणामस्वरूप, राज्य सरकारों के बीच मतभेद कुछ कम हो गए । तथापि, प्रधान मंत्री को सौंपे गए दो मामलों का हल नहीं निकाला जा सका । गुजरात में राजनैतिक परिवर्तनों की स्थिति ने इन मामलों को और भी जटिल बना दिया । तदनुसार, यह उचित समझा गया कि यह अच्छा होगा कि इस विवाद का न्यायाधिकरण द्वारा निर्णय किया जाए ।

कई बार हुए विचार-विमर्श के उपरान्त चारों राज्यों के प्रतिनिधियों में 12 जुलाई, 1974 को समझौता हो गया । इस समझौते के अनुसार, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान की सरकारें सर्वोच्च न्यायालय से अपनी-अपनी अपीलें वापिस ले लेंगी । संम्बंधित राज्य ऐसे मामलों के संबंध में, जिन पर समझौता हो चुका है न्यायाधिकरण को समुचित उपस्थापन प्रस्तुत करेंगे ।

समझौते की मुख्य मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :—

(1) नर्मदा में उपलब्ध जल की मात्रा, वर्षों के 75 प्रतिशत भाग के लिए, 28 मिलियन एकड़ फुट निर्धारित की गई है ।

(2) महाराष्ट्र तथा राजस्थान की आवश्यकता क्रमशः 0.25 तथा 0.5 मिलियन एकड़ फुट है और राजस्थान के लिए आवंटन पर नवगांव बांध से नहर के स्तर का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

(3) न्यायाधिकरण के समक्ष उठाए गए अनेक मामले रद्द कर दिए जाएंगे तथा कुछ में उचित संशोधन किया जाएगा ।

(4) मध्य प्रदेश तथा गुजरात के बीच जल के आवंटन तथा नवगांव बांध की ऊंचाई और राज्यों के बीच विद्युत के विभाजन के प्रश्न पर निर्णय न्यायाधिकरण द्वारा लिया जाएगा ।

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद

*49. **श्री शंकरराव सावंत :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा विवाद को हल करने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या लोक सभा के आगामी चुनाव के लिये निर्वाचन क्षेत्रों के सीमांकन से पहले उक्त विवाद हल हो जायेगा; और

(ग) क्या परिसीमन आयोग को कोई ऐसे अनुदेश जारी किये गये हैं कि इन दो राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन होने की संभावना है ?

गृह मंत्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) : (क) से (ग) ऐसा हल जो अधिकतम लोगों को स्वीकार्य हो ढूंढने के प्रयत्न किये जा रहे हैं । जबकि इस विषय पर सीमांकन आयोग को कुछ नहीं कहा गया है और विवाद की जटिलता को देखते हुए इसका कोई हल तलाश कर सकने के लिए कोई समय निश्चित करना सरल नहीं है, सरकार कोई हल शीघ्र तलाश करने के लिए बहुत उत्सुक है ।

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के लिए स्वीकृत धनराशि

*50. **श्री आर०के० सिन्हा** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने विभिन्न राज्यों के गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार, विभिन्न परियोजनाओं के लिये कुल कितनी राशि स्वीकृत की है;

(ख) उन परियोजनाओं के उद्देश्य क्या हैं जिसके लिये धनराशि की स्वीकृति दी गई है और इन उद्देश्यों को कहां तक प्राप्त किया गया है;

(ग) विभिन्न राज्यों में हरिजन बस्तियों को बिजली पहुंचाने हेतु इन परियोजनाओं में किन योजनाओं को शामिल किया गया है; और

(घ) इस संबंध में भावी कार्यक्रम क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (घ) विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल०टी०-8041/74]**

Ban on Activities of C. I. A.

*51. **Shri Chiranjib Jha :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government propose to impose a ban on the activities of C. I. A; and

(b) if not, the easonsr therefor ?

The Minister of Home Affairs (Shri Uma Shankar Dikshit) : (a) & (b) As foreign intelligence agencies including the C.I.A. do not function in the open merely imposing a ban on them would not serve any useful purpose. However, Government maintain a close and continuous vigil regard in to their activities with a view to safeguarding the security interests of the nation.

सेवा निवृत्त सरकारी अधिकारियों द्वारा किसी न्यायालय अथवा जांच आयोग के समक्ष साक्ष्य दिया जाना

***52. श्री रानेन सेन :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार के सेवानिवृत्त अधिकारियों पर किसी न्यायालय अथवा जांच आयोग के समक्ष साक्ष्य देने पर रोक है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त रोक किन नियमों के अधीन है ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं श्रीमान ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

बिहार में विधान सभा सदस्यों से जबरदस्ती दिलाए गए त्यागपत्रों के पीछे अमरीकी गुप्तचर विभाग (सी० आई० ए०) का हाथ

***53. श्री एम० एस० पुरती :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में विधान सभा सदस्यों से कुछ व्यक्तियों ने जबरदस्ती जो त्यागपत्र दिलाए हैं, क्या उनके पीछे अमरीकी गुप्तचर विभाग (सी०आई०ए०) का हाथ है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) : (क) तथा (ख) बिहार में विधान सभा सदस्यों से जबरदस्ती त्यागपत्र दिलाने में अमरीकी गुप्तचर विभाग (सी०आई०ए०) के अन्तर्ग्रस्त होने के बारे में सरकार को कोई सूचना नहीं है ।

अत्यावश्यक वस्तुओं तथा आम खपत वाली वस्तुओं सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन

***54. श्री राम सहाय पाण्डे :**
श्री यमुना प्रसाद मंडल :

क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अत्यावश्यक वस्तुओं तथा आम खपत वाली वस्तुओं संबंधी समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) उन पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, हां । अत्यावश्यक वस्तुओं तथा आम खपत वाली वस्तुओं संबंधी समिति ने अपनी अन्तिम रिपोर्ट दिसम्बर 1973 में योजना आयोग को प्रस्तुत कर दी थी ।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल०टी०-8022/74]**

(ग) समिति की सिफारिशें ऐसी हैं जिनके दूरगामी परिणाम होंगे और वे सरकार के सक्रिय विचाराधीन हैं ।

रेलवे कर्मचारियों और उनके नेताओं की गिरफ्तारियां

*55. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 8 मई, 1974 से आरम्भ हुई आम रेलवे हड़ताल को कुचलने के लिये भारत रक्षा नियमों और आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखने वाले अधिनियम के अन्तर्गत रेल कर्मचारियों और उनके नेताओं की देशव्यापी गिरफ्तारियों की योजना अप्रेल, 1974 के प्रथम सप्ताह में ही बना ली गई थी;

(ख) क्या सरकार ने दिनांक 2 अप्रैल, 1974 और 7 अप्रैल, 1974 के उन दो परिपत्रों के द्वारा रेल कर्मचारियों के विरुद्ध पूर्वक्रमिक कार्यवाही करने का निर्णय किया था जिन्हें उनके मंत्रालय द्वारा जारी किया गया था और जिनमें राज्य सरकारों को आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना अधिनियम और भारत रक्षा नियमों के अन्तर्गत रेल कर्मचारियों और उनके नेताओं को नजरबंद करने का निदेश दिया गया था;

(ग) क्या रेल मंत्रालय और रेलवे के कार्मिक संघों के नेताओं के बीच बातचीत वास्तव में 11 अप्रैल, 1974 को आरम्भ हुई थी; और

(घ) यदि हां, तो उपरोक्त भाग (ख) में निर्दिष्ट दोनों परिपत्र जारी करने के क्या कारण थे ?

गृह मंत्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) : (क) से (घ) फरवरी, 1974 के आरम्भ में अनेकों मजदूर संघों ने 10 अप्रैल से किसी भी समय देशव्यापी रेल हड़ताल के लिये आह्वान किया तथा हड़ताल के संचालन के लिये एक समन्वय समिति के गठन की भी घोषणा की। हड़ताल के लिये अपनी तैयारियों के दौरान उन कर्मचारियों, जो प्रस्तावित हड़ताल के लिए सहमत नहीं थे को डराने तथा मारपीट करने की अनेकों रिपोर्टें प्राप्त हुईं। मार्च में, पहली अप्रैल से वर्क टू रूल आरम्भ करने के लिए योजनायें घोषित की गई तथा 10 अप्रैल के बाद किसी भी समय हड़ताल करने की योजना दोहराई गई। पहली अप्रैल से पहले ही ऊटपटांग नियम पालन से कार्य में बाधा डालने धीरे-धीरे काम करने तथा काम रोकने तथा आंदोलन के अन्य ऐसे तरीके ध्यान में आए। हड़ताल के लिए योजनायें आगे बढ़ाई जा रही थीं और प्रमुख नेताओं द्वारा दिये गए सार्वजनिक वक्तव्यों से ऐसा प्रतीत हुआ कि हड़ताल अनिवार्य है। देश के विभिन्न भागों से तोड़-फोड़ तथा वफादार कर्मचारियों को धमकियों और रेल संपत्ति को क्षति की रिपोर्टें भी प्राप्त हो रही थी। यद्यपि हड़ताल की तारीख के बारे में निर्णय लेने के लिए समन्वय समिति की बैठक 15 अप्रैल को होनी थी, किन्तु ऐसा प्रतीत हुआ कि हड़ताल न किए जाने के लिए किये जा रहे प्रयत्नों के बावजूद हड़ताल 10 तारीख के बाद किसी भी दिन शुरू हो जाएगी। कानून व व्यवस्था और आर्थिक क्षेत्रों पर व्यापक प्रतिक्रियाओं, जो अनिवार्य रूप से किसी ऐसी हड़ताल के कारण होगी, को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों के साथ निकट संपर्क स्थापित करना पड़ा और सभी संभावनाओं के लिए योजना बनानी पड़ी। राज्य सरकारों को घटनाओं से सूचित रखना और कानून व व्यवस्था तथा अनिवार्य यातायात बनाये रखने के लिए उपायों का समन्वय करना भी आवश्यक था। यह इस संदर्भ में था कि हड़ताल होने पर राज्य सरकारों को पहले से योजना बनाने और गम्भीर स्थिति का कारगर रूप से मुकाबला करने के लिये तैयारी की स्थिति में रहने की सलाह दी गई थी। इस प्रयोजन के लिये राज्य सरकारों के साथ पत्राचार किया गया था।

क्विलोन में टेलीफोन एक्सचेंज में सुविधाएं

*56. **श्री सी० जनार्दनन :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल डाक-तार सर्किल में पांचवीं योजना में कौन-कौन से विकास कार्यक्रम क्रियान्वित किये जायेंगे;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि क्विलोन में वर्तमान टेलीफोन एक्सचेंज भवन में सुचारू ढंग से कार्य करने के लिये पर्याप्त सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं; और

(ग) क्या उक्त समस्या को हल करने के लिए नये विकास कार्यक्रम में कोई योजना शामिल की गई है ?

संचार मंत्री (श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी) : (क) 5वीं पंचवर्षीय योजना को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है। तथापि 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो मसौदा तैयार किया गया है उसके अनुसार केरल सर्किल में 5वीं योजना के दौरान जिन विकास-कार्यक्रमों को हाथ में लिया जाएगा उनका ब्यौरा संलग्न विवरण-पत्र में दिया गया है।

(ख) मौजूदा टेलीफोन एक्सचेंज में न्यूनतम सुविधायें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं।

(ग) निकट भविष्य में नगरपालिका से एक नई इमारत किराये पर लेने का प्रस्ताव है, जिसमें कुछ सेवाओं, जैसे ट्रंक, कैरियर आदि को ले जाया जाएगा। 5वीं योजना के दौरान एक दूसरे नए टेलीफोन एक्सचेंज के निर्माण की योजना है।

विवरण

I. डाक-सुविधाएं :

जहां तक डाक-सुविधाओं का संबंध है, 5वीं पंचवर्षीय योजना के राज्यवार लक्ष्य अभी तक निर्धारित नहीं किए गये हैं। तो भी केरल राज्य के सभी गांवों में डाकघर हैं। सभी गांवों में रोजाना एक बार डाक का वितरण होता है इस प्रकार केरल राज्य की मौजूदा डाक-सेवाएं काफी पर्याप्त हैं।

II. दूरसंचार सुविधाएं :

(क) 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केरल राज्य के टेलीफोन एक्सचेंजों में करीब 36000 लाइनें (शुद्ध बढ़ोतरी) जोड़ने का प्रस्ताव है। महत्वपूर्ण टेलीफोन एक्सचेंज, जिन्हें स्थापित करने/विस्तार करने की संभावना है, नीचे दिए गए हैं :—

1. एर्नाकुलम्	5000 लाइनों का 8000 लाइनों में विस्तार।
2. त्रिवेन्द्रम कासबार	3000 लाइनों का 5000 लाइनों में विस्तार।
3. कालीकट	6000 लाइनों का 7500 लाइनों में विस्तार।
4. कन्नानूर	1500 लाइनों का 2100 लाइनों में विस्तार।

स्थापित किए जाने वाले नए टेलीफोन एक्सचेंज :

1. पालघाट	1800 लाइनें
2. त्रिचूर	4000 लाइनें
3. अलवाई	1200 लाइनें
4. क्विलोन	1200 लाइनें (दूसरा टेलीफोन एक्सचेंज)

(ख) ये खुली तार-प्रणालियां स्थापित की जायेंगी :—

(क) 8—चैनल कैरियर प्रणाली	19
(ख) 3—चैनल कैरियर प्रणाली	19

(ग) **को-एक्सियल प्रणालियां** :—केरल सर्किल के अधिकांश महत्वपूर्ण स्टेशनों को चौथी योजना के अन्त तक ही या तो को-एक्सियल केबुल या जमीदोज कैरियर केबुल के जरिये पहले ही जोड़ दिया गया है। 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नागरकोइल, मदुरै, तिरुची, पांडीचरी होकर त्रिवेन्द्रम को मद्रास से जोड़ने वाली एक को-एक्सियल लिंक पर काम हो रहा है।

(घ) **लम्बी दूरी वाले सार्वजनिक टेलीफोन घर और संयुक्त डाक-तारघर**:—5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 100 लम्बी दूरी वाले सार्वजनिक टेलीफोनघरों और 300 संयुक्त डाक-तारघरों को खोलने का प्रस्ताव है।

(ङ) **माइक्रोवेव/यू० एच० एफ० योजनाएं** :—निम्नलिखित माइक्रोवेव/यू०एच०एफ० प्रणालियों के 5वीं योजना अवधि में चालू होने की संभावना है —

(i) कोजीकोड—ऊटी।
(ii) एर्नाकुलम्—कोम्बत्तूर—सेलम।
(iii) कोजीकोड—मंजेरी।
(iv) त्रिचूर—कुन्नम्कुलम।
(v) कोजीकोड—कालपैटा।
(vi) कोट्टायम्—पालई।

(च) ट्रंक--

(1) 5वीं योजना के दौरान क्विलोन, कोजीकोड और पालघाट के ट्रंक एक्सचेंजों का विस्तार किए जाने की संभावना है। बढ़े हुए यातायात को संभालने के लिये केरल सर्किल के विभिन्न स्थानों पर 100 ट्रंक बोर्ड जोड़ने का प्रस्ताव है।

(2) एर्नाकुलम्--नारक्कल, एर्नाकुलम्--अलवाई, एर्नाकुलम्--कोजीकोड, कोजीकोड--कन्नानूर, पालघाट--कोयम्बतूर के बीच उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग चालू करने का प्रस्ताव है। एर्नाकुलम् और त्रिवेन्द्रम के मौजूदा प्वाइंट-टू-प्वाइंट उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग मार्गों पर सर्किटों की संख्या बढ़ाये जाने की संभावना है।

(छ) इमारतें :--

(1) एर्नाकुलम् में एक दूर संचार भवन का निर्माण-कार्य चल रहा है जिसमें पांचवीं योजना के दौरान लगाया जाने वाला ट्रंक आटोमेटिक एक्सचेंज स्थापित किया जाएगा।

(2) अलवाई, क्विलोन और कोट्टायम में इमारतों के निर्माण के प्लानों की भी जांच की जा रही है।

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा पंजाब में लघु उद्योगों को बिजली की सप्लाई और ग्रामों का विद्युतीकरण

*57. **श्री महेन्द्र सिंह गिल** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने विभिन्न राज्यों की 13 परियोजनाओं के लिये लगभग 5 करोड़ रुपये के ऋण मन्जूर किए हैं।

(ख) यदि हां, तो पंजाब राज्य को नलकूपों को बिजली देने, गांवों में बिजली लगाने तथा लघु उद्योगों को बिजली देने के लिये कितना-कितना धन मिलेगा ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) जून, 1974 में ग्राम विद्युतीकरण निगम ने विभिन्न राज्य बिजली बोर्डों की 13 स्कीमें स्वीकृत की थीं जिनमें 4.47 करोड़ रुपये की ऋण सहायता निहित थी। इनमें पंजाब राज्य बिजली बोर्ड की एक स्कीम शामिल है जिसमें 36.318 लाख रुपये की ऋण सहायता से 192 गांवों का विद्युतीकरण, 1346 पम्पों का ऊर्जन तथा 260 लघु उद्योगों को विद्युत सप्लाई करना परिकल्पित था।

दंगों के नियंत्रण के लिए गैर-घातक हथियारों का विकास

*58. **श्री गजाधर माझी :**
श्री जी० वाई० कृष्णन् :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दंगों के नियंत्रण के लिये गैर-घातक हथियारों के विकास की संभावना का पता लगाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है जिससे जनहानि को रोका अथवा न्यूनतम किया जा सके और इसके साथ-साथ अनियंत्रित भीड़ को प्रभावशाली ढंग से तितर-बितर किया जा सके;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में विदेशों से सहायता का भी अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) तथा (ग) जी नहीं श्रीमान्। प्रश्न नहीं उठता।

पांचवी योजना का पुनरीक्षण

*59. श्री पी० गंगादेव :

श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :

क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार तेल की नवीनतम स्थिति तथा मूल्य ढांचे को देखते हुए शीघ्र ही पांचवीं पंचवर्षीय योजना का पुनरीक्षण-कार्य पूरा करने का है; और

(ख) यदि हां, तो यह कब तक पूरा हो जायेगा ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) :(क) तथा (ख) तेल तथा मूल्यों की अद्यतन गतिविधियों सहित सभी संबद्ध बातों को ध्यान में रखते हुए पांचवीं योजना के प्रारूप को यथाशीघ्र अन्तिम रूप दिया जाएगा।

रेलवे की विगत आम हड़ताल के बारे में समाचार-पत्रों को दिये गये विज्ञापनों का मूल्य

*60. **श्री अजीत कुमार साहा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 27 अप्रैल, से 27 मई, 1974 की अवधि के दौरान रेलवे को विगत आम हड़ताल के बारे में समाचार-पत्रों को दिये गये विज्ञापनों का कुल मूल्य कितना है ;

(ख) यह विज्ञापन किन-किन समचार-पत्रों को दिये गये; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान किस प्रकार के विज्ञापन दिये गये ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा गत रेलवे हड़ताल के संबंध में लगभग 6,95,372 रुपये की धनराशि खर्च की गई।

(ख) समाचार पत्रों की एक सूची सभा पटल पर रखी गई है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 8023/74]

(ग) विज्ञापनों का लक्ष्य रेल हड़ताल के कारण आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई तथा उत्पादन में रुकावट आदि के होने से देश को जो महान आर्थिक क्षति हो सकती थी उसको बताना था और उनमें हड़तालियों से ऐसा कदम न उठाने की अपील की गई थी।

केरल के विकास खण्डों में विशेष क्षेत्री परियोजनायें

334. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल के उन विकास खण्डों के क्या नाम हैं जहां आदिवासी क्षेत्रों में क्षेत्री परियोजनायें बन रही हैं; और

(ख) एक दूसरे के क्षेत्र में पड़ने वाले दो विकास खण्डों के रख-रखाव पर होने वाले व्यय की प्रतिशतता कितनी है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन): (क) केरल में केवल एक आदिवासी विकास खण्ड अट्टापदी में है। कोई विशेष क्षेत्र परियोजना नहीं है। 50 प्रतिशत से अधिक आदिवासी जनसंख्या वाले समस्त क्षेत्र को शामिल करने के लिये पांचवीं योजना में एकीकृत क्षेत्र विकास परियोजना तैयार की जायेगी।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Inquiries conducted by CBI at the Centre and in States

335. **Shri Lalji Bhai** : Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) the number of persons at the Centre and State-wise against whom inquiries were conducted by C.B.I. during 1972-73 and 1973-74; and

(b) the number of persons found guilty and the action taken against them ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Department of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha): (a) & (b) Information is being collected and will be laid on the table of the House.

दक्षिण भारत में वृद्ध और रुग्ण स्वतंत्रता सेनानियों के लिए गृह

336. श्री अमर सिंह चौधरी :
श्री कृष्ण चन्द्र पांडे :
श्री शंकर देव :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 2 मई, 1973 को कर्नाटक सरकार को भेजे गये पत्र में मंत्रालय ने दक्षिण के वृद्ध और रुग्ण स्वतंत्रता सेनानियों के लिये उस राज्य में गृह स्थापित करने का सुझाव दिया था;

(ख) यदि हां, तो क्या कर्नाटक सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ने बाद में वह गृह तुरंत खोलने संबंधी अपनी सरकार की तत्परता प्रकट की थी;

(ग) यदि हां, तो क्या कर्नाटक सरकार ने इस प्रयोजन के लिये बंगलौर के निकट और कर्नाटक में किसी अन्य स्थान पर कुछ उपयुक्त भवन भी ले लिये हैं; और

(घ) इस प्रस्ताव को क्रियान्वित न करने के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (घ) केन्द्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय ने, जो पहले उन वृद्ध तथा अशक्त स्वतंत्रता सेनानियों के लिये जिनको देखभाल करने वाला कोई नहीं है, गृह स्थापित करने की योजना का कार्य कर रहा था, कर्नाटक सरकार के साथ परामर्श किया था। राज्य सरकार ने गृह के लिये कोई उपयुक्त स्थान ढूंढने के अपने प्रयत्नों के बारे में बताया था। सावधानीपूर्वक विचार के बाद यह तय किया गया है कि दक्षिण में गृह पांडीचेरी संघ राज्य क्षेत्र में स्थापित किया जाए।

दिल्ली में वृद्ध, अशक्त तथा बीमार स्वतंत्रता सेनानियों के लिए 'गृह'

337. श्री अमर सिंह चौधरी:
श्री टी० बालकृष्णैया :
श्री कृष्ण चन्द्र पांडे :
श्री विद्याधर बाजपेयी :
श्री बाबू नाथ सिंह :
स्वामी ब्रह्मानन्द :
श्री नागेश्वर द्विवेदी :
श्री शंकर देव :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वाधीनता के बाद देश में केन्द्रीय सरकार द्वारा वृद्ध, अशक्त, बीमार तथा विकलांग स्वतंत्रता सेनानियों के लिये दिल्ली में स्थापित किये जाने वाले प्रथम अस्थायी 'गृह' कब से चालू हो जाएगा ;

(ख) इस कार्य हेतु सरकार द्वारा कब और कहां भवन लिये गये हैं और इनमें कुल कितने वृद्ध स्वतंत्रता सेनानियों को स्थान मिलेगा;

(ग) क्या इस 'गृह' में प्रवेश के लिए आवेदन-पत्र खुले आम समाचार-पत्रों के जरिए मांगे जाएंगे जैसा कि पेंशन के लिए स्वतंत्रता सेनानियों से आवेदन-पत्र मांगे गए थे; और

(घ) इस पर होने वाले व्यय सहित 'गृह' संबंधी योजना की अन्य बातें क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ०एच० मोहसिन) : (क) लगभग 25 वृद्ध तथा अशक्त स्वतंत्रता सेनानियों के लिए जिनको देखभाल करने वाला कोई नहीं है दिल्ली में एक अस्थाई गृह स्थापित करने का निर्णय किया जा चुका है।

(ख) से (घ) उपयुक्त आवास प्राप्त करने तथा अन्य प्रशासनिक प्रबन्ध पूरा होने के बाद अस्थाई गृह में प्रवेश की पद्धति को अन्तिम रूप दिया जायेगा।

Report on Communal Riots in Sadar Bazar, Delhi

338. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Sardar Mohinder Singh Gill :
Shri Ranen Sen :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the Committee constituted to go into the causes of communal riots which took place in Sadar Bazar area of Delhi has submitted its report;

(b) if so, the reaction of Government to the findings in the report ;

(c) whether the Report of the Committee which was appointed by Government to go into the causes of communal riots which took place in that area one year ago had not been published; and

(d) if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Department of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha) : (a) and (b) A one man Commission of Inquiry was set up on the 25th June, 1974 to inquire into the causes etc. of the disturbances which took place in the area falling within the jurisdiction of the Sadar Bazar Police Station, Delhi and the areas adjoining it, on the 5th May, 1974. The Commission is expected to complete its inquiry and submit its final report to the Central Government within four months.

(c) and (d) Copies of the report of the Committee appointed by the Lieut. Governor, Delhi to go into the causes of communal riots which took place in the Sadar Bazar area in June, 1973 have been furnished to the Parliament Library and have also been made available to the Members of Parliament on request.

Alleged Bungling by Officers in Delhi Administration

339. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to a news-item published in a Hindi daily dated 21st May, 1974 under the heading 'Delhi Prashasan Ke 4 adhikarion ko notice—saat lakh rupeya ka kathit ghotala' (notice to four-officers of Delhi Administration-alleged bungling of Rs. (7 lakhs); and

(b) the authenticity of this news-item and the action taken in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) and (b) Government have seen the report published in Hindi daily 'Veer Arjun' of 21st May, 1974. The matter referred to in the report is probably based on a Note submitted by the then Deputy Commissioner, Municipal Corporation of Delhi dealing with the Delhi Water Supply and Sewage Disposal Undertaking. According to the Municipal Corporation of Delhi, a detailed enquiry on this Note has been completed and it was found that the observations in the Note were mostly without relevance to records.

Supply of Power to Factories in Haryana

340. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether power has been supplied in adequate quantity to the factories in Haryana in May-June, 1974; and

(b) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Prof. Siddheshwar Prasad): (a) & (b) It has not been possible to supply an adequate quantity of power to the factories in Haryana during May-June, 1974. The total demand in the State is much larger than the supply and power cuts have been enforced for the past many months due to reduced inflows in the Gobind Sagar lake, in May-June, the power generation in Bhakra had also to be curtailed thereby further reducing supplies.

Nationalization of Sick Textile Mills

341. Shri Hukam Chand Kachwai :
Dr. Laxminarayan Pandeya :
Shri Devinder Singh Garcha :

Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) whether Government had under their consideration a scheme to nationalise those sick textile mills the management of which is in the hands of Government;

(b) if so, whether a final decision has been taken; and

(c) the main features thereof including the number of such mills and the further action being taken in this regard ?

The Minister of Industrial Development and Science and Technology and Agriculture (Shri C. Subramaniam) : (a) to (c) Government have decided to nationalise the textile undertakings whose management has been taken over by the Government. It is proposed to enact suitable legislation for the purpose shortly.

निर्मित वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि

342. श्री मधु लिमये : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने प्रथम अप्रैल, 1974 से अनेक निर्मित वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि करने का अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो उन निर्मित वस्तुओं के नाम क्या हैं और उनके मूल्यों में कितनी कितनी वृद्धि करने की अनुमति दी गई है ;

(ग) इन वृद्धियों के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या इन वृद्धियों के पश्चात काले बाजार में इनके मूल्यों में कमी हुई है या वे उतने ही रहे हैं बल्कि अब और अधिक बढ़ गये हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रोद्योगिकी तथा कृषि मंत्री (श्री सी० सुब्रहमण्यम) : (क) सरकार द्वारा मूल्य वृद्धि की अनुमति का प्रश्न केवल उन्हीं वस्तुओं के संबंध में पैदा होता है जिनके मूल्य नियन्त्रित हैं। ऐसी कुछ वस्तुओं के मूल्य में वृद्ध की अनुमति 1 अप्रैल, 1974 से दी गई है..

(ख) जहां तक औद्योगिक विकास मंत्रालय के अधीन आने वाले उद्योगों का संबंध है इनके मूल्यों में वृद्धि की अनुमति निम्न प्रकार दी गई है :—

वस्तु का नाम	स्वीकृत मूल्य वृद्धि
(1) फरनेस आयल के उपयोग से बनाया गया सीमेंट	50 रुपये प्रति मी० टन
(2) बेबीफूड (शिशु आहार)	5 से 6 रु० प्रति किलो

गाड़ियों के टायर के संबंध में जो नियन्त्रण पहले कतिपय श्रेणियों के लिये लागू था वह उठा लिया गया ।

(ग) जिन कारणों से मूल्य वृद्धि की स्वीकृति दी जाती है उनमें आयातित और कच्चे देशी माल के मूल्यों में वृद्धि उत्पादन की लागत में वृद्धि तथा अन्य संबंधित कारण आदि सम्मिलित हैं ।

(घ) सरकारी तौर पर निर्धारित मूल्यों के अतिरिक्त किसी प्रकार के लाभ की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

कोका कोला निर्यात निगम द्वारा उत्पादन का विस्तार

343. **श्री मधु लिमये : क्या औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि कोका कोला भरने वाले किसी भी भारतीय बौटलिंग एकक के उत्पादन में विस्तार का अर्थ कोका कोला निर्यात निगम द्वारा अपने उत्पादन में विस्तार करना तथा फलस्वरूप विदेश भेजे जाने वाले लाभ में वृद्धि करना होगा ;

(ख) क्या कोका कोला भरने वाले नये बौटलिंग एककों की स्थापना का अर्थ भी कोका कोला निर्यात निगम के उत्पादन में विस्तार तथा फलस्वरूप विदेश भेजे जाने वाले उसके लाभ में वृद्धि करना नहीं होगा;

(ग) क्या इस समय कोका कोला भरने वाले बौटलिंग एककों को एक निश्चित अवधि के भीतर भारतीय ब्रांड नामों के भारतीय पेयों का उत्पादन करने के निदेश दिये जायेंगे; और

(घ) यदि नहीं, तो ऐसे निदेश न देने के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा कृषि मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) सरकार स तथ्य से अवगत है कि कोका कोला की बोतलें भरने में नये एकक स्थापित करना, विद्यमान एककों का विस्तार करना, अप्रत्यक्ष रूप से कोका कोला एक्सपोर्ट कारपोरेशन का विस्तार होगा ।

(ग) और (घ) कोका कोला भरने वालों/द्वारा भारतीय ब्रांड नाम देने तथा पेय के उत्पादन की संभावनाओं का पता लगाया जा रहा है ।

विदेशी कम्पनियों के आयात लाइसेंसों के लिए आवेदन-पत्र

344. **श्री मधु लिमये : क्या औद्योगिक विकास** मंत्री विदेशी कम्पनियों के आयात लाइसेन्सों के लिए आवेदन पत्रों के बारे में 8 मई, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9566 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी कम्पनियों द्वारा वर्ष 1973–74 में दो लाख रुपये या सके अधिक राशि के मूल्य के आयात लाइसेंसों के लिये दिये गये आवेदन पत्रों और सरकार द्वारा इस संबंध में की गई कार्यवाही संबंधी जानकारी इस बीच एकत्रित कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है और

(ग) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जिश्राउ रहमान अन्सारी) : (क) से (ग) लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं० 9566 के बारे में अभी जानकारी इकट्ठी की जा रही है। जानकारी एकत्र करने में देरी होने का कारण यह है कि सभी आयात लाइसेंसों को मुख्य नियंत्रक आयात तथा निर्यात द्वारा नई दिल्ली से जारी नहीं किया जाता है। नीति के अनुसार आयात की प्रवृत्ति का आधार मानकर 18 लाइसेंसिंग प्राधिकरणों में से किसी एक द्वारा आयात लाइसेंस जारी किये जा सकेंगे। विदेशी कम्पनियों को 1973–74 की अवधि में दिये गये आयात लाइसेंसों के बारे में जानकारी इन सभी प्राधिकरणों से इकट्ठी की जा रही है।

प्रश्न इन फर्मों द्वारा दिये गये आवेदनों का संख्या से भी संबंधित है। नीति के अनुसार, आयात आवेदनों की कुछ श्रेणियों के बारे में तकनीकी विकास के महानिदेशालय वस्त्र आयुक्त, चाय बोर्ड, इत्यादि जैसे प्रायोजक प्राधिकरणों के माध्यम से आवेदन किये जाते हैं और यदि आवेदन नीति के अनुसार न हों तो प्रायोजक प्राधिकरणों को उन्हें रद्द करने का हक है। इस दृष्टिकोण से जारी किये गये आयात लाइसेंसों की संख्या-आवेदनों की संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। इन फर्मों द्वारा दिये गये आवेदनों के बारे में जानकारी विभिन्न प्रायोजक प्राधिकरणों से भी इकट्ठी की जा रही है। प्रत्येक राज्य के उद्योग निदेशकों के अलावा 22 अन्य प्रायोजक प्राधिकरण हैं। संख्या अधिक है और बहुत से संगठनों से जानकारी इकट्ठी करनी है अतः जानकारी को सभा पटल पर रखने में कुछ और अधिक समय लगेगा।

तस्करों द्वारा महाराष्ट्र तथा गुजरात के पश्चिमी तट से हथियारों और गोला-बारूद की तस्करी के लिए गुप्त हवाई पट्टियों का निर्माण

345. श्री मधु लिमये : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय तस्करों ने महाराष्ट्र तथा गुजरात के पश्चिमी तट से हथियारों, गोला-बारूद, ग्रिनेडों तथा आटोमैटिक राइफलों की तस्करी के लिये अन्तर्राष्ट्रीय तस्करों के सहयोग से एक गुप्त हवाई पट्टी का निर्माण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) तस्करों की गतिविधियों को रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) महाराष्ट्र तथा गुजरात की राज्य सरकारों ने सूचित किया है कि अब तक ऐसी कोई घटना उनके ध्यान में नहीं आई है।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय मानक संस्था में तालाबन्दी

346. श्री मनोरंजन हाजरा : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली स्थित भारतीय मानक संस्था में गत 18 मई से तालाबन्दी होने के क्या कारण हैं ; और

(ख) सरकार ने कर्मचारियों की मांगें पूरी करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा कृषि मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) भारतीय मानक संस्था के दिल्ली स्थित मुख्यालय का कार्य 17 मई से 9 जून, 1974 तक निलम्बित रहा क्योंकि ग्रेड–2, 3 और ग्रेड 4 के काफी संख्या में कर्मचारी जो पुनरीक्षित वेतनमानों पर 20 से 25 प्रतिशत मकान किराया भत्ता बढ़ाने हेतु आन्दोलन कर रहे थे तथा उनके शोरगुलयुक्त प्रदर्शन से संस्था का कार्य ठप्प पड़ गया था। एक ऐसी भी स्थिति उत्पन्न हो गई थी कि संस्था को खुली रखने से उसकी संपत्ति को खतरा तथा निष्ठावान कर्मचारियों को जोखिम पैदा हो गया था। तालाबन्दी शब्द उद्योग के लिये लागू होता है और चूंकि भारतीय मानक संस्था एक संस्था है इसमें तालाबन्दी का प्रश्न ही नहीं उठता।

संस्था में 10 जून, 1974 से कार्य प्रारम्भ हो गया है तथा सामान्य रूप से काम चल रहा है। कर्मचारियों ने पुनरीक्षित वेतनमानों पर 20 प्रतिशत मकान किराया भत्ता स्वीकार कर लिया है। इसके पश्चात कर्मचारियों की कोई भी विशिष्ट मांग प्राप्त नहीं हुई है।

सदर बाजार के साम्प्रदायिक दंगों में गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या

347. श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला :
श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन गिरफ्तार लोगों की कुल संख्या कितनी है जिन्होंने हाल ही में सदर बाजार दिल्ली में हुए सांप्रदायिक दंगों में प्रत्यक्ष रूप से भड़काऊ तथा आपराधिक गतिविधियां की ;

(ख) क्या इन घटनाओं में आग्नेय अस्त्रों का उपयोग करने वाले व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, और यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है ;

(ग) इस क्षेत्र से आग्नेय अस्त्रों में लाइसेंसधारियों ने कुल कितने आग्नेय अस्त्र समर्पित किये; और

(घ) क्या इस क्षेत्र में और अधिक पुलिस चौकियां स्थापित की गई हैं यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख) दिल्ली प्रशासन द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार 5 मई 1974 को सदर बाजार में हुए दंगों के संबंध में अब तक 155 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं। इसमें उन चार व्यक्तियों में से तीन व्यक्ति सम्मिलित हैं जिन्होंने बताया जाता है कि दंगों के दौरान आग्नेयास्त्र प्रयोग किए। फरार व्यक्ति के विरुद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 तथा 83 के अधीन कार्यवाही की गई है।

(ग) एक सौ पिचत्तर हथियार समर्पित किए गए हैं।

(घ) इस क्षेत्र में एक पुलिस चौकी स्थापित करने का प्रस्ताव सक्रिय रूप से दिल्ली प्रशासन के विचाराधीन है। परन्तु महत्वपूर्ण स्थानों पर हथियार बन्द पुलिस तैनात की गई है।

तमिल सेना की गतिविधियां

348. श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिल सेना का गठन तमिल नाडु से मलयाली लोगों को बाहर निकालने के लिए हुआ है ;

(ख) क्या इस सेना का गठन मलयाली लोगों के हितों के विरुद्ध है जो कि इस राज्य में अल्पसंख्यक हैं ; और

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार से इस सेना की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए कहा और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग) तमिलनाडु में हाल में प्रकट रूप से तमिलनाडु में तमिल लोगों की सुरक्षा के उद्देश्य से बताया जाता है कि विभिन्न नामों से अनेक संगठन बनाए गए हैं। ऐसे संगठनों को बनाने से क्षेत्रीय भावनाएं उभड़ती हैं और भाषाई अल्पसंख्यकों के मन में भय उत्पन्न होता है। हाल में प्रधान मंत्री ने तमिलनाडु के मुख्य मंत्री को लिखा है कि ऐसी भावनाओं को कठोरता से दबाना चाहिए और सुझाव दिया है कि राज्य सरकार द्वारा भाषाई अल्पसंख्यकों के दिलों से असुरक्षा की भावना को दूर करने के लिए आवश्यक प्रशासनिक उपाय किए जाने चाहिएं।

अखबारी कागज के बारे में 'युनेस्को' से बातचीत

348. श्री एच० एन० बनर्जी :
श्री जगन्नाथ मिश्र :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 'युनस्को' से कहा है कि वह एशिया में अखबारी कागज की भारी कमी की स्थिति के समाधान के लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्यवाही आरम्भ कराये; और

(ख) यदि हां, तो उस पर 'युनेस्को' की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, हां। सरकार ने युनेस्को के महानिदेशक से अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी कार्यवाई आरम्भ करने का अनुरोध किया है जिसका उद्देश्य अखबारी कागज बनाने वाले प्रमुख देशों को अखबारी कागज के समान वितरण हेतु विशेषकर विकासशील देशों की आवश्यकता पूरी करने हेतु सहमत करने के लिए मनाना हो।

(ख) युनेस्को की प्रतिक्रिया अभी प्राप्त नहीं हुई है।

क्रासबार उपकरणों का क्रय

350. श्री अनादि चरण दास :
श्री पी० गंगादेव :
श्री डी० डी० देसाई :
श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :
श्री श्रीकिशन मोदी :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 28 मई, 1974 को दिल्ली के एक समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार के अनुसार सरकार का विचार और आफिस क्रासबार उपकरणों के क्रय के लिये निविदायें आमंत्रित करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार दिल्ली में क्रासबार प्रणाली के असंतोषजनक कार्यकरण के बारे में अवगत है; और

(ग) यदि हां, तो टेंडर आमंत्रित करने के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) क्रासबार प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जिसमें सामान्य नियंत्रण रहता है। इस प्रणाली में देश में भविष्य की दूरसंचार सुविधाओं के विकास के लिये कुछ लाभ अंतर्निहित है जिनमें देश भर में उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग सेवा लागू करना भी शामिल है। इसीलिये क्रासबार उपस्कर के लिय टेंडर मंगाये जाते हैं ?

बी०टी०एम० द्वारा निर्मित मौजूदा पेंटा कोंटा क्रासबार एक्सचेंजों के सर्किटों में कुछ कमियों और उत्पादन के दोषों के कारण टेलीफोन कालें नहीं मिलती हैं। ये दोष दूर किये जा रहे हैं।

ये कमियां ऐसी नहीं हैं कि क्रासबार प्रणाली के उपयोग पर रोक लगा दी जाये क्रासबार प्रणाली का निर्माण अनेक उत्पादकों द्वारा किया जा रहा है। संसार के कई देशों में बड़े पैमाने पर इसका उपयोग किया जा रहा है। क्रासबार उपस्कर क महत्वपूर्ण उत्पादकों में कनाडा के मैसर्स नार्थर्न इलैक्ट्रिक, स्वीडन के मैसर्स एल०एम० एरिक्सन्स, जापान के मैसर्स निप्पन इलेक्ट्रिक कंपनी, बेलजियम के मैसर्स वी०टी०एम० और अन्य कई उत्पादक शामिल हैं। विभिन्न उत्पादकों द्वारा निर्मित प्रणालियों में यद्यपि बुनियादी तौर पर सामान्य नियंत्रण के सिद्धांत को अपनाया गया है तो भी वे विविध डिजाइनों की हैं। पिछले साल 10,000 लाइनों के क्रासबार उपकरण की सप्लाई के लिए मैसर्स एल०एम० एरिक्सन्स को आर्डर दिया गया था।

एक केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की स्थापना

351. श्री अनादि चरण दास :
श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :
श्री पी० गंगा देव :
श्री डी० डी० देसाई :
श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :
श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :
श्री के० एम० मधुकर :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एक केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की स्थापना करने का है;

(ख) उक्त योजना का मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) इस प्रस्ताव पर राज्यों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) ऐसे केन्द्रीयकरण के क्या लाभ हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) बिजली (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 के उपबंधों के अधीन स्थापित केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण को अधिक सक्रिय और मजबूत बनाने के लिये प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन है ।

(ख) यह प्रस्ताव है कि पूर्णकालिक सदस्यों की नियुक्ति द्वारा केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण को सक्रिय बनाया जाएगा केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण के कार्यों में विस्तार करने का प्रस्ताव है और उनमें स अधिक महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित होंगे :—

(1) एक राष्ट्रीय विद्युत नीति तैयार करने में मंत्रालय को सहायता देना ।

(2) विद्युत उत्पादन अथवा वृहद् पारेषण स्कीमों से संबंधित सभी निवेश प्राक्कलनों को तकनीकी स्वीकृति प्रदान करना ।

(3) विद्युत परियोनाओं, जिनमें देश की वे परियोजनायें सम्मिलित हैं जिन पर निर्माण-कार्य चल रहा है, के लिये निर्देशन संबंधी पर्याप्त व्यवस्था की स्थापना करना ।

(4) देश में विद्युत प्रणालियों के निर्माण, प्रचालन और रख-रखाव के लिये अपेक्षित इंजीनियरों, तकनीशनों और प्रचालकों के प्रशिक्षण के लिये सुविधाओं की व्यवस्था करना ।

(5) आधुनिक सामान-सूची के नियंत्रण संबंधी उपायों के कार्यान्वियन में राज्यों को सहायता देना ।

(6) केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान और अन्य एजेंसियों के साथ अनुसंधान संबंधी गतिविधियों में समन्वय स्थापित करना ।

(ग) राज्य मोटे तौर पर इस प्रस्ताव से सहमत है ।

(घ) विद्युत परियोजनाओं के निर्माण और बिजली के उत्पादन, पारेषण तथा वितरण से संबंधित कार्य वर्तमान व्यवस्था के अनुसार मुख्य रूप से राज्यों के पास रहेंगे, जैसी व्यवस्था इस समय है । केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण इन कार्यों को इस प्रकार करेगा जिस रूप में कि वे राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोत्तम ढंग से किए जा सकते हैं और जिनसे समूचे तौर पर विद्युत कार्यक्रम के कुशल आयोजन और कार्यान्वियन को सुनिश्चित किया जा सके ।

केरल में अखबारी कागज का कारखाना

352. श्री अनादि चरण दास :
श्री देवेन्द्र सिंह गरचा :
श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के प्रति कनाडा के हाल ही के रवैये के कारण केरल में प्रस्तावित अखबारी कागज के कारखाने की स्थापना में विलम्ब हो जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या और अधिक अखबारी कागज के कारखाने लगाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा कृषि मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) केरल अखबारी कागज परियोजना के लिये विदेशी मुद्रा के संसाधनों के बारे में शीघ्र ही अन्तिम निर्णय लिये जाने की सम्भावना है और इस कारण से परियोजना के कार्यान्वियन में देर होने की आशा नहीं है ।

(ग) और (घ) केरल परियोजना के अतिरिक्त 1,64,000 मी० टन वार्षिक क्षमता के लिये गैर सरकारी क्षेत्र में तीन योजनाओं को स्वीकृति दे दी गई है और नेपा मिल्स की वार्षिक क्षमता में 30,000 मी० टन से 75,000 मी० टन का विस्तार किया जा रहा है।

लद्दाख का दर्जा

353. **श्री बीरेन दत्त :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लद्दाख को केन्द्रीय शासन के अन्तर्गत लाने के लिए कोई अभियान चला है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) : (क) तथा (ख) जब कि इस संबंध में लद्दाख के कुछ नेताओं से समय समय पर कुछ सुझाव प्राप्त होते रहे, अतः सरकार समझती है कि यह मूलतः लद्दाख का तेजी से विकास करने के बारे में उनकी अभिव्यक्ति है।

पश्चिम बंगाल में नए औद्योगिक कारखानों के लिए केन्द्रीय सहायता

354. **श्री रेणुपद दास :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीन जिलों—नादिया, मिदनापुर और पुरुलिया (पश्चिम बंगाल) में नये औद्योगिक कारखानों को गत दो वित्तीय वर्षों में कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई, जिन्हें इस प्रयोजन के लिये पिछड़े जिले घोषित किया गया था; और

(ख) क्या केन्द्रीय सहायता की कुल निश्चित पूंजी निवेश को 25 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जिआउर्रहमान अन्सारी) : (क) पश्चिम बंगाल की राज्यस्तरीय समिति नदिया, मिदनापुर तथा पुरुलिया के तीन पिछड़े जिलों के लिये 31 मार्च, 74 तक औद्योगिक एककों को केन्द्रीय राज्य सहायता के रूप में 52.87 लाख रुपये की मंजूरी दी है।

(ख) कुल नियत पूंजीगत निवेश पर लगाई गयी केन्द्रीय राजसहायता 15 प्रतिशत की दर को बढ़ाकर 25 करने का सरकार का कोई विचार नहीं है।

पश्चिम बंगाल में फरक्का तापीय बिजली घर परियोजना

355. **श्री रेणुपद दासः** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल में फरक्का तापीय बिजली घर परियोजना को मंजूरी दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो परियोजना का काय कब तक प्रारंभ होगा; और

(ग) क्या फरक्का बांध के फालतू कर्मचारियों को इस परियोजना में पूरी तरह से विलय कर लिया जाएगा ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय म उपमंत्री (श्री सिद्धश्वर प्रसाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

(ग) परियोजना की स्वीकृति होने के उपरांत ही इसे आरंभ किया जाएगा। ताप विद्युत परियोजना में फरक्का बराज के अतिरिक्त कार्य कर्मचारियों (वर्क स्टाफ) को लगाने की सीमा, तथा उसके ढंग पर निर्माण कार्य हाथ में लेने पर ही उचित समय पर, विचार किया जाएगा।

फरक्का बांध परियोजना की पोषक नहर का खुदाई कार्य

356. **श्री रेणुपद दास :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फरक्का बांध परियोजना की पोषक नहर का खुदाई कार्य कब तक पूरा किया जाएगा; और

(ख) इसको औपचारिक रप से कब खोला जाना है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) फरक्का बराज परियोजना की पोषक नहर के खुदाई कार्य के इस वर्ष के अंत तक पूर्ण होने की संभावना है तथा उसके उपरांत तुरंत ही यह नहर चालू की जा सकती है ।

पहाड़ गंज थाना के बाहर दिल्ली युवक संघ द्वारा प्रदर्शन

357. श्री एस० ए० मुरुगनन्तम : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 29 मई, 1974 को एक रेल कर्मचारी की मृत्यु की न्यायिक जांच की मांग करते हुए दिल्ली युवक संघ ने पहाड़ गंज (नई दिल्ली) थाना के बाहर प्रदर्शन किया था;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हां श्रीमान, किन्तु उनकी मांगों में घटना की न्यायिक जांच शामिल नहीं थी ।

(ख) उनकी मांगें थीं :—

(1) पुलिस स्टेशन, पहाड़ गंज के स्टेशन हाऊस आफिसर तथा संबंधित पुलिस उप-निरीक्षक के विरुद्ध जांच ।

(2) पहाड़ गंज के स्टेशन हाऊस आफिसर को निलम्बित करना तथा पहाड़गंज के सब-डिवीजनल पुलिस अधिकारी का स्थानान्तरण; और

(3) मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता ।

(ग) आरम्भ में 3–6–74 को तीन अपराधी पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 331 के अधीन एक मामला दर्ज किया गया था तथा उन्हें निलम्बित कर दिया गया था । बाद में 5–6–1974 को श्री श्याम लाल की मृत्यु पर उक्त धारा को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 में बदल दिया गया था और तीनों पुलिस अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया था । दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा मामले की जांच कर रही है ।

मद्रास में मलयालम भाषी विरोधी आन्दोलन

358. श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :
श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास में दो तामील दैनिक समाचारपत्रों के सम्पादकों के नेतृत्व में 27 मई, 1974 को एक जलूस निकाला गया था;

(ख) क्या 'द्रमुक' के समर्थकों के विरुद्ध जलूस में भाग लेने वालों ने मद्रास में मलयालम भाषियों की चाय की दुकानें, रेस्तोरां और सिनेमा घर लूटे थे; और यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या कोई गिरफ्तारी की गई थी, और इन मलियालम भाषियों को कितनी हानि हुई और क्या सरकार ने इनको कोई क्षतिपूर्ति दी है; और

(घ) केन्द्रीय सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) तमिलनाडु सरकार के अनुसार 26 मई, 1974 को मद्रास शहर में लगभग 2000 व्यक्तियों का एक जलूस निकाला गया था । मार्ग में कुछ झड़पें हुई थीं तथा पथराव की अप्रिय घटनायें हुई थीं । पुलिस ने तत्काल कार्यवाही की और इन घटनाओं के संबंध में घटनास्थल पर 48 व्यक्ति गिरफ्तार किये ।

(घ) प्रधान मंत्री ने तमिलनाडु के मुख्य मंत्री से भाषाई अल्पसंख्यकों में सुरक्षा की भावना पैदा करने तथा क्षेत्रीय उन्माद उकसाने की भर्त्सना करने के लिये आवश्यक कदम उठाने का आग्रह किया है।

तमिल के दैनिक पत्रों में मलयालम भाषी लोगों के विरुद्ध लेख

359. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रामास्वामी द्वारा सम्पादित तमिल के 'नर्थ गाम' नामक दैनिक पत्र में मलयालम भाषी लोगों के विरुद्ध लेख लिखे गये थे;

(ख) क्या द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम के भूतपूर्व मेयर वेजूर नारायण द्वारा सम्पादित 'अलायो-साई' नामक समाचार पत्र में मलयाली भाषी लोगों के विरुद्ध लेख छपे थे; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इन समाचार-पत्रों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख) तमिलनाडु में विभिन्न स्थापनाओं में मलयालम भाषी लोगों के तथाकथित प्रभुत्व के बारे में कुछ लेख, जो उक्त दो दैनिक पत्रों में प्रकाशित हुए हैं, सरकार के ध्यान में आये हैं।

(ग) राज्य सरकार से तथ्य मालूम किये जा रहे हैं।

केरल में तमिल विरोधी आन्दोलन

360. **श्री एस०ए० मुरुगनन्तम :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में मलयालिमों के विरुद्ध आन्दोलन के तुरन्त बाद त्रिवेन्द्रम में तमिलों के विरुद्ध आन्दोलन हुआ;

(ख) इस विरोधी आन्दोलन से कितने व्यक्ति प्रभावित हुए और इस आन्दोलन के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ;

(ग) इस संबंध में केरल में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और क्या सरकार ने प्रभावित व्यक्तियों को कोई मुआवजा दिया है; और

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार ने केरल सरकार से ऐसी गतिविधियों के विरुद्ध कार्यवाही करने को कहा है और यदि हां, तो उस पर राज्य सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) केरल सरकार ने सूचित किया है कि मद्रास में 26–5–74 की घटना के परिणामस्वरूप समाज विरोधी तत्वों ने 27–5–74 को त्रिवेन्द्रम शहर में फोर्ट थाने की सीमा में तमिलों की कुछ दूकानों/व्यापार प्रतिष्ठानों पर पथराव किया था। लगभग 1,000.00 रुपए की कुल हानि होने का अनुमान लगाया गया था। कुल मिलाकर 157 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये। बताया जाता है कि इस संबंध में राज्य सरकार ने कोई मुआवजा नहीं दिया गया है।

(घ) केन्द्रीय सरकार ने तमिलनाडु तथा केरल दोनों सरकारों से भाषायी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिये आवश्यक कारवाई करने तथा हिंसा के सभी कार्यों से सख्ती से निपटने के लिय आग्रह किया है। दोनों राज्य सरकारों ने सूचित किया है कि वे अपने अपने राज्यों में घटनाओं से तत्काल निपटेंगी तथा भाषायी अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा की जाती रहेगी।

सरकार के स्वामित्व वाले राष्ट्रीय वस्त्र निगम का पुनर्गठन

361. **श्री के० मालन्ना :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी स्वामित्व वाले राष्ट्रीय वस्त्र निगम का इस भांति पुनर्गठन किया जाएगा कि उससे उस राज्य सरकार को उचित प्रतिनिधित्व मिल जाए जिसके राज्य-क्षेत्र में संकटग्रस्त मिलें स्थित हैं; और

(ख) यदि हां, तो संकट ग्रस्त मिलों के भूतपूर्व मालिकों को दिये जाने वाले मुआवजे की राशि में केन्द्र और राज्य सरकारों का भाग कितना-कितना होगा ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा कृषि मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जिन मिलों का प्रबन्ध सरकार द्वारा अपने हाथ में ले लिया गया है उनके राष्ट्रीयकरण के लिये हाल ही में एक कानून लागू करने का प्रस्ताव है इनका राष्ट्रीयकरण करने के उपरान्त इन मिलों के लिये एक उपयुक्त प्रबन्ध व्यवस्था भी बनाई जा रही है।

(ख) सर्व प्रथम केन्द्रीय सरकार संकटग्रस्त कपड़ा उपक्रमों के मालिकों को मुआवजे की पूरी रकम का भुगतान करेंगी। आस्तियों का केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिग्रहण कर लिए जाने के पश्चात् इन्हें राष्ट्रीय कपड़ा निगम को हस्तांतरित करने का प्रस्ताव है जो इन उपक्रमों की वास्तविक रूप में व्यवस्था करने के लिये सहायक निगमों की स्थापना करेगा। इन सहायक निगमों में संबंधित राज्य सरकार को 49 प्रतिशत तक इक्विटी सहभाविता की अनुमति दी जायेगी इक्विटी की बाकी राशि राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा लगाई जायेगी।

विभिन्न पार्टियों को आई० बी० एम० द्वारा किराये पर सप्लाई किये गए कम्प्यूटर

362. श्री सरजू पांडे : क्या **इलैक्ट्रोनिक्स** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार सहित विभिन्न पार्टियों को आई०बी०एम० द्वारा कितने कम्प्यूटर किराये पर सप्लाई किये गये हैं;

(ख) किन-किन शर्तों पर कम्प्यूटर किराये पर सप्लाई किये जाते हैं; और

(ग) किराये के रूप में आई०बी०एम० को अब तक कितनी राशि मिली है ?

प्रधान मंत्री परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रोनिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) 95 (जिनमें सरकारी विभागों द्वारा किराये पर ली गयी 21 मशीनें भी शामिल हैं।)

(ख) बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा, विश्वव्यापी स्तर पर प्रस्थापित किरायों के आधार पर, कम्प्यूटर किराये पर सप्लाई किये जाते हैं। किरायों में इन्जीनियरी रखरखाव से संबद्ध सेवाएं आवृत हैं। इनमें सप्लाई-कर्ताओं द्वारा आवश्यक स्पेअर पार्टस तथा अन्य सहायक कलापों की सप्लाई भी शामिल है।

(ग) सरकारी विभागों द्वारा किराये पर लिये गये 21 कम्प्यूटरों के लिये आई०बी०एम० को नवम्बर, 1973 तक जो किराये की राशि दी गयी है, वह लगभग 7.5 करोड़ रुपये है। गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा किराये पर प्राप्त मशीनों के संबंध में सूचना शीघ्र उपलब्ध नहीं है।

कम्प्यूटरों के रख-रखाव के लिए निगम

363. श्री सरजू पांडे : क्या **इलैक्ट्रोनिक्स** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम्प्यूटरों के रखरखाव के लिये इलैक्ट्रोनिक्स आयोग द्वारा एक निगम की स्थापना करने के प्रस्ताव को इस बीच अंतिम रूप दे दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

प्रधान मंत्री परमाणु ऊर्ज मंत्री, इलैक्ट्रोनिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) कम्प्यटरों के रख-रखाव के लिये एक निगम गठित करने का प्रस्ताव संप्रति सरकार के विचाराधीन है।

(ख) प्रस्ताव है कि यह निगम लोक क्षेत्र में स्थापित किया जाये जिससे कम्प्यूटरों, विशेषकर आयातित कम्प्यूटरों, का रख-रखाव और उनकी सर्विसिंग की जा सके, तथा आवश्यकतानुसार व यथा संभव प्रणाली सोफ्टवेअर एवं प्रयोग समर्थन प्रदान किया जा सके। योजना आयोग ने निगम को गठित करने की परियोजना को 1974–75 के वित्तीय वर्ष के दौरान कार्यान्वित करने की मंजूरी दे दी है। परियोजना के लिये 1 करोड़ रुपये के कुल आयोजित परिव्यय में से, 15 लाख रुपयों की व्यवस्था चालू वर्ष के लिये इलैक्ट्रोनिक्स विभाग के योजना बजट में कर ली गयी है।

केरल को सीमेंट का नियतन

364. श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों की अवधि में केरल राज्य को सीमेंट की कुल कितनी माता का नियतन किया गया; और

(ख) कम सप्लाई के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जिग्राउर्रहमान अन्सारी) : (क) से (ख) जुलाई, 1971 के पहले अलग से स्पष्टत: राज्यवार आबन्टन नहीं किया जाता था। राज्यवार कोटे का निर्धारण पहली बार जुलाई, 1973 से जून, 1974 की अवधि के लिये प्रत्येक राज्य द्वारा पिछले पांच वर्षों में की गई सीमेंट की औसत खपत के 110% की दर से किया गया। इस अवधि के लिये इस राज्य कोटे के अन्तर्गत केरल राज्य को 5.21 लाख मी० टन सीमेंट का आवन्टन किया गया।

केरल राज्य पिछले तीन वर्षों में राज्य और केन्द्रीय दोनों कोटों के अन्तर्गत की गई कुल आपूर्ति निम्न प्रकार है :

	(लाख मी० टनों में)
1971	599
1972	623
1973	524

1973 में केरल राज्य के सीमेंट का कम संभरण किये जाने का एक कारण विभिन्न राज्यों द्वारा बिजली में की गई कटौती के कारण देश में हुई सीमेंट की कमी, उद्योग के लिये कोयले की अपर्याप्त सप्लाई, सीमेंट लाने ले जाने के लिये मालगाड़ी के पर्याप्त डिब्बों का उपलब्ध न होना रहा है।

केरल में औद्योगिक एककों की दक्षता

365. श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल के उन औद्योगिक एककों के वर्षवार नाम क्या हैं जो तीन वर्षों से अपनी क्षमता से कम उत्पादन कर रहे हैं; और

(ख) उनको उनकी निर्धारित क्षमतानुसार चलाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जिग्राउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

केरल के नगरों और ग्रामों में टेलीफोन सुविधाएं

366. श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य के कितने नगरों तथा ग्रामों में टेलीफोन सुविधायें उपलब्ध हैं; और

(ख) वर्ष 1974–75 में कितने ग्रामों में, विशेषकर आदिवासी क्षेत्रों में, टेलीफोन सुविधायें उपलब्ध करने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह): (क) केरल राज्य में 187 नगरों और 404 गांवों में टेलीफोन सुविधायें उपलब्ध हैं।

(ख) केरल राज्य के जिन गांवों में वर्ष 1974–75 के दौरान टेलीफोन सुविधायें देन का प्रस्ताव है, उनकी जिलावार संख्या नीचे दी गई है :—

(1) कन्नानूर	19
(2) कालीकट	9

(3)	मालापुरम	7
(4)	त्रिचूर	10
(5)	एर्नाकुलम	9
(6)	पालघाट	11 (इनमें से 1 आदिवासी इलाके में है)
(7)	कोट्टयम	9 (इनमें से 3 आदिवासी इलाके में है)
(8)	क्विलोन	5
(9)	त्रिवेन्द्रम	4
(10)	अलेप्पी	1
(11)	इदिक्की	2

निर्यात प्रधान उद्योगों के लिए 'केपटिव' बिजली संयंत्रों की स्थापना करना

367. श्री वाई० ईश्वर रेड्डी : क्या **सिचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चुने हुए निर्यात प्रधान उद्योगों के लिये 'केपटिव' बिजली संयंत्रों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इन (केपटिव) बिजली संयंत्रों की स्थापना कहां पर की जायेगी ?

सिचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

गंगा को कावेरी के साथ जोड़ना

368. श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **सिचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) गंगा को कावेरी के साथ जोड़ने की प्रस्तावित योजना के कार्यान्वयन का कार्यक्रम इस समय किस अवस्था पर है;

(ख) क्या सरकार योजना के कार्यान्वयन के प्रति अब उत्साही नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

सिचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) उपलब्ध आंकड़ों और स्थलाकृति के नक्शों के आधार पर कुछ प्रारंभिक अध्ययन किये गये हैं । विभिन्न नदी प्रणालियों को जोड़ने वाले लिंकों को अभिज्ञात करने के लिये विभिन्न उप-बेसिनों, बेसिनों, क्षेत्रों और अंचलों में अधिकता एवं कमी से संबंधित आवश्यक अध्ययन और उसके उपरांत आवश्यक अनुसंधान अब पांचवीं योजना में प्रारंभ करने का प्रस्ताव है । यह स्कीम एक ऐसी स्कीम है जिस पर काफी समय लग सकता है और केवल अनुसंधान कार्य पर ही 10 अथवा इससे अधिक वर्ष लग सकते हैं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

विदेशों में काम कर रहे भारतीय वैज्ञानिकों, टैक्नोलोजिस्टों और इंजीनियरों को आकर्षित करने की पैकेज योजना

369. श्रीमती रोजा विद्याधर देशपांडे :
श्री एम० एस० पुरती :
श्रीमती विद्या घोष गोस्वामी :
श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशों से भारतीय वैज्ञानिकों, टेक्नालोजिस्टों और इंजीनियरों को वापस बुलाने की दृष्टि से उन्हें आकर्षित करने के लिए एक बहु-सूत्रीय पैकेज योजना पर स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो उस योजना की मुख्य बातें क्या हैं; और योजना की क्रियान्विति के लिये क्या कदम उठाये गए हैं ; और

(ग) उनमें से कितने व्यक्ति वापस आने के लिये सहमत हो गये हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा कृषि मन्त्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी हां।

(ख) उत्पादन प्रौद्योगिकी में अनुभवी वैज्ञानिकों/प्रौद्योगिकी विदों को जहां आवश्यक है लाइसेंस प्रदान करना, पूंजीगत माल आयात करने सम्बन्धी सुविधायें और विविध व्यवस्था–जैसे बिजली पानी, औद्योगिक भूमि/भवन सम्बन्धी सुविधायें एक साथ प्रदान करने की एक समन्वित योजना प्रदान करना इस योजना की मुख्य विशेषता है। विदेशी बैंकों में उन्हें अपनी आय एक निर्धारित अवधि के लिये रखने की आज्ञा प्रदान की जानी चाहियें जिसे वे अपने उद्योग प्रारम्भ करने के लिये आवश्यक उपकरण, अतिरिक्त कल पुर्जे आदि मंगाने में प्रयोग कर सकें। राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा भी उनको वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी।

योजना का कार्यान्वियन देखने के लिये एक सलाहकार समिति की स्थापना की जा रही है।

(ग) योजना के सम्बन्ध में अनेकों पूछ-ताछ के पत्र प्राप्त हुए हैं। हाल ही में योजना को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है और योजना के परिणामों को जानने के लिए अभी थोड़ा समय लगेगा।

सीमेंट उत्पादन की अतिरिक्त क्षमताओं में गैर सरकारी एवं सरकारी कम्पनियों का भाग

370. श्रीमती रोजा विद्याधर देशपांडे : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री सरकारी एवं गैर सरकारी क्षेत्र में सीमेंट के उत्पादन के बारे में 8 मई, 1974 के तारांकित प्रश्न संख्या 989 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि गैर सरकारी एवं सरकारी क्षेत्र की किन किन कम्पनियों में सीमेंट उत्पादन की कितनी अतिरिक्त क्षमता लागू की गई है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ज़िआउर्रहमान अन्सारी) : 71.1 लाख मी० टन की अतिरिक्त क्षमता के लिए जिन पार्टियों को लाइसेंस/आशयपत्र दिए गए हैं उनके नाम अनुबन्ध 1 और 2 में दिये गये हैं। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 8024/74]**

विभिन्न राज्यों के लिए सिंचाई प्राथमिकता योजनाएं

371. श्रीमती रोजा विद्याधर देशपांडे :
श्री रानेन सेन :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों के लिये सिंचाई प्राथमिकता योजनायें तैयार की हैं; और

(ख) यदि हां, तो विशेष रूप से महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा के संदर्भ में उनकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) जी, नहीं । चूंकि सिंचाई राज्य का विषय है, सिंचाई परियोजनायें राज्य सरकारों द्वारा उनकी संपूर्ण विकासात्मक योजनाओं के ढांचे के अन्दर बनाई और क्रियान्वित की जाती हैं ।

पांचवीं योजना का पुनरीक्षित प्रारूप

372. **श्रीमती रोजा विद्याधर देशपांडे :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पांचवीं पंचवर्षीय योजना के पुनरीक्षित प्रारूप को चालू सत्र के दौरान सभा-पटल पर रखने का है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख) वर्तमान आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में जिस प्रकार के समायोजन करने आवश्यक हैं, इस बारे में योजना आयोग ने अभ्यास करने आरम्भ कर दिये हैं । इस समय यह ठीक-ठीक बताना कठिन है कि किस समय तक पुनरीक्षित पांचवीं पंचवर्षीय योजना सभा-पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी ।

लघु अखबारी कागज संयंत्र की स्थापना

373. **श्री जी० वाई० कृष्णन :**
श्री सी० के० जाफर शरीफ :
श्री डी० बी० चन्द्रगौडा :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखबारी कागज की वर्तमान कमी को दूर करने के लिए विकास परिषद की तकनीकी परामर्शदात्री समिति द्वारा जांच किये जाने के बाद लघु अखबारी कागज निर्माता संयंत्रों की स्थापना की अनुमति देने संबंधी सरकार के विचाराधीन जो प्रस्ताव है उसे इस बीच अंतिम रूप दे दिया गया है ;

(ख) क्या सरकार ने इन सयंत्रों की आर्थिक व्यवहार्यता की जांच करली है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा कृषि मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (ग) विकास परिषद की तकनीकी समिति द्वारा प्रस्ताव की जांच अभी पूरी नहीं हुई है । इस प्रकार के संयंत्रों की आर्थिक संभाव्यता की जांच सरकार अलग से कर रही है ।

राज्यों की योजनाओं के लिए केन्द्र द्वारा वित्तीय सहायता

374. **श्री बी० एन० रेड्डी :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योजना आयोग राज्यों की योजनाओं की वित्तीय सहायता किन सिद्धांतों पर कर रहे हैं;

(ख) केन्द्रीय सरकार ने अब तक आन्ध्र प्रदेश राज्य की कितनी योजनाओं का वित्तपोषण किया है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार का आन्ध्र प्रदेश की कितनी योजनाओं का वित्तपोषण करने का विचार है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) चौथी पंचवर्षीय योजनावधि में राज्यों को उनकी वार्षिक योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता जिन सिद्धांतों के आधार पर दी गई वे नीचे दिये जा रहे हैं :—

(1) जनसंख्या के आधार पर 60 प्रतिशत ।

(2) प्रति व्यक्ति आय के आधार पर 10 प्रतिशत ।

(3) प्रति व्यक्ति आय के अनुसार कर प्रयास के आधार पर 10 प्रतिशत ।

(4) चालू बड़ी सिंचाई तथा बिजली की स्कीमों के अनुसार 10 प्रतिशत ।

(5) राज्यों की विशेष समस्याओं के आधार पर 10 प्रतिशत ।

पांचवीं पंचवर्षीय योजनावधि में राज्यों को केन्द्रीय सहायता के आवंटन के जिन सिद्धांतों तथा मान दण्डों को अपनाया जाएगा उन्हें राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अभी अंतिम रूप दिया जाना है ।

(ख) आन्ध्र प्रदेश के बनने के बाद उसकी सभी वार्षिक योजनाओं को केन्द्रीय सहायता दी गई है ।

(ग) आन्ध्र प्रदेश सहित सभी राज्य भविष्य में भी केन्द्रीय सहायता का अपना भाग प्राप्त करते रहेंगे ।

जिला फैजाबाद (उत्तर प्रदेश) के मुक्तापुर गांव के सवर्ण हिन्दुओं द्वारा हरिजनों की पिटाई

375. **श्री झारखण्डे राय :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि जिला फैजाबाद (उत्तर प्रदेश) में मुक्तापुर गांव, थाना हैदरगंज में जून 1974 के प्रथम सप्ताह में सवर्ण हिन्दुओं ने एक हरिजन परिवार के सदस्यों को बुरी तरह पीटा था ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ; और

(ग) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ०एच०मोहसिन) : (क) से (ग) उत्तर प्रदेश सरकार से तथ्य मालूम किये जा रहे हैं ।

गांव महुवा, थाना खण्डासा (उत्तर प्रदेश) के हरिजनों को पीटा जाना

376. **श्री झारखण्डे राय :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गांव महुआ, थाना खंडासा (उ० प्र०) कि आठ हरिजनों को खंडासा गांव के प्रमुख द्वारा थाने के सब-इंस्पेक्टर की उपस्थिति में पीटा गया ;

(ख) यदि हां, तो सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ; और

(ग) अपराधियों और सब-इंस्पेक्टर के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन): (क) से (ग) उत्तर प्रदेश सरकार से तथ्य मालूम किये जा रहे हैं ।

दिल्ली को बिजली की सप्लाई

377. **श्री झारखण्डे राय :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भाखड़ा से बिजली की सप्लाई में कटौती की अवस्था में दिल्ली को बिजली की पूरी सप्लाई जारी रखने के लिये क्या वैकल्पिक उपाय किए गए हैं ;

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): दिल्ली तथा उसके निकटवर्ती राज्यों में बिजली की सप्लाई की व्यवस्था उस क्षेत्र में विभिन्न विद्युत संसाधनों के समन्वित कार्य के आधार पर की जा रही है । भाखड़ा से दिल्ली को लगभग 80 मैगावाट बिजली सप्लाई की जा रही है और इसमें कोई कटौती होने की सम्भावना नहीं है । बहरहाल, आपाती स्थितियों में भाखड़ा से सप्लाई में कटौती होने की सूरत में, अपने तापीय केन्द्र में उत्पादन के अतिरिक्त दिल्ली बदरपुर से भी बिजली ले सकती है । जयपुर-बदरपुर लाइन के पूरा हो जाने पर, राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना से भी बिजली प्राप्त करना सम्भव हो सकेगा ।

मोहन मीकिन्स ब्रुअरीज के कार्यों की जांच

378. **श्री एस० एन० मिश्र :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स मोहन मीकिन्स ब्रुअरीज की क्षमता विस्तार सम्बन्धी फाइल से कुछ बातों के प्रकाशित हो जाने के बारे में 1971 में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा कोई जांच आदेश दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या यह जांच उस अधिकारी के विरुद्ध मुख्य रूप से की गई जिसने उक्त कम्पनी के विस्तार हेतु आवेदन का विरोध किया था ;

(ग) क्या उक्त अधिकारी के घर की तलाशी ली गयी थी और उसका मंत्रालय से तबादला इस आरोप के आधार पर किया गया कि वह गुप्त बात के फूट जाने के लिए जिम्मेदार है; और

(घ) क्या किसी अन्य अधिकारी के घर की तलाशी भी इस सम्बन्ध में ली गई थी और यदि हां, तो सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा कृषि मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) जांच किसी अधिकारी के विरुद्ध नहीं थी बल्कि टिप्पणी (नोटिंग) की गुप्त बात प्रकाशित हो जाने पर जांच का आदेश दिया गया था। इस सम्बन्ध में एक अधिकारी के घर की तलाशी ली गयी तथा उसे इस मंत्रालय से स्थानान्तरित कर दिया गया था।

(घ) जी, नहीं।

ट्रकों एवं बसों के टायरों तथा ट्यूबों का उत्पादन तथा मांग

379. **श्री एस० एम० मिश्र :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ट्रकों एवं बसों के टायरों तथा ट्यूबों के उत्पादन की स्थापित क्षमता क्या है;

(ख) 1972–73 और 1973–74 में ट्रकों एवं बसों के टायरों तथा ट्यूबों का वास्तविक उत्पादन कितना हुआ और आवश्यकतायें क्या थीं ;

(ग) निर्माताओं ने उपरोक्त अवधि में विभिन्न राज्यों को ट्रकों एवं बसों के कितने टायरों और ट्यूबों की सप्लाई की; और

(घ) देश में टायरों एवं ट्यूबों की बढ़ती मांग की पूर्ति के लिये सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) बसों तथा ट्रकों के टायर व ट्यूब समेत विभिन्न प्रकार के टायरों व ट्यूबों के लिए उत्पादन की क्षमता विशिष्ट रूप में अलग-अलग निर्धारित नहीं की गयी है। मोटरगाड़ियों के टायर तथा ट्यूब' के अन्तर्गत सामान्यतः सभी प्रकार के टायर व ट्यूब सम्मिलित हैं। सभी प्रकार के मोटरगाड़ियों के सभी प्रकार के टायरों की वर्तमान प्रतिष्ठापित क्षमता 58.81 लाख अदद और ट्यूबों की 51.914 लाख अदद है।

(ख) बसों तथा ट्रकों के टायर व ट्यूबों का वास्तविक उत्पादन और वर्ष 1972–73 तथा 1973–74 के दौरान इनकी मांग इस प्रकार रही है :—

किस्म	रबड़ की वस्तुयें बनाने वाले उद्योग के कृतिक दल द्वारा अनुमानित मांग		उत्पादन	
	1972–73	1973–74	1972–73	1973–74
बस/ट्रक टायर	30.90 लाख	32.44 लाख	23,14,450	26,01,757
बस/ट्रक ट्यूब	30.98 लाख	33.44 लाख	23,70,286	25,17,154

(ग) एक विवरण संलग्न है ।

(घ) सरकार ने सभी प्रकार की मोटर गाड़ियों के 94.24 लाख टायरों तथा 103.76 लाख ट्यूबों की अतिरिक्त क्षमता का लाइसेंस दिया है/स्वीकृति की है जिसमें बस तथा ट्रक के टायर व ट्यूब शामिल हैं ।

विवरण

राज्य	निर्माताओं द्वारा की गई आपूर्ति (केवल टायर)	
	1972–73	1973–74
	सं०	सं०
पश्चिम बंगाल	159,335	170,098
बिहार	69,155	75,946
उड़ीसा	36,462	41,021
आसाम, मेघालय, मिजोराम, आरूणाचल प्रदेश, नागालैण्ड, मनीपुर, त्रिपुरा, अण्डमान	57,179	63,909
महाराष्ट्र/गोवा	256,959	263,837
मध्य प्रदेश	101,468	106,487
गुजरात	119,189	134,799
उत्तर प्रदश	127,373	133,826
दिल्ली	92,688	96,290
हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चण्डीगढ़, हरियाणा, जम्मू और काश्मीर	95,610	101,334
राजस्थान	48,337	52,296
आंध्र प्रदेश	138,788	138,603
करनाटक	129,937	138,799
केरल	81,709	87,058
तमिलनाडु/पांडेचेरी	143,505	164,527

मैसर्स शा वैलेस एण्ड कम्पनी लि० द्वारा शेयर की बिक्री के बारे म की गई जांच

380. श्री एस०एन० मिश्र : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मैसर्स शा वैलेस एण्ड कम्पनी लिमिटेड द्वारा मैसर्स आर०जी०शा० एण्ड कम्पनी के अपने शेयर बेचने के मामले में सभी पहलुओं की जांच के संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : जांच का कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है ।

Complaints about Telephone Exchange in Neemuch

381. Dr Laxminarayan Pandeya : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether some complaints have been received from the public about the Telephone Exchange in Neemuch, Madhya Pradesh; and

(b) if so, the action taken thereon ?

The Minister of State in the Ministry of Communications (Prof. Sher Singh) : (a) Yes Sir.

(b) The complaints received were promptly attended to. A special drive was conducted recently to tone up the overall performance of the local and trunk exchange at Neemuch. All the Direct Pillars were rehabilitated and the sections of the heavier overhead alignments were replaced by underground cables. The subscribers' instruments were checked, adjusted and replaced where necessary. The performance of the exchange is now satisfactory. A continuous watch is being kept.

कृषि तथा सम्बद्ध कार्यक्रमों के लिए वार्षिक योजना परिव्यय में कटौती

382. **सरदार महेन्द्र सिंह गिल :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि तथा सम्बद्ध कार्यक्रमों क लिये वार्षिक योजना (1974-75) के परिव्यय में पर्याप्त कटौती कर दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो देश में खाद्य स्थिति तथा प्रस्तावित आयात को ध्यान में रखते हुए इसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) तथा (ख) जी नहीं । यह कहना ठीक नहीं है कि वार्षिक योजना 1974-75 में शामिल कृषि तथा सम्बद्ध कार्यक्रमों के परिव्ययों में, बड़ी मात्रा में कटौती कर दी गई है। बहरहाल, देश की कठिन आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने चालू वर्ष के दौरान योजना तथा गैर-योजना व्यय में बचत करने की सम्भावनाओं की जांच करने के लिये दो समितियों का गठन किया है । ये समितियां कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्रों सहित, वार्षिक योजना के विभिन्न क्षेत्रों की जांच कर रही हैं ?

अंतर्राज्यीय विवादों के कारण ठप्प पड़ी बड़ी सिंचाई परियोजनाएं

383. **श्री महेन्द्र सिंह गिल :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के फैसले के लिये पड़े अन्तर्राज्यीय विवादों के कारण 124 से अधिक बड़ी सिंचाई परियोजनाओं का कार्य लगभग ठप्प पड़ गया है जिसे सामान्यतया काफी समय पहले काफी कम लागत पर पूरा किया जाना चाहिए था ;

(ख) क्या भारत राष्ट्रीय जल संसाधनों का 15 प्रतिशत से कम उपयोग कर रहा है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार को अन्तर्राज्यीय विवाद निपटा कर इन परियोनाओं पर अनुमति देने में और कितना समय लगेगा ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धश्वर प्रसाद) : (क) जल के सभुपयोजन के संबंध में संबंधित राज्यों में विवाद होने के कारण अनेक परियोजनायें भारत सरकार द्वारा स्वीकृति के लिये निलंबित पड़ी हैं ।

(ख) कुल 66 मिलियन हैक्टेयर मीटर सभुपयोज्य जल शक्यता में से लगभग 25.5 मिलियन हैक्टयर मीटर का उपयोग किया जा रहा है । यह 38.7 प्रतिशत है ।

(ग) गोदावरी, नर्मदा और कृष्णा संबंधी विवाद अन्तर्राज्यीय नदी अधिनियम के अन्तर्गत गठित न्यायाधिकरणों के सम्मुख हैं और इन पर न्यायाधिकरण कब अपने पंचाट देंगे, यह कहना संभव नहीं है । अन्य विवादों के संबंध में पक्षकार राज्यों के बीच समझौता कराने के लिये केन्द्र हर संभव प्रयास कर रहा है ।

'डेसू' के सम्मुख वित्तीय कठिनाईयां

384. **श्री महेन्द्र सिंह गिल :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'डेसू' वित्तीय कठिनाइयों में है क्योंकि यह अपने कमचारियों और भारतीय तेल निगम तथा अन्य जैसे 'बल्ब' सप्लायर्स को अनुग्रह पूर्वक अदायगियां करने में असमर्थ रहा है;

(ख) यदि हां, तो इतने गम्भीर वित्तीय संकट के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इस संदर्भ में 'डेसू' का अपने उपभोक्ताओं को बिजली की दशा में वृद्धि करने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) जी, हां। कोयला, ईंधन और अन्य सामग्रियों की कीमतों तथा शिब्बदी के खर्च में वृद्धि होने के कारण, दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहा है। बहरहाल, इस वर्ष जून में कर्मचारियों को वर्ष 1973–74 के लिये अनुग्रहपूर्ण अदायगी की गई थी। इण्डियन आयल कार्पोरेशन सहित, बड़े-बड़े संभरकों को भी सामान्य तौर पर भुगतान किया जा रहा है, यद्यपि उसमें कुछ विलम्ब हुआ है।

(ग) यह सूचना मिली है कि विद्युत टेरिफों में वृद्धि करने के प्रस्तावों पर दिल्ली विद्युत प्रदाय समिति विचार कर रही है।

हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण इंजीनियरिंग सर्वेक्षण

385. श्री नारायण चन्द पराशर : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश से गत तीन वर्षों के दौरान कोई ग्रामीण इंजीनियरिंग सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिये कितनी राशि मंजूर की गई तथा गत तीन वर्षों में इस ग्रामीण इंजीनियरिंग सर्वेक्षण के क्या निष्कर्ष निकले; और

(ग) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक जिलावार तथा वर्ष-वार कितने गांवों का सर्वेक्षण किया गया ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) हिमाचल प्रदेश के लिये ग्राम इंजीनियरिंग सर्वेक्षण स्कीम अक्तूबर, 1971 में स्वीकृत की गई थी तथा क्षेत्रीय सवक्षण कार्य राज्य सरकार द्वारा 1973–74 के दौरान आरम्भ किया गया था।

पिछले तीन वर्षों के दौरान इस कार्य के लिये राज्य सरकार को दी गई अनुग्रह पूर्वक सहायता 2.72 लाख रुपये की थी। ऊना जिले की अम्ब तहसील में ग्राम-वार सर्वेक्षण आरम्भ किये जा चुके हैं। तीन गांवों नामशः अम्ब, अम्बोटा तथा दौलतपुर में इंजीनियरी सर्वेक्षण पूर्ण हो चुके हैं। इस क्षेत्रीय कार्य के आधार पर राज्य सरकार ने, अभी तक ग्राम वार रिपोर्ट तैयार नहीं की है।

हिमाचल प्रदेश में पी०सी०ओ० और सी०ओ० स्थापित करना

386. श्री नारायण चन्द पराशर : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार से वर्ष 1973 और 1974 में पी०सी० ओ० तथा सी०ओ० स्थापित करने के लिये डाक तथा तार विभाग को किराये तथा गारन्टी संबंधी पेशकश प्राप्त हुई है ;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त दोनों श्रेणियों के लिये अलग-अलग स्थानों के नाम क्या हैं जिनके लिये पेशकश प्राप्त हुई है और प्रत्येक मामले म डाक तथा तार विभाग को वह पेशकश किस तारीख को प्राप्त हुई; और

(ग) उनमें से ऐसे स्थानों के नाम क्या हैं जहां पर इस पेशकश को स्वीकार किये जाने के परिणामस्वरूप पी० सी०ओ० तथा सी०ओ० मंजूर कर दिये गये हैं और अन्य मामलों में किस-किस तारीख को मंजूरी दी जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से पी०सी०ओ०/सी०ओ० खोलने के लिए 2 स्थानों के लिए वर्ष 1973 में और 3 स्थानों के लिय वर्ष 1974 में किराया और गारन्टी की शर्तें स्वीकार करने की पेशकश प्राप्त हुई है।

(ख) हिमाचल प्रदेश सरकार के सितम्बर, 1973 के पत्र सं० 19–77/72–जी०एच० (एच०) के जरिये नानखारी के लिए और तारीख 31–3–1973 के पत्र संख्या 19–50/70–जी०एच०डी० के जरिये कोटला के लिए पी०सी०ओ०/सी०ओ० के संबंध में वर्ष 1973 में स्वीकृति प्राप्त हुई थी।

हिमाचल प्रदेश सरकार के तारीख 26–3–1974 के पत्र संख्या 19–48/73–जी०एच० (एच०) के जरिये आवादेवी, जाहू, और बिझरी में पी०सी०ओ०/सी०ओ० खोलने के लिय 1974 में स्वीकृति प्राप्त हुई थी ।

(ग) नानखारी, आवादेवी, जाहू और बिझरी में पी०सी०ओ० / सी०ओ० खोलने के लिये हिमाचल प्रदेश सरकार को डिमांड नोट जारी किये गये थे । डिमांडनोट की अदायगी के बाद इन स्थानों पर पी०सी०ओ०/सी०ओ० खोलने के लिये मंजूरी दी जायेगी ।

कोटला में पी०सी०ओ० / सी०ओ० खोलने के प्रस्ताव का तकनीकी कारणों से संशोधन किया जा रहा है और इस मामले पर आगे कार्रवाई की जा रही है ।

हिमाचल प्रदेश में इन्डोरा में टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना करना

387. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में इन्डोरा में टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना का प्रस्ताव कब से सरकार के विचाराधीन है;

(ग) टेलीफोन एक्सचेंज की मंजूरी किस तारीख को दी जाएगी ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) तारीख 26–5–1972 से ।

(ख) इन्डोरा में एक टेलीफोन एक्सचेंज खोलने के प्रस्ताव की जांच की गई है और यह अलाभकर पाया गया है । विभाग की मौजूदा नीति के अनुसार टेलीफोन एक्सचेंजों के लिये अलाभकर परियोजनाओं को स्वीकृति नहीं दी जा सकती ।

हिमाचल प्रदेश में चौंतरा में टेलीफोन एक्सचेंज

388. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में चौंतरा के लिये टेलीफोन एक्सचेंज मंजूर की गई है;

(ख) यदि हां, तो यह एक्सचेंज कब मंजूर की गई थी ; और

(ग) इसकी स्थापना कब तक की जाएगी ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

गुजरात में बिजली का उत्पादन

389. **श्री वेकारिया :**

श्री डी० पी० जदेजा :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य में इस समय विद्युत उत्पादन की स्थापित क्षमता क्या है;

(ख) विभिन्न स्रोतों से कुल कितनी बिजली पैदा की जाती है; और

(ग) क्या इस बारे में कोई कमी है और यदि हां, तो उसकी पूर्ति किस प्रकार से की जाएगी ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) इस समय गुजरात राज्य में कुल प्रतिष्ठापित क्षमता 1263 मै०वा० है जिसमें तारापुर परमाणु विद्युत केन्द्र से 200 मै०वा० (50% भाग) तथा ऊकाई में 75 मै०वा० की जल–विद्युत यूनिट भी शामिल है जो कि जुलाई 1974 में हाल ही में चालू किया गया है ।

(ख) जून के महीने में विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न कुल विद्युत इस प्रकार है :—

केन्द्र का नाम	कुल उत्पादन मिलियन यूनिट (यूनिट)
ताप	
धुवरण	246.67
अहमदाबाद	110.62
उतरान	32.31
अन्य छोटे-छोटे ताप केन्द्र	16.78
परमाणु	
तारापुर 50% भाग	41.95
कुल	448.33

(ग) गुजरात में विद्युत ऊर्जा की कोई कमी नहीं है।

पिछड़े क्षेत्रों में नये डाकघर खोलना

390. श्री वेकारिया :
श्री डी० पी० जदेजा :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्ष 1973–74 के दौरान और चालू वित्तीय वर्ष में जून, 1974 तक खोले गए डाकघरों में से पिछड़े क्षेत्रों में कितने नए डाकघर खोले गये;

(ख) क्या वर्ष 1972–73 और 1973–74 के दौरान ऐसे डाकघर खोलने के लिये योजना आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्य पूरे हो गये हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क)

	देश में खोले गये डाकघरों की कुल संख्या	पिछड़े इलाकों में खोले गये डाकघरों की संख्या
1973–74 के दौरान	1307	485
चालू वित्तीय वर्ष में जून, 1974 तक	43	20

(ख) और (ग) सिर्फ पिछड़े इलाकों में डाकघर खोलने के लिए कोई लक्ष्य निश्चित नहीं किया गया था।

संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के माध्यम से भर्त्ती संबंधी व्यवस्था का मूल्यांकन करने के लिए गठित समिति का प्रतिवेदन

391. श्री वेकारिया :
श्री अरविन्द एम० पटेल :

क्या **प्रधान मंत्री** संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के माध्यम से भर्ती संबंधी व्यवस्था का मूल्यांकन करने के लिए समिति से संबंधित 6 मार्च, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2097 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समिति का प्रतिवेदन इस बीच मिल गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं, श्रीमान ।

(ख) समिति के विचारार्थ विषयों के अन्तर्गत आने वाले विषयों के व्यापक क्षेत्र, उसमें निहित कार्य की गुरुता और उन विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, जिनकी विस्तृत जांच की आवश्यकता है, समिति को अपना कार्य पूरा करने तथा अपनी रिपोर्ट पेश करने में कुछ और महीने लग जाएंगे ।

कनाडा द्वारा भारतीय वैज्ञानिकों को दी जा रही प्रशिक्षण सुविधाएं वापस लेना

392. श्री वेंकारिया :
श्री डी० पी० जदेजा :

क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के भारतीय आणविक विस्फोट को देखते हुए कनाडा ने भारतीय वैज्ञानिकों को दी जा रही सभी प्रशिक्षण सुविधायें वापस ले ली हैं ;

(ख) यदि हां, तो भारत सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) अपने वैज्ञानिकों को प्रशिक्षण देने के लिये क्या वैकल्पिक प्रबंध किय गये हैं ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

फिल्म निगम की स्थापना

393. श्री पी० गंगा देव : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार फिल्म निगम की स्थापना करने के प्रश्न पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसे समूचे फिल्म उद्योग के हितों की देख-भाल करने के लिये स्थापित किय जा रहा है;

(ग) निगम के कृत्य क्या होंगे; और

(घ) क्या विदेशी फिल्मों के आयात हेतु व्यवस्था को अन्तिम रूप दे दिया गया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह): (क) तथा (ग) जी, हां ।

(ग) निगम के फिल्मों के आयात और निर्यात; उनके भारत और विदेशों में वितरण और प्रदर्शन; उच्च कोटि की फिल्मों के प्रोत्साहन; सिने फिल्मों और अन्य फिल्म सामग्रियों के आयात और आवंटन; फिल्म उद्योग के लिये आवश्यक पुर्जों और उपकरणों के आयात, आदि से संबंधित कार्य होगें ।

(घ) निगम की स्थापना होने तक फिल्मों के तदर्थ आयात के लिये कुछ कदम उठाये गये हैं ।

औद्योगिक प्रगति दर

394. श्री पी० गंगादेव :
श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 2 जून 1974 में बंबई के एक समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार के अनुसार वर्ष 1973-74 में औद्योगिक प्रगति की दर एक प्रतिशत थी;

(ख) यदि हां, तो इसक क्या कारण हैं;

(ग) क्या देश म काफी औद्योगिक क्षमता अप्रयुक्त पड़ी है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जिआउर्रहमान अन्सारी): (क) से (घ) औद्योगिक उत्पादन की सरकारी सूची में उपलब्ध अद्यतन आंकड़ों के अनुसार 1973–74 (अप्रैल-जनवरी) प्रथम 10 महीनों में वृद्धि दर 0.4 प्रतिशत बनी रही है ।

यद्यपि औद्योगिक उत्पादन में सामान्य गतिरोधरहा है, तो भी अनेक उद्योगों के निजी तथा सरकारी दोनों ही क्षत्रों में सुधार हुआ है, कई उद्योगों में विद्युत कटौती, विद्युत अन्तर्बाधा, संचालन तथा रख-रखाव की समस्याओं से उत्पन्न अनेक भारी खामियों देशी तथा आयातित कच्चे माल की कमी । परिवहन की कठिनाइयों तथा अन्य समस्याओं के बावजूद उत्पादन होता रहा है ।

187 चुने हुए उद्योगों के बारे में जिनके उत्पादन के आंकड़े तत्काल उपलब्ध हैं, 120 उद्योगों के उत्पादन में वृद्धि हुई है तथा बाकी के 67 उद्योगों में से लगभग आधे में उत्पादन में मामूली गिरावट आयी है । कई उद्योगों में कृषि आधारित कच्ची सामग्री की कमी के कारण उत्पादन में वृद्धि कम हुई है (उत्पादन गिरा है) । उपर्युक्त बाधाओं के कारण क्षमता के उपयोग का स्तर ऊंचा नहीं उठाया जा सका जिसमें विदेशी मुद्रा की कमी, कीमतें बढ़ना, तथा कमी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अत्यावश्यक कच्चे माल की अनुपलब्धता भी कारण रही है ।

उद्योग द्वारा अनुभव की जाने वाली कठिनाइयों को दूर करने हेतु सरकार प्रत्येक प्रयास कर रही है । आयात प्रतिस्थापन को प्रोत्साहन देने दुर्लभ औद्योगिक कच्चे माल जुटाने के उपाय किये गए हैं, उद्योगों में प्राथमिकता तथा गैर प्राथमिकता के बीच और भी युक्तियुक्त सीमित विदेशी मुद्रा का नियतन सुनिश्चित किया गया है ताकि सभी प्रधान तथा प्राथमिकता वाले उद्योगों में इष्टतम उत्पादन किया जा सके धमन भट्टी के तेल की सप्लाई में अपरिहार्य कटौती हो जाने से धमन भट्टी के तेल के नियतन हेतु 33 महत्वपूर्ण उद्योगों को तरजीह दी गई है ।

पांचवीं योजना को अन्तिम रूप दिया जाना

395. श्री डी० डी० देसाई : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं योजना को अंतिम रूप दिये जाने में कठिनाई उत्पन्न हो गई है यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ख) क्या इसे अंतिम रूप दिये जाने में अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्यों में वृद्धि बाधक सिद्ध हुई है ; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख) आजकल कई अभ्यास चल रहे हैं । किन्तु देश तथा विदेश दोनों जगहों पर लगातार मूल्यवृद्धि (उपभोक्ता मूल्यों सहित), अंतर्राष्ट्रीय तेल स्थिति की और समग्र भुगतान संतुलन स्थिति में अनिश्चितता के कारण पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप को अंतिम रूप देने में कठिनाई हो रही है । चालू वर्ष की वार्षिक योजना, वर्तमान कठिन आर्थिक स्थिति के साथ उपयुक्त सामन्जस्य करके पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप की पृष्ठभूमि में तैयार की गई है ।

(ग) मूल्य नियंत्रण करने के लिये कई पग उठाये गये हैं । जिनमें निम्नलिखति उपाय शामिल हैं :—घाटे की अर्थ व्यवस्था, बैंक ऋण और मुद्रापूर्ति पर कड़ा नियंत्रण, अनाज तथा दूसरी अनिवार्य उपभोक्ता सामग्री और बुनियादी क्षेत्र उद्योगों के उत्पादन में वृद्धि, कतिपय उपभोक्ता वस्तुओं की सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सुदृढ़िकरण, आयात के माध्यम से देशी अनाज की उपलब्धता को बढ़ाना, आदि । अनिवार्य वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत जमाखोरी और नफाखोरी पर कठोर दण्ड की व्यवस्था करने के लिये जून, 1974 में एक अध्यादेश जारी किया गया है । हाल ही में तीन अध्यादेश प्राख्यातित किये गये हैं जिनके द्वारा दो वर्ष तक कम्पनियों द्वारा दिये जाने वाले शुद्ध लाभ तथा लाभांश के वितरण को सीमित करने की व्यवस्था दो वर्षों तक अतिरिक्त महंगाई भत्ते की 50 प्रतिशत राशि तथा एक वर्ष तक अतिरिक्त वेतन तथा मजदूरी की पूरी राशि को अनिवार्य रूप से जमा करने की व्यवस्था और जिनकी वार्षिक आय 15,000 रुपये से अधिक है उनके लिये दो वर्षों तक अपनी आय का एक निर्दिष्ट प्रतिशत अनिवार्य रूप से जमा कराने की व्यवस्था की गई है । सरकार

मूल्य वृद्धि रोकने के व्यापक कार्यक्रम के एक अभिन्न अंग के रूप में कई और उपाय अपनाने पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है ।

गुजरात में सीमेंट की कमी

396. श्री डी० डी० देसाई : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य में सीमेंट के तीन कारखानों के स्थित होने के बावजूद वहां पर सीमेंट की बहुत अधिक कमी है; और

(ख) यदि हां, तो जनता को सीमेंट की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जिआउर्रहमान अन्सारी) : (क) से (ख) समग्र रूप स देश में सीमेंट की कमी के कारण गुजरात राज्य में सीमेंट की कुछ कमी है । सीमेंट के उपलब्ध उत्पादन का समान रूप से वितरण करने के विचार से प्रत्येक राज्य को जुलाई, 1973 से जून, 1974 तक की अवधि के लिये पिछले पांच वर्षों में प्रत्येक राज्य में सीमेंट की औसत खपत के 110 प्रतिशत के आधार पर कोटे नियत कर दिये गये थे । ये कोटे राज्य विशेष में केन्द्रीय सरकार के विभागों को निर्माण कार्य की आवश्यकता और बड़े एवं माध्यम दर्जे के उद्योगों की आवश्यकताओं के अलावा हैं, जिन्हें केन्द्रीय कोटे से अलग से पूरा किया जाता है । निर्धारित वार्षिक कोटों और आगामी प्रत्येक तिमाही में सीमेंट की प्रत्याशित उपलब्धि के अधीन राज्य सरकारों को तिमाही आबंटन किये जाते हैं । नियंत्रित मूल्य पर जनता को सीमेंट देने का सुनिश्चिय करने के विचार से राज्य सरकारों को भी परमिटों द्वारा सीमेंट के वितरण को नियमित करने के लिये आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत आदेश जारी करने को कहा गया था ।

गुजरात राज्य को पिछले तीन वर्षों की अवधि में की गई सीमेंट की कुल आपूर्ति निम्न प्रकार है :—

वर्ष	आपूर्ति (लाख मी०टन में)
1971	13.70
1972	14.05
1973	12.49

समाचार-पत्र वित्त निगम

397. श्री बनमाली बाबू :
श्री एम० एस० संजीवीराव :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समाचर-पत्र वित्त निगम के बारे में कोई निर्णय किया है जिसका प्रस्ताव तीन वर्ष से अधिक समय पहले किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) तथा (ख) जी, हां । समाचार-पत्र वित्त निगम की स्थापना हेतु एक विधेयक शीघ्र ही पेश करने का प्रस्ताव है । इसके विवरण विचाराधीन हैं ।

पांचवीं योजना के पहले वर्ष के दौरान विद्युत उपकरणों का आयात

398. श्री बनमाली बाबू :
श्री एम० एस० संजीवीराव :
श्री वीरभद्र सिंह :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत उत्पादन और उसकी मांग के बीच अन्तर को पूरा करने के लिये सरकार का विचार विद्युत उपकरणों का आयात करने का है; और

(ख) यदि हां, तो पांचवीं योजनावधि के पहले वर्ष में कितने मूल्य क उपकरणों का आयात करने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) और (ख) जी, हां। विद्युत उपस्करों का उसी सीमा तक आयात करने का प्रस्ताव है जहां स्वदेशी निर्मातागण अपेक्षित समय के भीतर विद्युत उपस्कर की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असमर्थ हों, ताकि विद्युत विकास कार्यक्रम में बाधा न आये। बहरहाल, आयात के प्रत्येक प्रस्ताव पर इसके गुणदोषों के आधार पर विचार किया जायेगा।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल विद्युत विकास कार्यक्रम के निमित्त 2500 मैगावाट क्षमता के उपस्करों का आयात करने का अनुमान है। पिछले वर्षों में विदेशों में दिये गये आदेशों के प्रति उपस्कर इस योजना के प्रथम वर्ष में चरण बद्ध रूप में प्राप्त होंगे।

साझी विद्युत ग्रिड का अध्ययन करने हेतु भारत श्रीलंका विशेषज्ञ समिति

399. श्री बनमाली बाबू :
श्री एम० एस० संजीवीराव :
श्री वीरभद्र सिंह :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और श्रीलंका ने साझी विद्युत ग्रिड की व्यवहार्यता का अध्ययन करने हेतु विशेषज्ञ समिति गठित की है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति के सदस्य कौन-कौन हैं और इसके निदेश-पद क्या हैं; और

(ग) समिति द्वारा अपना प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत कर दिये जाने की आशा है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) आर्थिक सहयोग के लिये भारत श्रीलंका उपसमिति की कोलम्बो में 3 से 7 जून, 1974 तक हुई पांचवीं बैठक में भारत श्रीलंका विद्युत ग्रिडों को आपस में जोड़ने स संबंधित परियोजना की प्रारंभिक जांच के पश्चात यह स्वीकार किया गया था कि तकनीकी तथा आर्थिक पहलुओं के ब्यौरों की जांच करन के लिये तथा दोनों सरकारों को रिपोर्टें देने के लिये एक तकनीकी समिति स्थापित की जाये जिसमें दोनों सरकारों के विशेषज्ञ शामिल हों। समिति के गठन, विचारार्थ विषय और समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के संभावित समय पर अभी फैसला नहीं हुआ है।

जून 1974 में नदी जल के संबंध में भारत-बंगला देश वार्ता

400. श्री बनमाली बाबू :
श्री एम० एस० संजीवीराव :
श्री वीरभद्र सिंह :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून, 1974 में नदी जल के संबंध में भारत–बंगलादेश वार्ता हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, हां।

(ख) 17 मई, 1974 की संयुक्त घोषणा में निहित भारत और बंगलादेश के प्रधान मंत्रियों क निदेशों की परिपालना में आयोग ने इस क्षेत्र में दोनों देशों में उपलब्ध जल संसाधनों के इष्टतम समुपयोजन द्वारा गैर मानसून महीनों में फरक्का पर गंगा के सम-ऋतु प्रवाह बढ़ाने के सबसे अच्छे उपायों का अध्ययन करने के लिये एक समुचित कार्यक्रम तैयार किया है।

आयोग ने अपनी गत बैठक के उपरांत किये गये कार्यों का पुनरीक्षण किया तथा भविष्य में किये जाने वाले कार्य पर निर्णय भी लिये।

बस तथा ट्रक के टायरों का वितरण

401. श्री सी० के० जाफरशरीफ :
श्री श्री कृष्ण अग्रवाल :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्येक पंजीकृत वाहन के लिये कोटा निर्धारित करके बस तथा ट्रक के टायरों का वितरण करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने इस संबंध में विभिन्न राज्यों के सुझावों पर भी विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो तथ्य क्या हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा कृषि मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (ग) सरकार ने टायर उद्योग के सहयोग से हाल ही में प्रत्येक राज्य की वाहन संख्या सहित सभी संबंधित बातों का ध्यान रखते हुए देश में वितरण व्यवस्था को युक्तसंगत बनाने के उद्देश्य से टायर तथा ट्यूब वितरण करने की एक नई योजना लागू की है। इस बारे में राज्य सरकारों से भी परामर्श किया गया है।

चंडीगढ़ संबंधी निर्णय को क्रियान्वित करना

402. श्री वीरेन्द्र सिंह राव :
श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चण्डीगढ़ के बारे में प्रधान मंत्री के निर्णय को क्रियान्वित करने के संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) प्रस्तावित सीमा विवाद आयोग स्थापित करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) तथा (ख) अन्य बातों के साथ साथ चण्डीगढ़ के संबंध में 29 जनवरी, 1970 को केन्द्रीय सरकार द्वारा की गई घोषणा से संबंधित विभिन्न मामले राज्य सरकारों के परामर्श में विचाराधीन है। परन्तु उस घोषणा के अनुसार चण्डीगढ़ के बारे में सीमा आयोग स्थापित करने का कोई प्रश्न नहीं है।

औद्योगिक उत्पादन में गिरावट

403. श्री वीरेन्द्र सिंह राव :
श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों की तुलना में वर्ष 1973–74 में औद्योगिक उत्पादन में गिरावट आई है और कितनी गिरावट आई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और देश में औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने हेतु सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) अद्यतन उपलब्धि आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1973–74 के प्रथम दस महीनों (अप्रैल-जनवरी) के दौरान औद्योगिक उत्पादन केवल 0.4 प्रतिशत की दर से बढ़ा है। इसकी तुलना में वृद्धि की यह दर वर्ष 1971–72 की अपेक्षा 1972–73 में 5.3 प्रतिशत और 1970–71 की अपेक्षा 1971–72 में 2.3 प्रतिशत की रही थी।

हालांकि औद्योगिक उत्पादन में सामान्य रूप से ठहराव सा रहा है फिर भी निजी तथा सरकारी दोनों ही क्षेत्रों के अनेक उद्योगों के उत्पादन में सुधार दिखाई पड़ा है। बहुत से उद्योगों में अनेक बड़ी बड़ी कठिनाइयों जैसे बिजली की कटौती तथा बीच बीच में बिजली की गड़बड़ी कुछ उद्योगों में संचालन तथा रख रखाव की समस्याओं देसी तथा आयातित दोनों ही प्रकार की उपयोगी सामानों के अभाव परिवहन की दिक्कतों और अन्य समस्याओं के बावजूद उत्पादन स्तर बनाये रखा गया है।

कृषि पर आधारित कच्चे माल के अभाव ने अनेक उद्योगों की उत्पादन वृद्धि में बाधा पहुंचाई है। (अथवा इसके फलस्वरूप उत्पादन में गिरावट आई है) ऊपर बताई गई कठिनाइयों के साथ साथ विदेशी मुद्रा की कमी, कीमतों में वृद्धि और समय समय पर अन्तर्राष्ट्रीय मण्डियों में अत्यावश्यक कच्चे माल सुलभ न होने के कारण क्षमता का अधिक से अधिकतर उपयोग नहीं किया जा सका।

उद्योगों के सामने उठ खड़ी हुई कठिनाइयों को दूर करने के लिये सरकार हर प्रकार का प्रयास कर रही है। आयात प्रतिस्थापन दुर्लभ औद्योगिक कच्चे माल के संचयन प्राथमिकता प्राप्त तथा गैर प्राथमिकता वाले उद्योगों के बीच सीमित विदेशी मुद्रा के अपेक्षाकृत औचित्यपूर्ण नियतन और सभी कौर तथा प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों में अधिकतम उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये कदम उठाये गये हैं। फर्नेस आयल के संभरण में अपरिहार्य कटौती के स्थिति में 33 महत्वपूर्ण उद्योगों को फर्नेस आयल का नियतन करने में तरजीह दी गई है।

हरियाणा, पंजाब और दिल्ली की औद्योगिक समस्याओं की जांच के लिए समिति

404. श्री वीरेन्द्र सिंह राव :
श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने हरियाणा, पंजाब और दिल्ली की औद्योगिक समस्याओं की जांच करने के लिये एक स्थायी समिति की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं; और

(ग) समिति के निर्देश-पद क्या हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा कृषि मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम): (क) जी, हां।

(ख) औद्योगिक विकास मंत्रालय के विशेष सचिव की अध्यक्षता में गठित निम्नलिखित सदस्यों की एक समिति बनाई गयी थी :—

(1) योजना आयोग बैंकिंग विभाग इस्पात तथा खान मंत्रालय, सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, रेल मंत्रालय, विकास आयुक्त लघु उद्योग, इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक आफ इंडिया के प्रतिनिधि।

(2) पंजाब, हरियाणा सरकार तथा दिल्ली संघ क्षेत्र के सचिव (उद्योग) तथा

(3) पंजाब, हरियाणा तथा दिल्ली के वाणिज्य मंडल (चेम्बर आफ कामर्स) के प्रतिनिधि।

(ग) कम्पनी के विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं :—

1—**अल्प कालीन समस्यायें** :

(क) क्षेत्र के उद्योगों में आवश्यक दुर्लभ कच्ची सामग्री की मांग तथा संभरण की जांच तथा उचित संभरण तथा समान वितरण सुनिश्चित करने हेतु अभ्युपाय का सुझाना।

(ख) क्षेत्र में बिजली की उपलब्धता की समय समय पर संवीक्षा करना ताकि समान वितरण के लिये उचित कदम उठाये जाने का सुझाव दिया जा सके।

(ग) अंतर्राज्यीय ट्रेफिक सहित परिवहन समस्या की देखरेख।

(घ) संतुलित वित्त उपलब्धता की दृष्टि से वर्तमान औद्योगिक वित्त योजनाओं का निरूपण करना।

(ङ) समिति के समक्ष समय समय पर लाये गये औद्योगिक विकास संबंधी अन्य विषय।

2—दीर्घकालीन समस्यायें :

(क) उपलब्ध सामग्री, वित्त तथा अवस्थापना संसाधनों को दृष्टिगत रख क्षेत्र के लिये समन्वित औद्योगिक विकास का दीर्घकालीन कार्यक्रम तैयार करना,

(ख) उन उद्योग क्षेत्रों का पता लगाना जिनमें आधुनिकीकरण की आवश्यकता है और उनके संबंध में उपयुक्त कार्यक्रम बनाना तथा उसके लिये सिफारिश करना,

(ग) बड़े औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने के लिये उन क्षेत्रों का पता लगाना जो अवस्थापना सुविधा तथा सहायक समान की दृष्टि से उपयुक्त हो,

(घ) क्षेत्र की ऊर्जा समस्या की दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य में समीक्षा तथा उन्हें निबटाने हेतु समुपयुक्त अभ्युपाय सुझाना,

(ङ) क्षेत्र में निर्यात विभव के पूर पूरे विदोहन हेतु योजना बनाना।

बान्दा जिले (उत्तर प्रदेश) में एक हरिजन नेता की हत्या

405. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 17 जून, 1974 को बान्दा जिले में एक हरिजन नेत्री, श्रीमती कुन्ती की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी;

(ख) क्या सरकार ने इस मामले की कोई जांच करवाई है; और

(ग) यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम निकला है?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा): (क) से (ग) उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार श्रीमती कुन्ती पत्नी श्री वैरागी उर्फ राम दीन सिंह, गांव लुलतारा, जिला बान्दा की मृत्यु 16 जून, 1974 को हो गई थी जब गोली लगने से घायल होने के कारण उसे अस्पताल ले जाया जा रहा था। यह कहा गया था कि एक कांस्टेबल, छोटेलाल, जो डाकुओं के एक गिरोह के बारे में पूछताछ करने गांव गया था, की बन्दूक से अकस्मात गोली चलने की घटना है। बताया गया था कि कांस्टेबल का, जिसको भी गोली लगी थी अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। कांस्टेबल के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 304 ए के अधीन एक मामला दर्ज किया गया था और जांच पड़ताल हो रही है। कांस्टेबल को मुअत्तल कर दिया गया है। एस०डी०एम० बांदा द्वारा एक मैजिस्ट्रेरियल जांच की जा रही है। राज्य सरकार ने यह भी सूचित किया है कि श्रीमती कुन्ती अनुसूचित जाति समुदाय की सदस्य नहीं थी।

काश्मीर घाटी में दूर संचार व्यवस्था

406. **श्री डी० पी० जडेजा :**
श्री अरविन्द एम० पटेल :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देवी प्रकोप से ग्रस्त काश्मीर घाटी में दूरसंचार व्यवस्था में सुधार करने के लिये 1964 में एक योजना बनाई गई थी जिसमें घाटी के सभी महत्वपूर्ण कस्बों को परस्पर जोड़ने के लिये भूमिगत केबल डालने का प्रस्ताव किया गया था;

(ख) इस परियोजना की वास्तविक लागत कितनी थी और क्या यह परियोजना इस बीच पूरी हो गई है; और

(ग) यदि हां, तो परियोजना के तथ्य क्या हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) इस परियोजना की वास्तविक लागत अनुमानतः 30.9 लाख रुपये है। यह योजना पूरी हो चुकी है।

(ग) इस योजना में यह व्यवस्था है कि अनन्तनाग बारामूला और सोपोर को श्रीनगर से जोड़ने के लिये जमींदोज केबुल बिछाये जायें, उपर्युक्त प्रथम तीन स्थानों पर (श्रीनगर में पहले ही आटो-एक्सचेंज है) आटो-एक्सचेंज स्थापित किये जायें और इन स्थानों को उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग सेवा के लिये श्रीनगर से जोड़ दिया जाये।

उपयुक्त 3 स्थानों से श्रीनगर के लिये और श्रीनगर से इन तीनों स्थानों के लिये उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग सेवा मार्च 1969 में चालू की गई थी।

दिल्ली में नये टेलीफोन लगाया जाना

407. श्री इसहाक सम्भली :
श्री नवल किशोर शर्मा :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली टेलीफोन विभाग के अधिकारियों ने यह घोषणा की है कि 1974 में कोई नया टेलीफोन नहीं लगाया जायेगा; और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार के कुछ पदों के अधिकारियों के निवास पर स्वतः ही टेलीफोन लगा दिये जाते हैं और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इस पर पुनर्विचार किया जायेगा और केवल उन्हीं अधिकारियों को टेलीफोन दिए जायेंगे जिन्हें इसकी आपात सम्पर्क के लिए आवश्यकता होती है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) दिल्ली टेलीफोन प्रणाली के बहुत से एक्सचेंजों पर अधिक भार हो गया है। इस प्रकार भारी संख्या में टेलीफोन कनेक्शन देने से मौजूदा उपभोक्ताओं को मिलने वाली सेवा के स्तर पर बुरा असर पड़ेगा। जहां भी एक्सचेंज में भार उठाने की क्षमता है टेलीफोन कनेक्शन दिये जा रहे हैं।

(ख) और (ग) मोटे तौर पर सरकारी अधिकारियों के घरों में टेलीफोन कनेक्शन सरकारी काम के हित में लगाये जाते हैं। अधिकारी जिस पद पर काम कर रहा होता है यह निर्णय प्रायः उसके आधार पर किया जाता है। बचत करने के उपाय के तौर पर सरकारी कार्यालयों और अधिकारियों के घरों में लगे हुए टेलीफोनों के बारे में संबंधित मंत्रालयों/विभागों में पुनरीक्षण किया जा रहा है।

दिल्ली में बिना छत वाला (ओपनस्थर) चलचित्र गृह

408. श्री एम०एस० पुरती : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजधानी में बिना छत वाले चलचित्र गृह शुरू किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ऐसे चलचत्रि गृह पूरे देश में आरम्भ करने का है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) तथा (ख) रवीन्द्र रंगशाला का ओपन एयर थियेटर फिल्मों के प्रदर्शन के लिये प्रयोगात्मक आधार पर इस्तेमाल किया गया है। फिलहाल कोई अन्य विशिष्ट प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

सीमेंट का उत्पादन

409. श्री सी० जनार्दनन : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई, 1974 से सीमेंट का उत्पादन बढ़ गया है;

(ख) यदि हां, तो मई, 1974 से राज्य-वार कुल कितना उत्पादन हुआ है; और

(ग) सीमेंट की प्रत्येक बोरी का नियंत्रित मूल्य क्या हैं तथा बाजार में यह किस मूल्य में उपलब्ध है?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जिआउर्रहमान अन्सारी): (क) से (ग) मई, 1974 में सीमेंट का उत्पादन 10.01 मी० टन था और जून, 1974 का उत्पादन 11.60 लाख मी० टन हुआ था। राज्यवार उत्पादन नीचे बताया गया है :–

राज्य का नाम	उत्पादन मी० टनों में	
	मई, 1974	जून, 1974
1. मध्य प्रदेश	211759	218618
2. हरियाणा	40862	41728
3. बिहार	127451	140134
4. गुजरात	69337	112752
5. राजस्थान	86070	112011
6. उत्तर प्रदेश	54738	48926
7. आसाम	7050	6100
8. उड़ीसा	45377	65690
9. महाराष्ट्र	40677	25989
10. आन्ध्र प्रदेश	106190	110752
11. तमिलनाडु	100247	164768
12. कर्नाटक	110791	112122
13. केरल	19	—
योग	10,00,568	11,59,590

सीमेंट कंट्रोल आर्डर 1967 के उपबंधों के अंतर्गत सीमेंट का मूल्य तथा उसका वितरण विनियमित किया जाता है। इस आदेश के अधीन गन्तव्य स्थान तक रेलभाड़ा मुक्त एक समान कीमत नियत की जाती है जो इस समय सीमा-शुल्क (42.63) तथा पैकिंग चार्जेज (13.33) के अतिरिक्त 155 रुपये है।

आदेश के खण्ड 10 के अधीन बेचे जाने वाले सीमेंट की थोक तथा फुटकर कीमत राज्य सरकारों द्वारा वहन तथा परिवहन प्रभार, गोदाम प्रभार, स्टाकिस्टों का लाभ, स्थानीय कर, यदि कोई हो तो तथा जहां अनुमति दी गई हो अतिरिक्त सड़क परिवहन प्रभार को लेकर उपर्युक्त कीमत स्थिर की जाती है। एक ही राज्य में भिन्न भिन्न स्थानों पर तथा हर एक राज्य में यह कीमत भिन्न भिन्न होती है।

दूरसंचार और डाक सेवाओं का पुनर्गठन

410. श्री सी० जनार्दनन : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दूरसंचार और डाक सेवाओं को पुनर्गठित करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) और (ख) डाक-तार सर्किल स्तर पर फील्ड की डाक और दूरसंचार सेवाओं के पुनर्गठन के लिये डाक-तार बोर्ड कुछ प्रस्तावों की जांच कर रहा है।

केन्द्रीय सेवाओं में साम्प्रदायिक आधार पर नौकरियों का आरक्षण

411. श्री सी० जनार्दनन : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय सेवाओं में साम्प्रदायिक आधार पर नौकरियों का आरक्षण करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं और इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के लिये विद्यमान आरक्षणों के अलावा, जो संविधान के अनुच्छेद 335 के साथ पठित अनुच्छेद 16(4) के उपबंधों के अंतर्गत आते हैं, केन्द्रीय सेवाओं में साम्प्रदायिक आधार पर और कोई आरक्षण किये जाने का प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

मई और जून, 1974 में गुजरात में बिजली में कटौती

412. श्री प्रसन्न भाई मेहता : क्या **सिचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य सरकार ने मई तथा जून, 1974 में राज्य में बिजली में 15 प्रतिशत की कटौती की थी ;

(ख) यदि हां, तो उसके मुख्य कारण क्या थे; और

(ग) राज्य में बिजली की कटौती को कब तक बहाल कर दिया जायेगा ?

सिचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) अधिकतम क्षमता के पर्याप्त रूप में उपलब्ध न होने के कारण, गुजरात में मई से लेकर 10 जन, 1974 तक बिजली की निम्नलिखित कटौतियां लागू रहीं (सामान्यत: वहां ऊर्जा की कोई कमी नहीं थी) :

(1) सायंकाल को अधिकतम लोड के दौरान उच्च-वोल्टता उपभोक्ताओं को बारी-बारी से थोड़े-थोड़े समय के लिये सप्लाई बन्द करना ।

(2) सतत प्रक्रिया उद्योगों और अनिवार्य उपभोक्ताओं को छोड़कर उच्च वोल्टता औद्योगिक उपभोक्ताओं के पिछले तीन महीनों की औसत अधिकतम मांग में 8 प्रतिशत कटौती ।

(3) 10 हार्स पावर से अधिक के नीचे लोड की मांग करने वाले सभी निम्न और उच्च वोल्टता उपभोक्ताओं को रात्रि में बिजली सप्लाई करना ।

(4) निआन-साइन, पोस्टरों, विज्ञापनों और प्रदर्शनियों के लिये बिजली सप्लाई पर पूरी रोक लगाना ।

तारापुर परमाणु विद्युत केन्द्र में आऊटेज के कारण ध्रुवरण विद्युत केन्द्र पर तेल की कमी होने के कारण, 8 से 12 मई, 1974 तक सभी उच्च वोल्टता तथा निम्न-वोल्टता के औद्योगिक उपभोक्ताओं पर 15 प्रतिशत बिजली की कटौती लागू की गई थी ।

10 जून, 1974 से सभी पाबंदियां हटा ली गई हैं ।

गुजरात में परमाणु विद्युत संयंत्र की स्थापना

413. श्री प्रसन्नभाई मेहता : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुजरात में एक परमाणु विद्युत संयंत्र स्थापित करने के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो अन्तिम निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है ?

प्रधान मंत्री परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रोनिकस मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) तथा (ख) जी, नहीं । पश्चिमी विद्युत क्षेत्र में परमाणु बिजलीघर के निर्माण के लिए स्थान का निर्धारण करने से स्थल-चयन समिति की रिपोर्ट संयंत्र स्थल संबंधी परिस्थितियों के बारे में कुछ अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने के उद्देश्य से उस समिति को लौटा दी गई है । अपेक्षित अतिरिक्त सूचना प्राप्त हो जाने तथा उस पर सरकार द्वारा विचार कर लिया जाने के बाद ही इस मामले में कोई निर्णय किया जा सकेगा ।

नर्मदा नदी जल विवाद के मामले को न्यायाधिकरण के पास भेजना

414. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नर्मदा नदी जल विवाद को न्यायाधिकरण को पुनः भेजने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में नवीनतम स्थिति क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) से (ख) नर्मदा जल विवाद 1969 में एक न्यायाधिकरण को सौंपा गया था। 1972 में संबंधित राज्यों के बीच एक समझौता हुआ और उन्होंने विवाद के अन्तर्गत विषयों में से दो पर पंचाट देने के लिये प्रधान मंत्री से अनुरोध किया था। बहरहाल, 12 जुलाई, 1974 को चार पक्षकार राज्यों के बीच हुए समझौते के अनुसार, इस विवाद पर, जिसमें प्रधान मंत्री को पहले निर्दिष्ट किये गये दो मामले भी शामिल हैं, निर्णय न्यायाधिकरण द्वारा दिया जायेगा। इस समझौते में यह भी प्रावधान है कि पक्षकार उन कई विषयों जिन पर उनमें समझौता हो गया है, को रद्द करने/संशोधन करने के लिये न्यायाधिकरण से अनुरोध करेंगे और राजस्थान तथा मध्य प्रदेश की सरकारें कतिपय प्रारंभिक मामलों पर न्यायाधिकरण द्वारा दिये गये निर्णयों के फलस्वरूप अपनी-अपनी अपील सर्वोच्च न्यायालय से वापस ले लेंगी।

गुजरात में टेलीफोन उपकरण बनाने का कारखाना लगाना

415. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य सरकार ने केन्द्र से राज्य में सरकारी क्षेत्र में टेलीफोन उपकरण बनाने वाला एक वैसा ही कारखाना लगाने का अनुरोध किया है जैसा कि बंगलौर में स्थित है; और

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है और यदि हां, तो परियोजना के कब तक स्थापित होने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लगाए जाने वाले, इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के नए कारखानों के लिये स्थान का प्रश्न, सरकार के विचाराधीन है।

विमानन नीति में परिवर्तन

416. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग का विचार देश की विमानन नीति में भारी परिवर्तन करने का है;

(ख) यदि हां, तो किन परिवर्तनों के सुझाव दिये गए हैं; और

(ग) इन परिवर्तनों के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, नहीं। बहरहाल, योजना आयोग ने सिविल विमानन समेत सभी प्रकार के परिवहन के समेकित आयोजन पर बल दिया है ताकि परिवहन क्षेत्र के कुल विनियोजन से अधिकतम लाभ उठाया जा सके।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

बड़े औद्योगिक गृहों द्वारा कागज के कारखानों की स्थापना

417. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में कागज के नये कारखाने स्थापित करने के लिये बड़े औद्योगिक गृहों को अनुमति देने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रद्योगिकी तथा कृषि मंत्री (श्री सी० सुब्रह् मण्यम) : (क) चालू लाइसें नीति के अनुसार लुग्दी कागज और अखबारी कागज उद्योग उन उद्योगों में से एक है जिसमें बड़े औद्योगिक गृह भाग ले सकते हैं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

विद्युत प्रजनन क्षमता में कमी होना

418. श्री एच० एम० पटेल : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत एक वर्ष में विद्युत प्रजनन क्षमता में कमी हुई है;

(ख) यदि हां, तो कितनी कमी हुई है और इसके कारण क्या हैं; और

(ग) प्रजनन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न स्थिति का मुकाबला करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) पिछले वर्ष के दौरान, कुछ पुराने सेटों के हटाये जाने के बाद देश में प्रतिष्ठापित उत्पादन क्षमता में 400 मेगावाट की वृद्धि हुई ।

(ख) कुछ राज्यों में, कम-बेश मात्रा में विद्युत-शक्ति की कमी महसूस हुई । बिजली की कमी का मुख्य कारण यह था कि उत्पादन क्षमता की अपेक्षा मांग में अधिक तेजी से वृद्धि हुई । उत्पादन क्षमता में कम वृद्धि होने के कई कारण थे, जिनमें अपर्याप्त धनराशि, दुर्लभ उत्पादन उपस्कर की प्राप्ति तथा सिविल कार्यों को पूरा करने में विलम्ब आदि सम्मिलित हैं ।

(ग) अधिकतम बिजली उपलब्ध करवाने के लिये निम्नलिखित उपाय किये जा रहे हैं :—

(1) वर्तमान विद्युत प्रतिष्ठानों का विभिन्न उपायों द्वारा अधिकतम समुपयोजन किया जा रहा है ।

(2) अन्तर्राज्यीय लाइनों के निर्माण और लोड प्रेषण केन्द्रों की स्थापना के कार्यक्रम को शीघ्रतापूर्वक पूरा किया जा रहा है ।

(3) जिन परियोजनाओं का कार्य पूरा होने वाला है, उन्हें तेजी से पूरा किया जा रहा है जिससे कि उत्पादन यूनिटों के शीघ्र प्रचालन को सुनिश्चित किया जा सके ।

(4) पड़ौसी राज्यों के बीच बिजली के आदान-प्रदान को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, ताकि उत्पादन क्षमता का अधिकतम समुपयोजन किया जा सके और बिजली को रिजर्व रखने की आवश्यकता को न्यूनतम किया जा सके ।

(5) संधारित्रों के प्रतिष्ठापण और अन्य उपायों द्वारा प्रणाली में ऊर्जा की हानि को कम किया जा रहा है ।

भीमकुंड बांध परियोजना स्थल

419. श्री अर्जुन सेठी : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकार ने उड़ीसा में भीमकुंड बांध परियोजना के प्रस्तावित स्थान के बारे में अपने निर्णय की सूचना दे दी है;

(ख) यदि हां, तो उस स्थान का नाम क्या है; और

(ग) क्या सरकार इस बांध परियोजना को पांचवीं पंचवर्षीय योजना में क्रियान्वित करने के लिये सम्मिलित करने हेतु परियोजना प्रतिवेदन पर विचार कर रही है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां ।

(ख) क्यूंझर जिले में नवपारा ।

(ग) परियोजना रिपोर्ट अभी केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग में प्राप्त नहीं हुई है। बहरहाल, इस परियोजना को पांचवीं योजना में सम्मिलित करना इसकी तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता तथा राज्य सरकार के पास धन को उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के विरुद्ध उड़ीसा की शिकायत

420. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को पारासिडिंगा ब्लैक स्मिथ कोआपरेटिव सोसाइटी, बालासोर, उड़ीसा के अध्यक्ष तथा अन्य व्यक्तियों से एक पत्र भेजा गया है जिसमें खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के विरुद्ध कुछ शिकायतें की गयी हैं;

(ख) यदि हां, तो ये शिकायतें किस प्रकार की हैं; और

(ग) क्या उनकी जांच की गई है तथा उनका निराकरण किया गया है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जिआउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, हां।

(ख) समिति के अध्यक्ष ने खादी आयोग से वित्तीय सहायता न मिलने के बारे में अभ्यावेदन दिया था।

(ग) खादी आयोग ने बताया है कि वर्ष 1973-74 में धन की कमी के कारण समिति को सहायता नहीं दी जा सकी परन्तु चालू वर्ष के लिये सहायता का नियतन किया जा रहा है।

उड़ीसा में अखबारी कागज बनाने का कारखाना

421. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री उड़ीसा में अखबारी कागज बनाने के कारखाने के बारे में 5 दिसम्बर, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3521 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप के उपबन्धों को अन्तिम रूप दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उड़ीसा में अखबारी कागज बनाने का कारखाना लगाने के लिए निर्णय ले लिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा कृषि मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में उड़ीसा में अखबारी कागज का कारखाना स्थापित करने का कोई भी प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

बालासौर जिले में नये शाखा डाकघर खोलने पर लगा प्रतिबन्ध

422. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के बालासोर जिले में नए शाखा डाकघर खोलने पर प्रतिबंध लगा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और किस प्रकार का प्रतिबंध लगा है और वह कब उठाया जाएगा; और

(ग) क्या सरकार बालासौर जिले के लगेलश्वर में एक सार्वजनिक टेलीफोन लगाने तथा सोमनाथपुर गांव और जयदेव कस्बी गांव में शाखा डाकघर खोलने पर सहमत हो गई है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) बहुत पिछड़े हुए और पहाड़ी इलाकों के अलावा सारे देश में नए डाकघर खोलने पर प्रतिबन्ध है। यह प्रतिबंध मौजूदा आर्थिक तंगी के कारण है। जब तक मौजूदा आर्थिक स्थिति बनी रहेगी तब तक इस प्रतिबन्ध के लगे रहने की संभावना है।

(ग)	(i) लगेलश्वर के लिए सार्वजनिक टेलीफोनघर	जी नहीं ।
	(ii) सोमनाथपुर और जयदेव कस्बा गांव के लिये शाखा डाकघर ।	इन प्रस्तावों की जांच की जा रही है परन्तु प्रतिबंध उठा लिए जाने पर ही निर्णय लिया जाएगा ।

दक्षिण भारत में वृद्ध, बीमार तथा विकलांग स्वतंत्रता सेनानियों के लिए 'गृह'

423. स्वामी ब्रह्मानन्द :

श्री शंकर देव :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वृद्ध, बीमार तथा विकलांग स्वतंत्रता सेनानियों के लिए स्थायी 'गृह' बनाने के लिए दक्षिण भारत में कोई स्थान प्राप्त कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या वहां निर्माण कार्य शुरू हो गया है; और यदि नहीं, तो इसे कब तक शुरू किये जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या इस 'गृह' में केवल 50 स्वतंत्रता सेनानियों को प्रवेश दिया जा सकेगा; और

(घ) यदि उसमें प्रवेश पाने वाले स्वतंत्रता सेनानियों की संख्या 50 से अधिक बढ़ जाती है तो सरकार उन सब को इसमें किस प्रकार रखेगी ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (घ) सरकार ने उन वृद्ध तथा अशक्त स्वतंत्रता सेनानियों के लिये, जिनकी देख भाल करने वाला कोई नहीं है, पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र में एक गृह स्थापित करने का निर्णय किया है । संघ राज्य क्षेत्र से उपयुक्त स्थान चुनने का अनुरोध किया गया है और उनके विस्तृत प्रस्ताव प्रत्याशित हैं । विभिन्न बातों जैसे प्रवेश प्राप्त करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों की संख्या पर, आवास तथा अन्य प्रशासनिक मामलों पर निर्णय लिये जाने के बाद, विचार किया जा सकता है ।

रायलसीमा के सूखाग्रस्त क्षेत्रों को कृष्णा नदी से जल की सप्लाई

424. श्री पी० वेंकटासुब्बया : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को एक अभ्यावेदन भेजा गया है जिसमें अनुरोध किया गया है कि रायलसीमा के सूखाग्रस्त क्षेत्रों को तटवर्ती जिलों के नेताओं और राज्य से नये आन्ध्र प्रदेश के बनते समय, हुए श्रीभग करार के अनुसार कृष्णा नदी से जल दिया जाये;

(ख) क्या सिंचाई आयोग ने सूखाग्रस्त क्षेत्रों को सिंचाई की सुविधायें प्रदान करने के मामले में सर्वोच्च प्राथमिकता देने की सिफारिश की है और यदि आवश्यक हो तो उन स्थानों को जल, जहां भूमिगत और उपलब्ध किया गया जल कम हो, उसका अन्तर्राज्यीय आधार पर आदान-प्रदान करके दिया जाये; और

(ग) यदि हां, तो रायलसीमा के सूखाग्रस्त क्षेत्रों को कृष्णा नदी से जल देने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) जी, हां ; कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण के पंचाट के परिणामस्वरूप रायलसीमा क्षेत्र में नई सिंचाई स्कीमें शुरू करने के लिये कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ।

(ख) जी, हां ।

(ग) रायलसीमा क्षेत्र में सिंचाई के लिये कृष्णा के पानी का उपयोग करने के लिये तुंगभद्रा निम्न-स्तरीय नहर, तुंगभद्रा उच्च स्तरीय नहर (चरण-एक और चरण-दो) और करनूल कुड्डापाह नहर जैसी कुछ परियोजनायें पहले ही निर्माणाधीन हैं ।

कर्नाटक, महाराष्ट्र और आन्ध्र के बीच कृष्णा नदी के जल के बंटवारे के बारे में न्यायाधिकरण का निर्णय

425. **श्री पी० वेंकटासुब्बया :** क्या **सिचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने कर्नाटक, महाराष्ट्र और आन्ध्र प्रदेश के बीच कृष्णा नदी के जल के बंटवारे के बारे में न्यायाधिकरण के निर्णय को अन्तिम रूप दे दिया है; और

(ख) क्या इन सभी राज्य सरकारों ने कृष्णा नदी के जल के बंटवारे के बारे में स्पष्टीकरण मांगे हैं और यदि हां, तो वे क्या हैं ?

सिचाई और विद्युत मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) और (ख) कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण ने अपना पंचाट दिसम्बर, 1973 में दिया था। तदनन्तर, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र राज्यों ने तथा केन्द्रीय सरकार ने पंचाट के कुछ मद्दों के बारे में न्यायाधिकरण से स्पष्टीकरण मांगा है। इन निदेशों पर न्यायाधिकरण द्वारा विचार किया जा रहा है। इन निदेशों पर अब न्यायाधिकरण द्वारा दिये गये स्पष्टीकरणों/व्याख्याओं के द्वारा पहले दिये गये पंचाट को संशोधित समझा जाएगा।

छः सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत आन्ध्र प्रदेश को सहायता

426. **श्री पी० वेंकटासुब्बया :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि छःसूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत पिछड़े क्षेत्रों के विकास हेतु आन्ध्र प्रदेश सरकार को विशेष वित्तीय सहायता देने के लिए सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : सरकार ने आन्ध्र प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए पांचवीं पंच वर्षीय योजना की अवधि में 90 करोड़ रुपयों की विशेष सहायता देने की घोषणा की है। यह सहायता आन्ध्र प्रदेश के तैलंगाना, रयालासीमा तथा तटवर्ती क्षेत्रों के बीच 5:3:2 के अनुपात से निश्चित की जाएगी। आन्ध्र प्रदेश सरकार से कहा गया है कि इस संबंध में विशिष्ट योजनाएं प्रस्तुत करें।

आगे ले जायी गयी अपूर्ण नदी घाटी सिंचाई तथा विद्युत परियोजनाओं को पूरा करने के लिए सहायता

427. **श्री पी० वेंकटासुब्बया :** क्या **सिचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरी, तीसरी तथा चौथी योजना अवधि के दौरान आरंभ की गई नदी घाटी सिंचाई तथा विद्युत संबंधी अपूर्ण परियोजनाओं की, जिनको आगे लाया गया है, संख्या कितनी है;

(ख) इन योजनाओं के मूल प्राक्कलन तथा पुनरीक्षित प्राक्कलन क्या हैं; और

(ग) क्या पांचवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों को कोई विशेष सहायता दी गई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) द्वितीय योजना के प्रारंभ से शुरू की गई 2?8 सिंचाई (वृहत् तथा मध्यम) और 67 विद्युत स्कीमें पांचवीं योजना में ले जाई जा रही हैं।

(ख) स्वीकृति के समय मूल प्राक्कलित लागत और जिसका अब मूल्यांकन किया गया है निम्नप्रकार है :—

	मूल	जैसा अब मूल्यांकन किया गया है (करोड़ रुपयों में)
सिंचाई (वृहत् व मध्यम)	1364	3081
विद्युत	2045	3014

(ग) पांचवीं योजना के लिए आवंटन करने में सतत कार्यों को पूरा करने को प्रथमिकता दी गई है।

पांचवीं योजना में लघु उद्योगों के लिए सहायता

428. **श्री बनमाली पटनायक :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं योजना में लिये जाने वाले आधुनिकीकरण के कार्यक्रम के अन्तर्गत चयनात्मक आधार पर केन्द्रीय सरकार लघु उद्योगों को सर्वांगीण (सेवेज) सहायता देगी ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इसके लिए कितना नियतन किया गया है और क्या आधार निर्धारित किया गया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जिआउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, हां।

(ख) इस उद्देश्य के लिए तैयार की गई एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में चुने हुए लघु उद्योगों के आधुनिकीकरण के लिए एक प्रावस्थाबद्ध कार्यक्रम निश्चित किया गया है। फाउंड्री, हौजरी, बिजली के घरेलू उपकरण बनाने वाले आटोमोबाइल, हिस्से पुर्जे और सहायक सामान तैयार करने वाले पांच उद्योगों से शुरुआत करने का प्रस्ताव है। आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत अपेक्षित पैकेज सहायता में किराया-खरीद आधार पर मशीनों और उपकरणों का संभरण करना, ऋण सुविधाएं और वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करना, कच्चे माल की सप्लाई करना तथा तकनीकी और प्रबंधकीय सहायता आदि सम्मिलित हैं।

(ग) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के लिए अंतिम रूप से 1 करोड़ रुपए परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

कलकत्ता में टी० वी० फीचर फिल्में बनाने का प्रस्ताव

429. **श्री बनमाली पटनायक :** क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष के अन्त तक कलकत्ता में टेलीविजन फीचर फिल्म बनाये जाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं और उस पर क्या निर्णय किया गया है; और

(ग) उनको बनाने की आवश्यकता क्या है और इस प्रयोजन के लिये कितनी धनराशि नियत की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क), (ख) तथा (ग) विभिन्न स्थानों पर टेलीविजन फिल्म निर्माण केन्द्रों की स्थापना का प्रश्न विचाराधीन है। योजना को अन्तिम रूप दिये जाने और उसके स्वीकृत होने के बाद विवरण तैयार किये जायेंगे।

विदेशों में कार्य कर रहे भारतीय वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकीविज्ञ और इंजीनियर

430. **श्रीमती विभाघोष गोस्वामी :** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि किस किस देश में कितने कितने भारतीय वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकीविज्ञ और इंजीनियर कार्य कर रहे हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा कृषि मन्त्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम): ठीक-ठीक संख्या ज्ञात नहीं है। विदेशों में रहने वाले भारतीय वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, प्रौद्योगिकीविदों आदि के पंजीकरण के लिए वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनसंधान परिषद (सी एस आई आर) राष्ट्रीय रजिस्टर का एक 'प्रवासी भारतीय' अनुभाग चलाती है। पंजीकरण स्वैच्छिक है। रजिस्टर में उपलब्ध सूचना के अनुसार 1 जनवरी 1974 को 7,389 वैज्ञानिक, इंजीनियर और प्रौद्योगिकीविद विदेशों में थे। देश वार ब्यौरा इस प्रकार है।

	देश							
विषय	यू एस ए	कैनाडा	यू के	जरमनी	ओईसी	एएनजेड्ड	अन्य	योग
विज्ञान	1602	348	484	152	228	59	142	3015
इंजीनि०	1433	211	1303	532	165	34	136	3814
प्रौद्योगिकी	186	20	170	110	29	16	29	560
	3221	579	1957	794	422	109	307	7389

ओईसी = अन्य यूरोपिय देश

एएनजेड = आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैन्ड

टेलीविजन सेटों के निर्माण हेतु लाइसेंस जारी करने का आधार

431. श्री भोला मांझी : क्या **इलैक्ट्रोनिकस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टेलीविजन सैटों के निर्माण हेतु लाइसेंस जारी करने का आधार क्या है; और

(ख) अब तक कितने लाइसेंस जारी किये गये हैं ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रोनिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) 1971 में अपने गठन के तुरंत बाद इलैक्ट्रोनिक्स आयोग ने यह निर्णय ले लिया था कि टी० वी० सेटों की निर्माण क्षमता के लिए लाइसेंसिंग पद्धति निम्नांकित मार्ग दर्शक सिद्धान्तों पर आधारित होनी चाहिए :

(1) भारत में टी० वी० सेटों के निर्माण के लिए किसी विदेशी सहयोग अथवा जानकारी की कोई आवश्यकता नहीं ।

(2) विदेशी ब्रांड नामों के अन्तर्गत टी० वी० सेटों के उत्पादन को अनुमति न दी जाए और न विदेशी साम्य धारिताओं की कंपनियों को लाइसेंस प्रदान किए जाएं ।

(3) कुल क्षमता की 50 प्रतिशत या उससे अधिक मात्रा लघु क्षेत्र के यूनिटों को स्वीकृत की जानी चाहिए । इस संबंध में योग्य इंजीनिअरों/वैज्ञानिकों और लघु क्षेत्र यूनिटों के संकायों को वरीयता दी जाएगी ।

(4) राज्य औद्योगिक विकास निगमों को शामिल करते हुए केन्द्र तथा राज्य दोनों के लोक क्षेत्र उपक्रमों को उपयुक्त क्षमता का लाइसेंस दिया जाएगा ।

(5) उत्पादन को देश भर में समान रूप से बांटने के प्रयास किये जाएंगे ।

(ख) लाइसेंस/स्वीकृतियां प्रदान करने में उक्त आधार क्रियान्वित किए जा रहे हैं 10 लाइसेंस संगठित क्षेत्र में जारी किए गये हैं (इनकी क्षमता 1,05,000 सेट प्रति वर्ष है), इनमें 7 लाइसेंस 50,000 सेटों की क्षमता हेतु लोक क्षेत्र उपक्रमों के पास हैं लघु क्षेत्र में 67 स्वीकृतियां प्रदान की गयी हैं (इनकी क्षमता 2,16,800 सेट प्रति वर्ष है) ।

दिल्ली टेलीफोन्स विभाग को निगम में बदलना

432. श्री भोला मांझी : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली टेलीफोन्स के महाप्रबन्धक द्वारा दिल्ली टेलीफोन्स को एक निगम में बदलने या इसे व्यापक शक्तियां देने का सुझाव दिया गया है, ताकि टेलीफोन सेवा को सुधारा जा सके ।

(ख) क्या सरकार ने इस प्रस्ताव पर विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो उसके तथ्य क्या हैं और उस सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया गया है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) इस संबंध में दिल्ली टेलीफोन जिले के महाप्रबन्धक की तरफ से कोई औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है । तथापि, कुछ विकसित देशों में दूरसंचार प्रशासन का जो ढांचा है उसके नमूने के आधार पर टेलीफोन जिलों के प्रशासनिक ढांचे को पुनर्गठित करने के लिए इस विषय में कुछ विचार हुआ है ।

(ख) तथा (ग) दिल्ली और दूसरे महानगरों की टेलीफोन प्रणाली के प्रबंध के लिए स्वायतशासी निगम बनाने के बारे में एक प्रस्ताव पर भी विभाग ने कुछ दिन पहले विचार किया था । यह प्रस्ताव व्यवहार्य नहीं पाया गया ।

टेलीफोन प्रणालियों के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए दिल्ली टेलीफोन प्रणाली और तदनुरूप दूसरी टेलीफोन प्रणालियों के प्रबन्ध के ढांचे को पुनर्गठित करने के बारे में सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है ।

ट्राम्बे (महाराष्ट्र) में एक जेनरेटर की स्थापना

433. श्री भोला मांझी : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र राज्य सरकार ने ट्राम्बे में गैर-सरकारी क्षेत्र में एक जेनरेटर लगाने की केन्द्रीय सरकार से मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) महाराष्ट्र सरकार ने 87.41 करोड़ रुपए की कुल अनुमानित लागत पर टाटा इलैक्ट्रिक कम्पनी को उनके ट्राम्बे ताप विद्युत केन्द्र में एक 500 मेगावाट का विद्युत उत्पादन सेट प्रतिष्ठापित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति देने के लिए सिफारिश की है। इस यूनिट के लिए कोयला बंगाल/बिहार के कोयला क्षेत्रों से समुद्र द्वारा लाया जाएगा। इस प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

पिछड़े क्षेत्र विकास निगम

434. श्री राजा कुलकर्णी : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पिछड़े क्षेत्र विकास निगम स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे निगम स्थापित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) पिछड़ा क्षेत्र औद्योगिक विकास निगम स्थापित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

(ख) ब्यौरा तैयार करने के लिए औद्योगिक विकास मंत्रालय में एक अनौपचारिक दल का गठन किया गया है।

हड़ताली रेलवे कर्मचारियों के विरुद्ध प्रचार करने के लिए आकाशवाणी, टेलीविजन और दृश्य-श्रव्य प्रचार निदेशालय का प्रयोग

435. श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी, टेलीविजन और दृश्य-श्रव्य प्रचार निदेशालय का उपयोग हाल ही में रेल हड़ताल के समय हड़ताली कर्मचारियों के विरुद्ध अभियान करने के लिए किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो आकाशवाणी और टेलीविजन का कितना समय इसमें लगाया गया;

(ग) इस सम्बन्ध में दृश्य-श्रव्य प्रचार निदेशालय द्वारा कितने विज्ञापन जारी किये गये; और

(घ) क्या जन-संचार के इन सरकारी साधनों के दुरुपयोग पर भारी रोष व्यक्त किया गया था और यदि हां, तो इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह): (क) हड़ताली रेलवे कर्मचारियों के विरुद्ध कोई अभियान नहीं था। जन माध्यम के रूप में, रेडियो, टेलीविजन तथा विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय ने रेल हडताल से पहले और उसके दौरान लोगों को हड़ताल के सामाजिक और आर्थिक परिणामों को बताने के प्रयत्न किये। रेलवे मजदूरों को भी सम्बन्धित मामलों पर सरकार की नीति स्पष्ट करने के दृष्टिकोण से इन परिणामों को बताने के प्रयत्न किये गये।

(ख), (ग) तथा (घ) प्रश्न नहीं उठते।

तमिलनाडु में मलयालम भाषी विरोधी अभियान

436. श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के मुख्य मंत्री ने तमिलनाडु में कुछ लोगों द्वारा चलाये गये मलयालम भाषी विरोधी अभियान के बारे में, जो केरल और तमिलनाडु दोनों के लिए गम्भीर समस्या बन गया है, केन्द्रीय सरकार को पत्र लिखा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(ग) तमिलनाडु में मलयालम भाषी लोगों को संरक्षण प्रदान करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) :(क) और (ख) केरल के मुख्य मंत्री ने हाल में प्रधान मंत्री को भेजे गए पत्र में 26 मई, 1974 को मद्रास में हुई घटना, जिसमें एक भीड़ द्वारा मलयालियों की दुकानों तथा मलयाली फिल्म दिखा रहे कुछ सिनेमा घरों पर आक्रमण करने का उल्लेख किया था। उन्होंने एक पूर्व घटना का भी उल्लेख किया था

जिसमें मद्रास से कोचीन जाने वाली एक्सप्रेस रेल में यात्रा कर रहे कुछ मलयालियों पर गुण्डों के एक दल ने आक्रमण किया था। . मुख्य मंत्री ने व्यक्त किया था कि तमिलनाडु में रहने वाले मलयालियों में निराश तथा असहाय होने की भावना पैदा हो गई है। उन्होंने प्रधान मंत्री से मामले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया ताकि ऐसी कार्यवाही की पुनरावृत्ति न हो तथा तमिल व मलयालियों के बीच परम्परागत मित्रता बनी रहे।

(ग) केन्द्र सरकार दोनों राज्य सरकारों के साथ निकट का सम्पर्क बनाए हुए है। प्रधान मंत्री ने इन राज्यों के मुख्य मंत्रियों को भाषाई अल्पसंख्यकों में सुरक्षा की भावना उत्पन्न करने तथा गुण्डों के साथ कठोरता से निपटने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने के लिए लिखा है।

मूल्य वृद्धि का पांचवीं योजना पर प्रतिकूल प्रभाव

437. **श्री सी०के० चन्द्रप्पन** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बढ़ते हुए मूल्यों का पांचवीं पंचवर्षीय योजना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ चुका है; और

(ख) यदि हां, तो मूल्यों को नियंत्रित करने तथा योजना को संकट से बचाने के बारे में सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, हां।

(ख) मूल्यों को नियंत्रित करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं, जिनमें ये शामिल हैं।

घाटे की अर्थव्यवस्था और बैंकऋण पर कठोर नियंत्रण, कृषि उत्पादन में वृद्धि, आवश्यक उपभोक्ता सामग्री तथा बुनियादी क्षेत्र के उद्योगों के उत्पादन में वृद्धि, कतिपय चुनी हुई उपभोक्ता सामग्री के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली, निर्यातों आदि द्वारा खाद्यान्न की आन्तरिक उपलब्धि में बढ़ोतरी। जमाखोरी और मुनाफाखोरी के लिए आवश्यक जिन्स अधिनियम के अन्तर्गत अधिक कड़ी सजा देने की जून, 1974 में जारी किए गए अध्यादेश में व्यवस्था की गई है। हाल ही में जो अध्यादेश प्रख्यातित (प्रोमलगेटेड) किए गए हैं उनमें कम्पनियों के वितरित किए जाने वाले शुद्ध लाभ और लाभांश को दो वर्षों के लिए सीमित कर दिया गया है, दो वर्षों के लिए अतिरिक्त महंगाई भत्ते के 50 प्रतिशत तथा समस्त अतिरिक्त महंगाई और वेतनों को एक वर्ष के लिए अनिवार्य जमा करने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा जिन लोगों की आय 15,000 रुपए प्रति वर्ष से ज्यादा है उनके लिए आय का निर्दिष्ट प्रतिशत अनिवार्य रूप से जमा करने की व्यवस्था की गई है। मूल्यों की रोकथाम के लिए अपनाए जाने वाले व्यापक कार्यक्रम के अभिन्न अंग के रूप में उठाये जाने वाले अन्य अनेक उपाय सरकार के विचाराधीन हैं।

अण्डमान और निकोबार प्रशासन द्वारा अधिकारियों को यात्रा के लिए केबिन में स्थान का आरक्षण

438. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अण्डमान और निकोबार प्रशासन अधिकारियों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए यात्रा के लिए केबिन में स्थान सम्बन्धी आरक्षण के बारे में कुछ निश्चित नियमों का पालन करता है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और जिन नियमों का पालन किया जा रहा है, उनकी मुख्य बातें क्या हैं?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) तथा (ख) इस समय 'एम० बी० अन्दमान्स' तथा 'एस० एस० मुजफ्फरी' नामक दो जहाज मुख्य भूमि के बन्दरगाहों और अन्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह के बीच चलते हैं अन्डमान तथा निकोबार प्रशासन सरकारी कर्मचारियों/परिवारों को इन जहाजों के केबिन में स्थान उनके वेतनमानों के अनुसार उनकी हकदारी के आधार पर आवंटित करता है। इस प्रयोजन के लिए निम्नलिखित प्राथमिकताएं निश्चित की गई हैं :-

(i) ड्यूटी/स्थानान्तरण पर जाने वाले सरकारी कर्मचारी;

(ii) आपात परिस्थितियों के कारण अवकाश पर जाने वाले सरकारी कर्मचारी;

(iii) मुख्य भूमि को अवकाश पर जाने वाले अथवा अवकाश के बाद वापिस लौटने वाले अवकाश विभागों के कर्मचारी;

(iv) मुख्य भूमि पर स्थित शैक्षिक संस्थानों के बन्द होने/खुलने पर शैक्षिक संस्थानों में भर्ती होने के लिए पोर्ट ब्लेयर से जाने अथवा वहां वापिस लौटने वाले छात्र;

(v) अवकाश पर जाने वाले अन्य सरकारी कर्मचारी; और

(vi) अन्य ।

टेलीफोन उपकरण के निर्माण हेतु पांचवीं योजना के दौरान कारखानों की स्थापना

439. श्री वीरभद्र सिंह : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्स्ट्रूमेंटल लाइन्स, एक्सचेंज उपकरणों के निर्माण के लिए नये कारखानों की स्थापना करने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, ताकि टेलीफोन की प्रतीक्षा अवधि को कम किया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो कितने कारखानों की स्थापना किए जाने की सम्भावना है तथा प्रत्येक कारखाने की क्षमता कितनी होगी ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दूर संचार उपस्कर यथा टेलीफोन उपकरण, एक्सचेंज और पारेषण उपस्कर आदि के निर्माण के लिए छः नए कारखाने लगाने का प्रस्ताव है। इन नए कारखानों की क्षमता, पूंजीगत लागत आदि सम्बन्धी विवरण तैयार किये जा रहे हैं ।

स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन देना

440. श्री भानसिंह भौरा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वतंत्रता सेनानियों के कितने आवेदन-पत्र अभी तक सरकार के विचाराधीन हैं;

(ख) कितने मामलों में पेंशन देना मंजूर किया गया है तथा कितने मामलों को अस्वीकार कर दिया गया है; और

(ग) विचाराधीन मामलों पर शीघ्रता से निर्णय करने के लिए क्या अतिरिक्त उपाय किये गये हैं ?

गृह मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) 71,296

(ख) 83,073 मामलों में पेंशन स्वीकृत की गई है और 34,592 मामले स्वीकृत नहीं किए गए हैं।

(ग) विचाराधीन मामले राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को इस अनुरोध के साथ भेजे जा रहे हैं कि वे राज्य/जिला स्तर की समितियों के परामर्श से सत्यापन रिपोर्ट शीघ्र भेजें। जिन आवेदकों को अलग से लिखा जा रहा है उनकी सहायता करने का भी उनसे अनुरोध किया गया है । संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से रिपोर्ट/सबूत मिलने पर ऐसे मामलों को अंतिम रूप दिया जायेगा ।

पंजाब में भाखड़ा बांध का बंद होना

441. श्री भान सिंह भौरा : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में भाखड़ा बांध बन्द हो जाने का जबरदस्त खतरा हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

हरियाणा में सीमेंट का उत्पादन

442. श्री मानसिंह भौरा :
श्री के० एम० मधुकर :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेषतया हरियाणा में कोयले की कमी के कारण सीमेंट के उत्पादन को भारी धक्का लगा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इस कमी को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जिआउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) सीमेंट उद्योग को सितम्बर, 1973 से मई, 1974 तक की अवधि में कोयले की अपर्याप्त आपूर्ति के कारण लगभग 25.49 लाख मी० टन की उत्पादन में हानि हुई थी । इसी अवधि में हरियाणा में दादरी तथा भूपेन्द्र स्थित दो सीमेंट कारखानों के उत्पादन में अनुमानित हानि लगभग 0.39 लाख मी० टन रही ।

सीमेंट उद्योग के लिये कोयले की उपयुक्त आपूर्ति का सुनिश्चय करने के विचार से खनिज विभाग में एक स्थायी लिंकेज समिति का गठन किया गया है और सीमेंट उद्योग के लिए कोयला की आपूर्ति करने की स्थिति की इस समिति द्वारा प्रतिमास समीक्षा की जाती है । कारखानों के स्थान तथा कोयले की अपेक्षित क्वालिटी आदि के दृष्टिकोण से सीमेंट कारखानों को विभिन्न कोयला क्षेत्रों से मिला दिया गया है । कलकत्ता में सीमेंट कारखानों के लिये कोयले के वास्तविक प्रेषण पर सतत निगरानी रखने के लिये एक मानीटरिंग सैल की स्थापना की गई है ।

रेल हड़ताल का उद्योगों पर प्रभाव

443. श्री तरुण गोगोई :
श्री आर० वी० स्वामीनाथन् :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई, 1974 में रेल हड़ताल के कारण उद्योगों पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा था ;

(ख) यदि हां, तो किन उद्योगों पर इसका प्रभाव पड़ा और किस राज्य में, और रेल हड़ताल से सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योगों का उत्पादन किस हद तक प्रभावित हुआ;

(ग) क्या अधिकांश उद्योगों को कच्चे माल के अभाव में बन्द रखना पड़ा; और

(घ) इस क्षति को पूरा करने के लिए किन उपायों पर विचार किया जा रहा है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा कृषि मन्त्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (घ) यद्यपि कि रेलगाड़ियों के सीमित आवागमन के कारण रेल हड़ताल का अनेक उद्योगों पर निश्चित रूप से असर पड़ा, फिर भी औद्योगिक उत्पादन पर रेल हड़ताल का असर कुल मिलाकर मामूली ही रहा , और जहां कहीं भी उत्पादन में गिरावट की रिपोर्ट मिली है उसे पूर्णरूपेण रेल-हड़ताल के कारण नहीं कहा जा सकता क्योंकि उसका कारण बिजली की कटौती कच्चे माल की कमी इत्यादि अन्य बहुत सी मिली जुली बातों का भी असर हो सकता है । सीमेंट तथा सोडा ऐश जैसे कुछ एक उद्योगों में रेल हड़ताल के कारण उत्पादन गिर गया क्योंकि आवागमन की समस्या उठ खड़ी हुई थी । रेल हड़ताल के फलस्वरूप उत्पन्न कच्चे माल के अभाव के कारण किसी भी कारखाने के पूर्णतः बन्द हो जाने की खबर नहीं है । औद्योगिक इकाइयों को अपना अपना उत्पादन तेज करने के लिए हर संभव सहायता पहुंचाई जा रही है ।

कोट्टाई (केरल) में सिंचाई परियोजना का निर्माण

444. श्री एम० के० कृष्णन : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोट्टाई , तिरूर तालुक, जिला मालापुरम, केरल में सिंचाई परियोजना का निर्माण कार्य आरंभ कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) :(क) और (ख) सम्भवतः मा पुरम जिले के तिरूर तालुक में कोट्टायी में विरूर पोन्नानीपुझा पर एक बीयर-मय-पाश-मय-पुल के निर्माण के प्रस्ताव को निर्दिष्ठ किया गया है । केरल सरकार ने सूचना दी है कि पर्याप्त धन जुटाने की उनकी असमर्थता के कारण, वे इस स्कीम को अब तक प्रारंभ नहीं कर सके हैं ।

केरल में समुद्र कटाव विरोधी काम स्थगित करना

445. श्री एम० के० कृष्णन : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि केरल में समुद्र कटाव विरोधी काम, जो वर्षा काल में अत्यावश्यक है, राज्य की वित्तीय समस्या के कारण स्थगित किये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में सरकार का कोई प्रस्ताव है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) :(क) और (ख) केरल सरकार ने सूचित किया है कि धन की कमी के कारण समद्र-कटाव रोधी कार्यों की प्रगति में बाधा आई है किन्तु कार्यों को बंद नहीं किया गया है ।

उत्तर प्रदेश में हरिजनों पर अत्याचार

446. श्री एस० एम० बनर्जी : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर अभी भी हरिजनों पर अत्याचार किये जाते हैं;

(ख) क्या इस विषय पर उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री से विचार विमर्श किया गया ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में उनकी क्या प्रतिक्रिया है और इस संबंध में क्या ठोस कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) :(क) से (ग) अनुसूचित जातियों के सदस्यों के विरुद्ध तथाकथित अपराधों की घटनाओं के बारे में उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों से रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं। केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार से सम्पर्क रख रही है जो ऐसे मामलों में कानून के अन्तर्गत उपयुक्त कार्रवाई करती है । अनुसूचित जातियों के सदस्यों के विरुद्ध अपराधों की सभी शिकायतों की शीघ्र जांच पड़ताल करने तथा कानून के अनुसार कार्रवाई करने के लिए डी०आई०जी० की निगरानी में राज्य में एक विशेष एकक स्थापित किया गया है ।

टैनरी एण्ड फुटवीयर कारपोरेशन, कानपुर का आधुनिकीकरण

447. श्री एस० एम० बनर्जी : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कानपुर स्थित टैनरी एण्ड फुटवीयर कारपोरेशन आफ इण्डिया (टैपको) को आधुनिक बनाने के लिए आगे क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) क्या कुछ वित्तीय सहायता दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1974-75 में कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा कृषि मन्त्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (ग) सरकार ने (टैपको) टैनरी एण्ड फुटवीयर कारपोरेशन आफ इण्डिया के आधुनिकीकरण कार्यक्रम के लिए कुल 58 लाख रुपये स्वीकार किये हैं । इसमें से 28 लाख रुपये पहले ही व्यय किये जा चुके हैं और शेष का इस वर्ष के समाप्त होने के पहले ही उपयोग कर लिये जाने की आशा है । टैपको के लिये 1974-75 के बजट में 25 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है । टैपको ने इस राशि में वृद्धि किये जाने का निवेदन किया है और यह सरकार के विचाराधीन है ।

लाइसेंसों का जारी किया जाना

448. श्री डी० बी० चन्द्रगौडा : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार ने गत तीन महीनों में वस्तुवार तथा राज्यवार किस-किस को और कितने लाइसेंस दिये;

(ख) क्या भारत सरकार ने कुछ आशयपत्रों को रद्द भी किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा कृषि मन्त्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) अप्रैल-जून, 1974 की अवधि में विभिन्न पार्टियों (उद्योगवार तथा राज्यवार) को दिए गए औद्योगिक लाइसेंसों की संख्या बताने वाले दो विवरण संलग्न हैं। पार्टियों के नाम तथा औद्योगिक लाइसेंसों का अन्य ब्यौरा "वीकली बुलेटन आफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसेज, इम्पोर्ट लाइसेंसेज एण्ड एक्सपोर्ट लाइसेंसेज" और "जर्नल आफ इन्डस्ट्री एण्ड ट्रेड" में प्रकाशित किये जाते हैं। इन प्रकाशनों की प्रतियां संसद के पुस्तकालय को भजी जाती हैं।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी० 8025/74]

(ख) जी, हां।

(ग) आशयपत्रों को रद्द करने के बारे म आदेश संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा जारी किये जाते हैं। औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपलब्ध जानकारी के अनुसार 1-4-74 से 30-6-74 की अवधि में 19 आशय-पत्र रद्द/व्यपगत हो गये थे।

भारत में राष्ट्रमंडल के देशों का सम्मेलन

450. श्री निहार लास्कर :
श्री आर० बी० स्वामीनाथन् :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 21 मई, 1974 को भारत में हिन्द महासागर के संबंध में दूर संचार व्यवस्था की समस्याओं पर चर्चा करने के लिए राष्ट्र मंडल के देशों का एक 10 दिवसीय सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या निर्णय लिये गये; और

(ग) कितने देशों ने इस में भाग लिया था ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी, हूां। राष्ट्रमंडल देशों का एक सम्मेलन भारत और हिन्द महासागर क्षेत्र के अन्य देशों के लिए राष्ट्रमंडल समुद्री टेलीफोन केबल प्रणाली के विस्तार की योजना पर विचार करने के लिए, 21 से 30 मई, 1974 तक बम्बई में हुआ था।

(ख) इस सम्मेलन का स्वरूप क्षेत्रीय-योजना अध्ययन जैसा था, जिसका उद्देश्य परियात और प्रणाली के अध्ययन के साथ संभावित विकल्प का वित्तीय मूल्यांकन करना और इस का राष्ट्रमण्डलीय दूर संचार साझेदारी की लम्बे समय की आयोजना-गतिविधियों के साथ समन्वयन था।

(ग) इस सम्मेलन में भारत और नौ अन्य राष्ट्रमंडल देशों यथा आस्ट्रेलिया, बंगला देश, ब्रिट्रेन, कनाडा, पूर्वी अफीका, मलेशिया, नाइजेरिया, सिंगापर और श्रीलंका के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

Memorandum from Film Federation of India

451. Shri Lalji Bhai : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether a memorandum was presented to the President and the Prime Minister by the representatives of the Film Federation of India recently; and

(b) if so, the contents thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

पांचवीं योजना में बेरोजगार ग्रामीण युवकों के लिए रोजगार

452. **श्री विजयपाल सिंह** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना में बेरोजगार ग्रामीण युवकों को रोजगार देने के लिए शुरू की जाने वाली प्रस्तावित योजनाओं की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : पांचवीं योजना का एक प्रमुख उद्देश्य है पुर्नवितरणात्मक विकास, और इस उद्देश्य की प्राप्ति में अतिरिक्त रोजगार अवसरों की सुलभता की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। पांचवीं योजना अवधि में ग्रामीण तथा शहरी, दोनों क्षेत्रों में ज्यादातर रोजगार अवसर विभिन्न क्षेत्रीय कार्यक्रमों के माध्यम से सर्जित किये जायेंगे। विभिन्न विकास कार्यों में उपलब्ध होने वाले रोजगार अवसरों का लाभ बेरोजगार ग्रामीण युवक भी उठा सकेंगे।

क्षेत्रीय कार्यक्रमों के अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों के लाभ के लिये निम्नलिखित कार्यक्रम विशेषरूप से तैयार किये गये हैं। अन्य लोगों के साथ साथ ग्रामीण युवकों को भी इन कार्यक्रमों के कार्यान्वियन से लाभ होगा।

1. लघु कृषक विकास एजेंसी तथा नाममात्र कृषक तथा कृषि श्रमिक।
2. सूखा प्रवृत्त क्षेत्रों से संबंधित कार्यक्रम।
3. कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम ।
4. ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों से संबंधित कार्यक्रम।

पांचवीं योजना में प्राथमिकताओं का फिर से नियतन

453. **श्री विजयपाल सिंह** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पांचवीं योजना में आयोजन संबंधी प्राथमिकताओं का फिर से नियतन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी रूपरेखा क्या है।

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) पांचवीं योजना का प्रारूप तैयार होने के समय से अब तक की सभी संबंधित गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए उक्त प्रारूप का पुनरीक्षण करने का विचार है। अंतिम रूप देने से पूर्व पांचवीं योजना की प्राथमिकताओं को फिर से नियतन करने की यदि कोई आवश्यकता हुई तो उसकी भी जांच की जायेगी।

(ख) इस समय पूरा विवरण देना संभव नहीं है।

लघु विद्युत संयंत्रों की स्थापना

454. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये सरकार का विचार लघु विद्युत संयंत्रों की स्थापना करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं और संयंत्रों की स्थापना कब तक की जाएगी ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) राज्य सरकारों और राज्य बिजली बोर्डों ने उचित स्थानों पर डीजल सेटों या लघु जल-विद्युत, सेटों के प्रतिष्ठापन द्वारा दूरस्थ/पहाड़ी अलग-थलग पड़े ग्रामीण क्षेत्रों के विद्युतीकरण का कार्य प्रारंभ किया है। ये प्रतिष्ठापन आमतौर पर कुछेक सैंकड़ा किलोवाट क्षमता के

हैं। ऐसी कई स्कीमें जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश आदि में प्रचालन में हैं या निर्माणाधीन हैं। ग्राम विद्युतीकरण निगम को भी दूरस्थ और अलग-थलग पड़े ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत सप्लाई के लिये लघु विद्युत उत्पादन परियोजनाओं को धन देने के लिए प्रस्ताव है।

जून 1974 में दिल्ली में बिजली फेल हो जाने के बारे में जांच

455. श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 3 जून, 1974 को रेलवे स्टेशनों तथा अस्पतालों सहित संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के सभी भागों में बिजली का भारी संकट उत्पन्न हो गया था; और

(ख) क्या सरकार ने इसके कारणों की जांच की है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा यह सूचित किया गया है कि 3 जून, 1974 को इन्द्रप्रस्थ विद्युत केन्द्र में समस्त पांचों यूनिट एक साथ बंद हो गए थे जिसके फलस्वरूप दिल्ली के अधिकतर भागों में बिजली बन्द रही।

(ख) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा की गई जांच से पता चला है कि बिजली बन्द होने का मुख्य कारण "ख" केन्द्र के स्विचयार्ड में एक केबिल टर्मिनल में से खराबी दूर करने के लिये सुरक्षात्मक प्रणाली का असफल हो जाना था।

दिल्ली टेलीविजन केन्द्र की ओर से कथा चित्र प्रदर्शन के लिए वितरकों को दी जाने वाली दरों में वृद्धि करने का सुझाव

456. श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली टेलीविजन केन्द्र ने सरकार से यह अनुरोध किया है कि वितरकों को उनके कथा चित्रों के प्रदर्शन के लिये दी जाने वाली दरों में वृद्धि की जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

प्रदर्शन के लिए अपनी फीचर फिल्मों का निर्माण करने के लिए टेलीविजन केन्द्रों का सरकार को सुझाव

457. श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के टेलीविजन केन्द्रों ने टेलीविजन केन्द्रों में प्रदर्शन के लिये अपनी फीचर फिल्मों का निर्माण करने का सरकार को सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पांचवीं योजना में लद्दाख में संचार सुविधाओं का विस्तार

458. श्री कुशोक बाकुला : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लद्दाख में संचार सुविधाओं का विस्तार करने के लिये कौन-कौन से उपाय करने का प्रस्ताव है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : श्रीनगर और लेह को जोड़ने वाले मौजूदा वायरलेस टेलीग्राफ और रेडियो टेलीफोन सर्किटों को और सशक्त बनाने के लिये पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 120 चैनलों की क्षमतावाली ट्रोपो स्केटर माइक्रोवेव प्रणाली की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है । श्रीनगर लेह और ऊधमपुर-लेह के बीच ट्रोपो स्केटर (Tropo Scatter) लिंक के परस्पर गुणदोषों का मूल्यांकन करने के लिए तकनीकी अध्ययन कार्य चल रहा है ।

लद्दाख में लेह और दिस्कित और लेह और न्योमा के बीच रेडियो टेलीफोन सर्किट पहले ही स्थापित किये जा चुके हैं ।

डाक

लद्दाख में पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान डाक सुविधाओं के विस्तार के लिए नीचे लिखे प्रस्ताव विचाराधीन हैं :—

(i) लद्दाख में एक अलग डाक डिवीजन बनाना ।

(ii) 10 नए डाकघर खोलना ।

(iii) 3 शाखा डाकघरों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें उप डाकघर बनाना ।

(iv) द्रास-लेह और लेह-नुमामुद लाइनों का मशीनीकरण करना ।

लेह उपडाकघर का दर्जा बढ़ाकर उसे तारीख 1—7—74 को मुख्य डाकघर बनाया जा चुका है ।

Grant of Freedom Fighters Pension to an Informer of Patna

459. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether an informer of Patna City was granted freedom fighter's pension in the very beginning of this Scheme against which the President of Chauk Thana Swatantra Sainani Samiti (Chauk Thana Freedom Fighters' Committee) had raised an objection; and

(b) whether the said informer is still getting pension and if so, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F.H. Mohsin) : (a) and (b) A provisional pension has been approved in one case in which there are allegations that the freedom fighter was an approver. The provisional pension was approved on the basis of the certificates of the District and Jail authorities furnished by the applicant. The State Government were requested to make a detailed inquiry and furnish all the facts. Their final report is awaited and the pension has not been stopped.

Grant of Pension to Freedom Fighters who were under trial prisoners

460. Shri Ramavatar Shastri :
Shri Vasant Sathe :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether such freedom fighters have also applied for pension as spent more than six months in jail as under-trial prisoners;

(b) if so, the State-wise number of such applicants; and

(c) the decision taken by Government in the matter ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) Yes, Sir.

(b) Information that is readily available is given in the attached statement.

(c) Freedom Fighters who remained as under trials for six months or more in Jails during the freedom struggle are now eligible for the grant of pension.

Statement

Statement showing the number of Applicants who have applied as undertrial Prisoners

Sl. No.	*Name of State*	*Number received*
1.	Andhra Pradesh	350
2.	Assam	43
3.	Bihar	342
4.	Gujarat	65
5.	Karnataka	110
6.	Kerala	250
7	Maharashtra	68
8.	Orissa	23
9.	Punjab	6
10.	Pondicherry	4
11.	Rajasthan	12
12	Tamil Nadu	236
13.	Uttar Pradesh	175
14.	West Bengal	53
15.	Madhya Pradesh	36
	Total	1,773

Grant of Pension to Freedom Fighters

461. Shri Ramavatar Shastri :
Shri Vasant Sathe :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether such freedom fighters have also applied for pension as were released under Gandhi-Irwin Pact or other pacts before the completion of six months' sentence;

(b) if so, the number of such freedom fighters, State-wise; and

(c) the decision taken by Government in regard to them ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) Yes, Sir.

(b) A statement giving readily available information is attached.

(c) It has since been decided that freedom fighters who were sentenced to imprisonment for period of six months or more and were prematurely released due to general amnesties like Gandhi-Irwin Pact will be eligible for pension provided they have actually suffered a minimum imprisonment of five months and fulfil other conditions prescribed under the Scheme.

Statement

State	*Number of Gandhi-Irwin Pact Cases*
Andhra Pradesh	15
Assam	5
Bihar	36

State	Number of Gandhi-Irwin Pact Cases
Delhi	6
Gujarat	6
Haryana	5
Karnataka	20
Madhya Pradesh	12
Maharashtra	34
Orissa	2
Tamil Nadu	8
Tripura	1
Uttar Pradesh	550
West Bengal	16
Total	716

स्वतन्त्रता सेनानियों को पेन्शन सम्बन्धी योजना का विस्तार

462. श्री रामावतार शास्त्री :
श्री इन्द्रजीत गुप्त:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ने स्वतन्त्रता सेनानियों के कुछ नये वर्गों के हेतु पेंशन योजना को लागू किये जाने के लिये प्रस्ताव तैयार किये थे और जिन्हें सरकार ने मंजूर कर लिया था; और

(ख) यदि हां, उसके कारण तथा तथ्य क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ०एच० मोहसिन) : (क) और (ख) यह निर्णय किया गया है कि स्वतन्त्रता सेनानियों की निम्नलिखित श्रेणियों को पेंशन स्वीकृत करने के लिए पात्र समझा जाए :—

(i) वे स्वतन्त्रता सेनानी जिनको 6 महीने अथवा अधिक अवधि की जेल की सजा हुई थी और जिन्होंने कम से कम 5 महीने की जेल की सजा काटी थी परन्तु गांधी-अर्विन समझौता अथवा अन्य सामान्य क्षमा आदेशों के कारण पहले मुक्त कर दिये गये थे ।

(ii) वे स्वतन्त्रता सेनानी जो 6 महीने की अवधि से अधिक जेलों में विचाराधीन रहे ।

(iii) वे स्वतन्त्रता सेनानी जिनको छोटे न्यायालयों ने सजा दी थी और जिन्होंने 6 महीने अथवा अधिक समय तक जेल काटी थी पर जिनको अपीलीय न्यायालय द्वारा मुक्त किया गया था बशर्ते कि उन्होंने क्षमा याचना अथवा कोई आश्वासन नहीं दिया था ।

(iv) उन पात्र स्वतन्त्रता सेनानियों, जो भारतीय नागरिक हों और विदेशों में रह रहे हों और जो भारत में पेंशन लेने के लिये सहमत हों, को पेंशन स्वीकृत की जा सकती है ।

सिलीकान के स्थान पर अन्य वस्तु का प्रयोग करने के बारे में पता लगाने सम्बन्धी अनुसंधान

463. श्री पीलू मोदी : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांच प्रमुख संस्थान गत दस वर्षों से सिलिकान, जो सैमी कन्डक्टर उपकरणों के लिये मुख्य सामग्री है, के स्थान पर अन्य वस्तु का प्रयोग किये जाने के बारे में पता लगाने के लिए अनुसंधान कार्य कर रहा है और यदि हां, तो उनके अनुसंधान का क्या परिणाम निकला, और

(ख) उक्त अनुसंधान पर अब तक कुल कितनी धनराशि व्यय की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा कृषि मंत्री (श्री सी सुब्रह्मण्यम) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

नयी भर्ती पर प्रतिबन्ध में ढील

464. श्री मोहम्मद शरीफ : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा 1955 में नयी भर्ती पर प्रतिबंध लगाया गया था और यह प्रतिबंध अभी भी लगा हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रतिबंध में ढील करने और नयी भर्ती शुरू करने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें पूर्ण तथ्य दिये गये हैं :—

विवरण

वर्ष 1955 में भारत सरकार के अधीन पदों में सीधी भर्ती पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया था । फिर भी, मंत्रालयों तथा संबद्ध कार्यालयों में चपरासियों के पदों की भर्ती पर दिनांक 22 मई, 1957 को एक प्रतिबंध लगाया गया था, जिसमें चपरासी के पद को सरप्लस स्टाफ के स्थानान्तरण द्वारा एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में या तो उसी मंत्रालय के बीच (इसके संबद्ध कार्यालयों सहित) अथवा विभिन्न मंत्रालयों के बीच (उनके संबद्ध कार्यालयों सहित) भरे जाने पर प्रतिबंध लगाया गया था । मंत्रालयों तथा उनके संबद्ध कार्यालयों में दिनांक 22 मई, 1957 को स्वीकृत संख्या के अन्तर्गत , चपरासियों के रिक्ति स्थानों को भी रोजगार तथा प्रशिक्षण (सरप्लस सैल) महानिदेशालय में दर्ज सरप्लस चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों में से भरा जा सकता था । किन्तु, यदि कोई सरप्लस चपरासी उपलब्ध न हो, तो इन रिस्क्तियों को रोजगार कार्यालय के माध्यम से भरा जा सकता था । 25 फरवरी, 1966 को यह निर्णय लिया गया था कि केन्द्रीय सरकार के अधीन सभी संगठनों/मंत्रालयों/विभागों में लिपिकीय गैर-राजपत्रित पदों जैसे सहायक, उच्च श्रेणी लिपिक तथा अवर श्रेणी लिपिक के पदों पर सीधी भर्ती तब तक नहीं की जानी चाहिये जब तक कि गृह मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय (सरप्लस स्टाफ सैल) से प्रत्येक वर्ग के पदों के लिये हर अवसर पर इस आशय का एक प्रमाण-पत्र न प्राप्त हो जाये कि केन्द्रीय सैल के पास देने के लिए कोई उपयुक्त उम्मीदवार नहीं है ; सरप्लस सटाफ को तेजी से फिर लगाए जाने को सुनिश्चित करने की दृष्टि से इन प्रतिबन्धों को 19–6–1967 से सभी सरकारी विभागों में सभी श्रेणी III तथा श्रेणी II के पदों के भरने पर भी लागू किया गया, चाहे वे पदोन्नति द्वारा भर जायें अथवा सीधी भर्ती से ।

किफायत की अनिवार्यता को दृष्टि में रखते हुए श्रेणी III तथा श्रेणी IV के पदों पर सीधी भर्ती पर दिनांक 7 मार्च, 1969 से प्रारम्भ में एक वर्ष तक की अवधि के लिये एक प्रतिबंध निम्नलिखित शर्तों पर लगाया गया था :—

(i) चपरासियों, जमादारों, फराशों, सफाई कर्मचारियों, नायकों तथा हवलदारों के चतुर्थ श्रेणी के पदों की रिक्तियों के संबंध में कोई भी सीधी भर्ती नहीं की जाएगी और इन ग्रेडों की रिक्तियों को सरप्लस स्टाफ से यदि कोई हों, भरा जाना था, अन्यथा उन्हें खाली ही छोड़ दिया जाना था ।

(ii) उपर्युक्त (i) के पदों को छोड़कर, श्रेणी III तथा श्रेणी IV के पदों में उत्पन्न होने वाली रिक्तियों को वर्ष के दौरान होने वाली ऐसी रिक्तियों की 50 प्रतिशत तक की सीमा तक सीधी भर्ती - द्वारा भरा जाना था । विशेष परिस्थितियों में जहां विभागाध्यक्ष/सचिव ऐसा करना आवश्यक समझें वहां रिक्तियों को अगले 10 प्रतिशत तक भरा जा सकता था । फिर भी, यह प्रतिबंध, पदोन्नति द्वारा रिक्तियों के भरे जाने, जहां पदोन्नितियां अनुज्ञय हों, अथवा गृह मंत्रालय (अब कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग) के सरप्लस सैल से सरप्लस स्टाफ लेकर भरे जाने पर, लागू नहीं था ।

(iii) यह प्रतिबंध श्रेणी III तथा श्रेणी I के निम्नलिखित वर्गों के पदों पर लागू न था :—

(क) ऐसे पद, जिन्हें सुरक्षा के प्रयोजन के लिये अपेक्षित समझा गया, जैसे पुलिस तथा सिविल सुरक्षा ।

(ख) डाक व तार विभाग, प्रकाश स्तम्भ विभाग तथा ऐसे विभागों में जो वाणिज्यिक अथवा व्यापारिक स्वरूप के हैं, आपरेशनल, फील्ड अथवा तकनीकी पद ।

(ग) वैज्ञानिक संस्थाओं में वैज्ञानिक पद ।

(घ) अन्य कोई विशिष्ट मामले, जिनमें वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के परामर्श से प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग द्वारा छूट दी जा सके ।

(iv) चूंकि मंत्रालय आदि, इस प्रतिबंध के परिणामस्वरूप 40 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक रिक्तियों को खाली छोड़ते हुए दिन प्रति दिन के कार्य चालन में बड़ी कठिनाई अनुभव कर रहे थे । इसलिये यह निर्णय किया गया था, कि हालांकि यह प्रतिबंध लागू रहेगा, फिर भी दिनांक 8–12–1970 से निम्नलिखित वर्गों के पदों को इस प्रतिबंध के क्षेत्राधिकार से छूट दे दी जाएगी ।

(क) ऐसे संगठनों में, जिनका नया गठन किया गया है, अथवा विद्यमान संगठनों द्वारा हाथ में लिये गये नये कार्यक्लापों अथवा नई योजना के प्रयोजन के लिए सृजित किये गए श्रेणी III/IV के पद ।

(ख) ऐसे पद जो मंत्रालयों/विभागों द्वारा वित्त मंत्रालयों के परामर्श से सृजित किये गए हैं ।

(ग) किसी सेवा की पुनर्गठन योजना के अधीन सृजित किये गये पद, बशर्ते कि ऐसी योजना मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित की गई हो, और

(घ) वर्तमान अनुज्ञेय प्रतिशतता—अर्थात् 50 प्रतिशत सामान्य रूप में तथा 60 प्रतिशत विशेष मामलों में, से अधिक अवर श्रेणी लिपिकों के पद, जिनको रिकार्ड करने, सूची बनाने, तथा रिकार्डों की छटाई के संबंध में सुधार लाने के चालू अभियान में आवश्यकता है, बशर्ते कि यह अधिकता छ: महीने की अवधि के भीतर, अनुज्ञेय कोटे के साथ समायोजित की जाए ।

(v) संयुक्त परामर्श व्यवस्था (जे०सी०एम०) को राष्ट्रीय परिषद में स्टाफ पक्ष द्वारा दिये गये सुझाव पर सीमित प्रतिबंध में आगे ढील देने के प्रश्न पर जांच की गई थी, और यह निर्णय किया गया था कि जब श्रेणी III सेवाओं/पदों में भर्ती के संबंध में सीमित प्रतिबंध लागू रखा जाना है, तो इस संबंध में प्रतिबन्धों में 9 नवम्बर, 1972 से निम्नांकित सीमा तक आगे ढील दी जायेगी :—

(i) मंत्रालयों/विभागों तथा उनके संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों की श्रेणी III की सेवाओं/पदों पर वर्तमान 50 प्रतिशत (असाधारण परिस्थितियों में 60 प्रतिशत) रिक्तियों की बजाय अधिकतम 75 प्रतिशत रिक्तियों तक भरने की अनुमति दी जाए (देखिय पूर्ववर्त पृष्ठ 1 का पैरा 1 (ii) । फिर भी, निर्मुक्त रिक्तियों पर भर्ती एक क्रमबद्ध कार्यक्रम के अनुसार की जाये, जो प्रत्येक कार्यालय/प्रतिष्ठान की अपेक्षाओं पर निर्भर दो से तीन वर्ष की अवधि तक का होना चाहिये ।

(ii) श्रेणी IV के संबंध में स्टाफ की अपेक्षाओं का प्रत्येक वर्ग के लिये निर्धारित प्रतिमानों के अनुसार हिसाब लगाया जाए और प्रत्येक वर्ग की कमी को भर्ती के क्रमिक कार्यक्रम के द्वारा, जो दो से तीन वर्ष तक का हो, पूरा किया जाए ।

दिल्ली में टेलीफोन केन्द्रों का कार्यकरण

465. **श्री मोहम्मद शरीफ :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के टेलीफोन केन्द्रों का कार्यकरण ठीक नहीं है और टेलीफोन नम्बर प्राप्त होने में लोगों को बहुत परेशानी होती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) टेलीफोन केन्द्रों की स्थिति में सुधार करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क), (ख) और (ग) दिल्ली टेलीफोन प्रणाली में 1,14,000 कनेक्शन हैं और इसकी प्रतीक्षा-सूची में 1,00,000 से ज्यादा अर्जियां हैं । माँग अत्यधिक होने के कारण काल करने की दर बहुत अधिक है । इससे उपस्कर पर अतिरिक्त भार पड़ता है जिसके कारण उपस्कर की टूट-फूट अधिक होती है फिर भी मोटे तौर पर इस टेलीफोन प्रणाली का कार्यकरण संतोषजनक है ।

इस टेलीफोन प्रणाली के सुधार का काम लगातार चल रहा है । इस प्रणाली के आंतरिक एक्सचेंज उपस्कर और बाहरी केबुलों, लाइनों और उपभोक्ताओं के टेलीफोन-यंत्रों के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए एक विशेष अभियान

शुरू किया गया है । क्रासबार एक्सचेंजों का दर्जा बढ़ाने से संबंधित एक कार्यक्रम चल रहा है और दर्जा बढ़ाने का काम करीब 50 प्रतिशत से 60 प्रतिशत तक पूरा हो गया है । इस काम के पूरा हो जाने के बाद सेवा के स्तर में पर्याप्त सुधार होने की संभावना है ।

भारी ट्राफिक को निपटाने के लिये अतिरिक्त उपस्कर लगाये जा रहे हैं और घिसे-पिटे उपस्करों को बदला जा रहा है । पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस प्रणाली में 77,000 लाइनों की वृद्धि करने का प्रस्ताव है ।

शहरघाट मधुबनी ट्रंक लाइन

466. श्री भोगेन्द्र झा : क्या **संचार** मंत्री शहरघाट में एक सार्वजनकि टेलीफोन केन्द्र की स्थापना करने के बारे में 8 मई, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9561 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शहरघाट और मधुबनी बरास्ता बेनीपट्टी तथा शहरघाट-मधुबनी बरास्ता सीतामढी तथा मुजफ्फरपुर के बीच बहुत लम्बी दूरी होने के कारण कोई ट्रंक लाइन नहीं मिलती है तथा यहां तक कि यह सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र के इंचार्ज द्वारा दर्ज भी नहीं की जाती है जिसके कारण लोगों को असुविधा होती है :

(ख) क्या मधुबनी के माधवपुर का जिला मुख्यालय होने तथा बेनीपट्टी से शहरघाट तथा बोरहार चौक तक टेलीफोन लाइन के लग जाने के कारण शहरघाट तक बोरहार चौक जिनके बीच चार मील की दूरी है के बीच संपर्क स्थापित करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) शहरघाट और मधुबनी के बीच ट्रंक यातायात नगण्य है । इस समय टेलीफोन कालें सीतामढ़ी और दरभंगा एक्सचेंजों के जरिये लगाई जाती हैं । मधुबनी के लिए कालें बुक करने से इनकार करने के बारे में सार्वजनिक टेलीफोनघर के इंचार्ज कर्मचारी के खिलाफ कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) और (ग) शहरघाट और बेनी पट्टी के बीच के भूभाग की सतह नीची है और वहां पानी भरा रहता है । शहरघाट और बेनी पट्टी के बीच सीधी ट्रंक लाइन देना आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य नहीं है । इस क्षेत्र के ट्रंक ट्राफिक को तेजी के साथ निपटाने के लिये वैकल्पिक प्रस्तावों की जांच की जा रही है ।

अखिल भारतीय खादी आयोग पर व्यय

467. श्री भोगेन्द्र झा : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खादी कपड़े के विकास के लिये केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा बनाये गये अखिल भारतीय खादी आयोग पर इस बीच कुल कितना व्यय हुआ है और प्रत्येक राज्य द्वारा किये गए कुल पूंजी निवेश पर कितनी आय अथवा लाभ हुआ है ;

(ख) क्या सरकारी वित्तीय सहायता के बिना ही इस समय खादी आयोग आत्म-निर्भर हो चुका है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जिआउर्रहमान अन्सारी) : (क) केन्द्र सरकार द्वारा खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग पर 1972–73 तक कुल 309.38 करोड़ रु० (पहले से बोर्ड सहित) खर्च किये गए हैं । खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के मूल रूप से एक संवर्धनात्मक होने के नाते उसमें लाभ का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) खादी के कार्यक्रमों से ग्रामीण लोगों के कुछ वर्ग को विशेषकर महिलाओं को सहायक प्रकार के रोजगार के अवसर दिये जाते हैं । आयोग ने यथा संभंव अनुदानों पर निर्भरता कम करने का प्रयास किया है । 1971–72 में लगभग 9.63 लाख लोगों को रोजगार दिया गया था । खादी की गतिविधियों का स्वरूप बिखराव वाला है उसे संगठित क्षेत्र से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है । इसमें किसी भी प्रकार का आरक्षण नहीं है ।

मिथिला (दरभंगा) प्रसारण केन्द्र के स्टूडियो तथा ट्रांसमीटर भवन के सम्बन्ध में निर्माण कार्य का पूरा होना

468. श्री भोगेन्द्र झा : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री 13 मार्च, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2911 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच मिथिला (दरभंगा) प्रसारण केन्द्र के स्टूडियों तथा ट्रांसमिटर भवन के कार्य पूरा किया जा चुका है और वह उपकरण आ चुका है जिसका क्रयादेश दिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो उसे चालू करने की तिथि अथवा कार्यक्रम क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब होने के कारण क्या हैं; और उसे पूरा करने के लिये क्या समय सीमा निर्धारित की हुई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) ट्रांसमीटर तथा स्टूडियो का निर्माणकार्य चल रहा है। जिन उपकरणों के आर्डर दिये गये थे उन में से अधिकांश प्राप्त हो गये हैं।

(ख) ट्रांसमीटर के 1974–75 के अन्त तक तैयार हो जाने की उम्मीद है। स्टूडियो के पूरे होने में कुछ समय और लगेगा।

(ग) रेल हड़ताल के कारण सीमेंट और अन्य सामग्री प्राप्त करने में कठिनाइयों के कारण स्टूडियो के काम में कुछ देरी हुई है।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जादुगुडा से यूरेनियम की तस्करी किये जाने की जांच

469. श्री भोगेन्द्र झा : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जादुगुडा में यूरेनियम की तस्करी किये जाने की जांच करने के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो को कहा है;

(ख) यदि हां, तो अब तक की गई जांच के निष्कर्ष क्या निकले हैं ; और

(ग) क्या अभी भी तस्करी जारी है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) बिहार सरकार से इस संबंध में एक अनुरोध प्राप्त हुआ है, जिसे स्वीकार कर लिया गया है।

(ख) बिहार पुलिस ने भारतीय यूरेनियम निगम लि०, जादुगुड्डा से कच्चे यूरेनियम की चोरी के संदेह में अब तक 11 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। इसी प्रकार के आरोप पर अन्य 8 व्यक्ति कलकत्ता पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये गयें हैं। अब तक की जांच पड़ताल से किसी निष्कर्ष पर अभी नहीं पहुंचा गया है।

मध्य प्रदेश सरकार का नर्मदा जल विवाद को न्यायाधिकरण को सौंपने का प्रस्ताव

470. श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने यह सूचित किया है कि यदि नर्मदा जल विवाद को न्यायाधिकरण को सौंपा जाता है तो उसे कोई आपत्ति नहीं होगी;

(ख) क्या गुजरात के कुछ संसद सदस्यों का भी यही मत है; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने उक्त सुझाव पर विचार किया है और यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग) नर्मदा जल विवाद 1969 में एक न्यायाधिकरण को सौंपा गया था। 1972 में संबंधित राज्यों के बीच एक समझौता हुआ और उन्होंने विवाद के अन्तर्गत विषयों में से दो पर पंचाट देने के लिये प्रधान मंत्री से अनुरोध किया था। बहरहाल, 12 जुलाई, 1974 को चार पक्षकार राज्यों के बीच हुए समझौते के अनुसार, इस विवाद पर जिसमें प्रधान मंत्री को पहले निर्दिष्ट किए गए दो मामले भी शामिल हैं,

निर्णय न्यायाधिकरण द्वारा दिया जाएगा। इस समझौते में यह भी प्रावधान है कि पक्षकार उन कई विषयों जिन पर उनमें समझौता हो गया है, को रद्द करने/संशोधित करने के लिये न्यायाधिकरण से अनुरोध करेंगे और राजस्थान तथा मध्य प्रदेश की सरकारें कतिपय प्रारंभिक मामलों पर न्यायाधिकरण द्वारा दिये गए निर्णयों के फलस्वरूप अपनी-अपनी अपीलें सर्वोच्च न्यायालय से वापस ले लेंगी।

संयुक्त क्षेत्र में कागज तथा अखबारी कागज बनाने के कारखानों की स्थापना

471. श्री एस०आर० दामाणी : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त क्षेत्र में कागज तथा अखबारी कागज बनाने के कारखाने स्थापित करने का विचार खटाई में पड़ गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार और उन पार्टियों, जो आरंभ में सहयोग देने को तैयार थी, के बीच क्या मूलभूत मतभेद पैदा हो गये हैं; और

(ग) इनमें समझौता लाने के बार में क्या प्रयास किये गए हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा कृषि मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (ग) सरकार और निजी क्षेत्र की पार्टियों के बीच प्रबंधक वर्ग (मैनेजमेंट) के रूप पर इस प्रकार की प्रायोजनाओं के वित्तीकरण के तरीके पर विचार विमर्श हुआ और विभिन्न विकल्प विचाराधीन हैं। प्रमुख बातें चेअरमैन, निदेशक बोर्ड के प्रबंधक निदेशक की नियुक्ति से संबंधित हैं ?

तापीय बिजली घरों में कोयले का प्रयोग

472. श्री एस०आर० दामाणी : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन तापीय बिजली घरों के नाम क्या हैं जिनमें ईंधन तेल की बचत के उपाय के रूप में पारस्परिक ईंधन के स्थान पर कोयले का प्रयोग करने का प्रयास किया गया था;

(ख) क्या उक्त परिवर्तन असफल सिद्ध हुआ है और इसके परिणामस्वरूप ईंधन तेल की खपत में और वृद्धि हुई है; और

(ग) क्या इस परिवर्तन को सफल बनाने के लिये इस बीच प्रयोग किया गया है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले और उक्त परिवर्तन कार्य कब तक पूरा हो जाएगा ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) बिहार में बरौनी ताप केन्द्र में 20 मैगावाट का एक यूनिट और गुजरात में अहमदाबाद ताप केन्द्र में 30 मैगावाट की दो यूनिटें और 15 मैगावाट का एक यूनिट पहले ही मुख्य ईंधन के रूप में तेल की बजाय कोयले से चलने के लिए बदले जा चुके हैं।

(ख) और (ग) यह परिवर्तन असफल सिद्ध नहीं हुआ है। वास्तव में, अन्य यूनिटों को भी तेल से कोयले में बदलने के लिये कार्यवाही की जा रही है। उनका ब्यौरा नीचे दिया जाता है।

विद्युत केन्द्र का नाम	बदले जाने वाले यूनिटों की संख्या और उन का आकार	परिवर्तन कार्य को पूरा करने की संभावित तारीख
बरौनी (बिहार)	1× 50 मैगावाट 2× 15 मैगावाट	1975 की प्रथम तिमाही
अहमदाबाद (गुजरात)	3× 15 मैगावाट	परिवर्तन 1974 के अंत तक पूरा किय जाना है।
धुवरण (गुजरात)	4× 63.5 मैगावाट	1975 की प्रथम तिमाही
ट्राम्बे (महाराष्ट्र)	2× 62.5 मैगावाट	लगभग 3 वर्ष

शेख अब्दुल्ला के साथ बातचीत

473. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून, 1974 के प्रथम सप्ताह में विदेश मंत्री ने काश्मीर का दौरा किया था तथा शेखअबदुल्ला से विचार विमर्श किया था; और

(ख) यदि हां, तो बातचीत का क्या परिणाम निकला तथा बैठक में किन विषयों पर चर्चा की गई ?

गृह मंत्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) : (क) तथा (ख) इस सम्बन्ध में शेख मोहम्मद अबदुल्ला द्वारा दिए गए वकतव्यों को ध्यान में रखते हुए कि वे जम्मू व काश्मीर के भारत में विलय के लिए स्वयं को वचनबद्ध मानते हैं, जम्मू व काश्मीर सरकार के साथ विचार विमर्श करने के बाद भारत सरकार श्री जी० पार्थासारथी और शेख अब्दुल्ला के मनोनीत व्यक्ति श्री अफ़जल बेग के बीच विचार विमर्श के लिए सहमत हो गई थी। दोनों के बीच हुए इस विचार-विमर्श के क्रम में विदेश मंत्री श्री स्वर्णसिंह ने जून, 1974 में शेख अब्दुल्ला के साथ बात चीत की। बात चीत जारी है।

पांचवीं योजना के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों का विकास

474. **श्री के० एम० मधुकर** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों से कहा है कि पांचवीं योजना के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए निर्धारित धन अन्य क्षेत्रों में न लगाया जाये; और

(ख) यदि हां, तो ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए प्रत्येक राज्य को केन्द्र ने कितनी धन राशि आबंटित की है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) वर्तमान कार्य पद्धति के अनुसार क्षत्रों/कार्यक्रमों के लिए जो कि पूर्ण या आंशिक रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लाभार्थ तैयार किए गए हैं—जैसे कृषि और सम्बद्ध सेवायें, प्रारम्भिक और बुनियादी शिक्षा, ग्रामीण जलपूर्ति इत्यादि, और राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, जोकि आवश्यक रूप से ग्रामीण विकासोन्मुख कार्यक्रम है, योजना आयोग द्वारा स्वीकृत राज्यों की वार्षिक योजना के लिए धनराशि नियत कर दी गई है। विशेष परिस्थितियों को छोड़कर तथा योजना आयोग की पूर्व अनुमति लिए बगैर उक्त धनराशि को अन्य कार्यों पर खर्च नहीं किया जा सकता ।

(ख) क्षेत्रवार अस्थायी परिव्ययों का विवरण पांचवीं योजना के प्रारूप में दिया जा चुका है, जिसकी प्रतियां पहले ही सभा पटल पर रखी जा चुकी हैं। बहरहाल, पांचवीं योजना को अंतिम रूप देते समय अलग अलग राज्यों के लिए पंचवर्षीय परिव्ययों का निर्धारण किया जाएगा ।

चौथी योजना में बिजली उत्पादन लक्ष्य में कमी

475. **श्री जगन्नाथ मिश्र :**
श्री नरेन्द्र सिंह :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री पांचवीं योजना में बिजली उत्पादन के लिए निर्धारित लक्ष्य के बारे में 2 अप्रेल, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5308 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी योजना में बिजली उत्पादन निर्धारित लक्ष्य से बहुत कम हुआ है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार बिजली का उत्पादन कितना कम हुआ है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां। 9.23 मिलियन किलोवाट की अतिरिक्त क्षमता के लक्ष्य के प्रति, वास्तविक उपलब्धि केवल 4.26 मिलियन किलोवाट ही हुई है।

(ख) वास्तविक कमी का राज्यवार विवरण संलग्न है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी.8026/74]**

समाचार पत्रों को दिये जाने वाले अखबारी कागज में और कटौती

476. **श्री जगन्नाथ मिश्र :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समाचारपत्र उद्योग को दिये जाने वाले अखबारी कागज में और कटौती की है;

(ख) यदि हां, तो इसमें कितनी कटौती की गई है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मबीर सिंह): (क) और (ख) 1974-75 के लिए अखबारी कागज आवंटन नीति के अन्तर्गत, सरकार ने समाचारपत्रों के कोटे में 40 प्रतिशत की कटौती की है जा गत वर्ष की गई कटौती से 10 प्रतिशत अधिक है। तथापि, आवेदन करने पर दैनिक समाचारपत्र हकदारी का 7 प्रतिशत सफेद छपाई कागज प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार कुल कटौती 33 प्रतिशत रह जाती है।

(ग) अखबारी कागज की कम मात्रा उपलब्ध होने के कारण और कटौती अनिवार्य थी।

लाइसेंसों के लिए केरल से प्रार्थना पत्र

477. **श्री ए० के० गोपालन :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मई, 1974 को लाईसेंस के लिए ऐसे कुल कितने प्रार्थनापत्र विचाराधीन पड़े हुए थे जिनकी केरल सरकार द्वारा सिफारिश की गई थी;

(ख) क्या उनमें से कुछ प्रार्थनापत्रों की सिफारिश वर्ष 1970 के दौरान की गई थी;

(ग) यदि हां, तो उसके तथ्य क्या हैं; और

(घ) लाइसेंस की मंजूरी देने अथवा नामंजूर किए जाने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा कृषि मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम): (क) 30 जून, 1974 को केरल से संबंधित 43 औद्योगिक लाइसेंस आवेदन विचाराधीन पड़े थे जिनमें से एक 1972 का और तीन 1973 के हैं और शेष 1974 के हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

जनगणना कर्मचारियों की छंटनी

478. **श्री ए० के० गोपालन :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनगणना कर्मचारियों की छंटनी को रोकने के लिए सरकार का विचार जनगणना विभाग को कोई नई योजनाएं सौंपने का है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में कब तक निर्णय लिए जाने की सम्भावना है; और

(ग) यदि छंटनी अवश्यम्भावी है, तो क्या ऐसे जनगणना कर्मचारियों को, जिन्होंने निरन्तर लगभग चार वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, केन्द्र सरकार के अन्य विभागों में नहीं खपाया जाना चाहिए ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) सरकार केन्द्रीय सरकार के विभागों, राज्य सरकारों और सार्वजनिक क्षेत्र परियोजनाओं में रोजगार दिलाने में छंटनी किए गए जनगणना कर्मचारियों की सहायता करने का भरसक प्रयत्न कर रही है।

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद

479. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा विवाद हल करने के लिए क्या कार्यवाही की है;

(ख) क्या दोनों राज्यों के बीच हाल ही में कोई वार्ता हुई थी ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं तथा उसके क्या परिणाम निकले ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग) एक ऐसा न्यायोचित हल जो अधिकांशतः स्वीकार्य हो, तलाश करने के उद्देश्य से सभी प्रयत्न जिसमें महाराष्ट्र तथा कर्नाटक के मुख्य मंत्रियों तथा अन्य नेताओं के साथ अनौपचारिक विचार विमर्श करना शामिल है किए जा रहे हैं। किन्तु हाल में महाराष्ट्र तथा कर्नाटक के बीच इस प्रकार की किसी बातचीत के बारे में सरकार को पता नहीं है।

केरल जनगणना कर्मचारी संघ द्वारा ज्ञापन

480. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल जनगणना कर्मचारी संघ से जनगणना कर्मचारियों की हाल ही में बड़े पैमाने पर की गई छंटनी के विरुद्ध सरकार को कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या छंटनी को रोकने के लिए सरकार उनके प्रस्ताव पर विचार करेगी; और

(घ) यदि हां, तो कब ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) :(क) तथा (ख) जी हां, श्रीमान। गृह मंत्री को दिए गए 19 फरवरी, 1974 के ज्ञापन में संघ ने तीसरी तथा चौथी श्रेणी के लगभग 50 कर्मचारियों को फरवरी, 1974 के अन्त तक उनकी सेवाएं समाप्त करने के बारे में जारी किए गए नोटिसों का उल्लेख किया था। इसमें सरकार से जन गणना विभाग को अधिक धन राशि देने की मांग की गई थी जिससे कि इन व्यक्तियों को सेवा में रखा जा सके तथा उन्हें काम दिया जा सके।

(ग) तथा (घ) जब 1974-75 के लिए धन राशि की उपलब्धि की स्थिति मालूम हो गई थी तो तत्कालीन कार्य को पूरा करने के लिए समय सारिणी का पुनः समायोजन किया गया था तथा 28 फरवरी, 1974 से सेवाएं समाप्त करने के नोटिस वापिस ले लिए गए थे। इस प्रकार कुछ समय के लिए छंटनी रोक दी गई है परन्तु जन गणना कार्य क्योंकि अस्थायी प्रकृति का है अतः कार्य पूरा होने पर अन्ततः कर्मचारियों की छंटनी करनी पड़ेगी।

आणविक जानकारी बांटने के लिए भारत और अन्य विकासशील देशों के बीच सहयोग

481. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का अन्य विकासशील देशों के साथ आणविक जानकारी बांटने के लिए सहयोग करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

प्रधान मन्त्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) परमाणु ऊर्जा के शान्तिमय उपयोगों में सहयोग करने के लिए भारत ने अनेक विकासशील देशों के साथ द्विपक्षीय करार किए हुए हैं।

(ख) इन सहयोग करारों के अन्तर्गत सामान्यतः वैज्ञानिक कर्मचारियों एवं विशेषज्ञों का विनिमय, अवर्गीकृत वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रकाशनों का विनिमय, सामग्री का आदान-प्रदान तथा प्रशिक्षण के लिए दी जाने वाली शिक्षावृत्तियां शामिल होती हैं।

'फ्यूजन टैक्नालोजी' का विकास

482. **श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'फ्यूजन टैक्नालोजी' के विकास के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ख) क्या 18 मई, 1974 को किए गए परमाणु विस्फोट में प्रयुक्त "इम्पलोजन टैकनीक" 'फ्यूजन' परमाणु विस्फोट विधि के ट्रिगर मैंकेनिजम का डिजाइन बनाने में सहायक होगी ?

प्रधान मन्त्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के वैज्ञानिकों ने अनुसंधान के इस क्षेत्र में अपना पहला कदम लेसर किरणों का विकास करके रखा है।

(ख) ऐसा करना सिद्धान्ततः सम्भव है।

एस०एल०वी०-3 और एस०एल०वी० सिंक्रोनस कार्यक्रम में हुई प्रगति

483. **श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह** : क्या **अन्तरिक्ष** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एस० एल० वी०-3 और एस० एल० वी० सिंक्रोनस कार्यक्रम में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) ये राकेट कब तक छोड़ने योग्य हो जायेंगे ?

प्रधान मन्त्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): (क) और (ख) एस० एल० वी०-3 के लिए सम्बन्धित टैकनालोजी, उप-प्रणालियां और आवश्यक हार्डवेयर के विकास और निर्माण का कार्य सन्तोषजनक ढंग से प्रगति कर रहा है। इसके उपकरणों के निर्माण में कई उद्योग लगे हुए हैं। रेटाँ जाइरोस्कोपों और इलैक्ट्रोनिक उप-प्रणालियों की उड़ान संबंधी योग्यता पर कार्य शुरू कर दिया गया है। प्रथम कक्षीय उड़ान 1978 में किए जाने का कार्यक्रम है।

एस० एल० वी० सिंक्रोनस के कार्यक्रम के लिए, वाहन के संबंध में व्यावहारिक अध्ययन किया गया है और विस्तृत अध्ययन चल रहा है। यह बताना अभी कठिन है कि इस प्रणाली को कब तक प्रचालन अवस्था में लाना संभव हो सकेगा।

आदित्यपुर औद्योगिक विकास क्षेत्र, जमशेदपुर

484. **श्री स्वर्ण सिंह सोखी** : क्या **औद्योगिक** विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक केन्द्रीय उप-मन्त्री ने कुछ महीने पूर्व बिहार में जमशेदपुर के निकट आदित्यपुर औद्योगिक विकास क्षेत्र का दौरा किया था और इसे 'समूचे देश के लिए आदर्श' बनाने हेतु पूरी-पूरी सहायता देने का आश्वासन दिया था; और

(ख) क्या राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड ने, जिसने आदित्यपुर लघु उद्योग क्षेत्र के औद्योगिक विकास में वृद्धि करने हेतु पूरी-पूरी सहायता देने का आश्वासन दिया था, कुछ वर्ष पूर्व निगम द्वारा आयोजित लघु उद्योग गोष्ठी के बाद अभी तक कुछ नहीं किया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जिआउर्रहमान अन्सारी) : (क) औद्योगिक विकास उप मंत्री ने हाल में आदित्यपुर की यात्रा नहीं की।

(ख) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा चलाए गए गहन आन्दोलन के बावजूद जमशेदपुर के भावी लघु उद्योग उद्यमियों की किराया खरीद के आधार पर मशीनों का संभरण किए जाने के संबंध में प्रतिक्रिया उत्साहवर्धन नहीं रही है। वस्तुतः अभियान के बाद केवल 24 आवेदन प्राप्त हुए किन्तु इनमें से भी 10 आवेदन पत्र प्रत्युत्तर न मिलने के कारण एक इस्पात की विद्यमान कमी के कारण तथा दो पेशगी रकम न जमा किए जाने के कारण रद्द कर दिए गए। फिर भी राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम ने अपने सामान्य किराया खरीद कार्यक्रम के अन्तर्गत जमशेदपुर के 10 एककों को 3,29,490 रुपए मूल्य की मशीनों का संभरण किया था।

बिहार के विकास के लिए धन का नियतन

485. श्री स्वर्ण सिंह सोखी : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र ने अगली पंचवर्षीय योजना में बिहार के औद्योगिक विकास के लिए अपर्याप्त धन नियत किया है; और

(ख) यदि हां, तो विद्युत खनिज संसाधनों के बावजूद अभी तक पिछड़ी हालत में चले आ रहे बिहार राज्य के औद्योगिक विकास के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री जिआउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) जी नहीं, पांचवीं योजना में परिकल्पित विभिन्न राज्यों के लिए केन्द्रीय क्षेत्र के औद्योगिक तथा खनिज कार्यक्रमों हेतु किए गए कुल 7029 करोड़ रुपए के परिव्यय में से केवल बिहार में पहले से ही स्थापित की जाने वाली परियोजनाओं के लिए 677.28 करोड़ रुपए का अनुमानित: निवेश किया गया है। उपर्युक्त के अलावा, हिन्दुस्तान जिंक लि०, हिन्दुस्तान कापर लि०, मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन, जियालाजीकल सर्वे आफ इन्डिया, कोल माइन्स आथारिटी तथा भारत कोकिंग कोल लिमिटेड द्वारा भी निवेश किए जाने का विचार है यद्यपि उपर्युक्त निगमों द्वारा बिहार में किए जाने वाले निवेश की ठीक-ठीक राशियां अलग से निश्चित नहीं की गई हैं, किन्तु निवेश की अधिकांश राशि बिहार में लगाई जायेगी।

गुरु नानक देव जी और गुरु गोविन्द सिंह जी तथा 1971 के युद्ध के शहीदों की स्मृति में डाक-टिकट

486. श्री स्वर्ण सिंह सोखी : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार इस वर्ष गुरु नानक देव जी, जो एक सन्त थे और जिनकी पूजा भारत के सभी समुदायों द्वारा की जाती है के जन्म दिवस पर स्मारक डाक टिकट जारी करने पर विचार करेगी;

(ख) क्या इस वर्ष श्री गुरु गोविन्दसिंह जी महाराज, जो शिवाजी महाराज के समान एक महान योद्धा थे और भारत में हिन्दू धर्म के रक्षक थे, के जन्म दिवस पर तथा 1971 में पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध में मारे गए उन महान वीरों के लिए भी एक डाक टिकट जारी करेगी; और

(ग) यदि नहां, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) और (ख) महान विभूतियों पर स्मारक डाक टिकट आम तौर पर उनकी जन्म/मृत्यु की शताब्दी आदि के अवसर पर जारी किए जाते हैं। इन दो महान व्यक्तियों के सम्मान में डाक टिकट नीचे उनके नामों के सामने लिखी तारीखों को जारी किए गए थे :—

(i) गुरु नानकदेव जी—23-11-69 (500वां जन्म दिवस)

(ii) गुरु गोविन्दसिंह जी—17-1-67 (तीसरी जन्म शताब्दी)

मातृभूमि की रक्षा के लिए भारत की सशस्त्र सेना ने जो बहादुरी दिखाई है, उसकी स्मृति में 15-8-72 को एक विशेष डाक टिकट जारी किया गया था जिस पर ये भाव अंकित थे—"हमारी सेनाओं को बधाई"

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

जादुगुडा (बिहार) से यूरेनियम की तस्करी

487. श्री स्वर्ण सिंह सोखी : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरेनियम की हो रही तस्करी में जादुगुडा यूरेनियम मिल के कुछ अधिकारियों का हाथ है; और

(ख) यदि हां, तो इस तस्करी को समाप्त करने के लिए सरकार का कौन से निर्दोष उपाय करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) भारतीय यूरेनियम निगम लि० के कुछ कर्मचारियों को कच्चे यूरेनियम की चोरी में उनका हाथ होने के संदेह में गिरफ्तार किया गया है।

(ख) पुलिस द्वारा की गई जांच से अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। सुरक्षा प्रबन्धों की निरंतर समीक्षा की जाती है।

Functioning of Telephones in Narayanpur in Bihar

488. Shri G. P. Yadav : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether a telephone line has been provided to Narayanpur area from Naugachhia Telephone Exchange in Bihar State :

(b) whether the telephone subscribers in Narayanpur are facing great difficulty due to the telephone line remaining out of order continuously for two or three months; and

(c) if so, the steps Government propose to take to remove the difficulty of the subscribers of Narayanpur and other places ?

The Minister of State for Communications (Prof. Sher Singh): (a) to (c) A 25 lines small automatic exchange (SAX) has been installed at Narayanpur. This exchange is connected to Mangachhia exchange from where the trunk calls are handled. The trunk line connecting these two exchanges is working satisfactorily.

During the last few months there have been power failures for long durations adversely affecting the batteries installed at Narayanpur. Action is being taken to procure a standby engine alternation to meet the emergent situation.

Electrification of Villages in Purnea Division in Bihar

489. Shri G. P. Yadav : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) the number of villages electrified in Purnea Division in Bihar State so far under the rural electrification programme;

(b) whether Government propose to electrify Kamlakund, Phulkia, Lakshmipur and Ismailpur in Gopalpur Block of Purnea Division in Bihar State ; and

(c) if so, by what time ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Sidheshwar Prasad) : (a) 318 villages.

(b) & (c) There is no approved scheme for electrification of these villages at present.

Arrest of Students Leaders in Bihar under M. I. S. A.

490. Shri G. P. Yadav : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of Student leaders and others arrested under M. I. S.A. in connection with students agitation in Bihar;

(b) whether the students' agitation in Bihar has been going on non-violently for the last several months;

(c) if so, whether Government are considering the release of the Students Leaders and others arrested under M.I. S.A.; and

(d) if so, when ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) to (d) According to information received from the State Government, 86 persons including students had been detained under the Maintenance of Internal Security Act, 1971 till 10th July, 1974 in

connection with the recent agitation in Bihar. Out of these, 10 students and 17 others are still in detention. The remaining persons have been released. There have been several violent incidents in the course of the agitation in the State. In view of the continued occurrence of such incidents the question of release of all the student-leaders and others detained under the Maintenance of Internal Security Act, 1971 does not arise for immediate consideration.

Protection of areas of Khagaria sub-division in Bihar from erosion of Ganga

491. **Shri G. P. Yadav :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether the Central Government have accepted the scheme saving Mansi, Gogri and Parvata areas of Khagaria sub-division in Bihar from the erosion of Ganga;

(b) if so, whether Government are considering the inclusion of Narayanpur, Bihpur, Naugachhia, Gopalpur areas of Bhagalpur and the coastal areas of Ganga in Katihar District in the said scheme so as to save them from erosion; and

(c) if so, when a decision is likely to be taken ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Sidheshwar Prasad): (a) to (c) The State Government of Bihar have formulated a scheme for the protection against erosion of the areas in the Rahimpur-Mansi reach on the left bank of the Ganga. Phase I of this scheme, costing Rs. 3.51 crores, has been examined by the Technical Advisory Committee of the Ganga Flood Control Commission. The scheme has not yet been finalised by the State Government taking into account the observations made by the Technical Advisory Committee, for processing it for the approval at the Centre.

The State Government of Bihar have reported that they have taken up anti erosion measures in the Gogri Parvatta area for the protection Gogri-Narainpur embankment under a separate scheme costing Rs. 12.55 lakhs and that there is no proposal under consideration for anti erosion works in Narayanpur, Bihpur, Naugachhia and Gopalpur areas.

केरल में सेन्ट्रल ग्लास एण्ड सेरामिक इंस्टिट्यूट का विस्तार केन्द्र

492. **श्री एन० श्रीकान्तन नायर :** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मन्त्री केरल में सेन्ट्रल ग्लास एण्ड सेरामिक इंस्टिट्यूट का विस्तार केन्द्र के बारे में 20 मार्च 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3904 के उतर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच अध्ययन कार्य पूरा कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा कृषि मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम): (क) और (ख) वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अधिकारियों और केरल सरकार के प्रतिनिधियों के बीच हुई कई बार की बातचीत के परिणामस्वरूप परिषद (सी० एस० आई० आर०) की शासी सभा ने पाप्पनमकोडे, त्रिवेन्द्रम स्थित औद्योगिक परीक्षण और अनुसंधान प्रयोगशाला को अपने अन्तर्गत लेने का फैसला किया है । केरल सरकार से प्रयोगशाला हस्तांतरित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही हेतु निवेदन किया गया है । बाद में केन्द्रीय कांच और सिरामिक अनुसंधान, सस्था कलकत्ता का एक यूनिट उक्त प्रयोगशाला में स्थापित किया जाएगा ।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए विदेशों में अध्ययन हेतु छात्रवृत्तियां

493. **श्री एस० एम० सिद्धय्या** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973-74 और 1974-75 के लिए अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए विदेशों में अध्ययन हेतु कितने व्यक्तियों ने आवेदन पत्र दिए थे; और

(ख) इन छात्रवृत्तियों के लिए कितने व्यक्ति चुने गए तथा उनके नाम क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) 1972-73 और 1973-74 के लिए चयन एक साथ किया गया था। 1972-74 के लिए 130 उम्मीदवारों और 1974-75 के लिए 707 उम्मीदवारों ने छात्र वृत्तियों के लिए आवेदन किया था।

(ख) इन वर्षों के लिए कुल मिलाकर 61 आवेदकों का चयन किया गया था जो इस प्रकार है :—

1972-74 के लिए —28

1974-75 के लिए —33

चुने गए उम्मीदवारों के नाम संलग्न विवरण में दिए जाते हैं [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 8027/74**]।

टेलीविजन व्यवस्था का विस्तार

494. श्री एस० सी० सामन्त : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में टेलीविजन व्यवस्था के विस्तार में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) पांचवी पंचवर्षीय योजना के प्रत्येक वर्ष में टेलीविजन व्यवस्था से कितने प्रतिशत जनसंख्या के लाभान्वित होने की संभावना है; और

(ग) इस सम्बन्ध में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) दिल्ली, बम्बई (पूना में रिले केन्द्र सहित) तथा श्रीनगर में टेलीविजन केन्द्र और अमृतसर में एक ट्रांसमिटिंग स्टेशन पहले ही काम कर रहे हैं। चौथी योजना की योजनाओं के अंग के रूप में टेलीविजन केन्द्र मद्रास, लखनऊ (कानपुर में रिले केन्द्र सहित), कलकत्ता (दो रिले केन्द्रों सहित) और जालन्धर (कसौली में रिले केन्द्र सहित) में भी स्थापित किए जा रहे हैं। इसके अलावा, पांचवीं योजना अवधि के दौरान, पटना, कटक और हैदराबाद में तीन और मूल टेलीविजन केन्द्र और उनसे सम्बद्ध कुछ रिले केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है ताकि कुछ राज्यों के उन समूह क्षत्रों, जो उपग्रह शिक्षणात्मक टेलीविजन प्रयोग द्वारा कवर किए जायेंगे, में सेवा जारी रखी जा सके।

(ख) देश में वर्तमान टेलीविजन व्याप्ति जनसंख्या की लगभग 4.7 प्रतिशत है। प्रत्याशित व्याप्ति वर्ष वार नीचे दी गई है :—

1974-75	9.7 प्रतिशत
1975-76	12.3 प्रतिशत
1976-77	27.9 प्रतिशत
1977-78	27.9 प्रतिशत
1978-79	27.9 प्रतिशत

(ग) इतनी विशाल परियोजनाओं के कार्यान्वियन में लगभग 4-5 वर्ष का समय लगता है। इस लिए किसी एक विशिष्ट योजना अवधि के दौरान इन्हें मुकम्मल करना सदा संभव नहीं है। तथापि, चौथी योजना में सम्मिलित कुछ टेलीविजन परियोजनाओं के मुकम्मल होने में मुख्यतया स्थानों के अधिग्रहण और उपकरणों की सप्लाई में देरी होने के कारण कुछ विलम्ब हुआ है।

टेलीविजन को आल इन्डिया रेडियो से अलग करना

495. श्री एस० सी सामन्त : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टेलीविजन को आल इन्डिया रेडियो से अलग करने की दिशा में क्या प्रगति हुई है;

(ख) टेलीविजन संगठन को आल इन्डिया रेडियो से पृथक रूप में चलाने के लिए क्या व्यवस्था की गई है और उस पर कितना व्यय होगा।

(ग) इस संगठन का अलग करने से कितना अतिरिक्त आवर्ती तथा अनावर्ती व्यय होने की संभावना है; और

(घ) क्या इस प्रयोजन के लिए पहले ही बजट में व्यवस्था की जा चुकी है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) :(क) से (घ) टेलीविजन को आकाशवाणी से अलग करने सम्बन्धी योजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

केरल इलैक्ट्रोनिक्स निगम द्वारा प्रस्तुत की गई योजनाओं पर निर्णय

496. **श्री वयालार रवि** : क्या **इलैक्ट्रोनिक्स** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल इलैक्ट्रोनिक्स निगम द्वारा प्रस्तुत की गई योजना का संक्षिप्त व्यौरा क्या है जिस पर केन्द्रीय सरकार द्वारा अभी अन्तिम निर्णय लिया जाना है; और

(ख) ऐसे रोजगार प्रधान उद्योगों के बारे में निर्णय लेने में विलम्ब के क्या कारण हैं तथा इन योजनाओं को स्वीकृति कब तक दी जाएगी ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रोनिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) एवं (ख) केरल इलैक्ट्रोनिक्स विकास निगम ने इलैक्ट्रोनिक उपस्कर तथा घटकों को विभिन्न किस्मों के लिए 13 आवेदन पत्र भेजे थे, इनमें से संचार व्यवस्था तथा वैरिएबल स्पीड ड्राइव से संबद्ध दो आवेदन रुके हुए हैं। इन्हें हाल ही में (पिछले तीन महीनों के दौरान) प्राप्त किया गया है तथा इन पर कार्रवाई की जा रही है। आशा है अंतिम निर्णय शीघ्र ही ले लिया जाएगा ।

उपग्रह छोड़ने के लिए तैयारी कार्य में प्रगति

497. **श्री वयालार रवि** : क्या **अन्तरिक्ष** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष के अन्त तक भारतीय उपग्रह छोड़ने सम्बन्धी तैयारी-कार्यों में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या उपग्रह निर्धारित समय-सूची के अनुसार छोड़ा जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रोनिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) उपग्रह और धरती के बीच संचार सम्पर्क की जांच करने के लिए, 5 मई, 1973 को हैदराबाद से एक गुब्बारे के द्वारा, सम्पूर्ण इलैक्ट्रोनिक्स और संचार प्रणालियों सहित एक उपग्रह का प्री० प्रोटोटाइप मोडल सफलतापूर्वक छोड़ा गया था। फरवरी-मार्च, 1974 में एक व्यापक प्री० प्रोटोटाइप मोडल पर परीक्षण किए गए थे और उपग्रह के पूर्ण विद्युत कार्य-निष्पादन तथा भू-केन्द्र के कार्य-निष्पादन की पूर्णतया जांच की गई थी। प्रथम यान्त्रिक प्रोटोटाइप जनवरी, 1974 में पूरा किया गया था और गतिमान तथा स्थिर दोनों प्रकार के भारों, जैसे—कम्पन, झटका, भूमि, गुरुत्व केन्द्र, निष्क्रियता का क्षण और परिवहन अनुरूपता के लिए, परीक्षण किया गया था। सम्पूर्ण यान्त्रिक डिजाइन के प्रमाणित हो जाने के बाद, इसे सोवियत संघ के अन्तरिक्ष अड्डे पर ले जाया गया तथा वहां राकेट से जोड़ा गया और यान्त्रिक-आकृति और ताप-परिरक्षण संबंधी सभी परीक्षण अप्रैल, 1974 में सफलतापूर्वक किए गए। इसका इलैक्ट्रीकल प्रोटोटाइप जून, 1974 में बंगलौर में पूरा किया गया था। उपग्रह केइलैक्ट्रीकल एकीकरण और कार्य-निष्पादन से संबंधित सभी पहलुओं का परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया। फ्लाइट माडल I और II का निर्माण कार्य अभी प्रारम्भ हुआ है।

(ख) जी, हां।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

टेलीविजन के (चित्रहार) कार्यक्रम में सहगल का गाना शामिल करना

498. **श्री एम० एम० जोजफ** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीविजन केन्द्र प्रत्येक गुरुवार को रात आठ बज कर तीस मिन्ट से नौ बज कर दस मिन्ट तक दिखाये जाने वाले 'चित्रहार' कार्यक्रम में सहगल के गाने की सदेव उपेक्षा करता है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उनका विचार टेलीविजन प्रबंधकों की टेलीविजन के 'चित्रहार' कार्यक्रम में सहगल का कम से कम एक गाना सम्मिलित करने को कहने का है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) पुराने, उपयुक्त फिल्मों की उपलब्धि तथा उनके टेलीकास्ट करने के लायक होने पर निर्भर करते हुए 'चित्रहार' कार्यक्रम में अधिक से अधिक विभिन्न कलाकारों तथा दृश्यों को दिखाने के सभी सम्भव प्रयत्न किये जाते हैं। अतएव, सहगल के गीतों या किसी विशिष्ट कलाकार के गीतों की 'चित्रहार' कार्यक्रम में उपेक्षा करने का प्रश्न नहीं उठता।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अखबारी कागज तथा सरकारी विज्ञापनों के आबंटन के बारे में छोटे समाचारपत्रों के एसोसिएशन से ज्ञापन

499. श्री धामनकर : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को छोटे समाचार पत्रों के एसोसिएशन/संगठन से अखबारी कागज तथा सरकारी विज्ञापन के आबंटन के मामले में औचित्यता बरतने के सम्बन्ध में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने छोटे समाचार पत्रों की शिकायतों पर विचार किया है तथा उनकी कठिनाइयों को कम करने के सम्बन्ध में अपेक्षित कार्यवाही की है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार छोटे समाचारपत्रों सहित समाचारपत्रों को पेश आ रही समस्याओं से पूर्णतया अवगत है।

जहां तक अखबारी कागज का संबंध है सरकार ने 1974-75 के लिए अखबारी कागज आवंटन नीति के अन्तर्गत समाचारपत्रों के अखबारी कागज के कोटे में 40 प्रतिशत की कटौती की है जबकि 1973-74 में यह कटौती 30 प्रतिशत थी। तथापि, दैनिक समाचारपत्र अपनी हकदारी के 7 प्रतिशत के बराबर छपाई और लिखाई के कागज की मात्रा के लिए क्लेम कर सकते हैं और इस प्रकार 1974-75 के दैनिक समाचारपत्रों के मामले में कुल कटौती 33 प्रतिशत रह जाती है। दैनिकों के अलावा नियतकालिक पत्र यथापूर्व छपाई और लिखाई का कागज खुले बाजार से खरीदने के लिए स्वतंत्र होंगे। नीति में छोटे समाचारपत्रों की कठिनाइयों का निवारण करने के लिए एक विशेष व्यवस्था की गई है। यह व्यवस्था की गई है कि वे समाचारपत्र जो 6 माह या इससे अधिक समय से प्रकाशित हो रहे हैं, आवेदन देकर, अपनी हकदारी को दैनिकों, साप्ताहिकों, त्रि-साप्ताहिकों और द्विसाप्ताहिकों के मामलों में मानक आकार के 6 पृष्ठों की अधिकतम 15 हजार प्रतियों तक, और अन्य नियतकालिक पत्रों के मामले में मानक आकार के 12 पृष्ठों की अधिकतम 15000 प्रतियों तक बढ़वा सकते हैं। इसका यह अर्थ होगा कि इस स्तर के भीतर वे कटौती से मुक्त होंगे।

विज्ञापनों के देने के मामले में भी, इन श्रेणियों के प्रकाशनों का घोषित विज्ञापन नीति और उपलब्ध धनाराशि की परिधि के भीतर यथासंभव अधिक से अधिक उपयोग करने के प्रयत्न किए जाते हैं।

'इनफ्लेशन हिट्स स्पेस प्रोग्राम' शीर्षक से प्रकाशित समाचार

500. श्री धामनकर : क्या **अन्तरिक्ष** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 25 जून 1974 के एक स्थानीय समाचार पत्र में 'इनफ्लेशन हिट्स स्पेस प्रोग्राम' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है और;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मन्त्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रोनिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां।

(ख) सीमित और उपलब्ध संसाधनों की सीमा के अन्दर रहते हुए, अन्तरिक्ष कार्यक्रम में अधिकतम संभव परिणाम प्राप्त करने के प्रश्न पर निरन्तर विचार किया जा रहा है।

समाचार पत्रों के स्वामित्व का विकेन्द्रीकरण करने के बारे में हुई प्रगति

501. **श्री धामनकर :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समाचार पत्रों के स्वामित्व का विकेन्द्रीकरण करने की नीति क्रियान्वित करने और समाचार पत्रों के प्रबन्ध में पत्रकारों के भाग लेने को सुनिश्चित करने के लिए एक सुगठित योजना बनाने पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) से (ग) समाचारपत्रों तथा समाचार एजेन्सियों के स्वामित्व तथा प्रबन्ध ढांचे में परिवर्तन लाने का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

शान्तिपूर्ण कार्यों के लिए परमाणु शक्ति का उपयोग

502. **श्री नवल किशोर शर्मा : क्या परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 2 जुलाई, 1974 के स्थानीय दैनिक समाचार पत्र में "इण्डिया में वीट विग-2 इन एन ब्लास्ट यूजेज" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो शान्तिपूर्ण कार्यों तथा कृषि के लिए परमाणु शक्ति का उपयोग कब तक किया जायेगा; और

(ग) इस सम्बन्ध में यदि किसी अन्य देश से कोई सहायता प्राप्त हुई है तो वह क्या है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रोनिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां ।

(ख) परमाणु ऊर्जा का उपयोग बिजली का उत्पादन करने, खेती-बाड़ी, चिकित्सा एवं उद्योग धंधों में आइसोटोपों को प्रयोग में लाने, जैसे अनेक शान्तिमय कार्यों के लिए किया जा रहा है इसके अनेक औद्योगिक उपयोग भी हैं जैसे कि; झलाई की गई और ढाली गई वस्तुओं की जांच उन्हें कोई क्षति पहुंचाये बिना करना ।

(ग) इस काम के लिए किसी अन्य देश से सहायता प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है ।

विभिन्न नगरों के बीच डायल घुमाकर सीधे टेलीफोन करने की सुविधा

503. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आगामी तीन वर्षों के दौरान देश में कुल कितने महत्वपूर्ण नगरों तथा विभिन्न नगरों/केन्द्रों को डायल घुमाकर सीधे टेलीफोन करने की सुविधा की व्यवस्था करके आपस में जोड़ने का प्रस्ताव है;

(ख) ट्रंक कालों की तुलना में डायल घुमाकर सीधे टेलीफोन करने की सुविधा कितनी लाभदायक एवं मितव्ययी है; और

(ग) क्या सभी नगरों/केन्द्रों को डायल घुमाकर सीधे टेलीफोन करने की सुविधा द्वारा आपस में जोड़ देने की स्थिति में ट्रंक काल एक्सचेंज व्यवस्था समाप्त कर देने का कोई प्रस्ताव है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह): (क) अगले 3 वर्षों में लगभग 50 से 60 शहरों/केन्द्रों को उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग सुविधा के जरिए एक दूसरे के साथ जोड़ने की संभावना है ।

(ख) उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग (एस०टी०डी०) एक ऐसी सेवा है जिसके अन्तर्गत उपभोक्ता स्वयं ही इच्छित ट्रंक टेलीफोन नम्बर डायल कर लेते हैं। इसमें आपरेटर का कोई हस्ताक्षेप नहीं होता और उपभोक्ता इसे ज्यादा पसन्द करते है। उपभोक्ता द्वारा डायल की गई ट्रंक काल में उसे सिर्फ उतने समय का चार्ज देना पड़ता है जितने समय उसने बात की हो जबकि मैनुअल ट्रंक काल में टेलीफोन उपभोक्ता को 3 मिनट के एक यूनिट का चार्ज देना पड़ता है भले ही वह पूरे समय बात करे या न करे।

(ग) जी नहीं ।

अकोला जिले के स्वतन्त्रता सेनानियों को पेन्शन देना

504. श्री वसंत साठे : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन महीनों में महाराष्ट्र राज्य के पेंशन देने के बारे में अकोला जिले के स्वतंत्रता सेनानियों (जिन पर मुकद्दमा चल रहा था) के गत तीन महीनों में ऐसे कितने मामलों पर निर्णय कर लिया गया है जिनको छह महीने तथा इससे अधिक की अवधि का कारावास मिला था तथा जिन्होंने वस्तुतः छह महीने का कारावास भुगता था और कितने जिन्हें छह महीने से अधिक की अवधि की सजा मिली थी परन्तु जिन्हें गांधी-इरविन समझौते के कारण पहले ही रिहा कर दिया गया था ?

गृह मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री एफ०एच० मोहसिन): निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन स्वीकृत करने का निर्णय किया गया है :—

(1) जो स्वतंत्रता सेनानी जेलों में 6 महीने अथवा उससे अधिक अवधि के लिए विचारणाधीन रहे।

(2) जिन स्वतंत्रता सेनानियों को 6 महीने अथवा उससे अधिक अवधि के लिए जेल की सजा दी गई थी और जिन्होंने कम से कम 5 महीने की जेल की सजा काटी थी परन्तु जिन्हें गांधी इर्विन समझौता अथवा अन्य आम माफी के आदेशों के कारण अवधि से पूर्व रिहा कर दिया गया था।

इन श्रेणियों के अन्तर्गत ऐसी सभी अनिर्णीत आवेदन पत्रों को शीघ्र निपटाने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं। इन श्रेणियों में आने वाले अकोला जिले के आवेदन पत्रों की ठीक-ठीक संख्या बताना संभव नहीं हैं।

टेलीविजन औद्योगिक यूनिटों को पिक्चर ट्यूबों की कमी का सामना

505. श्री वसंत साठे : क्या इलैक्ट्रोनिक्स मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीविजन औद्योगिक यूनिटों को पिक्चर ट्यूब की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है और इस मद के उपलब्ध न होने के कारण टेलीविजन सैटों के उत्पादन में बाधा पड़ी है; और

(ख) यदि हां, तो टेलीविजन निर्माता यूनिटों विशेषकर लघु एककों के पिक्चर ट्यूबों की सप्लाई करने तथा उनके उत्पादन को सामान्य बनाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है।

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रोनिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): (क) हां, श्रीमान।

(ख) भारत इलैक्ट्रोनिक्स लि० की 2 लाख पिक्चर ट्यूबों का वार्षिक उत्पादन करके अपनी उत्पादन क्षमता द्विगुणित करने की स्वीकृति दे दी गई है। इसके अतिरिक्त, निजी क्षेत्र के दो पार्टियां को पिक्चर ट्यूबों के उत्पादन हेतु लाइसेंस प्रदान किए गए हैं जिनमें प्रत्येक की क्षमता 40,000 पिक्चर ट्यूब प्रति वर्ष है। साथ ही दो अन्य पार्टियों को (जिनमें एक राज्य औद्योगिक विकास निगम है) समान मात्रा के उत्पादन हेतु आशय पत्र जारी किए गए हैं। चालू आयात नीति के अनुसार पिक्चर ट्यूबों को रुपया भुगतान क्षेत्रों से लाइसेंस के अंकित मूल्य की 25 प्रतिशत सीमा तक ही आयातित करने दिया जाता है सरकार टी० वी० रिसीवरों के उत्पादकों की अपेक्षाओं को पूर्ण करने के लिए अगले उपायों पर विचार कर रही है, इसमें पिक्चर ट्यूबों का संभावित आयात भी शामिल है, जिससे तत्काल कमी को पूरा किया जा सके।

पांचवीं योजना में महानगरों और अन्य नगरों के विकास के लिए आवंटन

506. श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के चार महानगरों के विकास और अन्य नगरों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए अलग वित्तीय प्रबन्ध करने के लिए पांचवीं योजना के आवंटन में वृद्धि करने का कोई सुझाव सरकार को प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) तथा (ख) जी हां, मामला विचाराधीन है।

दिल्ली टेलीफोन डिस्ट्रिक्ट में तकनीशनों को क्वार्टर

507. श्री श्रीकिशन मोदी : क्या संचार मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 जून, 1974 को दिल्ली टेलीफोन डिस्ट्रिकट में कितने तकनीशन कार्य कर रहे हैं;

(ख) उनमें से कितने कर्मचारियों को सरकारी क्वार्टर अलाट किए गए हैं तथा कितने कर्मचारियों को सरकारी मकान अलाट नहीं किए गए हैं;

(ग) इस तथ्य को देखते हुए कि उन्हें टेलीफोन केन्द्रों में चौबीस घण्टे काम पर रहना पढ़ता है, सरकार उन्हें प्राथमिकता के आधार पर सरकारी क्वार्टर अलाट करने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है; और

(घ) क्या इन टेलीफोन कर्मचारियों को, शीघ्र ही मकान अलाट करने के लिए सरकार द्वारा कोई विस्तृत योजना तैयार की गई है अथवा उनके लिए मकानों का निर्माण युद्ध स्तर पर आरम्भ किया जाएगा ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) 974

(ख) उपर्युक्त 974 कर्मचारियों में से 150 कर्मचारियों को सरकारी मकान अलाट कर दिए गए हैं। 824 कर्मचारियों को सरकारी मकान अलाट नहीं किए गए हैं।

(ग) तकनीशियन मुख्यत: 7.00 बजे से 20.00 बजे तक की अवधि के दौरान शिफ्ट ड्यूटियों पर आते हैं। मकान अलाट करने के संबंध में बहुत कम मामलों में गुणवता के आधार पर औचित्य सिद्ध होने पर प्राथमिकता दी जाती है।

(घ) जी नहीं।

दिल्ली टेलीफोन डिस्ट्रिक्ट के कर्मचारियों के लिए क्वार्टर

508. श्री श्रीकिशन मोदी : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली टेलीफोन डिस्ट्रिक्ट में विभिन्न टेलीफोन केन्द्रों में कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं तथा ऐसे कितने कर्मचारियों को क्वार्टर दिए गए हैं;

(ख) दिल्ली टेलीफोन डिस्ट्रिक्ट में टेलीफोन केन्द्रों में ऐसे कितने कर्मचारी हैं जो पांच वर्ष से अधिक समय से कार्य कर रहे हैं परन्तु जिन्हें अभी तक सरकारी क्वार्टर नहीं मिले हैं तथा उनकी श्रेणीवार संख्या कितनी है; और

(ग) ऐसे कर्मचारियों को शीघ्र क्वार्टर देने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) 8349 कर्मचारी। उपर्युक्त कर्मचारियों में से 895 को रिहायशी मकान दिए गए हैं।

(ख) 6985 कर्मचारी।

श्रेणी (क)	बिना किराये के मकान पाने के हकदार	11
श्रेणी (ख)	स्थानान्तरण किए जाने वाले कर्मचारी	344
श्रेणी (ग)	स्थानान्तरण न किए जाने वाले कर्मचारी	6630

(ग) नए क्वार्टरों के निर्माण पर लगे प्रतिबंध के कारण, अतुलग्रोव रोड पर बनाए जाने वाले 24 टाइप-I क्वार्टर और 24 टाइप-II क्वार्टरों के अलावा, वर्ष 1974 के दौरान और किसी भी क्वार्टर के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है।

वर्षा के कारण बम्बई में जान-माल की हानि

509. श्री एम० एम० जोजफ : क्या **गृह** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल की भारी वर्षा के कारण बम्बई में बेघर हुए व्यक्तियों की कुल संख्या क्या है; और

(ख) अनुमानत: कितने व्यक्ति मारे गये तथा कितनी सरकारी और गैर सरकारी सम्पत्ति नष्ट हुई ?

गृह मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) शून्य ।

(ख) (i) जन हानि: 49 मरे और 21 जख्मी हुए।

(ii) सरकारी सम्पति की हानि — शून्य।

(iii) निजी सम्पत्ति की हानि — 23,13,000 रुपए।

वर्ष 1972-73 और 1973-74 के दौरान दामोदर घाटी निगम द्वारा बिजली की सप्लाई

510. डा० के० एल० राव : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972-73 और 1973-74 के दौरान दामोदर घाटी निगम द्वारा प्रत्येक महीने में कितनी बिजली सप्लाई की गई और कितने अधिकतम विद्युतभार की पूर्ति की गई ;

(ख) दामोदर घाटी निगम में इसमें से कितनी बिजली का स्रोत पन बिजली साधनों से था; और

(ग) सामान्य से कम बिजली–उत्पादन होने के क्या निश्चित कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) स्थिति का विवरण संलग्न है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 8028/74]।**

(ग) दामोदर घाटी निगम के ताप केन्द्रों, विशेषकर दुर्गापुर तथा चन्द्रपुरा में विद्युत उत्पादन कोयला कारखानों, आई० डी० पंखों, राख नियंत्रण उपस्करों तथा अन्य सहायक उपस्करों में बारंबार खराबियों के कारण कम रहा है। इसके मुख्य कारण कोयले की घटिया किस्म तथा अपर्याप्त अनुरक्षण व्यवस्था रहा है। उपस्करों के ये संघटक पुराने हो गए हैं तथा इनके नवीकरण और पुनर्स्थापन की आवश्यकता है। इसके लिए एक कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

बिजली उत्पादन के लिए कोयले की लागत कम करने के लिए बिजलीघरों को दी गई राज-सहायता

511. डा० के० एल० राव : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972-74 के लिए और आज तक स्वीकृत की गई तापीय परियोजनाओं के लिए बिजलीघरों को दिए गए कोयले की अनुमानित लागत कितनी है; और

(ख) बिजली उत्पादन के लिए कोयले–की लागत आंशिक रूप से कम करने की दृष्टि से बिजलीघरों को कितनी राजसहायता दी गई और उक्त बिजलीघरों के नाम क्या हैं और प्रत्येक स्टेशन को कितनी राशि राजसहायता के रूप में दी गई ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) और (ख) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पोर्ट ब्लेयर में अधिकारियों को रिहायशी आवास का आबंटन

512. श्री एस० डी० सोमसुन्दरम : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अण्डमान और निकोबार प्रशासन पोर्ट ब्लेयर में अधिकारियों के रिहायशी आवास के आबंटन के बारे में किन्हीं निर्धारित नियमों का पालन करता है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं तथा जिन नियमों के अन्तर्गत आबंटन किया जाता है उनकी मुख्य बातें क्या हैं ?

गृह मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमान। इस समय अन्दमान तथा निकोबार प्रशासन अन्दमान प्रशासन आवास (सामान्य पूल) नियम 1967 का अनुपालन करता है।

(ख) प्रतिनियुक्त किए गए अथवा मुख्य भूमि से भर्ती किए गए अधिकारियों को उनके पोर्ट ब्लेयर पहुंचने पर प्रायः तुरंत ही रिहायशी आवास आवंटित किया जाता है। जहां तक सम्भव हो उनको अनुलग्नक में दिए गए वेतनमान के अनुसार

श्रावास श्रावंटित किया जाता है। श्रधिकृत श्रेणी का श्रावास उपलब्ध न होने पर उनको उससे निम्न श्रेणी का श्रावास श्रावंटित किया जाता है। भर्ती किए गए स्थानीय कर्मचारियों को भी, जब श्रावास उपलब्ध होता है, उनकी वरीयता के श्राधार पर जो उनकी नियुक्ति की तिथि से निश्चित की जाती है श्रावास दिया जाता है।

विवरण

श्रावास की श्रेणी	हकदारी
I 175.00 रु० से कम	(संशोधन से पूर्व के वेतनमान)
II 175.00 रु० से 349.00 रु० तक	,,
III 350.00 रु० से 499.00 रु० तक	,,
IV 500.00 रु० से 799.00 रु० तक	,,
V 800.00 रु० से 1299.00 रु० तक	,,
VI 1300.00 रु० तथा अधिक	,,

टिप्पणी : जहां श्रेणी के VII क्वाटर उपलब्ध है, 2250.00 रु० तथा अधिक वेतन (संशोधन से पूर्व के वेतनमान) पाने वाले अधिकारी इन क्वार्टरों के श्रावंटन के लिए पात्र होंगे।

8-5-1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9520 के उत्तर में शुद्धि करने का विवरण

CORRECTING STATEMENT TO USQ No. 9520 dated 8-5-1974

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : 8-5-1974 को श्रातारांकित प्रश्न संख्या 9520 के भाग (क) तथा (ख) के उत्तर में एक विवरण रखा गया था जिसमें उन स्वतंत्रता सेनानियों की संख्या, जिन्हें बिहार में जिलावार पेंशन स्वीकृत की गई थी और उन मामलों की संख्या जो अभी तक सरकार के विचाराधीन है, का एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया था। पुनः जांच करने पर अब यह पता लगा है कि जमशेदपुर, रोहतास, शाहजहानपुर, औरंगाबाद और मोतीहारी के श्रांकड़े विवरण में गलत दिए गए थे। सही विवरण संलग्न है।

विवरण

क्रमांक	जिलों के नाम	स्वतंत्रता सेनानियों की संख्या जिनको पेंशन प्रदान की गई	अपूर्ण आवेदनपत्र जो निपटाये जाने हैं
1.	शाहबाद	846	1143
2.	मुजफ्फरपुर	901	690
3.	धनवाद	69	26
4.	पुर्निया	340	128
5.	पटना	2002	996
6.	दरभंगा	1642	552
7.	पालाभउ	213	25
8.	गया	650	649
9.	सारन	720	759
10.	मुंगेर	1136	382
11.	चम्पारन	734	356
12.	सहरसा	292	221
13.	हजारीबाग	150	176
14.	भागलपुर	1021	1057

क्रमांक	जिलों के नाम	स्वतंत्रता सेनानियों की संख्या जिनको पेंशन प्रदान की गई	अपूर्ण आवेदन पत्र जो निपटाये जाने हैं
15.	संथाल परगना	340	440
16.	रांची	123	151
17.	सिंहभूम	40	116
18.	सिवान	3	45
	जोड़	11222	7912

कतिपय अध्यादेश जारी किये जाने के बारे में
RE: ISSUING OF CERTAIN ORDINANCES

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : अध्यादेश के बारे में श्री वाजपेयी, श्री सेझियान तथा अन्य सदस्यों ने कहा है कि सदन की घोर उपेक्षा की गई है ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने मंत्री महोदय से स्थिति स्पष्ट करने को कहा है ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के०रघुरामैया) : मैंने उस दिन भी यह कहा था कि जिन परिस्थितियों के अन्तर्गत अध्यादेश जारी किए गए हैं उनका मंत्री द्वारा उस समय स्पष्टीकरण दिया जाएगा जब उन पर चर्चा की जायेगी ।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : You may kindly direct the hon. Minister to do so.

अध्यक्ष महोदय : मेरा यह निदेश है कि उन्हें पहले मुझे संतुष्ट करना होगा । उसके बाद मैं अपना विनिर्णय दूंगा ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

औद्योगिक उपक्रमों का पंजीकरण तथा लाईसेंसिग (पहला संशोधन) नियम, 1974

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा कृषि मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : महोदय ! मैं उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 30 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(1) औद्योगिक उपक्रमों का पंजीकरण तथा लाइसेंसिंग (पहला संशोधन) नियम, 1974, जो भारत के राजपत्र दिनांक 14 जून, 1974 में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 270(ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

(2) औद्योगिक उपक्रमों का पंजीकरण तथा लाइसेंसिंग (तीसरा संशोधन) नियम, 1974, जो भारत के राजपत्र दिनांक 26 जून, 1974 में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 284(ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल०टी० 8015/74]

वर्ष 1972-73 के लिए संघ सरकार के वित्त लेखे

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री के०आर० गणेश) : मैं वर्ष 1972–73 के लिए संघ सरकार के वित्त लेखों की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं । **[ग्रंथालय म रखी गई । देखिए संख्या एल०टी० 8015/74]**

अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951, सिख गुरुद्वारा प्रबन्ध समिति (मतदाताओं का पंजीकरण) संशोधन नियम, 1974 और भारत रक्षा (संशोधन) नियम 1974 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

गृह कार्य मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग में पदसंख्या निर्धारण) छठा संशोधन विनियम 1974 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो भारत के राजपत्र दिनांक 25 अप्रैल, 1974 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 185(ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) पांचवां संशोधन नियम, 1974 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो भारत के राजपत्र दिनांक 25 अप्रैल, 1974 में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 186(ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

(तीन) भारतीय वन सेवा (परिवीक्षकों की अन्तिम परीक्षा) (संशोधन) विनियम, 1974 (हिन्दी संस्करण), जो भारत के राजपत्र दिनांक 11 मई, 1974 में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 451 में प्रकाशित हुए थे ।

(चार) भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) संशोधन नियम 1974 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो भारत के राजपत्र दिनांक 18 मई, 1974 में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 470 में प्रकाशित हुए थे ।

(पांच) भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) संशोधन नियम, 1974 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो भारत के राजपत्र दिनांक 18 मई, 1974 में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 471 में प्रकाशित हुए थे ।

(छः) भारतीय वन सेवा (परिवीक्षा) संशोधन नियम, 1974 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो भारत के राजपत्र दिनांक 18 मई, 1974 में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 472 में प्रकाशित हुए थे

(सात) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) संशोधन नियम, 1974 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो भारत के राजपत्र दिनांक 1 जून, 1974 में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 524 में प्रकाशित हुए थे ।

(आठ) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) संशोधन नियम, 1974 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो भारत के राजपत्र दिनांक 8 जून, 1974 में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 544 में प्रकाशित हुए थे ।

(नौ) भारतीय सेवा (संवर्ग में पदसंख्या निर्धारण) पांचवाँ संशोधन विनियम, 1974 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो भारत के राजपत्र दिनांक 8 जून, 1974 में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 547 में प्रकाशित हुए थे ।

(दस) सा०सां०नि० 548 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो भारत के राजपत्र दिनांक 8 जून, 1974 में प्रकाशित हुए थे तथा जिनमें भारत के राजपत्र दिनांक 3 नवम्बर, 1973 में प्रकाशित अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 1183 का शुद्धिपत्र दिया हुआ है ।

(ग्यारह) सा०सां०नि० 549 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो भारत के राजपत्र दिनांक 8 जून, 1974 में प्रकाशित हुए थे तथा जिनमें भारत के राजपत्र दिनांक 3 नवम्बर, 1973 में प्रकाशित अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 1184 का शुद्धिपत्र दिया हुआ है ।

(बारह) भारतीय वन सेवा (संवर्ग में पदसंख्या निर्धारण) पांचवां संशोधन विनियम, 1974 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो भारत के राजपत्र दिनांक 17 जून, 1974 में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 273(ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

(तेरह) अखिल भारतीय सेवायें (संयुक्त संवर्ग) संशोधन नियम, 1974 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो भारत के राजपत्र दिनांक 22 जून, 1974 में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 279(ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(चौदह) भारतीय वन सेवा (परिवीक्षा) संशोधन नियम, 1974 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो भारत के राजपत्र दिनांक 29 जून, 1974 में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 660 में प्रकाशित हुए थे।

(पन्द्रह) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग में पदसंख्या निर्धारण) तीसरा संशोधन विनियम, 1974 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो भारत के राजपत्र दिनांक 29 जून, 1974 में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 661 में प्रकाशित हुए थे।

(सोलह) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) तीसरा संशोधन नियम, 1974 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो भारत के राजपत्र दिनांक 29 जून, 1974 में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 662 में प्रकाशित हुए थे।

(सत्रह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग में पदसंख्या निर्धारण) आठवां संशोधन विनियम, 1974 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो भारत के राजपत्र दिनांक 29 जून, 1974 में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 663 में प्रकाशित हुए थे।

(अठारह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) सातवां संशोधन नियम, 1974 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो भारत के राजपत्र दिनांक 29 जून, 1974 में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 664 में प्रकाशित हुए थे।

(उन्नीस) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग में पदसंख्या निर्धारण) चौथा संशोधन विनियम, 1974 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो भारत के राजपत्र दिनांक 29 जून, 1974 में अधिसूचना संख्या सा०सां० नि० 665 में प्रकाशित हुए थे।

(बीस) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) चौथा संशोधन नियम, 1974 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो भारत के राजपत्र दिनांक 29 जून, 1974 में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 666 में प्रकाशित हुए थे।

(इक्कीस) भारतीय वन सेवा (संवर्ग में पदसंख्या निर्धारण) छठा संशोधन विनियम, 1974 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो भारत के राजपत्र दिनांक 5 जुलाई, 1974 में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 300 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(बाईस) भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) संशोधन नियम, 1974 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो भारत के राजपत्र दिनांक 6 जुलाई, 1974 में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 685 में प्रकाशित हुए थे।

(तेईस) भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) संशोधन नियम, 1974 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो भारत के राजपत्र दिनांक 6 जुलाई, 1974 में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 686 में प्रकाशित हुए थे।

(चौबीस) अखिल भारतीय सेवायें (मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति लाभ) दूसरा संशोधन नियम, 1974, (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो भारत के राजपत्र दिनांक 6 जुलाई, 1974 में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 687 में प्रकाशित हुए थे।

(पच्चीस) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग में पदसंख्या निर्धारण) सातवां संशोधन विनियम, 1974 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो भारत के राजपत्र दिनांक 13 जुलाई, 1974 में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 724 में प्रकाशित हुए थे।

(छब्बीस) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) छठा संशोधन नियम, 1974 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो भारत के राजपत्र दिनांक 13 जुलाई, 1974 में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 725 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल०टी० 8016/74]

दिल्ली सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1971 की धारा 39 की उपधारा (4) के अन्तर्गत दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति (मतदाताओं का पंजीकरण) संशोधन नियम, 1974 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), की एक प्रति जो भारत के राजपत्र दिनांक 15 जून, 1974 में अधिसूचना संख्या सा०सां० नि० 582 में प्रकाशित हुए थे। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 8017/74]**

भारत रक्षा अधिनियम, 1971 की धारा 35 के अन्तर्गत भारत रक्षा (संशोधन) नियम, 1974 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र दिनांक 7 मई, 1974 में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 214 (ङ) में प्रकाशित हुए थे। **ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 8018/74]**

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। हमें राजपत्र की प्रतियां समय पर उपलब्ध नहीं होतीं जिससे हमें ज्ञात ही नहीं होता कि उनमें क्या अधिसूचनायें प्रकाशित हुई हैं।

अध्यक्ष महोदय: यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं हैं।

भारतीय तार अधिनियम, 1885 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : मैं भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 7 की उपधारा (5) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) भारतीय तार (दूसरा संशोधन) नियम, 1974, जो भारत के राजपत्र दिनांक 11 मई, 1974 में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 462 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय तार (चौथा संशोधन) नियम, 1974, जो भारत के राजपत्र दिनांक 13 मई, 1974 में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 237 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय तार (तीसरा संशोधन) नियम, 1974, जो भारत के राजपत्र दिनांक 13 मई, 1974 में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 238 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय तार (पांचवां संशोधन) नियम, 1974, जो भारत के राजपत्र दिनांक 13 मई 1974 में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 239 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारतीय बेतार टेलीग्राफी (वाणिज्यिक रेडियो संचालक दक्षता प्रमाणपत्र तथा बेतार टेलीग्राफी के संचालन हेतु लाइसेंस) संशोधन नियम, 1974, जो भारत के राजपत्र दिनांक 18 मई, 1974 में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 491 में प्रकाशित हुए थे। **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिय संख्या एल०टी० 8019/74]**

वर्ष 1974-75 के लिए अखबारी कागज की आयात नीति के बारे में सार्वजनिक सूचना

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : मैं वर्ष 1974–75 के लिये अखबारी कागज की आयात नीति के बारे में सार्वजनकि सूचना संख्या 79–आई०टी०सी० (ए०पी०एल०)/74, दिनांक 7 जून, 1974 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 8020/74]

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति
Committee on Private Members' Bills and Resolutions

42 वां प्रतिवेदन

श्री जी० जी० स्वैल (स्वायत्तशाली जिले) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का 42वां प्रतिवेदन पस्तुत करता हूं।

रेल अभिसमय समिति
Railway Conventions Committee

पहला प्रतिवेदन

श्री बी० एस० मूर्ति (अमालापुरम) : मैं रेल अभिसमय समिति, 1973 के अन्तरिम प्रतिवेदन पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में समिति का पहला प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

कार्य मंत्रणा समिति
Business Advisory Committee

44 वां प्रतिवेदन

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के 44वें प्रतिवेदन से, जो 23 जुलाई, 1974 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के 44वें प्रतिवेदन से, जो 23 जुलाई, 1974 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमण्ड हार्बर) : मैंने आपको चीनी जांच आयोग के बारे में पत्र लिखा था । दूसरे, एक विदेशी पत्रकार के पास डम-डम हवाई अड्डे पर 7,000 डालर पकड़े गये...

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी जांच करूंगा । अब मैं किसी को अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी (कलकत्ता-दक्षिण) : मुझे नियम, 377 के अन्तर्गत एक मामला उठाने की अनुमति दी जाये । सैकड़ों नौकरीपेशा लड़कियों को होस्टलों से निकाल दिया गया है और वे सड़कों पर पड़ी हैं ।

अध्यक्ष महोदय : यह क्या है ? आप बैठ जाइए । अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा समाप्त होने तक किसी भी मामले पर विचार नहीं किया जाएगा ।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : यह मामला अत्यंत गम्भीर है । उन लड़कियों को न भोजन मिल रहा है और न उन्हें होस्टलों में घुसने दिया जा रहा है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : चीनी आयोग के प्रतिवेदन को प्रस्तुत क्यों नहीं किया जा रहा है ? मंत्री महोदय यहां उपस्थित हैं । वह कृपया इस बारे में कुछ बताएं । क्या आगामी चुनाव के लिए धनराशि जुटान के लिये ऐसा किया जा रहा है ?

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए । रेल मंत्री 3 बजे वक्तव्य देंगे । तथा वित्त मंत्री 5 बजे वक्तव्य देंगे ।

मंत्री परिषद् में अविश्वास का प्रस्ताव
Motion of No Confidence in the Council of Ministers

श्री सी० एम० स्टीफन (मुवत्तुपुजा) : मैं रेल हड़ताल के बारे में कह रहा था । वास्तव में यदि यह हड़ताल श्रमिक संघ का संघर्ष होता तो 30 अप्रैल को अवश्य कोई समझौता हो जाता जब सरकार ने आठ में से 6 मांगों को स्वीकार कर लिया था । किन्तु हड़तालियों के नेता समझौता नहीं करना चाहते थे वे शक्ति का प्रदर्शन करना चाहते थे । उन्होंने देश में व्याप्त कतिपय राजनीतिक और आर्थिक समस्याओं का अनुचित लाभ उठाना चाहा । वे जानते थे कि नैशनल फैडरेशन आफ इण्डियन रेलवे हड़ताल के विरुद्ध है । उन्हें यह भी ज्ञात था रेल कर्मचारी राष्ट्र की सम्पत्ति

को नष्ट करने में उनका साथ नहीं देंगे । इस के बावजूद भी उन्होंने अपनी संकुचित भावना के वशीभूत होकर यह कार्य आगे बढ़ाया तथा उन्हें हड़तालियों की संख्या में धीरे धीरे वृद्धि कर ली ।

श्री जार्ज फार्नेडीज ने तो यहां तक कहा था कि रेल व्यवस्था ठप्प हो जायेगी तथा आधी से अधिक जनसंख्या को भुखमरी का सामना करना पड़ेगा । किन्तु उन्होंने इस तथ्य को नहीं देखा कि नैशनल फैडरेशन आफ इण्डियन रेलवेमैन हड़ताल के विरुद्ध है । (**व्यवधान**) उन्होंने रेल कर्मचारियों की निष्ठा को समझने में भूल की तथा उन्होंने यह समझकर भूल की कि प्रधान मंत्री उनकी धमकी से डर जायेंगी ।

इस बात को स्वीकार किया गया है कि हड़ताल के पहले दिन पांच लाख कर्मचारी हड़ताल पर थे किन्तु उसके बाद कर्मचारी काम पर वापस आने लगे और 22 तारीख को केवल 2½ लाख कर्मचारी हड़ताल पर रहे । नये नये फारमूले बताये जाने लगे तथा कर्मचारियों को ज्ञात हो गया कि उन्हें गुमराह किया जा रहा है । जब उन्हें कर्मचारियों और देश की जनता ने ठोकर मार दी तो उन्हें बिना शर्त झुकना पड़ा । अब उन्होंने एक नया नारा आरम्भ किया है 'कर्मचारियों को सताया न जाए' ।

जहां कर्मचारियों को तंग न किये जाने के आश्वासन का संबंध है मैं कहना चाहता हूं कि सरकार की कर्मचारियों को तंग करने की कोई नीति है ही नहीं अतः इस संबंध में कोई आश्वासन देने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

अध्यक्ष महोदय : आपको कितना समय और चाहिये ?

श्री सी० एम० स्टीफन : लगभग 15 मिनट ।

अध्यक्ष महोदय : आप मध्याह्न भोजन के बाद अपना भाषण जारी रख सकते हैं ।

इसके पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए दो बजे म०प० के लिए स्थगित हुई ।
The Lok Sabha then adjourned for lunch till fourteen of the clock.

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा दो बजकर तीन मिनट म०प० पर पुनः समवेत हुई
The Lok Sabha reassembled after Lunch at three minutes past fourteen of the clock.

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy-Speaker in the Chair]

श्री सी० एम० स्टीफन : हड़ताल के बाद की नियमानुसार की गई किसी भी कानूनी कार्यवाही को तंग किया जाना नहीं कहा जा सकता । हड़ताल दो प्रकार की होती है वैध और अवैध । अवैध हड़ताल के दौरान सेवा से अनुपस्थिति को सेवा में व्यवधान माना जाता है तथा उसको राष्ट्रपति की मंजूरी के बिना क्षमा नहीं किया जा सकता । अतः सेवा में व्यवधान के दण्ड को तंग किया जाना नहीं कहा जा सकता । यह कानूनी कार्यवाही है । प्रभावग्रस्त कर्मचारियों को इसको क्षमा किये जाने की अर्जी देनी चाहिये ।

जहां तक कर्मचारियों की सेवा समाप्ति का प्रश्न है मुझे ज्ञात हुआ है कि कम से कम 5,000—6,000 कर्मचारियों ने काम पर वापस लिये जाने की अपील की थी तथा उन्हें वापस ले लिया गया है । अन्य कर्मचारियों को भी नियमानुसार कदम उठाने चाहियें ।

नैमित्तिक श्रमिकों की सेवा समाप्ति का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि उनका केवल 'लीयन' समाप्त किया जाता है । केवल 18,000 नैमित्तिक श्रमिकों का 'लीयन' समाप्त किया गया था । मुझे ज्ञात हुआ है 5,000 ऐसे श्रमिकों को काम पर वापस ले लिया गया है । भारत रक्षा अधिनियम के नियम 118 के अन्तर्गत एक अधिसूचना जारी की गई थी । अतः इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह हड़ताल अवैध हड़ताल थी । किन्तु यदि कर्मचारी रेलवे प्रशासन को प्रार्थना-पत्र दें तो उनकी कठिनाइयों को अवश्य दूर किया जायेगा । उन्हें इन लोगों के बहकावे में नहीं आना चाहिये ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त ने निष्ठावान कर्मचारियों को 'ब्लैक लैग' बताया है । मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि निष्ठावान कर्मचारियों का उसी प्रकार सम्मान किया जाना चाहिये जिस प्रकार शत्रु से जूझने वाले जवानों का किया जाता है । उन्होंने राष्ट्र की सराहनीय सेवा की है । तथा हर खतरे का सामना करके भी रेलगाड़ियों को चलाया है । श्री

गुप्त को ईमानदारी से सोचना चाहिये कि 'ब्लैक लैग' कौन है। पहले उन्होंने हड़ताल कराने में श्री फरनेन्डीज का साथ दिया किन्तु हड़ताल होने पर उन्होंने रेल कर्मचारियों से कह दिया कि इस बात का निर्णय वह स्वयं करें कि हड़ताल जारी रखनी है या नहीं। क्या वह 'ब्लैक लैग' नहीं है ? जो स्वयं कांच के मकान में रहते हैं उन्हें दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिएं।

अगर लोको कर्मचारियों की हड़ताल 4000 हड़ताली कर्मचारियों से शुरु हुई थी तो उन की संख्या अन्त में 14000 तक पहुंच गई। जबकि इस हड़ताल में प्रारम्भ में कर्मचारियों की संख्या 6 लाख थी, जो अन्त में घटकर 2 लाख ही रह गई थी। इससे स्थिति स्पष्ट हो जानी चाहिये। स्थिति यह है कि हड़ताल के प्रति रेलवे बोर्ड और सरकार की एक निश्चित नीति और दृष्टिकोण था और देश के राष्ट्रभक्त नागरिकों और कर्मचारियों ने उस नीति का समर्थन किया। आगे भी सरकार की इसी प्रकार की स्पष्ट नीति होनी चाहिये।

मैं अपनी ओर से और उन कर्मचारियों की ओर से जिनका मैं प्रतिनिधित्व करता हूं, रेलवे बोर्ड, रेल मंत्री, रेल प्रशासन और सरकार को उनकी दूरदर्शिता और स्पष्ट नीति के लिये बधाई देना चाहता हूं। मैं इसे हड़ताल नहीं कहूंगा, बल्कि यह देश की सुरक्षा के प्रति जानबूझकर किया गया सुनियोजित षडयन्त्र था। अब श्री पीलू मोदी से लेकर मार्क्स-वादी कम्युनिस्ट पार्टी तक सभी कर्मचारियों के बोनस के अधिकार का समर्थन कर रहे हैं।

अध्यादेश के बारे में भी स्थिति स्पष्ट होनी चाहिये। कर्मचारी दो बातें चाहते हैं—एक तो यह कि उनके वास्तविक वेतन की सुरक्षा की जाए और दूसरे राष्ट्रीय आय में वृद्धि के अनुपात में उनके वेतन में भी वृद्धि की जानी चाहिये। किसी भी राष्ट्र की वेतन नीति के यही दो मार्गदर्शी सिद्धांत होने चाहियें।

जब मुद्रा-स्फीति होती है और मूल्यों में वृद्धि होती है, तो कर्मचारियों के वेतन में ह्रास होता है। वेतन में इस ह्रास को दूर करने के लिये महंगाई भत्ते में वृद्धि करने की व्यवस्था का सहारा लिया गया। कुछ समय तक तो यह व्यवस्था ठीक चली, परन्तु जहां मुद्रा स्फीति निरन्तर हो रही हो और मूल्यों में वृद्धि नियन्त्रण से बाहर हो रही हो, वहां महंगाई भत्ते में वृद्धि समस्या का उत्तर नहीं है और इस समस्या के लिये कोई अन्य समाधान ढूंढना होगा।

अगर उत्पादन में वृद्धि होती है, तो निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं है। परन्तु अगर उत्पादन स्थिर है और अगर वस्तुओं की किसी मात्रा विशेष के लिए अधिक से अधिक धन दिया जाता है, तो कीमतों में वृद्धि होगी। सलिये उपभोग को सीमित किया जाना चाहिये। काले धन की समस्या का भी समाधान किया जाना चाहिये। अगर मुझे अचानक 10 करोड़ रुपये मिल जाते हैं और मैं उनका उपयोग जमाखोरी के लिये नहीं करता, तो आवश्यक वस्तुओं पर उनका कोई भी प्रभाव नहीं होगा। सभी क्षेत्रों में उत्पादन में वृद्धि होनी चाहिये और खपत को सीमित करना चाहिये। इस समस्या को युद्ध स्तर पर हल किया जाना चाहिये।

वेतन को स्थिर किये जाने की चर्चा की गई। वार्षिक वेतन-वृद्धि, मंजूरी और वेतन में संशोधन और बढ़े हुए महंगाई भत्ते को दिया जा रहा है, फिर वेतन स्थिरता की नीति का सरकार किस प्रकार अनुसरण कर रही है ? सरकार ने सिर्फ अतिरिक्त महंगाई भत्ते में से आधी राशि को जमा करने के लिये अध्यादेश जारी किया है।

अध्यादेश के खण्ड 14 में सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह कम वेतन भोगी कर्मचारियों के वर्गों पर अध्यादेश प्रभावी होने से रोक सकती है। कम वेतन भोगी कर्मचारियों के उन वर्गों का निर्धारण करना मजदूर संघों का काम है। इंटक और संसद के अन्दर हम कम वेतन भोगी कर्मचारियों को अध्यादेश के प्रभाव से मुक्त रखने के लिये संघर्ष करेंगे।

इस बारे में युद्ध स्तर पर कार्यवाही करनी होगी। बोनस शेयरों और लाभांश वितरण पर रोक लगाई जाए। कालेधन का पता लगाने के लिये छापे मारे जायें। मजदूरों को भी इसमें सहयोग देना चाहिए जिससे आवश्यक वस्तुओं पर दबाव न बढ़े और उनकी कीमत स्थिर रह सके। इस दुष्चक्र को तोड़ने के लिए सरकार को युद्ध स्तर पर कार्यवाही करनी चाहिए। और इस अध्यादेश से मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ेगा। मैं इसके लिये सरकार को बधाई देना चाहता हूं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त ने कहा कि प्रधान मन्त्री एक जनरलिस्सिमो हैं। प्रधान मंत्री ने ही और इस जनरलिस्सिमो ने ही बंगलादेश के बारे में पाकिस्तान के साथ संघर्ष में हमारा नेतृत्व किया था। मुझे विश्वास है कि भविष्य में भी वह हमारा नेतृत्व करती रहेंगी, जिससे देश में समानता और वैभव आ सके और गरीबी को समाप्त किया जा सके।

मैं इस अविश्वास प्रस्ताव का विरोध करता हूं और सदन से अनुरोध करता हूं कि वह इसे तत्काल अस्वीकार करे ।

उपाध्यक्ष महोदय : रेल मंत्री 3 बजे और वित्त मंत्री 5 बजे अपना भाषण देंगे ।

Shri Jagannath Rao Joshi (Shajapur): My Congress friends are unhappy as a No Confidence Motion has been moved against Government. They should do something so that we could have confidence in them.

Government is responsible for the situation to-day. If we go into the root cause of the widespread corruption, misrule, Railway strike and the Gujarat or Bihar agitations, we find that there is no proper administration and there is lack of discipline.

Shri Stephen had said that ordinances have been promulgated because Government wants to tackle these problems on a war-footing. I would like to remind Mr. Stephen that war is the last resort. When we have exhausted all avenues to solve the problem peacefully, only then we resort to war. What have you done to solve the problem peacefully? This Government has never fought any war properly. In war, it is taken for granted that it is a fight to the finish. Whatever we gain in war, is lost by our leaders at the conference table.

This situation has not developed all of a sudden. It was said by Government that they would hold the price line. During the last two-three years, the prices have gone up by 20 to 30 per cent. Dr. Mahabonobis Committee was appointed to report on the proper distribution of National Wealth, but the gap of inequality between the rich and the poor has been widening continuously.

Out of the four five year Plans, we have not been able to achieve targets even in a single plan. Twelve years back, Shri Morarji Desai had said that new taxes would not be levied, if ten per cent expenditure is reduced in each of the Departments.

The real value of the rupee has been going down continuously. It was reduced to 40 paise, then to 38 paise and now it is only 29 Paise. That is why I say that they are not holding the price line; they are simply beholding the price-line as to how it rises sky high.

It was said by the Congress President in the Indore Session that every Congress leader and active party worker should submit his or her return, but no one has submitted his return. You belong to the ruling party and you should guide the people by your own behaviour. The Members belonging to the ruling party become angry, when it is said that 'Maruti' has become a symbol of corruption. Whenever there is any allegation, it should be enquired into.

The Santhanam Committee had recommended that whenever a Memorandum is submitted by ten legislators, the matter should be enquired into. A Commission of Enquiry was appointed in West Bengal, when a demand for it was made by the Congressmen, but no Commission has been appointed against Bansilal, though a very strong demand has been made for it. It is not a question of an individual, it is a question of democracy and the way of life. There is so much terror in Haryana that the teachers and Harijans have to launch their Satyagraha in Delhi.

There are several retired judges like Sarva Shri Subba Rao, Hidayatulla and Chagila, who have not been appointed in any of the Commission. Why do you create an impression in the minds of the judges that if they are not the 'Yesman'of Government, they would not get any thing in future.

When defections started, a committee was appointed under the Chairmanship of Shri Chavan. This committee had recommended that the strength of the Ministers in the Cabinet should be 10 per cent in the states and 11 per cent in the centre. When there was a hue and cry over corruption in Bihar, the number of Ministers was reduced from 44 to 14. When the Central Government flouted the rule of seniority, the Punjab Government also followed it. Democracy cannot function properly in this way.

The economic discipline has been flouted by the Government persistently. The Government is responsible for inflation. Private Printing Presses are not printing Currency Notes. The value of Currency Notes in 1955-56 was Rs. 2000 crores and now it has reached 10,000 crores of rupees. Huge borrowings, dependence in foreign aid and ever mounting taxes should be reduced.

Private Industrialists with only 40 to 50 crores of capital can earn upto Rs. 500 crores, but the public undertakings with an investment of Rs. 5000 crores are running in losses to-day.

The economic condition could not be improved by these ordinances. Government should follow strict economic discipline. The pattern of industry should be changed and industries should be decentralised upto the village level. It has been suggested that due to the shortage of power, rural electrification should be stopped. The power should be brought to the rural areas and economic structure should be changed.

The surplus land has not been distributed to the landless people. When we have adopted the principle that land should belong to the tiller, why land remains in the name of various Ministers.

It is asked by Government that industries should be set-up in the backward areas, but Government has not provided infra-structure such as means of communications, water, electricity and raw materials there.

The Railway employees were compelled to go on strike, but I object to the way in which the strike was handled. They are our employees, they are citizens of this country, but they were treated like the enemies by the Government. There is a recognised way of Collective bargaining in democracy. Shri Stephen and Shri A.P. Sharma have themselves admitted that the demands of the Railwaymen were justified, why then do they criticise the strike. The recommendations of Miyabhoy Tribunal were submitted in April, 1972, but they were not implemented.

Shri Fernandes, who is the President of one of the recognised Federations, held a strike ballot and served a strike notice. The Government was given time upto 15th of April, but nothing was done till that time. The negotiations started, when decision of strike was actually taken on 15th of April. Instead of bringing Shri Fernandes to the negotiation table, he was sent to Jail. When Government has adopted a formula for Private sector to pay bonus at the rate 8.33 per cent, the other employees would also raise similar demands. The Government should be a model employer. The strike was to begin on 8th of May, but 200 trains were cancelled by Government from 1st of May. False news were broadcast by the Radio.

Government should mend its ways. Thousands of workers, both permanent and temporary are out of job even now due to victimisation. Three hundred workers are in jails. Government says that all the trains are running, but I have come to know that Varanasi-Dadar Express has not started running so far. Government should ensure running all the trains properly and the employees should not be treated like enemies. The notices of dismissal and transfers to far-flung places be withdrawn. They are still faithful employees.

I am sure that Government would not be able to bring about economic discipline. I therefore, support the No-Confidence Motion.

उपाध्यक्ष महोदय : कांग्रेस पार्टी के सचेतक ने मुझसे अनुरोध किया है कि कांग्रेस पार्टी के प्रत्येक वक्ता को 15 मिनट का समय दिया जाए। मैं ठीक समय पर घण्टी बजाकर आपको इसमें सहयोग दूंगा **(व्यवधान)** ।

Shri Chandrajit Yadav (Azamgarh): We are fully aware of the fact that the country is passing through a grave economic and political crisis. There is a situation of acute shortages, rising prices and inflation. Our Prime Minister is aware of all these challenges and she is trying to solve them.

I am sorry to say that the opposition parties have made the No Confidence Motion a regular feature. Railway strike has been discussed in detail in the House. The ordinances would also be discussed, when they are brought forward before the House as Bills. But the opposition parties are reducing the importance of No Confidence Motion in this way.

If Government and the people do not face the serious economic crisis as a national challenge, our country would have to face a grave crisis. No body would deny that in our developing country, the requirements of the people are growing and the resources are limited. If we have to solve the problem the challenge would have to be accepted unitedly.

Shri Jyotirmoy Basu is a honourable Member of this House and he should act according to the Parliamentary conventions. He had made baseless and irresponsible charges yesterday. No body would believe him. He sometimes chooses certain Ministers and makes baseless allegations. Though our people might be illiterate, but they know the national interest best. Certain forces are active in the country, which are making united propaganda of character assassination. The fascist and semi-fascist forces are trying to misguide the masses. Shri Basu should not fall a prey to the reactionary and communal forces.

I am not one of those who say that Railway employees are traitors (*Interruptions*).

The Railway employees have a right to go on strike and they went on strike, but their strike was unfortunate and untimely. We opposed the strike, because it would have warsened the economic condition and availability of essential goods. The number of Railway employees might be 17,20 or 25 lakhs, but there are crores of the people in the country, who do not have any livelihood. Lakhs of people are jobless. Some of the demands of the Railway employees were accepted by Government, but the demand of bonus could not be accepted as it would have warsened the economic condition of the country.

I would like to request the Railway Minister that the cases of striking Railway workers should be carefully screened. The disciplinary action should not be taken against such employees as have participated in the strike without fully understanding the situation. The cases of the employees against whom serious charges of violence have been established should be screened separately. The vast majority of Railway employees considered the decision of strike wrong and untimely and that is why they did not participate in the strike.

If we have to develop the country, we would have to take certain strong decisions. That is why these ordinances were promulgated. These ordinances should not be taken in isolation. It has been decided to take action against those who are indulging in tax-evasion. During the last four years action has been taken against thirty thousand persons who had evaded tax. Twenty crores of rupees were realised as a penalty from them. I am happy to say that Government has decided to take stringent action against persons indulging in hoarding, black-marketing, adulteration and tax-evasion.

I admit that there is shortage of power. If there is no power, agricultural production could not be increased and factories would be closed. A committee of senior Ministers and experts has been set up under the chairmanship of Prime Minister. She has visited three states and held meetings there. She has asked them to fix the targets and increase the food production.

We feel that in order to face the present crisis we ought to mobilize all our resources to increase production along with production, distribution of essential commodities among the needy.

At the times of crisis the people should work unitedly shedding their party allegence and other differences.

We have attempted to solve major world issues by negotiations. Cannot we apply the same method in solving our internal problems ?

The reactionary forces framed a grand alliance in 1971. These reactionary forces deceived the people in the name of their welfare and a planned conspiracy is going on in the country.

I have full faith in the crores of people of the country. They would not be led by irresponsible and baseless conspiracies of the reactionary forces.

रेल मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : रेलवे हड़ताल पर लोक सभा में $17\frac{1}{2}$ घंटे तथा राज्य सभा में $6\frac{1}{2}$ घंटे तक चर्चा हुई थी। बहुत सम्भव है उसके दौरान मुझे कुछ बातें दुहरानी पड़ी हों।

यह हड़ताल कार्मिक संघ विवाद न हो कर एक राजनीतिक आन्दोलन अधिक था। राजनीतिक दलों ने देश की अर्थ-व्यवस्था को पंगु बनाने तथा सरकार को बदनाम करने के लिए यह आन्दोलन शुरु किया था।

पहले हमने इसे कार्मिक संघ की समस्या समझा। हमने एक आयोग की स्थापना की आठ में से छह मांगे मान ली गईं। परन्तु उन्हें यह स्वीकार्य नहीं था। सरकार के सामने पहले ही वेतन आयोग से उत्पन्न समस्याएं थीं।

हड़ताल के शुरु होने के दिन 8 मई को 17 लाख कर्मचारियों में से 5½ लाख हड़ताल पर रहे। 27 तारीख को उनमें से 3 लाख कर्मचारी काम पर लौट आए। इस प्रकार 17 लाख कर्मचारियों में से केवल 2 लाख कर्मचारी हड़ताल भर काम पर नहीं आए। अनाज, कोयला तथा अन्य अत्यावश्यक वस्तुयें ले जाने वाली विशेष गाड़ियां इन कार्मिक संघों के सहयोग से निर्बाध रूप से चलती रहीं।

16 अप्रैल से 8 मई तक विभिन्न भागों में रेल अधिकारियों का घेराव किया गया उन पर हमले किए गए पथराव किया गया। इन में बड़ी मात्रा में हिंसा हुई। अधिकारियों को पीटा गया, निष्ठावान कर्मचारियों को डराया-धमकाया गया उन्हें गलियों में फैंका गया उनके बाल-बच्चों को पीटा गया और उनके परिवारों को आतंकित किया गया। किसी भी कार्मिक संघ की हड़ताल में ऐसा नहीं होता। इसे षड्यंत्र कहा जा सकता है। अतः हमें बड़े कठोर उपाय करने पड़े और यदि ऐसी स्थिति फिर कभी उठ खड़ी हुई तो हमें और भी कठोर कदम उठाने होंगे।

हड़ताल करने वाले तथा उनके अनुगामी लोग हिंसा तक ही सीमित नहीं रहे। उन्होंने काम पर आने वाले लोगों पर हमला किया और बड़ी मात्रा में तोड़-फोड़ की और इसमें उन्होंने यात्रा करने वाली जनता का भी ध्यान नहीं रखा। इसी कारण उन्हें जनता का समर्थन नहीं मिला।

विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य ने हम पर बड़ी मात्रा में कर्मचारियों को तंग करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि बहुत से रेलवे कर्मचारियों को उनके क्वार्टरों से निकाल दिया गया है। केवल उन कर्मचारियों को मकानों से निकाला गया था, उनमें से 32 ऐसे थे जिन्हें विभिन्न अपराधों के कारण बर्खास्त कर दिया गया था परन्तु उन्हें मकान दिए गए और वे वापस आ गए। उनका बिजली पानी नहीं काटा गया था। जो लोग काम पर नहीं आए। उनकी सेवा में व्यवधान आएगा। इस प्रश्न पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। 2.5 लाख कर्मचारियों की सेवाओं में व्यवधान डाला गया है।

कुल 19,883 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया। बाद में 19,205 कर्मचारियों को रिहा कर दिया गया। लगभग 400 कर्मचारी अभी जेल में हैं। 16,749 कर्मचारियों को सेवा से निकाला गया। कुल 4,923 कर्मचारियों की बदली की गई हैं।

रेल हड़ताल के कारण रेलवे को कुल 60 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि हुई किन्तु राष्ट्र को होने वाली कुल हानि 600 करोड़ रुपया होगी। कर्मचारियों को तंग करने का कोई प्रश्न ही नहीं है। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनके अतिरिक्त अन्य सब को नौकरी पर वापस ले लिया गया है।

लगभग 2 लाख कर्मचारियों को अग्रिम वेतन वृद्धि दी गई है। वफादार कर्मचारियों को 30 लाख रुपए के पुरस्कार दिए गए हैं।

आज स्थिति यह है कि रेलवे का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है किन्तु कार्मिक संघों के नेता समस्याएं खड़ी कर रहे हैं। वे इधर-उधर घूम कर बैठकें कर रहे हैं। मेरा उनसे निवेदन है कि वे इनका अब अधिक शोषण न करें क्योंकि इसका कुप्रभाव रेल कर्मचारियों पर ही पड़ेगा।

कर्मचारियों की बहुत सी मांगों में से 6 मांगे स्वीकार कर ली गयी हैं। प्रधान मंत्री ने कार्मिक संघों के नेताओं को बिना शर्त रिहा करने का आदेश दिया है।

जार्ज फर्नाडीज कर्मचारियों को एक और संघर्ष करने के लिये उकसा रहे हैं। 5 जून को एक रेलवे वर्कशाप पर रेल कर्मचारियों के सामने भाषण देते हुए उन्होंने उन्हें स्थानीय आन्दोलनों का सहारा लेने को कहा। 17 जून को पूना में उन्होंने रेल कर्मचारियों को 6 महीने में सरकार के साथ एक और संघर्ष के लिये तैयार रहने को कहा।

श्री एस० एम० बनर्जी : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री डी० के० पंडा : आप सबर रखें।

उपाध्यक्ष महोदय : इस पर मुझे निर्णय लेना है। व्यवस्था का क्या प्रश्न है?

श्री एस० एम० बनर्जी : क्या गुप्तचर विभाग का प्रतिवेदन केवल मंत्री महोदय को उपलब्ध कराया जाता है सदस्यों को नहीं। मेरे पास भी गुप्त प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। मैं भी उस से पढ़ सकता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप तो भाषण कर रहे हैं। आपका व्यवस्था का कौनसा प्रश्न है ?

श्री एस एम० बनर्जी : समाचार पत्रों आदि के उद्धरण तो दिये जा सकते हैं परन्तु मंत्री महोदय वे उद्धरण दे रहे हैं जिनका उन्हें तो पता है अन्य व्यक्तियों को पता नहीं है। वे इस प्रतिवेदन को सभा पटल पर रख दें।

श्री सेझियान : जिस भाषण से मंत्री महोदय पढ़ रहे हैं हमें उसका पूरा विवरण दिया जाये।

श्री पीलू मोदी : मंत्री महोदय हमें यह भी बतायें कि उन्होंने इसे कब और कहां गढ़ा।

Shri Madhu Limaye : I have an important point of order. If the hon. Minister is quoting from Newspaper Reports I have nothing to say. But if it is being quoted from C.I.D. report I would like to draw your attention to Rule 368.

श्री सी० एम० स्टीफन : परन्तु उससे अगले उपबन्ध में व्यवस्था है कि यदि मंत्री अपने शब्दों में कहता है . . .

उपाध्यक्ष महोदय : जब कोई व्यवस्था का प्रश्न उठाया जाता है तो अध्यक्ष पीठ को उस पर निर्णय देने दें।

Shri Madhu Limaye : The hon. Minister may be asked whether he is quoting from Press reports or some official reports. If it is from some official report, that report should come before us.

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने यह नहीं कहा कि वह किसी रिपोर्ट से उद्धृत कर रहे हैं। यह तो वह ही बता सकते हैं कि क्या किसी सरकारी रिपोर्ट से उद्धृत कर रहे हैं या नहीं।

श्री ललित नारायण मिश्र : मैं गुप्तचर विभाग के प्रतिवेदन से उद्धृत नहीं कर रहा था।

उपाध्यक्ष महोदय : सदस्यगण या तो समाचार पत्रों से उद्धृत करते हैं अथवा अपनी जानकारी से बातें बताते हैं।

एक माननीय सदस्य : वह अपनी जानकारी का स्रोत बतायें।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि सदस्य स्रोत न बताना चाहें तो उन्हें इसके लिये विवश नहीं किया जा सकता।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : पहली बात तो यह है कि क्या गुप्तचर विभाग की रिपोर्ट ही सरकारी रिपोर्ट है अथवा अन्य पत्र भी सरकारी रिपोर्टों के अन्तर्गत आते हैं। मंत्री महोदय ने केवल गुप्तचर विभाग की रिपोर्ट का उल्लेख किया है।

आखिर उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कार्मिकों को हड़ताल के लिये तैयार रहने को कहा है।

इसलिये आप कृपया दो बातें स्पष्ट करें। क्या सरकारी पत्रों में केवल गुप्तचर विभाग के प्रतिवेदन ही सम्मिलित हैं अथवा अन्य प्रकार के प्रतिवेदनों को भी उसमें स्थान दिया जाता है। यदि मंत्री महोदय ने किसी समाचार पत्र से उद्धरण दिया है तो उसका उल्लेख किया जाये।

श्री एस० एम० बनर्जी : यह अत्यन्त गम्भीर मामला है। इससे भावी प्रक्रिया का निर्णय होगा . . .

श्री सी० एम० स्टीफन : क्या हम अभी तक व्यवस्था के उसी प्रश्न पर हैं ? क्या वे आपके निर्णय को अस्वीकार करते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने कहा है कि यह सरकारी रिपोर्ट नहीं है।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : नहीं। उन्होंने केवल इतना ही कहा है कि यह गुप्तचर विभाग की रिपोर्ट नहीं है।

श्री ललित नारायण मिश्र : मैंने केवल इतना ही कहा था कि मैं गुप्तचर विभाग की रिपोर्टों से उद्धृत नहीं कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने अपना निर्णय दे दिया है कि यह सरकारी रिपोर्ट नहीं है अतएव इसका सभा पटल पर रखने का प्रश्न ही नहीं उटता। मैंने यह भी कहा था कि सदस्यों को अपनी जानकारी के स्रोत बताने को विवश नहीं किया जा सकता। मंत्री महोदय ने कहा था कि यह सरकारी रिपोर्टों से नहीं है। मैं समझता हूं कि आपने यह भी कहा था कि यह समाचार पत्रों में से नहीं है।

श्री एल० एन० मिश्र: इसका अधिकांश समाचार पत्रों पर आधारित है। उनके प्रेस सम्मेलनों, सार्वजनिक भाषणों से मैंने उद्धृत किया है।

उपाध्यक्ष महोदय : जब आप सार्वजनिक सभाओं में भाषण देते हैं तो इसे या तो समाचार-पत्र उसे प्रकाशित करते हैं अथवा दर्शकों में से ही कोई व्यक्ति आपको उसकी जानकारी देता है।

श्री एस० एम० बनर्जी : उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति पर दोषारोपण किया है जोकि इस सभा में नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे व्यवस्था के प्रश्न का निपटारा करने दें। श्री मिश्र ने एक प्रश्न उठाया है।

श्री पीलू मोदी : हम इसे वापस लेते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : यह सरकारी रिपोर्ट नहीं है। मंत्री महोदय स्रोत बताने को बाध्य नहीं हैं। यदि व्यवस्था का प्रश्न वापस ले लिया गया है तो प्रश्न ही समाप्त हो जाता है।

श्री एल० एन० मिश्र : जार्ज फरनेडिस ने कहा था कि हड़ताल के बिना सरकार कोई बात मानेगी नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार हड़ताल को बलपूर्वक दबायेगी। यदि कोई कार्मिक हड़ताल में हिस्सा नहीं लेता तो उसे भावी हड़ताल से पूर्व ही समाप्त कर दिया जायेगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु ने कोयला के वेगनों के वितरण में गोलमाल का उल्लेख किया है। रेलवे किसी को भी वैगनों का आवंटन सीधे नहीं करती। विभिन्न उपभोक्ताओं को वैगनों का आवंटन विभिन्न मंत्रालयों एवं अन्य सरकारी एजेंसियों के माध्यम से किया जाता है। मुझे आश्चर्य है कि श्री ज्योतिर्मय बसु को यह निराधार सूचना कहां से प्राप्त हुई? मैं इस आरोप का खंडन करता हूं **(व्यवधान)**।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं इसकी जांच की मांग करता हूं। इस बात को हर व्यक्ति जानता है कि श्री मिश्र देश भर में पैसा एकत्र करने जाते हैं।

श्री एल० एन० मिश्र : खाद्य पदार्थ, उर्वरक, सीमेंट, कच्चा माल और तैयार उत्पाद जैसी वस्तुओं की ढुलाई जो इस्पात संयंत्रों को भेजा जाता है और पैट्रोलियम उत्पादों के बारे में पहले से मासिक या तिमाही कार्यक्रम बनाया जाता है। यह कार्यक्रम संबंधित मंत्रालयों या खाद्य निगम के साथ मशिवरा करने के बाद तैयार किया जाता है। वैगनों की दिन प्रति दिन की सप्लाई जोनल रेलवे अनुमोदित कार्यक्रम के अनुसार करती है। यातायात में जनहित के महत्व को ध्यान में रखकर माल लाने ले जाने को प्राथमिकता दी जाती है।

मैं सभा को यह सूचना देना चाहता हूं कि मैंने अपने पिता से 1951 में पायी पैतृक आस्तियों में कोई वृद्धि नहीं की है। यदि कोई बात सिद्ध हो जाती है तो मैं सार्वजनिक जीवन से हटने को तैयार हूं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : जांच आयोग अधिनियम के अधीन इन्हें जांच का सामना करना चाहिए।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता–उत्तरपूर्व) : श्री बसु को यह बात सदन से बाहर ही कहनी चाहिये **(व्यवधान)**।

[**श्री इसहाक सम्भली पीठासीन हुए**
Shri Ishaque Sambhali in the Chair]

श्री जी० विश्वनाथन (वान्डीवाश) : हाल की रेलवे हड़ताल देश के श्रम आन्दोलन के इतिहास पर एक धब्बा है। इस हड़ताल के दौरान आकाशवाणी, टेलीविजन, फिल्मों और समाचार पत्रों जैसे प्रचार के साधनों के रवैये की घोर निंदा की जानी चाहिए। इन सबका आपके और रेल कर्मचारियों के विरुद्ध प्रयोग किया गया है। किन्तु सब बातों के लिए रेल कर्मचारियों की ही निंदा की गई है। यह लोकतंत्र पर कलंक है। ऐसा रवैया नहीं अपनाया जाना चाहिए। बी० बी० सी० की भांति आकाशवाणी और टेलीविजन के संचालन में विपक्ष का भी हस्तक्षेप होना चाहिए।

सरकार को चाहिए कि अपने वचन पूरे करे और यह देखे कि नौकरियों से निकाले गए सभी रेल कर्मचारियों को फिर से बहाल कर दिया जाए और जिनकी सेवा में व्यवधान डाला गया है इसे समाप्त कर देना चाहिए।

कच्चातिबु सम्बन्धी पुराने और ऐतिहासिक दस्तावेजों से पुष्टि होती है कि यह द्वीप भारत का अंग है। 150 वर्ष पुराने दस्तावेजों से पता चला है कि इस द्वीप पर रामनद के महाराज का अधिकार था। यह रामनाथपुरम के जमाने का भाग है। 1949 में जमीनदारी प्रथा समाप्त होने से पहले नागरिकों और रामनद के महाराजा के बीच पट्टे लिखें हुए थे। इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि इस द्वीप पर हमारी सार्वभौम सत्ता थी। श्रीलंका का इस द्वीप पर कोई दावा नहीं था।

यह द्वीप सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें तेल बहुत है और मछलियां भी बहुत मिलती हैं। प्रधान मंत्री का यह कहना उचित नहीं कि यह छोटी सी पहाड़ की चोटी है। यदि यह छोटी सी पहाड़ की चोटी होती तो श्रीलंका की सरकार इसके लिए इतनी उत्सुक क्यों होती। इस द्वीप को छोड़ने से पहले न तो राज्य सरकार से परामर्श लिया गया और न ही संसद को विश्वास में लिया गया। संसद से मेरा अनुरोध है कि भारत सरकार और श्रीलंका की सरकार के बीच हुए इस समझौते को अस्वीकार किया जाए।

बेरोजगारी की समस्या गम्भीर है। 1960 और 1971 के बीच बेरोजगारी देश में 20 प्रतिशत बढ़ी थी। अब यह बढ़कर 42.85 प्रतिशत हो गई है। हर 24 घंटे के बाद 6000 व्यक्ति बेरोजगारों की सूची में बढ़ जाते हैं।

20 वर्षीय योजनाबद्ध विकास के बाद भी देश की जनता का 60 प्रतिशत भाग गरीबी के स्तर से नीचे का जीवन बिता रहा है और प्रति व्यक्ति आय में हर साल कमी हुई है। मुद्रा का प्रसार हर महीने बढ़ रहा है। सरकार अनुत्पादक व्यय के बढ़ने के कारण घाटे की अर्थ व्यवस्था कर रही है। इस देश में मुद्रास्फीति बढ़ी है। वांचू समिति की रिपोर्ट के बाद हम आशा करते हैं कि काला धन निकलवाने के लिए कार्यवाही की जाएगी परन्तु ऐसा नहीं किया गया है।

सरकार ने संसद का सत्र आरम्भ होने के कुछ ही दिन पूर्व अनेक अध्यादेश जारी किए हैं। ऐसा करना अलोकतन्त्रीय है और इसकी निंदा होनी चाहिए। वेतनवृद्धि पर रोक लगाने वाला अध्यादेश भी विवेकहीन है। यह मजदूर वर्ग और निर्धन लोगों के हितों के विरुद्ध है। जब तक मूल्य वृद्धि पर रोक नहीं लगती वेतन वृद्धि पर रोक लगाना उचित नहीं है।

लाभांश सम्बंधी अध्यादेश एक ठीक कार्यवाही है परन्तु इससे समस्याओं का समाधान नहीं होगा। यह इस देश में केवल 200 फर्मों पर लागू होगा। अनिवार्य जमा सम्बन्धी अध्यादेश केवल उन पर ही लागू होगा जो आयकर दे रहे हैं और जिनकी आय तथा व्यय मालूम है। परन्तु उनके बारे में क्या किया जा रहा है जिनकी आय का हिसाब सरकार को विदित नहीं है। निहित स्वार्थों वाले लोगों, कर चोरी करने वालों, जमाखोरों, चोरबाजारी करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने से सरकार डरती है। जब तक सरकार घाटे की अर्थव्यवस्था को कम करने, काले धन को निकालने, उत्पादन बढ़ाने के लिए कार्यवाही नहीं करती, देश को बचाया नहीं जा सकता।

श्री एच० के० एल० भगत (पूर्व-दिल्ली) : अविश्वास प्रस्ताव के बारे अनेक माननीय सदस्यों के विचारों को मैंने बड़े ध्यान से सुना है। अविश्वास प्रस्ताव मुख्यत: रेल हड़ताल और इससे सम्बन्धित अनेक समस्याओं तथा हाल ही में जारी किये गए अध्यादेशों तक ही सीमित हैं। जहां तक रेल हड़ताल का सम्बंध है, यह भलाई और सुविवेकी रेल कर्मचारियों एवं भारत-वासियों तथा हड़ताल को अनुचित कहने वाले लोगों की विजय है। रेल हड़ताल कुछ षड्यंत्रकारियों और राजनीतिक साहसिकों, जिन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को ठप्प करने का प्रयास किया है, की पराजय है। रेल कर्मचारी और भावी पीढ़ी विपक्ष के उन नेताओं की कभी निंदा नहीं करेगी जिन्होंने वार्ता को महत्वपूर्ण स्थिति में रेल कर्मचारियों की तीन-सूत्री फार्मूले को स्वीकार करने के लिए नहीं कहा था।

यह भी कहा गया है कि रेल हड़ताल के सम्बन्ध में सरकार द्वारा दिए गए कुछ आश्वासनों को अभी तक क्रियान्वित नहीं किया गया है। रेल मन्त्री और प्रधान मन्त्री को इस प्रश्न की जांच करनी चाहिए और देखना चाहिए कि जिन आश्वासनों को अभी तक क्रियान्वित नहीं किया गया है, उन्हें शीघ्र क्रियान्वित किया जाए।

कर्मचारियों के बारे जारी किए गए अध्यादेश को वेतनवृद्धि पर रोक लगाना कहा गया है। इसमें कुछ समय के लिए ब्याज की अच्छी दर पर भुगतान का उपबंध है। इससे वेतनवृद्धि पर कोई रोक नहीं लगेगी। यदि कुछ समय तक भुगतान स्थगित किया गया तो वास्तव में इससे निर्धन लोगों के लिए कठिनाई तो होगी किन्तु आज देश में व्याप्त स्थिति को देखते हुए राष्ट्र के हित में सब वर्गों के लोगों को कुछ तो बलिदान करना ही चाहिए।

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : रेलवे कर्मचारियों की मांग वैध है क्योंकि उनकी मांग अन्य लोगों-उपक्रमों आदि के मामले में पूरी की गयी है। परन्तु सरकार दीवालिया हो चुकी है और उन्हें कुछ दे ही नहीं सकती। सरकार का रवैय एक दीवालिये जैसा ही है।

रेलवे हड़ताल में जो कुछ हुआ, वह सब अविश्वसनीय है। रेल कर्मचारियों की अपेक्षा तो युद्धबंदियों से अच्छा व्यवहार किया गया है। काम पर न जाने वाले कर्मचारियों का दमन किया गया है।

आज हर प्रदर्शन को सरकार विरोधी तथा हर हड़ताल को राष्ट्र विरोधी कहा जाता है। हमें एक ईमानदार सरकार की आवश्यकता है। ये लोग केवल भाषण ही देते हैं।

देश में आज पुलिस राज है। हर व्यक्ति के पीछे गुप्तचर रहता है। हर कार्य को राजनैतिक दृष्टि से आंका जाता है।

मैं राष्ट्रपति का नाम बीच में नहीं ला रहा हूं। मैं तो केवल यही कह रहा हूं कि क्या किया जाएगा। शायद वह राष्ट्रपति नहीं होंगे।

कांग्रेस के महासचिव का विचार है कि प्रजातंत्र में विरोधी पक्ष के बिना काम चल सकता है। यदि वह संविधान पढ़ने योग्य होते तो उन्हें पता चलता कि प्रजातंत्र में विरोधी पक्ष की आवश्यकता होती है। विरोधी पक्ष को समाप्त कर देने से समस्याओं का अन्त नहीं हो जाएगा। इस समय जो समस्याएं हैं वे आर्थिक समस्याएं हैं। मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करने के लिए सरकार ने कुछ अध्यादेश जारी किए हैं। ये सभी अध्यादेश आर्थिक दृष्टि से अपूर्ण हैं। जिन व्यक्तियों ने इन अध्यादेशों का सुझाव दिया है वे न तो अर्थ व्यवस्था को समझते हैं और न ही वित्तीय मामलों को।

जहां तक इन अध्यादेशों का सम्बन्ध है, वेतन-वृद्धि पर रोक लगाने का प्रस्ताव सरकार को उस समय स्वीकार करना चाहिए था जब वह अनेक उपाय कर लेती।

लाभांश पर नियंत्रण लगाने के बारे में कहा गया है जो बुद्धिमता का परिचायक नहीं है। मैं नहीं समझता कि सरकार क्या कर रही है। एक कुशल कम्पनी को दंड दिया जा रहा है जबकि अकुशल को पुरस्कृत किया जा रहा है। देश का पूंजीबाजार समाप्त हो गया है।

अब जो नवीनतम नारा दिया जा रहा है वह यह है कि उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता है। उत्पादन के लिए आवश्यक अन्य बातों के अतिरिक्त पूंजी बाजार भी आवश्यक बात है। इसके बिना उत्पादन नहीं बढ़ सकता है।

यदि सरकार चाहती है कि मुद्रा स्फीति कम हो तो प्रशासनिक व्यय में कमी की जानी चाहिए। प्रधान मंत्री को चाहिए कि वह एक एक मन्त्री को बुलाकर उनसे उनके मंत्रालयों में 20 प्रतिशत तक कमी करने के लिए कहे। ऐसा करने पर मुद्रा-स्फीति से छुटकारा मिल जाएगा।

मान लीजिए, सरकार इन अध्यादेशों से एक वर्ष के लिए धन की सप्लाई पर नियंत्रण कर लेगी परन्तु अगले वर्ष के लिए क्या किया जाएगा? आज खाद्य पदार्थ और उर्वरकों की कमी है। सरकार कहती है कि वितरण प्रणाली ठीक नहीं है। मुझे अभी तक यह पता नहीं चला है कि सरकार उर्वरकों के उत्पादन, लघु सिंचाई और ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए क्या करने जा रही है?

जन साधारण के उपभोग की सामान्य वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या सरकार का कोई कार्यक्रम है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के तीन दिन के वाद-विवाद में अधिकांश समय श्री जयप्रकाश नारायण द्वारा कही गई बातों पर दिया गया। जब देश में गंभीर आर्थिक संकट है तो क्या ऐसी बातों पर ही ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिए।

मैं अपना भाषण समाप्त करते हुए कुछ रचनात्मक सुझाव दूंगा। मैं प्रधान मंत्री को यह सुझाव देना चाहूंगा कि वह शक्ति को मंत्रिमंडल सचिवालय से मंत्रिमंडल में आने दें ताकि देश में अधिक प्रभावी नेतृत्व हो सके। अतः समय की मांग है कि मंत्रिमंडल में पुनर्गठन की जाए। इसे किसी राजनीतिक कारण से स्थगित न किया जाए।

देश में एक उप-प्रधान मंत्री होना चाहिए। श्री चव्हाण को गृह मंत्री पद पर आसीन किया जाए।

वित्त मंत्रालय का कार्यभार श्री सुब्रह्मणयम, श्री पाई या श्री साल्वे को सौंपा जाये।

प्रधान मंत्री को चाहिए कि वह परमाणु ऊर्जा का कार्यभार स्वयं ही संभालें।

इस प्रकार यदि प्रधान मंत्री उनके साथ शक्ति बांट लें और अपने व्यय में 20 प्रतिशत कटौती कर लें तो देश को आसानी से बचाया जा सकता है।

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): विरोधी पक्ष की ओर से श्री इन्द्रजीत गुप्त और श्री पीलूमोदी ने भाषण दिए। मैंने समझा कि वे मंत्री परिषद् के विघटन के लिए प्रस्ताव दे रहे हैं परन्तु उनके भाषणों में तो मंत्रीपरिषद् के गठन के सुझाव आए हैं।

मैंने अविश्वास प्रस्ताव को इतने सहज भाव से लेते हुए कभी नहीं देखा। मार्क्सवादी दल की ओर से जिस प्रतिनिधि ने भाषण दिया, मैं नहीं समझता कि इस दल के नेता इस भाषण को प्रतिनिधित्व करने वाला भाषण समझेंगे। हमारी आलोचना करने का उन्हें अधिकार है परन्तु जिस भाषण और आरोपों का प्रयोग उन्होंने किया, वह उचित नहीं था।

अविश्वास प्रस्ताव पर हुए इस वाद-विवाद में दो-तीन बातें उठाई गई। रेल हड़ताल के बारे में जो बात उठाई गई उसका उत्तर स्वयं रेल मंत्री दे चुके हैं। दूसरी बात अध्यादेश जारी किए जाने के बारे में थी।

यह सही है कि वर्तमान आर्थिक संकट बहुत गंभीर है और हमें इस पर गंभीरता पूर्वक ध्यान देना चाहिए।

जहां तक हमारा विचार है, मुद्रा-स्फीति की स्थिति ने गत दो वर्षों के दौरान धीरे-धीरे विकट रूप धारण कर लिया है। इसका मूल कारण इस देश में आवश्यक वस्तुओं की मांग और उनकी पूर्ति में असंतुलन होना है।

अब हमें इस समस्या का समाधान करना है। यह बात तो सरकार और देश के बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों तथा राजनीतिज्ञों ने कही है कि देश में मुद्रा की सप्लाई बहुत बढ़ी है। मैं मानता हूं कि सरकार की घाटे की अर्थव्यवस्था भी इसका एक कारण है।

मुद्रा की सप्लाई सम्बन्धी समस्या का समाधान करना ही पर्याप्त नहीं है। हमें अन्य बातों की ओर भी ध्यान देना है। हमें औद्योगिक और कृषि उत्पादन की ओर भी ध्यान देना है। इसके अतिरिक्त प्रत्यक्ष तथा परोक्ष करों का अपवंचन किया जाता है जिससे काला धन बढ़ता है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त ने अध्यादेशों की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि हमारे देश में मूल्यों का निर्धारण श्रमिकों के वेतन से नहीं होता अपितु उद्योग के बड़े क्षेत्रों पर पूंजीपतियों के नियंत्रण से होता है। उन्होंने तो यह ऐसे कह दिया मानो हमने यह अध्यादेश अधिक धन उत्पन्न करने के लिए जारी किये हैं। हमने ये अध्यादेश इस लिए तो जारी नहीं किए कि हमारा यह विश्वास है कि वेतन से मूल्य बढ़ते हैं। हमने तो मुद्रा-स्फीति के संभावित दबाव की रोकथाम के लिए इन्हें जारी किया है। हमने यह दावा नहीं किया कि इन अध्यादेशों के जारी करने के तुरंत बाद मूल्य गिर जायेंगे। इसके अतिरिक्त, केवल इस कार्यवाही से ही परिणाम नहीं निकलने वाले हैं। हमें अभी बहुत से कदम उठाने हैं।

कुछ माननीय सदस्यों ने ये प्रश्न उठाए हैं कि ये अध्यादेश क्यों आवश्यक थे? हमने इन अध्यादेशों को एक साथ जारी किया। एक अध्यादेश लाभांश पर सीमा लगाने के बारे में है, दूसरा अतिरिक्त महंगाई भत्ते के 50 प्रतिशत भाग को अनिवार्य रूप से जमा कराने के लिए है और तीसरा आयकर दाताओं को अपनी आय का कुछ प्रतिशत, जो एक विशेष स्तर से ऊपर है, जमा कराने के लिए विवश करने के लिए है। ये सब अध्यादेश मुद्रा सप्लाई और मांग पर मुद्रा-स्फीति के दबाव को कम करने के लिए है। हम कर्मचारियों के वर्तमान वेतन में से कुछ नहीं ले रहे हैं। इसके अन्तर्गत अतिरिक्त वेतन और महंगाई भत्ते के 50 प्रतिशत भाग को लिया गया है।

लाभांश के वितरण के बारे में क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या अध्यादेश आवश्यक नहीं था? क्या हम इस प्रस्ताव को एक समान्य कानून के रूप में लाते? इसे तो केवल अध्यादेश के द्वारा ही किया जाना था। श्री इन्द्रजीत गुप्त ने कहा कि जब दिसम्बर में धनराशि जमा कराई जाएगी तो अध्यादेश जारी करने की क्या आवश्यकता थी? इन मामलों पर इस प्रकार निर्णय नहीं किया जा सकता क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण मामले हे।

जब किसी एक दृष्टिकोण को स्वीकार कर लिया जाता है तो यह आवश्यक है कि उस समूचे दृष्टिकोण को व्यापक रूप में देश के समक्ष रखा जाए। अतः अध्यादेश लाना आवश्यक हो गया। हमने विवश होकर अध्यादेश जारी किए। हमने सोचा कि इनसे देश की अर्थव्यवस्था में सहायता मिलेगी।

अन्य मामला प्रशासनिक समस्याओं, अर्थात् उनकी क्रियान्विति का है। यदि इनका क्रियान्वयन कठिन है तो भी हमें उसे पूरा करना है।

अब प्रश्न यह है कि हम काले धन के बारे में क्या करना चाहते हैं? हम गत दो वर्षों से काले धन की समस्या पर नियंत्रण करने हेतु निरंतर प्रयास करते आ रहे हैं। श्री इन्द्रजीत गुप्त ने अर्थशास्त्रियों द्वारा दिए गए ज्ञापन का उल्लेख करते हुए कहा कि हम इस ज्ञापन के बारे में क्या करने जा रहे हैं? मैं उनके द्वारा दिए गए सहयोग की सराहना करता हूं।

उन्होंने प्रधान मंत्री को जो ज्ञापन दिया है वह बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने जो सुझाव दिए हैं वे उपयोगी और रचनात्मक हैं। हमने उनमें से कुछ सुझावों को स्वीकार कर लिया है। हम जिन थोड़े से सुझावों को क्रियान्वित कर रहे हैं, वे ये हैं। सरकारी व्यय को युक्तिसंगत बनाना, सरकारी क्षेत्रों के उपक्रमों के कार्यकरण में भाग लेना, सरकारी सहायता कम करना, व्याज की दर में वृद्धि करना, उपभोग कम करने के लिए राजकोषीय उपायों को काम में लाना, विदेशी मुद्रा के भण्डार में सुधार, खाद्यान्न के लिए पर्याप्त आरक्षित भण्डार बनाना, गैर विकास व्यय में कमी करना तथा उत्पादन में वृद्धि करना। परन्तु 100 रुपए तथा उससे अधिक के करेंसी नोटों के अंकित मूल्य को 30 प्रतिशत तक कम करने के सुझाव को

हमने नहीं माना है। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस पर विचार किया। हमने भी इस सुझाव की ओर पूरा पूरा ध्यान दिया परन्तु हमारा मत है कि ऐसा करने से बैंकिंग प्रणाली में लोगों का जो विश्वास बना हुआ है वह समाप्त हो जाएगा।

काला धन, करों के अपवंचन और इस्पात जैसी वस्तुओं के वितरण में एकाधिकार के कारण बढ़ा है।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर): सरकार ने वांचू आयोग के अन्तरिम प्रतिवेदन को क्यों दबाया ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : हमने अनेक अवसरों पर कहा है कि हमने इसे स्वीकार नहीं किया है। इस बारे में प्रतिवेदन प्रकाशित करने का क्या उपयोग है ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : सरकार आयोग नियुक्त करती है और बाद में उसके प्रतिवेदन को दबाती है।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : इस समय प्रवर समिति के समक्ष बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है। वह सभा के विचार के लिए अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी ताकि वह कानून बन सके। सिफारिश में जो बात सबसे महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि हम आर्थिक अपराधों को गंभीरता पूर्वक निपटाना चाहते हैं।

काले धन के उपयोग का एक अन्य तरीका है शहरी सम्पति या अन्य प्रकार की सम्पति का कम मूल्य दिखा कर उसमें धन लगाना—इसके लिए सरकार ने कानून बनाया है और उसे कार्यान्वित किया जा रहा है। उस संबंध में लगभग 100 मुकदमे चलाए गए हैं। इसी प्रकार कुछ अन्य मामलों को नीटिस जारी किए गए हैं। अनेक स्थानों पर छापे मार कर काले धन का उपयोग करने वालों के मन में डर बैठाने का प्रयास किया जा रहा है। इस प्रकार एक वातावरण उत्पन्न करने का प्रयास किया जा रहा है।

उत्पादन बढ़ाने के लिए भी सरकार ने अनेक उपाय किये हैं। सरकार ने कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए गत वर्ष कुछ कदम उठाए थे। दुर्भाग्य से सरकार उत्पादन को वितरण व्यवस्था के अन्तर्गत लाने में असफल रही है। इस वर्ष भी इस दिशा में प्रयास किए जाएंगे। यह एक राष्ट्रीय समस्या हैं। अतः इस बारे में विपक्ष का भी सहयोग अपेक्षित है। परन्तु दुर्भाग्य इस बात का है कि आज विपक्ष का योगदान हड़तालें एवं और अधिक हड़तालें करना ही है। आर्थिक समस्या आज देश की सब से गम्भीर समस्या है परन्तु विपक्ष का काम केवल इस स्थिति में समीक्षा ही रह गया है। इस प्रकार विपक्ष अपने उत्तरदायित्व से बचा नहीं रह सकता। अतः मेरा अनुरोध है कि यदि हम देश की समस्याओं के प्रति गंभीर हैं तो हमें नकारात्मक ढंग से ही नहीं सोचना चाहिए। हमें सरकार को इस स्थिति में पूरा सहयोग भी देना चाहिए।

Shri Janeshwar Misra (Allahabad): So far as Railway employees are concerned they had demanded an increase in their pay so that they may be able to make both ends meet. But the Government let loose repression on them. It has been alleged that Railway employees were enemies of the country. In fact it has to be decided as to who is the real enemy of the country. One who demands bread or one who gives the land of the country to another country.

In the wake of present price rise it is alleged that Hoarders and opposition Parties are responsible for this, beacause they put obstackles in the way of implementation of Government Policies. In fact Government protects the interests of factory-owners. It is responsible for the exploitation of farmers. Its policies are defective. The price of agricultural produce has been kept low at the time of harvest but after the produce is purchased from farmers the price would be allowed to be raised.

The people are facing lots of hardships. Articles of daily consumption are becoming scarce. Adequate quantity of soap is not available. People do not get adequate food. Students do not get text-books and exercise-books. Schools and Colleges in U.P. have to be closed on this very account. When the people raise their voice against this and protest against this, Government blames opposition parties and persons like Shri Jaya Prakash Narayan.

Government has issued ordinance freezing the increases of D.A. in wages of poor workers. But this ordinance has benefitted Tatas and Birlas. The Government has not done anything to curb its own wastefull expenditure. Lakhs of rupees are spent on one tour of Prime Minister. This expenditure is not checked. Some sections are also thinking of bringing forward a bill to increase the D.A. of Members of Parliament. We should be ashamed of such moves (*Interruptions*)

The Finance Minister and his Ministry is in league with gold smugglers. From time to time they spread a rumour that demonetisation of one hundred rupee notes was going to take place. This leads to rise in prices of gold. The Smugglers take advantage of this situation and then the Finance Ministry clarifies that there would not be any demonetisation. There is so much of corruption that even the office of the Prime Minister is also not unaffected. Unless this situation improves, corruption can not be eradicated from the country.

It is very deplorable that people are being oppressed and suppressed. I have been informed by the son of Shri Karpoori Thakur, who has been lodged in Bhagalpur jail that the jail authorities have neither provided a bed nor utensils to Shri Thakur. Such a treatment towards a former Chief Minister was highly reprehensible.

Leaders of opposition parties have received a copy of a letter addressed to the Home Minister, which alleges that the Chief Minister of Haryana has said that in the presence of the General Secretary of the Haryana Congress that arrangements have been made to do away with Shri Jaya Parkash Narayan. This is a very serious matter. Any conspiracy against the life of Shri Jaya Parkash Narayan would not be tolerated by the people. It would not be allowed to go unchallenged.

श्री वयालार रवि (चिरंयिकील) : मैं माननीय सदस्य के प्रथम भाषण में बाधा नहीं डालना चाहता । परन्तु उन्होंने एक पड़ोसी राज्य के मुख्य मंत्री पर गम्भीर आरोप लगाया है । उन्होंने कहा है कि श्री बंसीलाल ने कांग्रेस कमेटी के सचिव को बताया था कि वह श्री जयप्रकाश नारायण की हत्या करने की सोच रहे हैं । माननीय सदस्य का यह उत्तरदायित्व है कि वह इसे प्रमाणित करें, अन्यथा इसे कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया जाये ।

श्री एस० ए० हामीम (श्रीनगर) : उन्होंने कहा था कि उन्हें इस बारे में पत्र प्राप्त हुआ है ।

श्री वयालार रवि : एक समाचार है कि श्री चरणसिंह श्री जयप्रकाश नारायण के विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हैं ।

Shri R. S. Pandey : I request that reference to letters mentioning plans for murdering respected Babu Jaya Parkash Narayan may be expunged as these as false and baseless.

Shri Madhu Dhandvate (Rajapur) : I would like Shri Mishra to read out the letter in the House.

Shri B. R. Shukla (Bahraich) : Nothing can be said in this house in respect of the persons not present here. I request you to expunge this portion.

Shri Narsingh Narain Pandey (Gorakhpur) : Shri Janeshwer Mishra has said that he has received the letter. It has also been sent to other officials and the hon. Home Minister. He would have to take its responsibility as he is making serious allegations against a person who is not here.

Shri Hukam Chand Kachwai (Morene) : Even today the Railway Minister mentioned about Gearge Fred who is not a member of this House. I would like that the letter mentioned by Shri Mishra may be laid on the table.

श्री श्याम नन्दन मिश्र (बेगुसराय) : उल्लिखित पत्र में आरोप लगाया गया है कि श्री जयप्रकाश नारायण की हत्या करने के लिए एक षड्यंत्र चल रहा है । हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा बताया गया है कि वह इस प्रकार का कोई षड्यंत्र कर रहे हैं । यदि किसी भी सदस्य के पास कोई ऐसा पत्र आता है तो उसका क्या कर्तव्य है । यदि दुर्भाग्यवश श्री जय प्रकाश नारायण की हत्या कर दी जाती है तो पत्र पाने वाले व्यक्ति की जांच की जाएगी । गांधी जी की हत्या के मामले में ऐसी कई बातें हुई थीं । मैं समझता हूं कि ऐसे पत्रों की सूचना सभा में दिए जाने से हमें कोई नहीं रोक सकता । यदि माननीय सदस्य द्वारा कहे गए वाक्यों को निकाल दिया जाता है तो यह उसके प्रति भारी अन्याय होगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि श्री रवि ने यह व्यवस्था का प्रश्न उठाया था । हमें हर बात में वाद-विवाद को बढ़ाना नहीं चाहिए । मैं तीन-चार और सदस्यों को सुनकर अपना निर्णय दूंगा । प्रश्न यह है कि क्या यह सभी बातें कार्यवाही वृत्तान्त में रखी जाएं ।

डा० हेनरी आस्टिन (एरणाकुलम) : इस प्रकार के पत्र के बारे में पत्र प्राप्त करने वाले की जांच करके ही सभा में मामला रखना चाहिए। यदि प्रमाणिकता की जांच न की गई हो तो इसे वाद-विवाद से निकाल दिया जाना चाहिए।

श्री सी० एम० स्टीफन (मवत्तुपुजा) : मेरा तो दृढ़ मत है कि इन मामलों में नियम 353 का दृढ़ता से पालन किया जाना चाहिए।

मैं समझता हूं कि यदि कोई व्यक्ति यह कहता है कि हरियाणा के मुख्य मंत्री किसी विशेष व्यक्ति की हत्या का षड्यंत्र कर रहे हैं तो यह दोषारोपण है। परन्तु यदि कोई सदस्य गुमनाम पत्र का हवाला देकर वही बात कहता है तो इसमें कम दोषारोपण नहीं है।

श्री एच० के० एल० भगत (पूर्व-दिल्ली): यह अत्यन्त ही गम्भीर मामला है। मुझे आश्चर्य है कि यह पत्र कतई बेबुनियाद पत्र सदन में बिना जांच किए पढ़ा गया है। श्री जनेश्वर मिश्र का पहला कर्तव्य यह था कि अपनी तसल्ली करके मामला पुलिस को सौंप दे। इस सदन में जो कुछ कहा जाता है समाचार पत्रों को उसके प्रकाशन की स्वतन्त्रता है। इस प्रकार तो कोई भी सदस्य किसी के भी विरुद्ध कुछ भी कह सकेगा।

हमारे पास हजारों गुमनाम पत्र आते हैं। यदि हम उनपर ऐसी कार्यवाही करते हैं तो उसका कहीं अन्त नहीं होगा। यह मनगढ़न्त आरोप षड्यंत्रपूर्वक रचा गया है। इस लिए इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। कृपया आप इस गम्भीर मामले पर नियमानुसार कार्यवाही करें।

Shri S.M. Banerjee (Kanpur) : According to the letter read out here, the Chief Minister of Haryana had said that all arrengements to do away with Shri Jai Parkash Narayan have been made. I had also read in the house a similar letter about Shri Jharkhande Rai. **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय ने इस सारे मामले को गृह मन्त्री के पास भेजा था और उनको संरक्षण दिया गया था। इस प्रकार के अनेक उदाहरण हैं, मैं श्री जयप्रकाश नारायण के राजनीतिक विचारों से सहमत नहीं हूं। परन्तु माननीय सदस्य ने ठीक या गलत जानकारी के आधार पर जो वक्तव्य दिया है उसको कार्यवाही वृत्तान्त से निकाला नहीं जाना चाहिए। इसकी जांच की जानी चाहिए और यदि उसमें लिखी बातें झूठी हैं तो उन्हें उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। यदि वे सत्य हैं तो ठीक है।

श्री हरि किशोर सिंह (पुपरी) : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि. . . . . :

उपाध्यक्ष महोदय : हमने काफी बातें सुन ली हैं। यदि आप इसको लघु वाद–विवाद का रूप देना चाहते हैं तो सभा इस बारे में निर्णय कर सकती है। प्रश्न यह है कि जो कुछ श्री जनेश्वर मिश्र ने कहा है और उसके बाद उस सम्बन्ध में अन्य माननीय सदस्यों ने कहा है उसे कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल किया जाए या नहीं। इसके दो पहलू हैं कि इस प्रकार के मानहानि करने वाले शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। परन्तु श्री मिश्र द्वारा दिए गए वक्तव्य का जोरदार खंडन किए जाने के बावजूद वह बोलते रहे। ये दोनों बातें हैं। जब एक माननीय सदस्य वक्तव्य देता है और अध्यक्ष महोदय के मना करने पर भी वह अपना भाषण जारी रखता है तो मना करने के बाद जो कुछ कहा जाएगा वह कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जाएगा।

श्री सी० एन० स्टीफन (मुवत्तुपुजा) : मैं इस बारे में आपका विनिर्णय चाहता हूं कि उन्होंने नियम का उल्लंघन किया है या नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : नियम 380 में इस बात की व्यवस्था है कि यदि अध्यक्ष की राय में वाद-विवाद में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया हो जो अपमानजनक अशिष्ट या असंसदीय है तो वह अपने विवेक से उन शब्दों को कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल देने का आदेश दे सकता है, कल के वक्ताओं में से एक ने यह आरोप लगाया था कि प्रधान मंत्री के निवास स्थान पर एक करोड़ रुपया लाया गया था **(व्यवधान)** इसका कारण कारों के मूल्य में वृद्धि बताया गया था। अब मैं सभा की राय जानना चाहता हूं कि क्या इस प्रकार के प्रमाण रहित आरोप लगाना मानहानिकर समझा जाए या नहीं **(व्यवधान)**

श्री भागवत झा आजाद (भागलपुर) : आप आज के मामले के बारे में विनिर्णय दीजिए। कल के मामले के बारे में नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि प्रत्येक माननीय सदस्य को पूरी जिम्मेदारी के साथ वक्तव्य देना चाहिए क्योंकि निराधार आरोप लगाया जाना मानहानि कर है। अब इस मामले में श्री जनेश्वर मिश्र ने एक आरोप लगाया है, उन्होंने एक पत्र में से पढ़ा है। इसका अर्थ यह था कि कोई षड्यंत्र रचा गया था जिसमें हरियाणा के मुख्य मंत्री के नाम का भी उल्लेख किया गया था कि सम्मान योग्य नेता श्री जयप्रकाश नारायण की हत्या कर दी जाएगी। शासक दल के काफी सदस्यों ने इसका जोरदार खंडन भी किया था। श्री एच० के० एल० भगत ने इसको झूठा कहा था। यह सभा देश का प्रतिबिम्ब है। देश में व्याप्त हर किस्म के तनाव तथा अन्य बातों का उल्लेख यहां पर किया जाता है। अब सभा को देखना है कि वह किस प्रकार की भूमिका निभाना चाहती है—क्या वह जनता पर यह प्रभाव डालना चाहती है कि सभा को उसकी समस्याओं के प्रति सहानुभूति है और वह उनका समाधान करने के लिए प्रयत्नशील है अथवा वह सभा को एक हथौड़े के रूप में प्रयोग करना चाहती है जिससे देश में होने वाली सभी घटनाओं का उल्लेख बन्द कर दिया जाये। श्री जय प्रकाश नारायण द्वारा चलाए जा रहे अभियान के बारे में दो राय हैं कुछ उसे ठीक बताते हैं और कुछ गलत बताते हैं। परन्तु वस्तुस्थिति यह है कि इस प्रकार परिस्थितियां बदलती जा रही हैं और नई नई घटनाएं हो रही हैं। अब एक बात यहां पर कही गई है और उसको कार्यवाही वृतांत से निकाल देने का परिणाम केवल यह होगा कि समाचार पत्र उस को प्रकाशित नहीं कर सकेंगे। परन्तु लोग इस बारे में बातचीत तो कर सकते है उनका मुंह बन्द नहीं किया जा सकता। इस लिए मेरी राय में एक निराधार आरोप लगाया गया है और उसका जोरदार खण्डन किया गया है।

श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : आरोप ही नहीं बल्कि गम्भीर जानकारी दी गई है।

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसी जानकारी जिसका प्रमाण न दिया जाए और किसी आरोप में कोई अन्तर नहीं होता। मेरे विचार में इस सभा को, जो एक जिम्मेदार संस्था है, इन सब बातों पर ध्यान देना चाहिए। सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। सब कुछ कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित है। मेरे विचार में कार्यवाही वृतांत में से कुछ भी नहीं निकाला जाना चाहिए।

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 25 जुलाई, 1974/3 श्रावण, 1896 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the clock on Thursday, July 25, 1974/ Sravana 3, 1896 (Saka).

MGIPNLK—5/Lok Sabha/74—1-10-74—490 Copies.